नया 20 सूत्री कार्यक्रम

(1982-83)

राजस्थान

NIEPA DC
D00138

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-1138
Date 28/5/82

Dr. A. S. Rathore
A-58 Mt. Drives, Rtb. Rehlis.
N. Delhi

मकर संक्रान्ति घोषणा

हमारे देश में आज नई फसल का त्यौहार मनाया जा रहा है। नये चावल और नये गुड़ हवा को सुगंधित कर रहे हैं। आप सबको बिहू, पोंगल और संक्रान्ति की शुभ कामनाएं।

दो वर्ष पहले, हमारी पार्टी ने सरकार चलाने का भारी बोझा उठाया ऐसे समय जब देश की आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो गई थी। हमारी सही और परखी हुई नीतियों का परित्याग था और उत्पादन की व्यवस्था खतरे में थी, देश की स्थिरता भी डांवाडोल थी, मुद्रास्फीति का स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका था।

हमारी पहली चिन्ता थी कि आर्थिक बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करें। इस प्रयास से हालत सुधरी है। पिछले नौ महीनों से उत्पादन के क्षेत्रों में तरक्की हुई है। इस अवधि में :

बिजली का उत्पादन	ग्यारह प्रतिशत लगभग
कोयले का उत्पादन	ग्यारह प्रतिशत
बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन	उन्नीस प्रतिशत
नाइट्रोजन खाद का उत्पादन	पचपन प्रतिशत
सीमेंट का उत्पादन	सोलह प्रतिशत
रेलवे माल की ढुलाई	पन्द्रह प्रतिशत

14 जनवरी, 1982 को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश

पैट्रोल का उत्पादन भी बढ़ा है। तेल के उत्पादन में जो हमारे वैज्ञानिक लगे हैं, उनको उम्मीद है कि इस दिशा में और प्रगति होगी। मुल्क के कई हिस्सों में बाढ़ और सूखे के बावजूद हमारी फसल इस वर्ष अच्छी है।

हमें पूरी उम्मीद है कि महंगाई पर काबू पा सकेंगे। थोक बिक्री के भाव के बढ़ने की दर में गति धीमी हुई हैं। उचित दर की दुकानों के जरिये आवश्यक सामान की आपूर्ति बेहतर है। परिणामस्वरूप खुदरा कीमतों में भी गिरावट आई है और आज हमारी अर्थव्यवस्था लगभग उतनी मजबूत है जैसे उन्नीस सौ छिहत्तर-सतहत्तर में थी।

अगर पाकिस्तान इसी समय भयानक हथियारों की जखीरेबाजी नहीं करता तो उन्नीस सौ बयासी में हम और ज्यादा तरक्की करते। किन्तु हालात ऐसे हैं कि हमें अपनी रक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। इस मामले में राष्ट्र किसी प्रकार की ढील नहीं बरत सकता। इसलिए जरूरी है कि हम सब ज्यादा कुशलता और मेहनत से काम करें। जमीन के चप्पे-चप्पे से, कारखाने की हरेक मशीन से, हरेक मजदूर या शिल्पी से और एक-एक खर्च के पैसे से हमें पूरा लाभ उठाना है। तभी हम इस चुनौती का सामना कर सकेंगे।

अधिक उत्पादन

उन्नीस सौ बयासी को हमने उत्पादन वर्ष घोषित किया है। खासतौर से हम अपने सार्वजनिक उद्यमों की कार्य प्रणाली के सुधार पर जोर दे रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारे दफ्तरों और अदालतों में जो मामले रुके पड़े हैं उनको निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे।

सभी मंत्रालयों को मैंने आदेश दिया है कि उत्पादन में जो भी रुकावटें हों, उन्हें वे हर प्रकार से दूर करें। सरकार के जितने भी अभिकरण हैं, उन सबको अनुशासन और किफायत पर विशेष ध्यान देना होगा, खासतौर से हमारी राज्य सरकारों को ओवर ड्राफ्ट से बचना चाहिए।

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में, जो भारतीय देश के बाहर रहते हैं, हम उनके सहयोग का भी स्वागत करते हैं। सरकार इस दिशा में एक विशेष योजना तैयार कर रही है जिसके अंतर्गत इस प्रकार के

लोग पूंजी लगाने में, उद्योग धंधे चलाने और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी सहायता कर सकें।

काफी उपलब्धियां

सरकार का पहला कर्तव्य है कि आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करे। हमारी सारी योजनाएं और कार्यक्रम देश को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर होने की दृष्टि से ही तैयार किए गए हैं, ताकि हम अपनी पुरानी और नई समस्याओं को सुलझा सकें। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से विकास के सामान्य कार्यक्रम तैयार किए गए थे। उन्नीस सौ पचहत्तर में इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार के कार्य बीस सूत्री कार्यक्रम के नाम से प्रारंभ किए गए थे।

इन कार्यक्रमों से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए उन्नीस सौ छिहत्तर में कानून बनाए गए।

तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए कदम उठाए गए। सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट की योजना चलाई गई है।

पचास लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था का जो हमारा लक्ष्य था वह पूरा हो गया है। जमीन के नीचे के पानी के उपयोग की राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है।

बड़े-बड़े थर्मल पावर स्टेशन बनाये जा रहे हैं, निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लाखों लोगों को अब इन्कमटैक्स नहीं देना पड़ता है। बीस सूत्री कार्यक्रम के कई दूसरे मुद्दों पर भी काफी प्रगति हुई है।

इन अनेक लक्ष्यों के पूरा होने तथा हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं और नई चुनौतियां आई हैं उन सब ही कारणों से यह आवश्यक हैं कि हम इस कार्यक्रम को एक नया स्वरूप

प्रदान करें। काफी सोच-समझ और विचार-विमर्श के बाद हमने नया कार्यक्रम तैयार किया है जो मैं आपके सामने रख रही हूं :

नया 20–सूत्री कार्यक्रम

इस नए कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि :

1 सिंचाई क्षमता में और वृद्धि की जावे। सूखी जमीन पर खेती से संबंधित तकनीकी ज्ञान और खाद्यान्नों का विकास एवं प्रचार किया जाए।

2 दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

3 समग्र ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं अधिक विस्तृत किया जाए।

4 कृषि योग्य भूमि की हदबंदी लागू हो। तमाम प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर कर जमीन से संबंधित रिकार्डों को एकत्र कर पूरे तौर से दुरुस्त किया जाए तथा हदबंदी की सीमा से अधिक जमीन का बंटवारा भूमिहीनों के बीच किया जाए।

5 कृषि कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने से संबंधित कानूनों की समीक्षा की जाए और इसे असरदार तरीके से लागू किया जाए।

6 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

7 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास से सम्बद्ध कार्यों में तेजी लाई जाए।

8 दूर-दराज इलाकों में बसे सभी ग्रामों में पीने के पानी का प्रबंध हो।

9 ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनके पास अपने मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है उनको इसके लिए जमीन दी जाए और उनके लिए मकान बनाने में सहायता से सम्बद्ध जो कार्यक्रम हैं उनका विस्तार किया जाए।

10 झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के वातावरण में सुधार लाए जाएं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए गृह निर्माण कार्यक्रम को लागू किया जाए और जमीन की कीमतों में जो अनावश्यक वृद्धि हो रही है उसे रोकने के लिए उपाय किए जाएं।

11 बिजली बोर्ड की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जाए और सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाए। बिजली के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाए।

12 बनरोपण कार्यक्रम को पूरी निष्ठा के साथ चलाया जाए, सार्वजनिक उद्यान एवं बागवानी तथा बायोगैस तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए।

13 परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर सार्वजनिक अभियान के रूप में चलाया जाए।

14 सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाया जाए तथा कुष्ठ, टी.बी. और अन्धेपन को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं।

15 महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यक्रम में तेजी लाई जाए। गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों, विशेषरूप से आदिवासी, पहाड़ी एवं पिछड़े इलाकों में रहने वालों के लिए पौष्टिक आहार कार्यक्रम तीव्र गति से चलाये जाएं।

16 छह से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यापक व्यवस्था की जाए और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं को शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाए। साथ ही इन कार्यक्रमों में छात्रों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाए ताकि वयस्कों की निरक्षरता का अन्धकार दूर हो सके।

17 उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ाकर और दूर-दराज के इलाकों में चलती फिरती दुकानों की व्यवस्था करके, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और छात्रावासों में रहने वाले

विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बढ़ोतरी की जाए। पाठ्य-पुस्तकें और अभ्यास–पुस्तिकाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए। उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जोरदार कदम उठाये जाएं।

18 पूंजी निवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाया जाए और औद्योगिक नीति को सरल बनाया जाए ताकि हम योजनाओं को समय से पूरा कर सकें तथा दस्तकारी, हथकरघा एवं दूसरे ग्रामीण उद्योग धंधों को हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएं जिससे वे प्रगति करें और अपनी तकनीक को आधुनिक बना सकें।

19 तस्करों, जमाखोरों और कर की चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि काला धन रुके।

20 सार्वजनिक उद्यमों की कार्यकुशलता, अपनी क्षमता के उपयोग और आंतरिक साधनों के उत्पादन की शक्ति को बढ़ाकर उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाया जाए।

राष्ट्र की यह कार्यसूची हमारे विकास की समग्र योजना को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इस का लक्ष्य है कि हम विशेष मुद्दों पर खास जोर दें, जिससे हमारे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में कुछ ठोस परिणाम सामने दिखाई पड़ें।

राष्ट्रीय जीवन को विकसित करने की हमारी सब कोशिशें देश के विभिन्न तबकों में सद्भाव रखने की हमारी क्षमता पर निर्भर होंगी। खासतौर से यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हरिजनों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सभी कमजोर लोगों के लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

श्रम एव जयते

उन्नीस सौ पचहत्तर में, जब बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई, तो मैंने आप को सावधान किया था कि आप इसे जादू न समझें। तब या अब, गरीबी मिटाने का एक ही जादू है–और वह है कड़ी मेहनत। इसके साथ-

साथ अनुशासन और अपने उद्देश्यों की सही और साफ जानकारी। हमारी कठिन यात्रा में आराम के लिए न जगह है, न समय है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है "सत्यमेव जयते"– अर्थात् सत्य की ही विजय होती है। अपने दैनिक जीवन में हमें एक और आदर्श वाक्य का अनुसरण करना चाहिए "श्रम एव जयते"। हम प्रगति, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करने की आशा तभी कर सकते हैं जब हम सब कठिन परिश्रम करें और अपने को सत्य के लिए समर्पित करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।

हमारी अर्थ व्यवस्था में बेहतरी साफ साफ दिखाई दे रही है। यह हमारे ही हाथों में है कि इसे सुनिश्चित रखें और विकास की इस गति को कायम रखें ताकि हमारे लाखों–करोड़ों लोगों का जीवन सुखमय हो। इस नए कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है। आज मैं आप सबको आमंत्रित करती हूं कि मिलकर ज्यादा से ज्यादा काम करने का संकल्प करें। यह कार्यक्रम प्रत्येक व्यक्ति का है और पूरे राष्ट्र का है जिसकी सेवा, विकास और निर्माण करना हमारा परम कर्तव्य है।

मकर संक्रांति,
1982

इन्दिरा गांधी
प्रधान मंत्री

नये बीस सूत्र : हमारे बीस संकल्प

गरीबी क्या है ? राजस्थान में यह प्रश्न पूछना सब ओर एवं अपनी ओर देखना है। गरीबी देखी जा सकती है, पर इससे भी अधिक उसे महसूस किया जा सकता है। गरीबी अभावग्रस्तता है। स्वतंत्रता से पूर्व हम भारत को साधन सम्पन्न गरीब देश कहते थे। आज के सन्दर्भ में समूचे देश की गरीबी के साथ-साथ देश में जो असमानताएं एवं अभावों से उत्पन्न गरीबी के क्षेत्र हैं, उन्हें मिटाना अधिक प्रासंगिक है। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में निपट गरीबों की संख्या भले ही अधिक न हो, पर हमारी गरीबी अधिकतर लोगों के गरीबी की रेखा के आस-पास होने की गरीबी है।

एक गरीबी सापेक्ष या तुलनात्मक होती है। इसका माप समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता में है। हमारी गरीबी निपट, सम्पूर्ण या निरपेक्ष है। योजनाकारों ने निर्धनता को नापने के लिए प्रति व्यक्ति 2,100-2,400 कैलोरी युक्त भोजन की उपलब्धि को आधार मानकर निर्धनता की एक काल्पनिक रेखा खींची है, किन्तु उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास सुविधाओं पर विचार नहीं किया गया है। इन अभावों पर विचार करने पर राजस्थान की गरीबी बहुत गहरी हो जाती है।

गरीबी इतनी बड़ी और व्यापक समस्या है कि समाधान असंभव मानकर हममें से कुछ गरीबी से उदासीन रहना या उसे स्वीकार करना

सीख लेते हैं। इसका एक कारण और है। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति में गरीबी के प्रति घृणा या रोष नहीं है।

गरीबी के सम्बन्ध में पं. जवाहर लाल नेहरू का दृष्टिकोण समाजवादी थ वैज्ञानिक था। वे गरीबी को एक विकृति अथवा एक रोग के रूप में देखते थे। वे गरीबी का मूल कारण उससे आने वाली लाचारी, हताशा और उदासीनता को मानते थे। वे मानते थे कि गरीबी को मिटाया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए आयोजन हमारा धर्म है। उनके इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उनमें एक गहरी भावना भी थी। गरीबी उन्मूलन की उनकी भावनात्मक प्रतिबद्धता किसी श्रद्धा से कम गंभीर नहीं थी। हम लोग उस युग के हैं जिन्होंने जवाहर लाल जी के आदर्श से प्रेरित होकर सोचना व समझना प्रारम्भ किया। फलस्वरूप हमारे लिए गरीबी से निदान एक संग्राम हैं। निर्धनता की लाचारी या उदासीनता या उससे पलायन को हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमने हताश होना सीखा नहीं। गरीबी के विरुद्ध संग्राम, जिहाद या अभियान हमारी पहली प्राथमिकता हैं।

हम समृद्धि चाहते हैं, पर समृद्धि ऐसी हो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए। विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय व समता भी हमारे उद्देश्य हैं। योजना बनाने के बहुत से सिद्धान्त बदले जा सकते हैं पर ये सिद्धान्त अनुल्लंघनीय हैं। इन दोनों आदर्शों को साथ-साथ और संतुलित ढंग से पाना ही हमारी योजनाओं का ध्येय है। विकास उत्पादन बढ़ाने से होता है। जो समर्थ हैं और जिनके पास पूंजी है, विकास उनके सहारे होता है। अतः यह प्रक्रिया उन्हें अधिक सक्षम बनाती है। आजकल पुरानी शिक्षा भूलकर, विशेषतः सम्पन्न देशों के अर्थशास्त्री, गरीब देशों को "बाजार का चमत्कार" की बात सुझाते हैं। उनका कहना है कि अमीरों की अमीरी बढ़ाने से कालान्तर में अपने आप गरीबों की गरीबी कम हो जाती हैं। हमारी धारणा इसके विपरीत है। उत्पादकता बढ़ाने के पांच कदम लेने पर देश की सम्पन्नता तो बढ़ती है, पर यह सम्पन्नता कुछ गिने चुने लोगों की होती है। तब सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण और

गरीबी हटाने के पन्द्रह कदम लेने आवश्यक होते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में साधनों के विकेन्द्रीकरण को महत्व दिया गया है।

हमारी प्रधान मंत्री की मकर संक्रान्ति की ऐतिहासिक घोषणा ने देश को नया 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है। 1975 में धूम मचाने वाला 20 सूत्री कार्यक्रम वार्षिक योजनाओं से कुछ अलग था। उसके कई सूत्र नये कानून बनाने से पूर्ण होते थे। उसमें कुछ प्रमुख समस्याओं के प्रतिकार के लिये नई प्रशासकीय पहल थी। नया 20 सूत्री कार्यक्रम छठी योजना का संकलन और सार है। जो स्पष्ट है, समक्ष है, योजना और बजट पुस्तकों में उल्लिखित है, यह कार्यक्रम उसे कर दिखाने का आह्वान है।

20 सूत्री कार्यक्रम सारे देश के लिए है। यह सब क्षेत्रों और प्रदेशों के लिए है। कार्यक्रम सब जिलों के लिए है। इसकी सार्वभौमिकता का कारण यह है कि प्रत्येक बिन्दु या तो बुनियादी संरचना के बारे में है या ऐसे अभावों का उपाय हैं जो सब जगह व्याप्त है और जिन्हें दूर करना हर जगह प्राथमिकता रखता है। जो कमी हर गरीब की है, जो कमी गरीबी परिभाषित करती है, यहां वहां और सब जगह, इस कार्यक्रम में उसे हटाने के उपाय सम्मिलित हैं। अशिक्षा, बड़े परिवार, बीमारी, रहने का ठोर ठिकाना न होना, पीने के पानी की किल्लत, अनाज के ऊंचे दाम, मजदूरी देने में बेईमानी या मजदूरी न मिलना, ये सब गरीबी के कारण और कष्ट दोनों हैं। गरीबों में भी कुछ वर्ग अधिक लाचार हैं—स्त्री और बच्चे या अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य। इनके प्रति हमारा एक विशेष दायित्व है। उनको समानता देना एक पुराने कलंक को धोने का एक गांधी-प्रण है। नये कार्यक्रम में बीस से पन्द्रह बिन्दु गरीबी हटाने के संकल्प के अन्तर्गत हैं।

सिंचाई क्षेत्र व ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और लोक उद्योगों के प्रबन्ध ठीक करना बुनियादी संरचना सम्बन्धी बिन्दु हैं। सभी राज्यों में पाया गया है कि विद्युत् मण्डल या परिवहन निगम जो राज्य स्तर के लोक उद्योगों में प्रमुख हैं और सिंचाई व्यवस्था, प्रबन्ध की दृष्टि से कमजोर हैं। सवाल प्रचालन दक्षता का है। आज न व्यवस्था सन्तोषजनक है और

न अपेक्षित लाभ प्राप्त होते हैं। जो सरकार का लाभ खो जाता है, वह उपभोक्ताओं को नहीं मिलता। वह बिचौलिये तत्वों के हिस से में जाता है। इस रिसाव को रोकना आवश्यक है। विद्युत्, परिवहन या सिंचाई में जो पूंजी अधिक बिजली, संचार और सिंचाई बढ़ा सकती है वह निरन्तर घाटे से स्वयं घट रही है।

बाकी दो बिन्दु राष्ट्रव्यापी समस्याओं के बारे में हैं, जिनके हल के लिए सब जगह यथा शक्ति प्रयास होने चाहिए। दलहन का उत्पादन देश में बढ़ नहीं रहा है और तिलहन की कमी को पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ रहा है। इसी तरह काले धन पर अंकुश लगाना है जो तस्करी, कर चोरी और जमाखोरी से बढ़ रहा है।

राजस्थान में हमने यह निश्चय किया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम जिला स्तर पर निष्पादित किया जावेगा। वार्षिक योजना के आधार पर राज्य स्तर पर सूत्रवार लक्ष्य निर्धारित होंगे। यह लक्ष्य जिलेवार बांटे गये हैं। निष्पादन की मानीटरिंग जिलेवार होगी। जिला स्तर को प्रमुख करना राज्य के 20 सूत्री कार्यक्रम को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं। ऐसा करने से बहुत लाभ हैं। प्रधान मंत्री जी की विशेष इच्छा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में जन सहयोग से कार्य हो। यदि मात्र विभागों से कह दिया जाय कि उन्हें यह लक्ष्य पूर्ण करने हैं तो वह लक्ष्य कहां व कैसे प्राप्त होते हैं, यह संदिग्ध होगा। जिलेवार 20 सूत्री कार्यक्रम प्रकाशित होने पर वह एक विस्तृत चुनौती बन जाता है। लोग कार्यक्रम को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और फलस्वरूप विकास की मांग करते हैं। उनकी योजना बनाने और क्रियान्वित करने में भागीदारी बढ़ती है। इस भागीदारी का बढ़ना स्वयं में एक लक्ष्य है और इससे क्रियान्वयन के बढ़िया और सही ढंग से होने की परिस्थिति बनती है। जिले के 20 सूत्री कार्यक्रम को पंचायत समितियों में तकसीम करना, विस्तृत कार्यक्रम प्रकाशित करना कि किस ग्राम में क्या होगा, यह आयोजना जिला स्तर पर की जावेगी। इससे एक अन्य लाभ यह होगा कि प्रगति की रपट हमको जिला समिति से और विभागों से अलग-अलग मिलेगी और उससे तथ्यों की दोहरी पड़ताल होगी।

एक बात मैं निष्पादन के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे इस बारे में शक नहीं है कि जो भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे है वे ज्यादातर पूरे कर लिए जावेंगे। यह प्रधान मंत्री जी का कार्यक्रम है और यह तथ्य ही इसकी सफलता को सुरक्षित करता है। बजट खर्च हो जायेगा। ऋण बांट दिये जायेंगे। समापन और मासिक रपट भी मिल जायेगी। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारी उपलब्धि गुणात्मक एवं उच्च स्तरीय हो। क्या सच में गरीबी हटी, शिक्षा बढ़ी, स्वास्थ्य सुधरा ? हम जो सब इस कार्यक्रम को सम्पन्न करने में लगें इस प्रश्न को अपने से बार-बार पूछें। आपको जो अवसर और साधन दिये जा रहे हैं वे बहुमूल्य हैं क्योंकि देने वाला कठिनाइयों से जूझता गरीब देश हैं। असली और कागजी काम के बीच अन्तर, आपके थोड़े और मनोयोग, थोड़ी और मेहनत से समाप्त हो सकता है। पर आगे के व्यक्ति के लिए उससे जो अन्तर पड़ता है व बहुत गम्भीर है।

आज अब युद्ध में जाने का समय है। गरीबी दसों दिशाओं में जन-जीवन में घुन की तरह लगकर उसे खोखला बना रही है। गरीबी के विरुद्ध संघर्ष धर्मयुद्ध से कम नहीं है। आशा है हमें विजय मिलेगी और हमारी विजयलक्ष्मी की 20 पताकाएं फहरेंगी।

शिव चरण माथुर

कार्यक्रम

1. अधिक सिंचाई अधिक उपज

छठी पंचवर्षीय योजना काल में सिंचाई का राष्ट्रीय लक्ष्य 140 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का है। राज्य का लक्ष्य छठी योजना में 6.93 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने का है जो राष्ट्रीय लक्ष्य का 4.95% है। इसमें से 2.62 लाख हैक्टेक्यर क्षेत्र में राजस्थान नहर से, 2.66 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अन्य वृहद् व मध्यम परियोजनाओं से, 40,000 हैक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई परियोजनाओं से तथा 1.25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कुओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

राजस्थान नहर परियोजना से छठी पंचवर्षीय योजना के शुरू के दो वर्षों में 20,720 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है। शेष तीन वर्षों में 2.41 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित करना शेष है। वर्ष 1982-83 में स्टेज I में 30,000 हैक्टेयर क्षेत्र में तथा स्टेज-II में 5,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाएगी। इसके साथ-साथ मुख्य नहर का कार्य तेज किया जाकर उस सीमा तक ले जाया जाएगा कि वर्ष 1983-84 में लीलवा डिग्गा वितरण प्रणाली का काम प्रारम्भ किया जा सके। इससे मुख्य नहर का कार्य 30 कि. मी. लम्बाई में किया जाएगा। वितरण प्रणाली की लम्बाई 122 कि. मी. रहेगी।

राजस्थान नहर परियोजना के अतिरिक्त अन्य वृहद् व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में 25,000 हैक्टेयर क्षेत्र में तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से 21,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः शेष योजना काल में 2,41,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृहद् व मध्यम परियोजनाओं से तथा 19,000 हैक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता निर्मित करनी होगी। वर्ष 1982-83 में राज्य योजना प्रावधान को दृष्टि

में रखते हुए वृहद् व मध्यम परियोजनाओं से 22,600 हैक्टेयर क्षेत्र में तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से 6,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जाएगी।

राज्य में कुए सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। निजी पूंजी-निवेश तथा कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत नये कुओं के विर्माण एवं पुराने कुओं को गहरा करवा कर सिंचाई के साधन निर्मित किए जाते हैं। राज्य में कुल कितने कुए बनते हैं इसकी निश्चित गणना तो नहीं होती तथापि परियोजनाओं के अन्तर्गत बनने वाले कुओं और प्रतिवर्ष ऊर्जाकृत होने वाले कुओं की संख्या के आधार पर यह अनुमान है कि प्रतिवर्ष 25,000 हैक्टेयर क्षेत्र में इन स्रोतों से सिंचाई क्षमता बढ़ती है। वर्ष 1982-83 में 25,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य है।

सिंचाई की क्षमता का समुचित उपयोग हो सके इसके लिये सिंचाई विभाग ने जल उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था चालू वर्ष में की है। इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप जल क्षमता के अधिकतम लाभप्रद उपयोग की व्यवस्था की जाएगी।

वर्ष 1982-83 में 64.80 लाख टन अनाज पैदा करने का लक्ष्य है। इसके लिए 2 लाख टन बीज की आवश्यकता होगी तथा 2 लाख टन उर्वरक देने होंगे। 3,500 टन कीट नाशक औषधियों का 65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में प्रयोग किया जाएगा। खाद, बीज, औषधियों आदि की खरीद तथा अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 120 करोड़ रुपयों के अल्पकालीन ऋण का प्रावधान करना होगा।

राजस्थान में कृषि प्रसार कार्यक्रम लागू है और उसके माध्यम से मौसम के अनुकूल फसलों की व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। यह व्यवस्था वर्ष 1982-83 में भी लागू रहेगी। सूखी खेती की नवोनतम तकनीक को राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप लागू किया जाएगा।

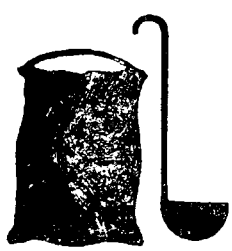

2. दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1984-85 तक 1.45 करोड़ टन दलहन और 1.3 करोड़ टन तिलहन पैदा करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप इसी अवधि में राज्य लक्ष्य 30.60 लाख टन दलहन तथा 10 लाख टन तिलहन उत्पादन का रखा गया है। वर्ष 1981-82 में दलहन का उत्पादन 16.90 लाख टन तथा तिलहन का उत्पादन 5.60 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 1982-83 में 22.20 लाख टन दलहन तथा 7.15 लाख टन तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य होगा।

दलहन उत्पादन के लिए 19,450 टन बीज की आवश्यकता होगी। तिलहन के उत्पादन के लिए 1,220 टन मूंगफली, 8,030 टन सरसों तथा 2,000 टन सोयाबीन के बीज उपलब्ध करवाये जाएंगे। फसलों को रोगों से बचाने के लिए पौध संरक्षण कार्यक्रम किया जाएगा।

3. पिछड़े को पहले

1982-83 वर्ष में 1,41,600 परिवारों को गरीबी की सीमा रेखा के ऊपर जीवन यापन का स्तर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 50,000 अनुसूचित जाति तथा 28,000 अनुसूचित जनजाति के तथा शेष 63,600 अन्य जातियों के परिवार होंगे। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएगा।

डेयरी विकास कार्यक्रम भी मूलत: लघु व सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभान्वित करेगा। वर्ष 1982-83 में नए 28,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है जिसमें से 4,350 सदस्यता और पशु इकाइयां ऐसी महिलाओं को दी जाएंगी जो परिवार की मुखिया हैं और जिनकी आजीविका का अन्य साधन नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का सारा प्रावधान गत वर्ष एवं वर्ष 1982-83 में भी अकाल सहायता कार्यक्रम के साथ जोड़ दिए जाने के कारण अन्य ग्रामीण सम्पदा निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तथापि लगभग 10,000 व्यक्तियों को प्रतिदिन अकाल सहायता कार्यों पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और लघु सिंचाई, ग्रामीण सड़कों आदि के स्थायी लाभ के कार्य करवाए जा सकेंगे।

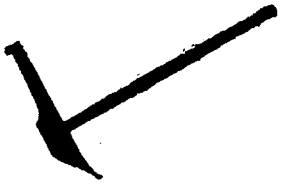

4. भूमिहीन को भूमि

राज्य में दिसम्बर, 1981 तक 87,286 सीलिंग के मामले दर्ज हुए थे जिनमें से 85,503 मामलों का निष्पादन हो चुका है और अब केवल 1,783 मामले ही विचाराधीन रह गए हैं। इनमें से अधिकतर मामलों को वर्ष 1982-83 में सम्बन्धित न्यायालयों से निर्णीत करवाने का प्रयत्न रहेगा।

निष्पादित मामलों के अन्तर्गत 6,13,176 एकड़ भूमि अवाप्ति हेतु सरप्लस घोषित की गई जिसमें से 5,31,095 एकड़ भूमि का कब्जा भी लिया जा चुका है। शेष भूमि में से, जिनके सम्बन्ध में न्यायिक विवाद विचाराधीन नहीं हैं, उनका कब्जा भी आगामी वर्ष में ले लेने का लक्ष्य है। जिस भूमि का कब्जा लिया जा चुका है उसमें से 4,48,183 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है। जो अवाप्तशुदा 1,82,912 एकड़ भूमि अब आवंटन से शेष रह गई है उसमें से करीब 75,000 एकड़ भूमि कतिपय वैज्ञानिक कारणों से कृषि अयोग्य है। इस प्रकार कुल 1,07,912 एकड़ अवाप्तशुदा भूमि ऐसी बचती है जो कृषि योग्य होने के कारण आवंटित की जा सकती है। इसमें से 47,377 एकड़ भूमि राजस्थान नहर के कमाण्ड क्षेत्र में है और उसका आवंटन नहर की वितरण प्रणाली बन जाने और भूमि का विकास हो जाने पर ही हो सकेगा। 33,495 एकड़ भूमि ऐसी है जिसके सम्बन्ध में न्यायालयों में विवाद चल रहे हैं और स्थगन आदेशों के अन्तर्गत आवंटन सम्भव नहीं है। अतः करीब 27,040 एकड़ भूमि ऐसी बच जाती है जिसका तुरन्त आवंटन किया जा सकता है। इसमें से भी 17,330 एकड़ भूमि जैसलमेर जिले में है जहां मरु क्षेत्र होने के कारण इस भूमि का कृषि हेतु उपयोग राष्ट्रीय हित में नहीं होने से उसका अन्य उपयोग यथा–वन विकास, चरागाह विकास आदि के लिए किया जाएगा। अतः शेष लगभग 10,000 एकड़ भूमि को

जो अन्य जिलों में स्थित है, आवंटन करने का अगले वर्ष का लक्ष्य रहेगा। जो भूमि कृषि अयोग्य है उसके अन्य प्रकार से उपयोग की व्यवस्था की जाएगी।

समूचे राज्य में वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए भू-अभिलेख उपलब्ध हैं तथा उन्हें अद्यतन रखने के लिए विस्तृत निर्देश एवं प्रक्रिया पहले से जारी की हुई है। इसके अतिरिक्त भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा भू-अभिलेखों का न्यायिक रूप से पुर्रनिर्माण किया जाता है। वर्तमान में 197 तहसीलों में से 43 तहसीलों में यह कार्य किया जा रहा है। इसमें से वर्ष 1982-83 में 30 तहसीलों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा।

पासबुकों को वैधानिक रूप देने को कानून में संशोधन किया जाएगा।

5. कृषि मजदूरी पूरी-पूरी

जुलाई, 1980 में हुए राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 बिन्दु की वृद्धि होने पर या हर दो वर्ष में एक बार, जो भी पहले हो, कृषि मजदूर एवं अकुशल मजदूर की मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए। इसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा अकुशल मजदूर एवं कृषि मजदूर की न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1 अप्रेल, 1982 से 9 रुपया प्रतिदिन कर दी गई है।

कृषि मजदूरी का पूरा-पूरा भुगतान होता है यह सुनिश्चित करने तथा भुगतान सम्बन्धी शिकायतों के मामलों में व्यवस्था करने को पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारियों को शक्ति प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में कार्यरत श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी दी जाएगी। इससे साधारण कृषि कार्यों पर भी श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी मिलने लगेगी।

6. बन्धक मुक्ति

वर्ष 1976 में बन्धक मजदूरी उन्मूलन का कानून बन जाने के फलस्वरूप बन्धक श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया और 6,036 बन्धक मजदूर शनाख्त किए गए । इनमें से 4,266 मजदूरों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 तक पुनर्वासित कर दिया गया । वर्ष 1978-79 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत शेष मजदूरों के पुनर्वास हेतु 71 लाख रुपयों की एक योजना बनाई गई और उसके क्रियान्वयन से वर्ष 1978-79 में 700, वर्ष 1979-80 में 700 एवं वर्ष 1980-81 में 344 मजदूरों का पुनर्वास किया गया । वर्ष 1981-82 में झालावाड़ जिले में 26 बन्धक मजदूर शनाख्त किए गए और 1,04,000 रुपये व्यय करके उनका पुनर्वास किया गया । इस प्रकार राज्य में पूर्ण शनाख्तशुदा सब बन्धक मजदूरों का पुनर्वास कर दिया गया है ।

जिलाधीशों को एक बार पुन: सर्वेक्षण करने को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करलें कि उनके जिले में अब कोई बन्धक मजदूर नहीं है ।

वर्ष 1982-83 में 200 बन्धक मजदूरों के योजनाबद्ध पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है ।

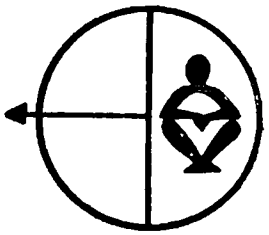

7. हरिजन गिरिजन विकास

अनुसूचित जातियों के विकास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1982-83 में लगभग 12 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे । विभागीय विकास योजनाओं में लगभग 37 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों की बस्तियों, मोहल्लों एवं पारिवारिक विकास के लिए व्यय किए जाएंगे ।

वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 1,025 लाख परिवारों को विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य है । इनमें से लगभग 50,000 परिवार "एकीकृत ग्रामीण योजना" के माध्यम से एवं शेष परिवार अन्य योजनाओं से लाभान्वित किए जाएंगे ।

इसके अलावा 600 हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाई जाएगी तथा 2,700 हरिजन ग्राम/बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी।

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में विद्यालयों में पढ़ रहे 1,40,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने का लक्ष्य है ।

ग्राम समाज को अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम करने के लिए राज्य में ग्राम सुरक्षा योजना तैयार की जा रही है । इसके अन्तर्गत बाहरी और अन्दरूनी आक्रामकता से विशेषत: ग्राम के पिछड़ वर्गों की प्रतिरक्षा का उपाय होगा । साथ ही छूआछूत उन्मूलन के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ।

वर्ष 1982-83 में अनुसूचित जन जाति के 50,000 परिवारों को विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाने

का लक्ष्य है। इनमें से 28,000 परिवार एकीकृत ग्राम विकास योजना के माध्यम से तथा शेष परिवार अन्य योजनाओं से लाभान्वित होंगे।

विकास के आधारभूत ढांचे के निर्माण के अन्तर्गत 40 नये एनीकटों का निर्माण किया जाएगा ताकि उससे मूलतः अनुसूचित जन जाति के लोगों को लाभ मिल सके।

8. पीने को पानी

राजस्थान में वर्ष 1971-72 में हुए सर्वेक्षण से पाया गया कि 24,000 गांवों में पीने के पानी की समस्या थी जिनमें या तो पानी पीने योग्य नहीं था या जहां कोई निश्चित साधन नहीं था। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक उनमें से 4,200 गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कर दी गई थी और 19,800 गांवों में व्यवस्था करना बाकी था। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले दो सालों में 6,000 गांवों में पेयजल का निश्चित स्रोत उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रकार योजना के शेष तीन वर्षों में 13,800 गांवों में संरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना बाकी है। इनमें से लगभग 10,000 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी के स्रोत निकट में नहीं हैं। इन गांवों में योजना की लागत सामान्य व्यवस्था से लगभग 8 से 10 गुनी अधिक पड़ती है जो करीब 3,500/- रुपये प्रति व्यक्ति पड़ती है।

राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत करते समय कहा गया था कि सारे समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1979 के मूल्यों के आधार पर 358 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। छठी पंचवर्षीय योजना का आकार तय करते समय केवल 108 करोड़ रुपयों का प्रावधान पेयजल सैक्टर के अन्तर्गत किया गया। अतः छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि राजस्थान में केवल एक ही स्रोत उपलब्ध करवाने का प्रावधान है तथा वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। छठी पंचवर्षीय योजना के

अन्त तक 13,000 गांवों में स्रोत उपलब्ध करवाए जा सकेंगे एवं शेष 6,800 गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में लेना होगा।

वर्ष 1982-83 में 2,700 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

9. गरीब को छप्पर

गांवों में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रिहायशी सुविधा देने के लिए पिछले बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत 8.50 लाख भू-खण्ड वितरित किए गए थे। उनमें से जिन्हें कब्जा नहीं मिल सका या जिनका कब्जा छूट गया, तथा और नये परिवारों को वर्ष 1981-82 में 1.00 लाख रिहायशी भू-खण्ड वितरित किए गए।

छठी पंचवर्षीय योजना काल के बाकी बचे अगले तीन वर्षों में 1.00 लाख रिहायशी भू-खण्ड और वितरण करने होंगे ताकि छठी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक कोई जरूरतमन्द परिवार बिना रिहायशी भू-खण्ड के न रहे। इसमें से वर्ष 1982-83 में 50,000 भू-खण्ड वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस सन्दर्भ में राजस्व विभाग ने समस्त जिलाधीशों को 2 एकड़ भूमि तक चरागाह से आबादी में परिवर्तित करने के अधिकार दे दिए हैं ताकि इस कार्यक्रम के लिए यदि आबादी भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता हो तो स्थानीय स्तर पर ही निर्णय लिया जा सके।

रिहायशी भू-खण्ड वितरण के साथ-साथ मकान बनाने का भी कार्यक्रम लिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में 50,000 मकान बनाने का प्रावधान रखा गया था। मकान गरीब स्वयं बनाता है और उसे 750 रुपयों की मदद दी जाती है जिससे मकान में लगने वाला सामान जुटाया जा सके। वर्ष 1980-81 में 10,000 मकानों का लक्ष्य रखा गया था और 8,956 मकान बने। अधिक मकानों की जरूरत अनुभव करते हुए वर्ष 1981-82 में 30,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके पूर्ण हो जाने की आशा है।

छठी पंचवर्षीय योजना काल के बाकी बचे अगले तीन वर्षों में 1,00,000 मकान बनवाने की मदद देनी होगी। इसमें योजना के तहत प्रावधान में से तथा संस्थागत वित्तीय संसाधनों से व्यवस्था करनी होगी। वर्ष 1982-83 में वर्ष 1981-82 का 30,000 मकान बनाने का स्तर बनाए रखा जाएगा। इनमें से 18,000 मकानों के लिए भवन एवं नगर विकास निगम (HUDCO) से प्रावधान प्राप्त किया जाएगा।

10. गन्दी बस्ती सुधार

छठी पंचवर्षीय योजना काल में राज्य में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों में से 1.67 लाख लोगों को पर्यावरण सुधार से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है । पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत पीने का पानी, बरसाती पानी को निकालने के लिए नाली, गलियों का पटान तथा प्रकाश की व्यवस्था के कार्यक्रम शामिल हैं ।

यह कार्यक्रम अभी राज्य के 6 बड़े नगरों–जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व बीकानेर में चलाया जा रहा है । राज्य के उपरोक्त 6 नगरों के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी, जहां तेजी से विकास हो रहा है और परिणामस्वरूप गन्दी बस्तियां बन रही हैं या बढ़ रही हैं, उनमें नगरपालिकाएं अपने स्तर पर भी सुधार का कार्य कर रही हैं । इस सुधार कार्य को समुचित किया जाकर इस प्रकार चलाया जाएगा कि सभी प्रकार की सुविधाएं एक साथ उपलब्ध करादी जाएं ।

वर्ष 1981 की जनवरी तक बनी हुई कच्ची बस्तियों के नियमितिकरण का कार्य भी किया जा रहा है । इन कच्ची बस्तियों में नल, बिजली आदि की कुछ सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो सकती हैं । शेष सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समन्वित व्यवस्था हो सके इसके लिये सर्वेक्षण कराया जाएगा और जहां शेष सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी उसकी व्यवस्था की जाएगी । इसके लिए आवासन एवं नगर विकास निगम से भी सहायता ली जाएगी ।

वर्ष 1982-83 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य होगा ।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को 7,099 मकान उपलब्ध कराए जाएंगे जिनमें से आवासन मण्डल 6,399 मकान आवंटित करेगा तथा नगर विकास न्यास 700 मकान आवंटित करेंगे ।

11. गांव में उजाला

राजस्थान में विद्युत् संकट से छुटकारा पाने के लिये विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि आवश्यक है । छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत् उत्पादन क्षमता का स्तर 1785.5 मेगावाट तक ले जाना है । वर्ष 1981-82 के अन्त तक यह 1157.5 रहने की संभावना है । वर्ष 1982-83 में कोटा थर्मल की स्टेज–I की 110 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता वाली दो इकाइयां कार्यशील हो जाएंगी । प्रथम इकाई से जून, 1982 से एवं दूसरी इकाई से दिसम्बर, 1982 से व्यावसायिक उत्पादन होने लग जाएगा । इसके अतिरिक्त सिंगरोली सुपर थर्मल एवं पोंग बिजली घर से राजस्थान के हिस्से की क्रमश: 53 मेगावाट एवं 35 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी । वर्ष के अन्त तक उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,466.5 मेगावाट हो जाएगी ।

राज्य में पिछले 2 वर्षों से चल रहे विद्युत् संकट को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि वर्ष 1982-83 के लिए 1,000 गांवों को प्रकाशमान किए जाने तथा 10,000 गांवों का ऊर्जाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा जाए । गांवों के ऊर्जाकरण के लिए आर. ई. सी. की विशेष कृषि कार्यक्रम (एस. पी. ए.) परियोजनाओं के माध्यम से प्रावधान की व्यवस्था की जाएगी ।

12. जंगल से मंगल

राज्य की वन सम्पदा के पुनः विकास हेतु छठो पंचवर्षीय योजना में 18 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 1980-81 में 1.80 करोड़ एवं वर्ष 1981-82 में 3.05 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना के बचे हुए तीन वर्षों में 13.15 करोड़ पेड़ लगाने होंगे ।

वर्ष 1982-83 का लक्ष्य 3.5 करोड़ पेड़ लगाना है। इसके साथ-साथ वर्ष 1983-84 में 4.5 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए अग्रिम कार्य भी करना होगा। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों, जनजाति के वनवासी लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। फार्म फोरेस्ट्री और सोशल फोरेस्ट्री के कार्यक्रम भी क्रियान्वित होंगे ।

गांवों में भोजन पकाने, रोशनी करने तथा एंजिनों को चलाने के लिए गोबर गैस के उपयोग से वैकल्पिक ऊर्जा का विकास किया जाएगा। भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अनुसरण में गोबर गैस संयंत्र लगाने वालों को देय अनुदान की सम्पूर्ण राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और उनके द्वारा चयनित 7 जिलों में स्टाफ का व्यय भी भारत सरकार पुनर्भरण करेगी ।

छठी पंचवर्षीय योजना काल में 25,000 गोबर गैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। योजना काल के प्रथम दो वर्षों में 1,563 संयंत्र लगने की सम्भावना है। इस प्रकार योजना काल के शेष तीन वर्षों में 23,437 संयंत्र लगाने होंगे। इस लक्ष्य को तथा देशव्यापी कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 लाख व्यक्तिगत गोबर गैस प्लान्ट वर्ष 1982-83 में लगाने के लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए वर्ष 1982-83 के लिए 5,000 गोबर गैस प्लान्ट सारे राज्य में लगाने होंगे ।

13. छोटा परिवार

वर्ष 1982-83 में हमारा लक्ष्य है कि 2.15 लाख परिवार इससे लाभान्वित हों । छठी पंचवर्षीय योजना में 8.59 लाख परिवारों को परिवार नियोजन का लाभ देने का लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप रखा गया है । इसमें से 2.25 लाख लोगों को पुरुष आपरेशन और लेप्रोस्कोपी आदि के माध्यम से लाभान्वित किया गया । शेष योजना काल में 6.34 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाने के लिए वर्ष 1982-83 में 2.15 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

इस उद्देश्य की पूर्ति में जोर जबरदस्ती बिल्कुल वर्जित होगी ।

14. सब स्वस्थ

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि के लिए वर्ष 1982-83 में 7 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का स्तर ऊंचा किया जाएगा, 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 100 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और 250 उप-केन्द्र खोले जाएंगे। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देने, परिवार नियोजन के प्रति चेतना उत्पन्न करने तथा छोटे मामूली रोगों के उपचार एवं गम्भीर रोग के मामलों में निकटतम चिकित्सा सुविधा के बारे में सूचना देने के लिए 14,000 प्रशिक्षित स्वास्थ्य प्रदर्शक (हैल्थ गाइड्स) की भी व्यवस्था की जाएगी।

कुष्ठ रोग के निवारण के लिए वर्ष 1982-83 में सर्वेक्षण किया जाएगा। वर्ष 1980-81 में 901 कुष्ठ रोगियों का उपचार किया गया था। वर्ष 1982-83 में 1,500 रोगियों का पता लगाकर उपचार करने का लक्ष्य है।

रोग, पौष्टिक आहार की कमी एवं मोतियाबिन्द से होने वाले अन्धेपन को रोकने एवं नेत्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1982-83 में चल चिकित्सा इकाई स्थापित की जाएगी, 3 जिला अस्पतालों और 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था में वृद्धि की जाएगी और 270 नेत्र चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इस सारी व्यवस्था से 27,000 इंट्रा आक्यूलर आपरेशन किए जाएंगे।

क्षय रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। रोग की रोकथाम एवं चिकित्सा के अन्तर्गत इस वर्ष 5,000 रोगियों का उपचार किया जाएगा।

15. मातृ शिशु कल्याण

गांवों में स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षण एवं शिशु पालन सम्बन्धी ज्ञान का स्तर बहुत नीचा है जिसके परिणामस्वरूप बाल मृत्यु दर विशेषकर समाज के निचले तबके में काफी ऊंची है। इन समस्याओं के निदान के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं चालू की हुई हैं। राज्य के 16 विकास खण्डों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1982-83 में राज्य में 13 नई परियोजनाएं चालू की जाएंगी एवं इससे 1.40 लाख व्यक्ति और लाभान्वित होंगे। 6 वर्ष से छोटे बालकों गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम 8 जिलों की 34 पंचायत समितियों में चल रहा है—वह चालू रहेगा। इसी वर्ग के लोगों के लाभार्थ पूरक पोषाहार कार्यक्रम जो 14 जिलों के 6,440 केन्द्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है—वह भी चालू रहेगा। 16 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम 12 जिलों की 91 पंचायत समितियों के 6,910 प्राथमिक विद्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम भी चालू रहेगा। इन सारे कार्यक्रमों से 11.32 लाख बालकों, गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को लाभान्वित किया जाता रहा है जो वर्ष 1982-83 में भी किए जाएंगे। महिलाओं के शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग एवं विशिष्ट योजना संगठन द्वारा मिलकर समग्र कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

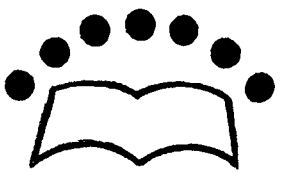

16. सब साक्षर

वर्ष 1981-82 में 6 से 11 वर्ष के बालकों की प्राथमिक शालाओं में भर्ती 32.92 लाख एवं 11 से 14 वर्ष के बालकों की उच्च प्राथमिक शालाओं में भर्ती 8.40 लाख होने की सम्भावना है। वर्ष 1982-83 में 6 से 11 वर्ष की आयु के 3.08 लाख अधिक बालकों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित किया जाएगा। फलस्वरूप इस आयु वर्ग के बालकों का नामांकन 77.6 प्रतिशत हो जाएगा। वर्ष 11 से 14 आयु वर्ग के 80,000 अधिक छात्रों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन किया जाएगा जिससे इस आयु वर्ग के बालकों का नामांकन 33.7 प्रतिशत हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों में लाया जाएगा। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या अभी तक कम रही है उन विद्यालयों में अधिक छात्र भर्ती कराने का अभियान चलाया जाएगा।

औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 200 नए प्राथमिक विद्यालय एवं 100 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे।

लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा पर भी बल दिया जाएगा और 7,000 नये केन्द्र वर्ष 1982-83 में खोले जाएंगे।

शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए जिन विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात से कम अध्यापक हैं वहां अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु 1,500 अतिरिक्त अध्यापक लगाए जाएंगे।

प्रौढ़ साक्षरता के लिए वर्तमान में 7,000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यशील हैं और इनसे प्रतिवर्ष 2 लाख प्रौढ़ों को शिक्षित किया जा रहा है। वर्ष 1982-83 में भी 2.10 लाख प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाएगा।

पूरे शिक्षा कार्यक्रम में पंचायत राज संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं का उपयोग किया जाएगा। जिन जिलों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है वहां प्रयत्न किया जायेगा ताकि उनका स्तर राज्य औसत तक लाया जा सके।

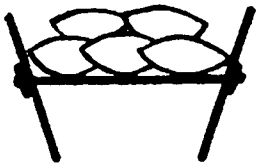

17. घर घर राशन

उपभोक्ता को उचित मूल्य पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं मिल सके इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाये रखना आवश्यक है। वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चांवल, चीनी, खाद्य तेल, केरोसीन, सीमेन्ट, जनता कपड़ा एवं कच्चे कोयले का वितरण किया जाता है।

वर्ष 1982-83 में 2,000 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। इनमें से 50 चल दुकानें होंगी जिससे दूर दराज थोड़ी-थोड़ी जनसंख्या वाले गांवों में वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मरु क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों में इस प्रकार के गांव हैं और मूलतः उनके लिए ही चल दुकानों की व्यवस्था की जानी है। साथ ही जहां ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अथवा अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक काम कर रहे हों वहां भी चल दुकानों की व्यवस्था उपलब्ध होगी। लक्ष्य यह होगा कि हर 2,000 आदमियों के लिए एक उचित मूल्य की दुकान हो।

राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाने को प्राथमिकता दी जा रही है। सहकारी उपभोक्ता भण्डारों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था जारी रहेगी। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति मास के हिसाब से चीनी और आवश्यकतानुसार अन्य नियंत्रित वस्तुओं का आवंटन नियमित रूप से किया जाता रहा है और यह व्यवस्था भी जारी रहेगी।

कक्षा प्रथम से आठवीं तक के लिए पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकें छपवाने एवं उपलब्ध कराने का काम राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल करता है। पुस्तकों को मण्डल अपने 6 क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों तथा 23 अन्य केन्द्रों के माध्यम से वितरित करता है। इन केन्द्रों से शिक्षण संस्थान एवं पुस्तक विक्रेता अपनी मांग के अनुसार पुस्तकें प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षण संस्थानों

की मांग को वरीयता दी जाती है। वर्ष 1982-83 के लिए पाठ्य पुस्तकों की पूरी व्यवस्था कर ली गई है ताकि छात्रों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकें।

अभ्यास पुस्तिकाएं भी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल अपने अभ्यास पुस्तक निर्माताओं से तैयार कराता है किन्तु इनका वितरण केवल राज्य के शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाता है। मण्डल द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं बाजार में नहीं बेची जा सकतीं। यह व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी। वर्ष में लगभग 2.4 करोड़ अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकता रहती है और मण्डल इतनी अभ्यास पुस्तिकाएं वर्ष 1982-83 में भी उपलब्ध करा देगा।

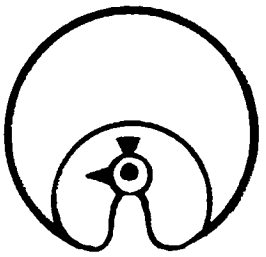

18. ग्रामीण उद्योग धन्धे

छठी पंचवर्षीय योजना में लघु एवं कुटीर उद्योग की 64,300 इकाइयों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिससे लगभग 2.50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। वर्ष 1980-81 में 9,573 व 1981-82 में 21,176 इकाइयों का पंजीयन किया गया। आगामी वर्ष 1982-83 में 15,000 इकाइयों के पंजीयन के लक्ष्य रखे गये हैं।

ग्रामोद्योग के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 40,000 इकाइयों को सहायता देने का प्रावधान रखा गया जिसके पेटे 1980-81 में 10,242 कामगारों व 1981-82 में 10,000 कामगारों को सहायता दिलाई गई। वर्ष 1982-83 के लिये 10,000 कामगारों को सहायता दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य में राजस्थान लघु उद्योग निगम, राज्य सहकारी बुनकर संघ, राजस्थान हाथ करघा परियोजना मण्डल एवं उद्योग निदेशालय (सहकारी क्षेत्रों) द्वारा हाथ कर्घा विकास का कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए 800 लूमों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। सहकारी क्षेत्र में वर्ष 1982-83 में 300 लूम स्थापित किया जाना निर्धारित किया गया है। राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल द्वारा भी वर्ष 1982-83 के लिय 800 लूम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हाथ कर्घा उद्योग के समन्वित विकास हेतु एक हैण्डलूम कारपोरेशन की स्थापना विचाराधीन है। इनमें बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, उन्हें प्रशिक्षण देना, नये डिजाइनों के बारे में मार्ग दर्शन करना तथा उत्पादित माल का विपणन करना सम्मिलित है। राज्य हैण्डलूम बोर्ड द्वारा एक प्रोसेस हाउस भी लगाया जा रहा है।

19. काले धन की रोकथाम

इस सूत्र के अन्तर्गत तस्करों, चोर बाजारियों, जमाखोरों तथा सटोरियों जैसे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश रखने का अधिकांश कार्य भारत सरकार को ही करना है।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम का प्रशासनिक उपयोग जमाखोरी एवं चोर बाजारी को रोकने के लिए किया जाएगा और इस हेतु निरन्तर सतर्कता बरती जाएगी। तथापि इसके लिए कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।

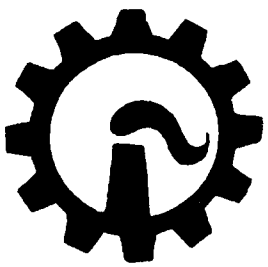

20. कारगर लोक उद्योग

वर्ष 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया है। इसमें उपलब्ध संसाधनों एवं स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया गया है। यद्यपि लोक उद्योगों एवं राजकीय उपक्रमों में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने पर मूलतः बल दिया गया तथापि उत्पादकता कार्यालयों एवं सेवाओं में भी प्राप्त करनी होगी।

सभी राजकीय उपक्रमों, राजकीय निगमों एवं राज्य द्वारा संचालित औद्योगिक इकाइयों में उत्पादकता वृद्धि के लिए निश्चित कार्य योजना बनाई जा रही है। प्रमुख प्रयास यह होगा कि किसी विशिष्ट क्रिया में लगी हुई पूंजी की प्रति इकाई से मिलने वाले प्रतिफल एवं उत्पादन अथवा निर्माण में लगे हुए प्रत्येक व्यक्ति के वर्तमान उत्पादकता के स्तर में वृद्धि हो।

इसके लिए नवीनतम मानीटरिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा ताकि समय सारिणी का व्यतिक्रम न हो और मूल्य वृद्धि का सामना न करना पड़े। सभी राजकीय उपक्रमों, राजकीय निगमों एवं राज्य संचालित औद्योगिक इकाइयों के कार्यकलापों एवं उत्पादकता वृद्धि की कार्य योजना की समय-समय पर समीक्षा की जाकर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

दायित्व और प्रबन्ध

प्रधान मंत्री के नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गत वर्ष के 20 संकल्प कार्यक्रम के अनुरूप दायित्व एवं प्रबन्ध की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए निम्न प्रशासनिक प्रबन्ध किए गए हैं :–

(1) प्रत्येक सूत्र के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सम्बन्धित मंत्री की होगी (देखिए परिशिष्ट "क") सचिव और विभागाध्यक्षों के कार्यों का मूल्यांकन उनको सौंपे गए लक्ष्यों को पूरा करने अथवा नहीं करने के अनुसार किया जाएगा। (देखिए परिशिष्ट "ख")।

(2) विभाग के अलावा मंत्रीगण पर कम से कम एक जिले के कार्यक्रम को सम्पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी होगी।

(3) प्रत्येक सूत्र के भौतिक लक्ष्यों को मासिक लक्ष्यों में विभाजित किया जाएगा और इन मासिक लक्ष्यों की पूर्ति की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष विभागीय सचिव को भेजेंगे और जिलाधीश योजना विभाग में उप सचिव 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को भेजेंगे। विभागीय सचिव एवं जिलाधीश अगले माह की 8 तारीख तक लक्ष्य पूर्ति रिपोर्ट योजना विभाग को भेजेंगे। योजना विभाग में जिलाधीश और विभागीय सचिवों की रिपोर्ट के आधार पर प्रोग्राम की प्रगति रिपोर्ट बनेगी जो 12 तारीख तक मुख्य सचिव के मारफत मुख्य मंत्री को प्रस्तुत की जाएगी और 15 तारीख तक भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाएगी।

(4) प्रगति विचार के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। (देखिए परिशिष्ट "ग" और "घ")। राज्य स्तरीय समिति की उप-समितियां मासिक मानीटरिंग करेंगी।

जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं मानीटरिंग करेंगी ।

(5) विभाग मंत्री अपने विभाग के कार्यक्रम में प्रगति का मासिक सिंहावलोकन करेंगे एवं विभाग में मानीटरिंग की समुचित व्यवस्था करेंगे ।

परिशिष्ट–क

सूत्रवार प्रभारी मंत्रीगण

क्रमांक	नाम मंत्री	सम्बन्धित सूत्र
(1)	श्री परसराम मदेरणा	1 अधिक सिंचाई अधिक उपज
		क–अधिक सिंचाई
		3 पिछड़े को पहले
		ख–ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
		4 भूमिहीन को भूमि
		8 पीने का पानी
		11 गांव में उजाला
(2)	श्री चन्दनमल बैद	16 सब साक्षर
		17 घर-घर राशन
		ख–पुस्तक एवं उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण
(3)	श्री बृजसुन्दर शर्मा	5 कृषि मजदूरी पूरी-पूरी
(4)	श्रीमती कमला	1 अधिक सिंचाई अधिक उपज
		ख–अधिक उपज
		2 दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी
		3 पिछड़े को पहले
		क–एकीकृत ग्राम विकास योजना
		6 बन्धक मुक्ति
		12 जंगल से मंगल
		ख–गोबर गैस संयंत्र

क्रमांक	नाम मंत्री	सम्बन्धित सूत्र
(5)	श्री छोगालाल कंवरिया	13 छोटा परिवार
		14 सब स्वस्थ
(6)	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी	1 अधिक सिंचाई अधिक उपज
		क–अधिक सिंचाई–राज. नहर
(7)	श्री प्रद्युम्न सिंह	18 ग्रामीण उद्योग धन्धे
		20 कारगर लोक उद्योग
(8)	श्री शीशराम ओला	9 गरीब को छप्पर
		15 मातृ शिशु कल्याण
		क–पोषाहार
(9)	श्री घासीराम यादव	17 घर-घर राशन
		19 काले धन की रोक-थाम
(10)	श्री चेतराम	7 हरिजन गिरिजन विकास
		15 मातृ शिशु कल्याण
		क–पोषाहार
		ख–महिला एवं बाल विकास
(11)	श्री गोबिन्द सिंह	12 जंगल से मंगल
		क–वृक्षारोपण एवं सोशल फारेस्ट्री
(12)	श्री श्रीराम गोटेवाला	10 गन्दी बस्ती विकास

कार्यक्रम और प्रभारी विभागाध्यक्षों की सूची

1.	अधिक सिंचाई अधिक उपज		
	सिंचाई		
	राजस्थान नहर –	35,000 है.	अध्यक्ष, राजस्थान नहर
	मुख्य नहर	30 कि. मी.	मण्डल
	वितरण प्रणाली	122 कि. मी.	
	सिंचाई विभाग	28,600 है.	मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
	कुओं द्वारा	25,000 है.	सचिव, कृषि उत्पादन
	खाद्यान्न (अनाज)	64 लाख टन	निदेशक, कृषि विभाग
	अल्पकालीन ऋण	120 करोड़ रु.	पंजीयक, सहकारिता
2.	दलहन दुगुनी		
	तिलहन तिगुनी		
	दलहन व तिलहन विकास		
	दलहन उत्पादन	22.20 लाख टन	निदेशक, कृषि विभाग
	तिलहन उत्पादन	7.15 लाख टन	
3.	पिछड़े को पहले		
		1,41,600 परि-	सचिव, एकीकृत ग्राम विकास
		वारों का उत्थान	(विशिष्ट योजना संगठन)
4.	भूमिहीनों को भूमि		
	सीलिंग से प्राप्त		
	विवाद मुक्त कृषि		राजस्व सचिव
	योग्य भूमि का आवंटन	10,000 एकड़	
	तथा कृषि अयोग्य	92,330 एकड़	
	भूमि के अन्य उपयोग		
	की व्यवस्था		
5.	कृषि मजदूरी-पूरी पूरी		
	कृषि मजदूरों को न्यूनतम		
	मजदूरी की व्यवस्था		श्रम आयुक्त

6. बन्धक मुक्ति	
200 बन्धक मजदूर परिवारों का योजनाबद्ध पुनर्वास	सचिव, एकीकृत ग्राम विकास (वि. यो. संगठन)
7. हरिजन गिरिजन विकास	
1,02,500 हरिजन परिवारों का उत्थान	निदेशक, समाज कल्याण
50,000 नई छात्रवृत्तियां	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
8. पीने का पानी	
2700 ग्राम	मुख्य अभि., जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
9. गरीब को छप्पर	
50,000 भू-खण्ड	निदेशक, सामुदायिक विकास
30,000 मकान	
10. गन्दी बस्ती सुधार	सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगर विकास
गन्दी बस्ती पर्यावरण सुधार	
31,500 व्यक्ति लाभान्वित	
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को मकान 7,099	
11. गांव में उजाला	अध्यक्ष, विद्युत् मण्डल
विद्युत् उत्पादन क्षमता में 308 मेगावाट वृद्धि	
1,000 गांवों में बिजली	
10,000 कुओं पर बिजली	
12. जंगल से मंगल	
3,50,00,000 वृक्षारोपण	मुख्य वन संरक्षक
मेड़ पर पेड़	
5,000 गोबर गैस प्लांट	सचिव, विशिष्ट योजना संगठन

13. छोटा परिवार	
2.15 लाख परिवार	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
14. सब स्वस्थ	
चिकित्सा सुविधा का विकास	,, ,, ,,
कुष्ठ, क्षय एवं अन्धेपन की रोकथाम	
15. मातृ शिशु कल्याण	
13 अतिरिक्त पंचायत समितियों में एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम	निदेशक समाज कल्याण
11.32 लाख बालकों एवं गर्भवती तथा दूध पिलाती माताओं को पोषाहार	निदेशक, सामुदायिक विकास निदेशक, समाज कल्याण
16. सब साक्षर	
6 से 11 वर्ष के 3.08 लाख अधिक छात्र नामांकन	शिक्षा सचिव
11 से 14 वर्ष के 80,000 अधिक छात्र नामांकन	
2.10 लाख प्रौढ़ साक्षर	
17. घर-घर राशन	
2,000 दुकानें	खाद्य आयुक्त एवं सचिव
पाठ्य पुस्तकें एवं अभ्यास पुस्तिकाएं	शिक्षा सचिव
18. ग्रामीण उद्योग धन्धे	
5,000 छोटे उद्योग	उद्योग सचिव
10,000 ग्रामीण उद्योग	
10,000 कारीगरों को रोजगार	
19. काले धन की रोकथाम	
अनिवार्य वस्तु अधिनियम का प्रशासनिक प्रयोग	खाद्य आयुक्त
20. कारगर लोक उद्योग	उद्योग सचिव विशिष्ट सचिव आयोजना

परिशिष्ट–ग

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार अनुभाग-5)

आज्ञा

क्रमांक प. 7(35) प्र. सु.-5181

नये बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में दिशा निर्देश, लक्ष्य निर्धारण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये राज्यपाल राज्य स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों की एक राज्य स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1.	मुख्य मन्त्री	अध्यक्ष
2.	सिंचाई मन्त्री	सदस्य
3.	कृषि मन्त्री	सदस्य
4.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री	सदस्य
5.	श्रम मन्त्री	सदस्य
6.	शिक्षा मन्त्री	सदस्य
7.	राज्य मन्त्री समाजकल्याण	सदस्य
8.	राज्य मन्त्री पंचायत एवं सामुदायिक विकास	सदस्य
9.	राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन	सदस्य
10.	राज्य मन्त्री वन	सदस्य
11.	राज्य मन्त्री खाद्य एवं रसद	सदस्य
12.	श्री हरिदेव जोशी विधान सभा सदस्य	सदस्य
13.	श्री राजेश पायलेट संसद सदस्य, भरतपुर	सदस्य
14.	श्री बीरबल संसद सदस्य, गंगानगर	सदस्य
15.	श्री नवल किशोर शर्मा संसद सदस्य, दौसा	सदस्य
16.	श्री माधवसिंह दीवान विधान सभा सदस्य, सोजत	सदस्य
17.	श्री थानासिंह विधान सभा सदस्य, सलूम्बर	सदस्य
18.	श्री मदनलाल पूंगलिया अध्यक्ष नगर परिषद्, जोधपुर	सदस्य
19.	श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव महिला प्रतिनिधि	सदस्य
20.	श्री नन्दलाल बैरवा अनु. जाति प्रतिनिधि, लाखेरी	सदस्य
21.	श्री हरसहाय मीणा अनु. जन जाति, प्रतिनिधि	सदस्य
22.	श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी प्रमुख, जिला परिषद्, भरतपुर	सदस्य
23.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत प्रमुख, जिला परिषद्, उदयपुर	सदस्य
24.	श्री महीपाल मदेरणा प्रमुख, जिला परिषद्, जोधपुर	सदस्य
25.	श्री हाफिज मोहम्मद प्रमुख, जिला परिषद, भीलवाड़ा	सदस्य
26.	श्रीमती सुधा, प्रधान, पंचायत समिति, चिड़ावा	सदस्य
27.	श्री शिवनारायण, प्रधान, पंचायत समिती, बारां	सदस्य
28.	श्री गुणसागर कर्णावट, प्रधान, पंचायत समिति, राजसमंद	सदस्य
29.	श्री बी. चौधरी, श्रमिक वर्ग प्रतिनिधि	सदस्य
30.	मुख्य सचिव	सदस्य
31.	विकास आयुक्त	सदस्य
32.	वित्त सचिव	सदस्य
33.	चम्बल कमाण्ड क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कोटा	सदस्य
34.	राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बीकानेर	सदस्य
35.	मरु क्षेत्रीय विकास आयुक्त, जोधपुर	सदस्य
36.	जन जाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त, उदयपुर	सदस्य
37.	विशिष्ट सचिव, आयोजना	सदस्य सचिव

इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा ।

यह समिति निम्न प्रकार कार्य करेगी:—

1. समिति राज्य स्तर पर प्रत्येक सूत्र के लिये वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करेगी और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कार्यक्रम प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों सम्बन्धी विषयों पर विचार विमर्श करेगी एवं निर्णय लेगी ।

2. विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों की समय-समय पर समीक्षा करेगी और समीक्षा के फलस्वरूप पाई जाने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिये दिशा-निर्देश भी देगी ।

3. समिति प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में माह अप्रेल में और वर्ष के अन्त में माह फरवरी में कम से कम एक-एक बार अवश्य मिलेगी ताकि बीस सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण व मूल्यांकन किया जा सके ।

4. समिति की बैठकों के बीच तीन माह से अधिक का अन्तराल नहीं रहेगा ।

मासिक क्रियान्वयन का मोनोटेरिंग करने के लिये इस समिति के अन्तर्गत निम्न उप समितियां गठित की जाती है:—

(1) सूत्र संख्या 1, 2, 11, 18, व 20 सिंचाई, विद्युत, कृषि व उद्योग उप समिति ।

1. मुख्य मन्त्री	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित प्रभारी मन्त्री (सूत्रों से सम्बन्धित)	सदस्य
3. मुख्य सचिव	सदस्य
4. सम्बन्धित शासन सचिव	सदस्य
5. विशिष्ट सचिव, आयोजना	सदस्य सचिव

(2) सूत्र संख्या 3, 4, 6, 8, 9, व 12 एकीकृत ग्राम विकास, राजस्व वन एवं पेयजल समिति ।

1. राजस्व मन्त्री	सदस्य
2. सम्बन्धित प्रभारी मन्त्री (सूत्रों से सम्बन्धित)	सदस्य
3. मुख्य सचिव	सदस्य
4. सम्बन्धित शासन सचिव	सदस्य
5. विशिष्ट सचिव, आयोजना	सदस्य सचिव

(3) सूत्र संख्या 5, 7, 15, 17 कल्याण उप समिति ।

1. श्रम मन्त्री	सदस्य
2. सम्बन्धित प्रभारी मन्त्री (सूत्रों से सम्बन्धित)	सदस्य
3. मुख्य सचिव	सदस्य
4. शासन सचिव (सम्बन्धित)	सदस्य
5. विशिष्ट सचिव, आयोजना	सदस्य सचिव

(4) सूत्र संख्या 10, 13, 14, 16, 19 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उप समिति ।

1. वित्त एवं शिक्षा मंत्री	अध्यक्ष
2. संबंधित प्रभारी मंत्री (सूत्रों से संबंधित)	सदस्य
3. मुख्य सचिव	सदस्य
4. संबंधित शासन सचिव	सदस्य
5. विशिष्ट सचिव, आयोजना	सदस्य सचिव

इन उप समितियों की बैठकें माह के तीसरे सप्ताह में मंगलवार व बुधवार को सुबह व शाम रखी जायेगी ताकि 20 तारीख से पहले भारत सरकार को मासिक विवरण भेजा जा सके ।

इन समितियों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए ।

इस समिति व चारों उप समितियों का कार्यकाल 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की अवधि तक रहेगा ।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

परिशिष्ट–घ

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1)

आज्ञा

क्रमांक प. 7 (35) प्र. सु.-5/81

जिला स्तर पर नये बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय के लिये राज्यपाल महोदय निम्नलिखित सदस्यों की एक जिला स्तरीय समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1.	जिला प्रमुख	अध्यक्ष
2.	प्रभारी मन्त्री	सदस्य
3.	संसद सदस्य-1	सदस्य
4.	जिले के विधान सभा सदस्य-2	सदस्य
5.	अन्य जनप्रतिनिधि जो मुख्य मन्त्री द्वारा मनोनीत किये जायेंगे-3	सदस्य
6.	अनु. जाति एवं जन जाति एवं महिला प्रतिनिधि-3	सदस्य
7.	विभिन्न विभागों से सम्बन्धित निम्न प्रकार अधिकारी	सदस्य
	(1) वरिष्ठतम सिंचाई अधिकारी किन्तु अधिशाषी अभियन्ता से कम स्तर का नहीं हो	सूत्र-1
	(2) वरिष्ठतम कृषि अधिकारी जो जिला कृषि अधिकारी क स्तर से कम नहीं हो	सूत्र-1 व 2
	(3) परियोजना निदेशक	सूत्र-3
	(4) आयुक्त, चम्बल, कोटा, बून्दी, झालावाड जिलों के लिए	
	(5) आयुक्त राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर जिलों के लिये	
	(6) आयुक्त, पंचायत विकास, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ जिलों के लिए	
	(7) आयुक्त, मरु विकास, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली जिलों के लिए	
	(8) श्रम आयुक्त का प्रतिनिधि	
	(9) जिला समाज कल्याण अधिकारी	
	(10) जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी किन्तु अधिशासी अभियन्ता से कम स्तर का नहीं हो	
	(11) अध्यक्ष, नगर परिषद्	
	(12) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वरिष्ठतम अधिकारी जो अधिशाषी अभियन्ता से कम स्तर का नहीं हो	
	(13) डिवीजनल फारेस्ट आफिसर	
	(14) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	
	(15) जिला शिक्षा अधिकारी	
	(16) जिला उद्योग अधिकारी	
	(17) जिला रसद अधिकारी	
8.	जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव

क्रम संख्या 3, 4, 5 व 6 पर अंकित सदस्यों का मनोनयन मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जायगा ।

समिति की बैठक में जिले के अन्य विधान सभा सदस्य एवं प्रधान अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जाय आमन्त्रित किये जा सकेंगे ।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा । यह समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी :--

(1) समिति प्रत्येक माह के लिये प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाइयों, एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करेगी । समिति का लक्ष्य रचनात्मक उपलब्धि का होगा । समिति विभिन्न सूत्रों को क्रियान्वित करने के लिये उप समितियां गठित कर सकेगी ।

(2) समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिये प्रक्रिया तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी ।

(3) कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं उनके गुणात्मक स्तर को देखा जायेगा । प्रतिवेदित उपलब्धियों का समिति सत्यापन भी कर सकेगी ।

(4) इस समिति की बैठक मास में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डढ़ मास से अधिक नहीं होगा ।

(5) बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक यह समिति कार्यशील रहेगी ।

आज्ञा से,
उप शासन सचिव ।

जिलों के लिये निर्धारित लक्ष्य

जिला-अजमेर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा–	400
				(ii) कुओं द्वारा	1,320
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	67
				(ब) रबी	106
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	195
				(ब) रबी	80
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	1,252.60
				(ब) रबी	3,300

नोटः–जिला धौलपुर के लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं किये जा सके थे, इसलिए इन्हें भरतपुर जिले के लक्ष्यों के साथ शामिल कर लिया गया है।

				(अ) खरीफ	50.40
				(ब) रबी	500
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	1,615
				(ब) रबी	2,700
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	10,000
				(ब) रबी	12,000
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	221
				(ब) रबी	360
			(ख) तिलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	16.5
				(ब) रबी	3.5

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम			वार्षिक लक्ष्य 1982-83
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)		
					(अ) खरीफ	45
					(ब) रबी	7
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)		
					(अ) खरीफ	245
					(ब) रबी	150
				(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग		
					(अ) क्षेत्रफल (है)	4,000
					(ब) मात्रा (टन)	240
				(v) पौध संरक्षण ('000 हैं.)		
					(अ) खरीफ	21.75
					(ब) रबी	4.00
				(vi) प्रदर्शन		
					(अ) खरीफ	3
					(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना			
			अनुसूचित जाति परिवार			1,772
			अनुसूचित जनजाति परिवार			634
			कुल परिवार			4,800
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)			–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–				
			(क) अनुसूचित जाति परिवार			3,937
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति			2,250
			(ग) अनुसूचित जन जाति परिवार			–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास			
				(i) बिजली		45
				(ii) पीने का पानी		90
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित			90
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण			1,000
			(ख) मकान			300
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति			2,500
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान			
				(i) आवासन मण्डल		375
				(ii) नगर विकास न्यास		–
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)			19
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)			500
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)			25.30
			(ख) गोबर गैस संयंत्र			300
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन			11,400
			(ख) आई यू.डी.			3,450
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–			
				(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन		1
				(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		–
				(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र		1
				(iv) उप केन्द्र		7
				(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक		800
			(ख) रोग चिकित्सा	(i) कुष्ठरोग		50
				(ii) क्षय रोग		200
				(iii) अन्धापन		1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम			वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	(i)	मध्यान्ह भोजन	..
				(ii)	पोषाहार–	
					(अ) विशेष पोषाहार	17,000
					(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
					(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास–लाभान्वित			–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)	(i)	6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	166.70
				(ii)	11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	47.57
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र			
			(ग) प्रौढ़-शिक्षा–लाभान्वित ('000 में)			6.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्य की दुकान ···			
				(i)	ग्रामीण क्षेत्र	12
				(ii)	नगरीय क्षेत्र	18
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग			250
			(ख) ग्रामीण उद्योग			324
			(ग) कारीगरों को रोजगार			400
			(घ) हाथ कर्घे नय			95

जिला-अलवर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-82
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	200
				(ii) कुओं द्वारा	350
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	149
				(ब) रबी	281
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	201
				(ब) रबी	190
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	4,971
				(ब) रबी	14,500
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	
				(ब) रबी	2,020
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	700.0
				(ब) मध्यकालीन	44.0
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	11.22
				(ब) रबी	228.50
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	29.82
				(ब) रबी	170.90
				(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	236.30
				(ब) रबी	1,200
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	1,690
				(ब) रबी	7,200
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	30,000
				(ब) रबी	32,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	493
				(ब) रबी	480
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	2.00
				(ब) रबी	38.00

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
			(अ) खरीफ	10.0
			(ब) रबी	50.0
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	30
			(ब) रबी	950
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	–
			(ब) मात्रा (टन)	–
			(v) पौध संरक्षण (000 है.)	
			(अ) खरीफ	0.5
			(ब) रबी	30.0
			(vi) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	300
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–	
			अनुसूचित जाति परिवार	2,840
			अनुसूचित जन जाति परिवार	910
			कुल परिवार	8,400
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	4,875
			(ख) अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रवृत्ति	3,125
			(ग) अनुसूचित जन जाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास–	
			(i) बिजली	40
			(ii) पीने का पानी	120
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	120
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	500
			(ख) मकान	520
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	10,000
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान	
			(i) आवासन मंडल	1,150
			(ii) नगर विकास न्यास	250
9.	11	गावों में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	38
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	750
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	14.55
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र	300
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	10,500
			(ख) आई. यू. डी.	3,170
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(vi) उप केन्द्र	1
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	500
			(ख) रोग चिकित्सा (i) कुष्ठ रोग	50
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	
			(1) मध्यान्ह भोजन	
			(i) पोषाहार	
			(अ) विशेष पोषाहार	7,500
			(ब) विश्वखाद्य कार्यक्रम	—
			(स) पूरक पोषाहार	—
			(ख) समग्र बाल विकास लाभान्वित	10,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	207.70
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	57.37
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा — केन्द	
			(ग) प्रौढ शिक्षा लाभन्वित (000में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	73
			(ii) नगरीय क्षेत्र	17
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	300
			(ख) ग्रामीण उद्योग	658
			(ग) कारीगरों को रोजगार	750
			(घ) हाथ कर्घा—नये	85

जिला--बांसवाड़ा

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	200
				(ii) कुओं द्वारा	350
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	123.1
				(ब) रबी	42
				(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
				(अ) खरीफ	147
				(ब) रबी	35
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	1188.75
				(ब) रबी	1,000
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	1,580
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	290.0
				(ब) मध्यकालीन	26.0
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–		
				(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	31.85
				(ब) रबी	33.80
				(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
				(अ) खरीफ	46.23
				(ब) रबी	36.80
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	259.73
				(ब) रबी	300
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियमकल्चर)	
				(अ) खरीफ	3,360
				(ब) रबी	3,500
				(v) पोध संरक्षण (है.)	
				(ख) खरीफ	7,000
				(ब) रबी	9,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	617
				(ब) रबी	320
			(ख) तिलहन	(i) उपज (000 है.)	
				(अ) खरीफ	7.5
				(ब) रबी	2.0

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
			(अ) खरीफ	10
			(ब) रबी	5
			(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
			(अ) खरीफ	250
			(ब) रबी	100
			(iii) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	600
			(ब) मात्रा (टन)	30
			(iv) पौध संरक्षण (000 है.)	
			(अ) खरीफ	3.5
			(ब) रबी	3.0
			(v) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	28
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछडे को पहले	ग्राम विकास योजना–	
			अनुसूचित जाति परिवार	749
			अनुसूचित जन जाति परिवार	3,651
			कुल परिवार	4,800
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड में)	–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	1,322
			(ख) अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रवृत्ति	2,000
			(ग) अनुसूचित जन जाति परिवार	6,740
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास–	
			(i) बिजली	10
			(ii) पीने का पानी	75
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	75
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू खंड वितरण	1,500
			(ख) मकान	380
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान	
			(i) आवासन मंडल	25
9.	11	गांवों में उजाला	(क) गांवों में उजाला (ग्राम)	66
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	200
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	23.60
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र	50
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	4,400
			(ख) आई. यू. डी.	1,330
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iv) उप केन्द्र	8
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	350
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ठ रोग	100
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम			वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	(i) मध्यान्ह भोजन		26,400
				(ii) पोषाहार		
					(अ) विशेष पोषाहार	32,250
					(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
					(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास –लाभान्वित			10,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नांमाकन (000 में)			
				(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग		100.20
				(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग		17.98
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र			
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित (000 में)			9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें	(i) ग्रामीण क्षेत्र		25
				(ii) नगरीय क्षेत्र		6
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग			100
			(ख) ग्रामीण उद्योग			429
			(ग) कारीगरों को रोजगार			150
			(घ) हाथ कर्घे–नये			10

जिला-बाड़मेर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	120
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	190
				(ब) रबी	54
				(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
				(अ) खरीफ	950
				(ब) रबी	30
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	2,120
				(ब) रबी	500
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	95
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	340.0
				(ब) मध्यकालीन	45.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	34.70
				(ब) रबी	0.61
				(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
				(अ) खरीफ	132.16
				(ब) रबी	1.01
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	121.76
				(ब) रबी	–
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	7,040
				(ब) रबी	500
				(v) पौध संरक्षण	
				(अ) खरीफ	800
				(ब) रबी	–
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	570
				(ब) रबी	80
			(ख) तिलहन	(i) उपज (000 है.)	
				(अ) खरीफ	4.5
				(ब) रबी	4.0

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
			(अ) खरीफ	21
			(ब) रबी	8
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	75
			(ब) रबी	160
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग—	
			(अ) क्षेत्रफल (000है.)	—
			(ब) मात्रा (टन)	—
			(v) पौध संरक्षण (000 है.)	
			(अ) खरीफ	1.0
			(ब) रबी	5.0
			(vi) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	—
			(ब) रबी	—
3.	3	पिछड़े को पहले –ग्राम विकास योजना—		
			अनुसूचित जाति परिवार	2,008
			अनुसूचित जनजाति परिवार	1,128
			कुल परिवार	4,800
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि का आवंटन (एकड़ों में)—	—
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	2,811
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	875
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	—
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	10
			(ii) पीने का पानी	85
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	85
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू-खंड वितरण	1,000
			(ख) मकान	260
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	—
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान	
			(i) आवासन मण्डल	71
9.	11	गांवों में उजाला–	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	54
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	100
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	4.75
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	—
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	3,900
			(ख) आई. यू. डी.	1,180
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार –	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	1
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	—
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	1
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	350
			(ख) रोग चिकित्सा (i) कुष्ठ रोग	—
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–	
			(i) मध्यान्ह भोजन	17,600
			(ii) पोषाहार––	
			(अ) विशेष पोषाहार	4,700
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	42,000
			(ख) समग्र बाल विकास– लाभान्वित	10,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	87.1
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	15.77
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र	–
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें–	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	40
			(ii) नगरीय क्षेत्र	15
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	100
			(ख) ग्रामीण उद्योग	341
			(ग) कारीगरों को रोजगार	150
			(घ) हाथ कर्घे-नये	50

जिला भरतपुर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)		
				(i) नहरों द्वारा	5,000
				(ii) कुओं द्वारा	1,650
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	
				(ब) रबी	
				(ii) क्षेत्रफल (000 हे.)	
				(अ) खरीफ	188
				(ब) रबी	160
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	4,607
				(ब) रबी	12,300
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	1,630
				(ब) रबी	
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	250.0
				(ब) मध्यकालीन	24.0
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	7.22
				(ब) रबी	187.6
				(ii) क्षेत्रफल (000 हे.)	
				(अ) खरीफ	18.63
				(ब) रबी	143.00
				(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	157.30
				(ब) रबी	11.20
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	2,310
				(ब) रबी	3,200
				(v) पौध संरक्षण (हे.)	
				(अ) खरीफ	20,000
				(ब) रबी	22,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	421
				(ब) रबी	480
			(ख) तिलहन–	(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	17.9
				(ब) रबी	72.0

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (000 हे.)	
			(अ) खरीफ	32
			(ब) रबी	90
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	245
			(ब) रबी	1,220
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	
			(अ) क्षेत्रफल (हे.)	3,000
			(ब) मात्रा (टन)	180
			(v) पौध संरक्षण (000 हे.)	
			(अ) खरीफ	19.45
			(ब) रबी	54.0
			(vi) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	13
			(ब) रबी	375
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना	
			अनसूचित जाति परिवार	4,179
			अनुसूचित जनजाति परिवार	675
			कुल परिवार	7,800
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड में)	
5.	7	हरिजन, गिरिजन विकास		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	6,116
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	3,125
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	10
			(ii) पीने का पानी	110
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	110
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	2,500
			(ख) मकान	2,319
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	1,000
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान (आवासन-मण्डल)	–
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	80
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	700
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	16.45
			(ख) गोबर गैस संयत्र	200
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	12,100
			(ख) आई. यू. डी.	3,660
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	40
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	1000
			(ख) रोग चिकित्सा–	
			(i) कुष्ठ रोग	50
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	2000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम:–		
				(i) मध्यान्ह भोजन	–
				(ii) पोषाहार–	
				(अ) विशेष पोषाहार	–
				(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	37,800
				(स) पूरक पोषाहार	1,30,000
			(ख) समग्र बाल विकास–		
				लाभान्वित	10,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)–		
				(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	196.7
				(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	56.57
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र		–
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित ('000 में)		9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें		
				(i) ग्रामीण क्षेत्र	85
				(ii) नगरीय क्षेत्र	37
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग		200
			(ख) ग्रामीण उद्योग		581
			(ग) कारीगरों को रोजगार		400
			(घ) हाथकर्घे-नये		210

जिला–भीलवाड़ा

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	820
				(ii) कुओं द्वारा	500
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज ('000 टन)–	
				(अ) खरीफ	147
				(ब) रबी	126
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)–	
				(अ) खरीफ	130
				(ब) रबी	120
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)–	
				(अ) खरीफ	2,931.5
				(ब) रबी	5,800
				(iv) उर्वरक (टन)–	
				(अ) खरीफ	4,175
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)–	
				(अ) अल्पकालीन	400.0
				(ब) मध्यकालीन	66.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)–	
				(अ) खरीफ	9.52
				(ब) रबी	19.9
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)–	
				(अ) खरीफ	12.55
				(ब) रबी	20.9
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)–	
				(अ) खरीफ	60.35
				(ब) रबी	300
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)–	
				(अ) खरीफ	910
				(ब) रबी	3,000
				(v) पौध संरक्षण (हैं.)–	
				(अ) खरीफ	5,000
				(ब) रबी	7,000
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	213
				(ब) रबी	280
			(ख) तिलहन–	(i) उपज ('000 टन)–	
				(अ) खरीफ	26
				(ब) रबी	–

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 हे.)–		
				(अ) खरीफ	50
				(ब) रबी	–
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)–		
				(अ) खरीफ	280
				(ब) रबी	–
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–		
				(अ) क्षेत्रफल (हे.)	5,000
				(ब) मात्रा (टन)	300
			(v) पौध संरक्षण (क्षेत्रफल '000 हे.)–		
				(अ) खरीफ	28.5
				(ब) रबी	–
			(vi) प्रदर्शन–		
				(अ) खरीफ	4
				(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–		
			अनुसूचित जाति परिवार		1,742
			अनुसूचित जन जाति परिवार		1,335
			कुल परिवार		6,600
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड में)		430
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–			
			(क) अनुसूचित जाति परिवार		4,061
			(ख) अनुसूचित जाति।चत जाति छात्रवृत्ति		1,250
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार		–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास–(i) बिजली		40
				(ii) पीन का पानी	120
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित		120
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण		1,500
			(ख) मकान		620
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति		2,000
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान		
				(i) आवासन मण्डल	125
9.	11	गांवों में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)		47
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)		700
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)		13.50
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र		200
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाईजेशन		7,800
			(ख) आई. यू. डी.		2,360
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा – (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन		–
			प्रसार– (ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र		1
			(iv) उप केन्द्र		8
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक		500
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ट रोग		–
			(ii) क्षय रोग		200
			(iii) अन्धापन		1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982–83
13.	15	मात् शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम		
				(i) मध्यान्ह भोजन	20,700
				(ii) पोषाहार	
				(अ) विशेष पोषाहार	4,000
				(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	—
				(स) पूरक पोषाहार	40,000
			(ख) समग्र बाल विकास–लाभान्वित		—
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)		
				(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	120.2
				(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	27.08
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र		—
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें		9.00
				(i) ग्रामीण क्षेत्र	—
				(ii) नगरीय क्षेत्र	43
16.	18	ग्रामीण उद्योग	(क) छोटे उद्योग		300
			(ख) ग्रामीण उद्योग		468
			(ग) कारीगरों को रोजगार		600
			(घ) हाथ कर्घे–नये		145

जिला–बीकानेर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	160
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज ('000 टन)–	
				(अ) खरीफ	67
				(ब) रबी	20
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)–	
				(अ) खरीफ	270
				(ब) रबी	10
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)–	
				(अ) खरीफ	455.5
				(ब) रबी	500
				(iv) उर्वरक (टन)–	
				(अ) खरीफ	1,540*
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)–	
				(अ) अल्पकालीन	290.0
				(ब) मध्यकालीन	57.0
2.	2.	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000टन)–	
				(अ) खरीफ	59.67
				(ब) रबी	1.00
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)–	
				(अ) खरीफ	311.5
				(ब) रबी	2.0
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)–	
				(अ) खरीफ	चूरू व गंगानगर
				(ब) रबी	में शामिल
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर) –	
				(अ) खरीफ	,,
				(ब) रबी	,,
				(v) पौध संरक्षण (है.)–	
				(अ) खरीफ	,,
				(ब) रबी	,,
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	,,
				(ब) रबी	,,
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)–	3
				(अ) खरीफ	5
				(ब) रबी	

* राजस्थान नहर क्षेत्र के लिए

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)–		20
			(अ) खरीफ		5
			(ब) रबी		
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)–		
			(अ) खरीफ		60
			(ब) रबी		100
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–		
			(अ) क्षेत्रफल (है.)		–
			(ब) मात्रा (टन)		–
			(v) पौध संरक्षण (क्षेत्रफल) ('000 है.)–		
			(अ) खरीफ		1.0
			(ब) रबी		3.0
			(vi) प्रदर्शन–		
			(अ) खरीफ		–
			(ब) रबी		–
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना		
			अनुसूचित जाति परिवार		799
			अनुसूचित जनजाति परिवार		–
			कुल परिवार		2,400
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आबंटन (एकड़ में)		–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–			
			(क) अनुसूचित जाति परिवार		6,796
			(ख) अनुसूचित जाति।जनजाति छात्रवृत्ति		1,250
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार		–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास		
				(i) बिजली	20
				(ii) पीने का पानी	60
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित–		60
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखण्ड वितरण		500
			(ख) मकान–		5,240
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति		2,000
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास मकान		
				(i) आवासन मण्डल	–
				(ii) नगर विकास न्यास	50
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)		20
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)		5
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)		31.25
			(ख) गोबर गैस संयंत्र		300
11	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन		6,300
			(ख) आई. यू. डी.		1,900
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–		
				(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
				(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
				(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
				(iv) उप केन्द्र	2
				(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	250
			(ख) रोग चिकित्सा–	(i) कुष्ट रोग	50
				(ii) क्षय रोग	150
				(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम (i) मध्यान्ह भोजन	–
			(ii) पोषाहार–	
			(अ) विशेष पोषाहार	–
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	10,100
			(ख) समग्र बाल विकास– लाभान्वित	–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	94.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ष	25.27
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र	–
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें– (i) ग्रामीण क्षेत्र–	–
			(ii) नगरीय क्षेत्र–	18
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग	150
			(ख) ग्रामीण उद्योग	256
			(ग) कारीगरों को रोजगार	400
			(घ) हाथ कर्घे-नये	160

जिला बून्दी

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	100
				(ii) कुओं द्वारा	320
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज ('000 टन)–	
				(अ) खरीफ	121
				(ब) रबी	144
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)–	
				(अ) खरीफ	97
				(ब) रबी	92
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्वि.)–	
				(अ) खरीफ	2,428.10
				(ब) रबी	6,500
				(iv) उर्वरक (टन)–	
				(अ) खरीफ	5,135
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)–	
				(अ) अल्पकालीन	520.0
				(ब) मध्यकालीन	34.0
		दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)–	
				(अ) खरीफ	5.52
				(ब) रबी	31.5
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)–	
				(अ) खरीफ	9.27
				(ब) रबी	32.5
				(iii) बीज वितरण (क्वि.)–	
				(अ) खरीफ	72.70
				(ब) रबी	300
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)–	
				(अ) खरीफ	885
				(ब) रबी	4,000
				(v) पौध संरक्षण (है.)–	
				(अ) खरीफ	6,000
				(ब) रबी	9,000
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	233
				(ब) रबी	200
			(ख) तिलहन–	(i) उपज ('000 टन)–	
				(अ) खरीफ	5.5
				(ब) रबी	2.0

क्रम संख्या	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)–	
			(अ) खरीफ	12
			(ब) रबी	5
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)–	
			(अ) खरीफ	182
			(ब) रबी	45
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	500
			(ब) मात्रा (टन)	30
			(v) पौध संरक्षण ('000 है.)–	
			(अ) खरीफ	3.5
			(ब) रबी	–
			(vi) प्रदर्शन–	
			(अ) खरीफ	18
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले–	ग्राम विकास योजना	
			अनुसूचित जाति परिवार	596
			अनुसूचित जन जाति परिवार	827
			कुल परिवार	2,400
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	1,354
			(ख) अनुसूचित जाति।जन जाति छात्रवृत्ति	000
			(ग) अनुसूचित जन जाति परिवार–	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली–	10
			(ii) पीने का पानी	50
	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	50
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू खण्ड वितरण	1,000
			(ख) मकान	220
8.	10	मन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान	
			(i) आवासन मण्डल	75
9.	11	गांव में उजाला–	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	21
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	300
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	4.85
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	200
11.	13	छोटा परिवार–	(क) स्टरलाइजेशन	3,900
			(ख) आई. यू. डी.	1,180
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार––	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	1
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iv) उप केन्द्र	1
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	250
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ठ रोग	50
			(ii) क्षय रोग	100
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम--	
			(i) मध्यान्ह भोजन	–
			(ii) पोषाहार–	
			(अ) विशेष पोषाहार	2,000
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास– लाभान्वित	–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	70.2
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	16.88
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र	–
			(ग) प्रौढ शिक्षा लाभान्वित (000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें--	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	32
			(ii) नगरीय क्षेत्र	16
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग	50
			(ख) ग्रामीण उद्योग	405
			(ग) कारीगरों को रोजगार	100
			(घ) हाथ कर्घे–नये	110

जिला — चित्तौड़गढ़

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–		
				(i) नहरों द्वारा	4,280
		अधिक उपज		(ii) कुओं द्वारा	1,000
			(ख) अन्न उत्पादन–		
				(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	166.4
				(ब) रबी	166
				(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
				(अ) खरीफ	148
				(ब) रबी	95
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विंटल)	
				(अ) खरीफ	3,757.8
				(ब) रबी	7,150
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	8,110
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	520.0
				(ब) मध्यकालीन	58.0
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–		
				(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	21.46
				(ब) रबी	27.5
				(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
				(अ) खरीफ	45.4
				(ब) रबी	40.9
				(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	104.44
				(ब) रबी	300
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	2,950
				(ब) रबी	7,000
				(v) पौध संरक्षण	
				(अ) खरीफ	8,000
				(ब) रबी	10,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	461
				(ब) रबी	400
			(ख) तिलहन–	(i) उपज (000 है.)	
				(अ) खरीफ	44.7
				(ब) रबी	5.0

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
			(अ) खरीफ	65
			(ब) रबी	15
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	804
			(ब) रबी	160
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	5,000
			(ब) मात्रा (टन)	310
			(v) पौध संरक्षण (000 है.)	
			(अ) खरीफ	36.1
			(ब) रबी	3.0
			(vi) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	39
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–	
			अनुसूचित जाति परिवार	1,698
			अनुसूचित जनजाति परिवार	1,422
			कुल परिवार	7,800
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	251
5.	7	हरिजन गिरजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	3,383
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	1,000
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	1,320
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास–	
			(i) बिजली	40
			(ii) पीने का पानी	110
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	110
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	2,000
			(ख) मकान	500
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास-मकान	
			(i) आवासन मण्डल	–
9.	11	गांवों में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	44
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	1,000
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	7.40
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	200
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	7,400
			(ख) आई. यू. डी	2,240
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	11
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	600
			(ख) रोग चिकित्सा–	
			(i) कुष्ठरोग	20
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम– (i) मध्यान्ह भोजन	32,100
			(ii) पोषाहार–	
			(अ) विशेष पोषाहार	12,000
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	20,000
			(ख) समग्र बाल विकास– लाभान्वित	10 ,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	114.2
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	28.78
			(ख) अनौपकचारिक शिक्षा केन्द्र	–
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित (000 में)	6.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें–(i) ग्रामीण क्षेत्र	64
			(ii) नगरीय क्षेत्र	16
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	150
			(ख) ग्रामीण उद्योग	444
			(ग) कारीगरों को रोजगार	200
			(घ) हाथ कर्घे–नये	10

जिला चूरू

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हेक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	330
				(ख) अन्न उत्पादन (i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	100
				(ब) रबी	–
				(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
				(अ) खरीफ	400
				(ब) रबी	–
				(iii) संकर। उन्नत बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	600
				(ब) रबी	–
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	51
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	400.0
				(ब) मध्यकालीन	44.0
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–		
				(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	44.15
				(ब) रबी	40.00
				(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
				(अ) खरीफ	399.17
				(ब) रबी	90.0
				(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	140.01
				(ख) रबी	300
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	15,260
				(ब) रबी	2,700
				(v) पौध संरक्षण (है,)	
				(अ) खरीफ	16,000
				(ब) रबी	21,000
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	475
				(ब) रबी	–
			(ख) तिलहन–	(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	–

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
			(iv) मूंगफली में फोस्फेटिक खाद का प्रयोग:–	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	–
			(ब) मात्रा (टन)	–
			(v) पौध संरक्षण (000 है.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
			(vi) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले –	ग्राम विकास योजना –	
			अनुसूचित जाति परिवार	2,780
			अनुसूचित जन जाति परिवार	36
			कुल परिवार	4,200
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	178
5.	7	हरिजन गिरीजन विकास–		
			(अ) अनुसूचित जाति परिवार	3,641
			(ख) अनुसूचित जाति।जन जाति छात्रवृत्ति	625
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	30
			(i) बिजली	65
			(ii) पीने का पानी	
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	65
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	2,000
			(ख) मकान	480
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	500
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान	–
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	23
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	35
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	6.50
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र	–
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	7,400
			(ख) आई. यू. डी.	2,240
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	1
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	350
			(ख) रोग चिकित्सा	
			(i) कुष्ठ रोग	10
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13[1]	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	(i) मध्याह्न भोजन	17,400
				(ii) पोषाहार	
				(अ) विशेष पोषाहार	–
				(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
				(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास (लाभान्वित)		–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)	(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	109.75
				(ii) 11 से 14 वर्ष की आयु	30.07
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा–केन्द्र		–
			(ग) प्रौढ शिक्षा लाभान्वित (000 में)		9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें	(i) ग्रामीण क्षेत्र	49
				(ii) नगरीय क्षेत्र	–
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग		100
			(ख) ग्रामीण उद्योग		304
			(ग) कारीगरों द्वारा रोजगार		200
			(घ) हाथ कर्घे–नये		60

जिला–डूंगरपुर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1	1.	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	190
				(ii) कुओं द्वारा	330
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	86.4
				(ब) रबी	48
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	97
				(ब) रबी	35
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण	
				(अ) खरीफ	2,036
				(ब) रबी	1,250
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	510
				(ब) रबी	
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	230.00
				(ब) मध्यकालीन	32.0
2	2.	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	15.92
				(ब) रबी	20.0
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	22.35
				(ब) रबी	21.0
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	108.20
				(ब) रबी	300
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	3,350
				(ब) रबी	2,000
				(v) पौध संरक्षण	
				(अ) खरीफ	4,400
				(ब) रबी	6,400
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	451
				(ब) रबी	240
			(ख) तिलहन–	(i) उपज ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	3

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982–83
			(ii) क्षेत्रफल (000 है.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	10
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	45
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	––
			(अ) क्षेत्रफल	––
			(ब) मात्रा (टन)	––
			(v) पौध संरक्षण (000 है.)	––
			(अ) खरीफ	––
			(ब) रबी	––
			(vi) प्रदर्शन (अ) खरीफ	––
			(ब) रवी	––
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–	––
			अनुसूचित जाति परिवार	402
			अनुसूचित जनजाति परिवार	2,327
			कुल परिवार	3 000
4 0	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड में)	––
5	7	हरिजन, गिरिजन विकास–	(क) अनुसूचित जाति परिवार	887
			(ख) अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति	2,000
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	4,120
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास-	
			(i) बिजली	5
			(ii) पीने का पानी	
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	100
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	1,000
			(ख) मकान	260
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	––
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास मकान	
			(i) आवासन मण्डल	100
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	41
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	100
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	12.60
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	50
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	3,400
			(ख) आई. यू. डी.	1,030
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	––
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	––
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iv) उप केन्द्र	12
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	250
			(ख) रोग चिकित्सा	
			(i) कुष्ट रोग	50
			(ii) क्षय रोग	150
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982–83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–(i) मध्यान्ह भोजन	24,200
			(ii) पोषाहार –	
			(अ) विशेष पोषाहार	28,750
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	—
			(स) पूरक पोषाहार	—
			(ख) समग्र बाल विकास-लाभान्वित	15,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	84.2
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	16.38
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
			(ग) प्रौढ शिक्षा लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्य की दुकानें (i) ग्रामीण क्षेत्र	—
			(ii) नगरीय क्षेत्र	9
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग	30
			(ख) ग्रामीण उद्योग	262
			(ग) कारीगरों को रोजगार	100
			(घ) हाथ कर्घे-नये	10

जिला श्रीगगानगर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	35,000
				(ii) कुओं द्वारा	600
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	44
				(ब) रबी	576
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	100
				(ब) रबी	295
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	1,161.50
				(ब) रबी	14,500
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	28,179
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	1,500.00
				(ब) मध्यकालीन	63.00
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	25.87
				(ब) रबी	519.2
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	58.52
				(ब) रबी	539.0
				(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	124.86
				(ब) रबी	2,000
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	5,600
				(ब) रबी	44,000
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	1,05,000
				(ब) रबी	1,11,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	418
				(ब) रबी	1,200
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	9
				(ब) रबी	80

क्रमांक	सूत्र। संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	9
			(ब) रबी	80
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	165
			(ब) रबी	1,600
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	3,000
			(ब) मात्रा (टन)	180
			(v) पौध संरक्षण ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	6
			(ब) रबी	50
			(vi) प्रदर्शन–	
			(अ) खरीफ	5
			(ब) रबी	250
3.	3	पिछडे को पहले	ग्राम विकास योजना–	
			अनुसूचित जाति परिवार	3,403
			अनुसूचित जन जाति परिवार	–
			कुल परिवार	6,000
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड में)	–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	11,653
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	1,875
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	15
			(ii) पीने का पानी	100
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित–	
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू-खंड वितरण	100
			(ख) मकान	4,000
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभांवित व्यक्ति	660
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान	2,000
			(i) आवासन मण्डल	175
			(ii) नगर विकास न्यास	50
9.	11	गांवों में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	44
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	200
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	65.50
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र	400
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	13,200
			(ख) आई. यू. डी.	3,990
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	9
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	450
			(ख) रोग चिकित्सा — (i) कुष्ट रोग	10
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–	
			(i) मध्यान्ह भोजन	–
			(ii) पोषाहार–	
			(अ) विशेष पोषाहार	–
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास– लाभान्वित	–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	191.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	48.97
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र	
			(ग) प्रौढ शिक्षा-लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्य की दुकानें––	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	24
			(ii) नगरीय क्षेत्र	62
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	250
			(ख) ग्रामीण उद्योग	415
			(ग) कारीगरों को रोजगार	450
			(घ) हाथ कर्घे-नये	10

जिला–जयपुर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	2,120
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	174
				(ब) रबी	420
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हे.)	
				(अ) खरीफ	255
				(ब) रबी	260
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	4,710
				(ब) रबी	14,000
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	3,075
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	750.0
				(ब) मध्यकालीन	42.0
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	45.09
				(ब) रबी	99.0
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हे.)	
				(अ) खरीफ	123.53
				(ब) रबी	99.00
				(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	306.80
				(ब) रबी	2,400
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	7,345
				(ब) रबी	4,000
				(v) पौध संरक्षण (हे.)	
				(अ) खरीफ	24,000
				(ब) रबी	28,000
				(vi) प्रदर्शन—	
				(अ) खरीफ	1,206
				(ब) रबी	800
			(ख) तिलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	49
				(ब) रबी	5

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
			(अ) खरीफ	85
			(ब) रबी	10
			(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
			(अ) खरीफ	360
			(ब) रबी	300
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–	
			(अ) क्षेत्रफल (हैं.)	8,000
			(ब) मात्रा (टन)	480
			(v) पौध संरक्षण ('000 हैं.)	
			(अ) खरीफ	47
			(ब) रबी	6
			(vi) प्रदर्शन—	
			(अ) खरीफ	3
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछडे को पहले	ग्राम विकास योजना–	
			अनुसूचित जाति परिवार	3,329
			अनुसूचित जनजाति परिवार	2,515
			कुल परिवार	10,200
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार–	7,377
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	6,250
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	60
			(ii) पीने का पानी	310
6.	8	पीन का पानी	ग्राम लाभान्वित–	310
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	4,000
			(ख) मकान	8,100
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	4,000
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास-मकान	
			(i) आवासन मण्डल	1,404
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	55
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	1,300
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	22,20
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र	300
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	25,700
			(ख) आई. यू. डी.	7,770
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	2
			(iv) उप केन्द्र	2
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	1,650
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ठ रोग	550
			(ii) क्षय रोग	275
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम—	
			(i) मध्यान्ह भोजन	21,100
			(ii) पोषाहार—	
			(अ) विशेष पोषाहार	20,000
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	—
			(स) पूरक पोषाहार	1,66,000
			(ख) समग्र बाल विकास— लाभान्वित	30,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)—	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	351.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	103.08
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा—केन्द्र	
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा—लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें—	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	145
			(ii) नगरीय क्षेत्र	200
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	750
			(ख) ग्रामीण उद्योग	578
			(ग) कारीगरों को रोजगार	1,400
			(घ) हाथ कर्घे—नये	305

जिला–जैसलमेर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–		
				(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	–
			(ख) अन्न उत्पादन–		
				(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	15
				(ब) रबी	–
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	150
				(ब) रबी	–
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	212
				(ब) रबी	–
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	जोधपुर के साथ शामिल
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	80.0
				(ब) मध्यकालीन	50.0
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	–
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	–
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	–
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	–
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	–
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	–
			(ख) तिलहन–	(i) उपज ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	–

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	–
			(ब) मात्रा (टन)	–
			(v) पौध संरक्षण ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
			(vi) प्रदर्शन–	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना	
			अनुसूचित जाति परिवार	799
			अनुसूचित जनजाति परिवार	259
			कुल परिवार	1,800
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार–	1,487
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	375
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	–
			(i) बिजली	5
			(ii) पीने का पानी	55
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	55
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखण्ड वितरण	500
			(ख) मकान	180
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास-मकान	–
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	–
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	1
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	4.50
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	–
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	1,100
			(ख) आई. यू. डी.	330
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iv) उप केन्द्र	1
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	250
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ठ रोग	10
			(ii) क्षय रोग	50
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–	
			(i) मध्याह्न भोजन	–
			(ii) पोषाहार	
			(अ) विशेष पोषाहार	–
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	10,000
			(ख) समग्र बाल विकास– लाभान्वित	–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	34.1
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	5.47
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र	
			(ग) प्रौढ शिक्षा लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें–	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	–
			(ii) नगरीय क्षेत्र	2
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग	20
			(ख) ग्रामीण उद्योग	135
			(ग) कारीगरों को रोजगार	50
			(घ) हाथ कर्घे-नये	–

जिला–जालौर

क्रमांक	सूत्र-संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	1,796
			(ख) अन्न उत्पादन––	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	64,2
				(ब) रबी	55
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	256
				(ब) रबी	54
				(iii) संकर।उन्नत बीज वितरण (क्विंटल)	
				(अ) खरीफ	3,030
				(ब) रबी	2,500
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ 443	
				(ब) रबी	
				(v) ऋण (लाख रु·)	
				(अ) अल्पकालीन	340.0
				(ब) मध्यकालीन	55.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन––	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	13.7
				(ब) रबी	4.05
				(ii) क्षत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	55.12
				(ब) रबी	7.05
				(iii) बीज वितरण (क्विंटल)––	
				(अ) खरीफ	122.75
				(ब) रबी	200
				(iv) चीवाणुओं का प्रयोग राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	4,245
				(ब) रबी	2,100
				(v) पौध संरक्षण	
				(अ) खरीफ	1600
				(ब) रबी	4600
				(vi) प्रदर्शन––	
				(अ) खरीफ	630
				(ब) रबी	120
			(ख) तिलहन–	(i) उपज ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	7
				(ब) रबी	21

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (हैं.)	
			(अ) खरीफ	42
			(ब) रबी	42
			(iii) बीज वितरण (क्विंटल)–	
			(अ) खरीफ	150
			(ब) रबी	850
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	-
			(ब) मात्रा (टन)	–
			(v) पौध संरक्षण ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	2
			(ब) रबी	25
			(vi) प्रदर्शन–	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	350
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–	
			अनुसूचित जाति परिवार	1,735
			अनुसूचित जनजाति परिवार	1,051
			कुल परिवार	4,200
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	1,193
5.	7	हरिजन, गिरिजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	2,560
			(ख) अनुसूचित जाति।जनजाति छात्रवृत्ति	625
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	50
			(ii) पीने का पानी	60
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित–	60
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	3,000
			(ख) मकान	320
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास मकान	–
				–
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	36
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	700
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	3.75
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	125
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	4,200
			(ख) आई.यू.डी.	1,270
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	1
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	350
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ठ रोग	–
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-830
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	
			(i) मध्यान्ह भोजन	22,100
			(ii) पोषाहार–	
			(अ) विशेष पोषाहार	1,000
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	30,000
			(ख) समग्र बाल विकास– लाभान्वित	10,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	82.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	16.28
			(ख) अनौपचारिक केन्द्र	
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	56
			(ii) नगरीय क्षेत्र	14
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	50
			(ख) ग्रामीण उद्योग	140
			(ग) कारीगरों को रोजगार	150
			(घ) हाथ कर्घे–नये	20

जिला-झालावाड़

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	8,160
				(ii) कुओं द्वारा	560
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	104
				(ब) रबी	45
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	162
				(ब) रबी	35
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	1,789.5
				(ब) रबी	1,800
				(iv) उर्वरक (टन)–	
				(अ) खरीफ	1,381
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	460.0
				(ब) मध्यकालीन	27.0
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	11.49
				(ब) रबी	22.48
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	33.60
				(ब) रबी	37.47
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	186
				(ब) रबी	200
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	2,076
				(ब) रबी	6,000
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	7,000
				(ब) रबी	10,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	395
				(ब) रबी	240
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	20.5
				(ब) रबी	6.0

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	35
			(ब) रबी	15
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	512
			(ब) रबी	105
			(iii) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	
			(अ) क्षेत्रफल (हैं)	3,000
			(ब) मात्रा (टन)	180
			(iv) पौध संरक्षण ('000 है)	
			(अ) खरीफ	16.2
			(ब) रबी	–
			(v) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	53
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना--	
			अनुसूचित जाति परिवार	2,324
			अनुसूचित जनजाति परिवार	757
			कुल परिवार	3,600
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास	(क) अनुसूचित जाति परिवार	3,179
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	1,000
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	30
			(ii) पीने का पानी	50
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	50
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	1,500
			(ख) मकान	340
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास-मकान	
			(i) आवासन मण्डल	162
9.	11	गांवों में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	20
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	200
10.	12	जंगल में मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	3.15
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	125
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	4,800
			(ख) आई. यू. डी.	1.450
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोलयन	1
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	–
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	350
			(ख) रोग चिकित्सा	
			(i) कुष्ठ रोग	–
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1.000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–	
			(i) मध्यान्ह भोजन	–
			(ii) पोषाहार	
			(अ) विशेष पोषाहार	–
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास लाभान्वित	–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	86.2
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	17.38
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें–	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	23
			(ii) नगरीय क्षेत्र	–
16.	18	ग्रामीण उद्योग	(क) छोटे उद्योग	100
			(ख) ग्रामीण उद्योग	268
			(ग) कारीगरों को रोजगार	400
			(घ) हाथ करघे –नये	10

जिला–झुन्झुनूं

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–		
				(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	1,210
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	48
				(ब) रबी	86
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	190
				(ब) रबी	50
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	2,015
				(ब) रबी	1,550
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	324
				(द) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	290.0
				(ब) मध्यकालीन	55.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	9.87
				(ब) रबी	77.0
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	125.04
				(ब) रबी	60.0
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	133.65
				(ब) रबी	500
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	5,470
				(ब) रबी	2,000
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	13,400
				(ब) रबी	15,400
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	489
				(ब) रबी	400
			(ख) तिलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	2

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	5
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	100
			(iii) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	
			(अ) क्षेत्रफल	–
			(ब) मात्रा (टन)	–
			(iv) पौध संरक्षण ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	3
			(v) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	–
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–	
			अनुसूचित जाति परिवार	1,249
			अनुसूचित जनजाति परिवार	214
			कुल परिवार–	4,800
4.	4	भूमिहीनों को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	91
5.	7	हरिजन, गिरिजन विकास–	(क) अनुसूचित जाति परिवार	2,173
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	214
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	60
			(ii) पीने का पानी	90
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	90
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू-खण्ड वितरण	1,500
			(ख) मकान	320
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास-मकान	
			(i) आवासन मण्डल	100
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	18
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	200
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	7.25
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	100
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	7,500
			(ख) आई. यू. डी.	2,270
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	1
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	2
			(iv) उप केन्द्र	–
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	350
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ठ रोग	50
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–	
			(i) मध्यान्ह भोजन	–
			(ii) पोषाहार–	
			(अ) विशेष पोषाहार	–
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास–	
			लाभान्वित	–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	155.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	44.68
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा–केन्द्र	–
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें– (i) ग्रामीण क्षेत्र	76
			(ii) नगरीय क्षेत्र	22
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	150
			(ख) ग्रामीण उद्योग	282
			(ग) कारीगरों को रोजगार	200
			(घ) हाथ कर्घे–नये	10

जिला-जोधपुर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	250
				(ii) कुओं द्वारा	1,960
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	112
				(ब) रबी	84
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)–	
				(अ) खरीफ	560
				(ब) रबी	61
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)–	
				(अ) खरीफ	5,850
				(ब) रबी	3,600
				(iv) उर्वरक (टन) –	615
				(अ) खरीफ	(जैसलमेर
				(ब) रबी	सहित)
				(v) ऋण (लाख रु.) –	—
				(अ) अल्पकालीन	640.0
				(ब) मध्यकालीन	62.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)–	
				(अ) खरीफ	49.15
				(ब) रबी	4.3
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)–	
				(अ) खरीफ	270.18
				(ब) रबी	8.0
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)–	
				(अ) खरीफ	158.90
				(ब) रबी	200
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)–	
				(अ) खरीफ	12,125
				(ब) रबी	2,000
				(v) पौध संरक्षण (है.)–	
				(अ) खरीफ	1,600
				(ब) रबी	4,600
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	640
				(ब) रबी	120
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 है.)–	
				(अ) खरीफ	14
				(ब) रबी	5

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (000 है.)–		
				(अ) खरीफ	67
				(ब) रबी	10
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)		
				(अ) खरीफ	180
				(ब) रबी	180
			(iii) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–		
				(अ) क्षेत्रफल (है.)	250
				(ब) मात्रा (टन)	30
			(iv) पौध संरक्षण (000 है.)–		
				(अ) खरीफ	4.25
				(ब) रबी	6.00
			(v) प्रदर्शन–		
				(अ) खरीफ	3
				(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–		
			अनुसूचित जाति परिवार		1,984
			अनुसूचित जन जाति परिवार		327
			कुल परिवार		5,400
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)–		33
5.	7	हरिजन गिरीजन विकास–			
			(क) अनुसूचित जाति परिवार		4,010
			(ख) अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रवृत्ति		1,875
			(ग) अनुसूचित जन जाति परिवार		–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	(i) बिजली	20
				(ii) पीने का पानी	115
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित–		115
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू-खंड वितरण		1,500
			(ख) मकान		460
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति		1,500
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास मकान		
				(i) आवासन मण्डल	1,350
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)		46
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)		400
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षा रोपण (लाखों में)		7.25
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र		200
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन		11,200
			(ख) आई. यू. डी.		3,390
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार –	(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
				(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
				(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
				(iv) उप केन्द्र	10
				(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	350
			(ख) रोग चिकित्सा	(i) कुष्ट रोग	100
				(ii) क्षय रोग	200
				(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–	
			(i) मध्यान्ह भोजन	21,400
			(ii) पोषाहार	
			(अ) विशेष पोषाहार	21,350
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास-लाभान्वित	–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	159.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	42.08
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा/केन्द्र	
			(ग) प्रोढ़ शिक्षा लाभान्वित (000 हैं.)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें (i) ग्रामीण क्षेत्र	75
			(ii) नगरीय क्षेत्र	100
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग	350
			(ख) ग्रामीण उद्योग	389
			(ग) कारीगरों को रोजगार	650
			(घ) हाथ कर्घे–नये	100

जिला–कोटा

क्रमांक	सूत्र सं.	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	4,910
				(ii) कुओं द्वारा	1,080
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	206
				(ब) रबी	259
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	200
				(ब) रबी	193
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण–(क्विं)	
				(अ) खरीफ	4,320.10
				(ब) रबी	10,000
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	7,232
				(ब) रबी	—
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	920.0
				(ब) मध्यकालीन	61.00
2.	2	दलहन दुगनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	7.83
				(ब) रबी	73.5
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	22.15
				(ब) रबी	87.5
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	153.40
				(ब) रबी	1,100
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	1, 420
				(ब) रबी	11,200
				(v) पौध संरक्षण (हैं.)	
				(अ) खरीफ	16,000
				(ब) रबी	22,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	474
				(ब) रबी	560
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	27.5
				(ब) रबी	23.0

क्रमांक	सूत्र सं.	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	36
				(ब) रबी	55
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	952
				(ब) रबी	575
				(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का का प्रयोग	
				(अ) क्षेत्रफल (है.)	500
				(ब) मात्रा (टन)	30
				(v) पौध संरक्षण ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	9.3
				(ब) रबी	6.0
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	108
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–	(ब) रबी	—
			अनुसूचित जाति परिवार		2,542
			अनुसूचित जन जाति परिवार		1,383
			कुल परिवार		7,200
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आंवटन (एकड़) में		–
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–	(क) अनुसूचित जाति परिवार		7,688
			(ख) अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रवृत्ति		3,125
			(ग) अनुसूचित जन जाति परिवार		—
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास		
				(i) बिजली	40
				(ii) पीने का पानी	65
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित		65
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू-खण्ड वितरण		2,000
			(ख) मकान		500
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार			
			(क) लाभान्वित व्यक्ति		3,000
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास-मकान		
				(i) आवासन मण्डल	800
				(ii) नगर विकास न्यास	250
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)		110
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)		200
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)		16.35
			(ख) गोबर गैस संयंत्र		400
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन		10,200
			(ख) आई.यू.डी.		3,080
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार		
				(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	—
				(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1
				(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
				(iv) उप केन्द्र	27
				(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	1,100
			(ख) रोग चिकित्सा	(i) कुष्ठ रोग	40
				(ii) क्षय रोग	200
				(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	
			(i) मध्यान्ह भोजन	18,100
			(ii) पोषाहार –	
			(अ) विशेष पोषाहार	15,700
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	—
			(स) पूरक पोषाहार	—
			(ख) समग्र बाल विकास	
			लाभान्वित	16,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)	—
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	199.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	46.48
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	9.00
15.	17	घर-घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	11
			(ii) नगरीय क्षेत्र	100
16.	18	ग्रामीण उद्योग	(क) छोटे उद्योग	250
			(ख) ग्रामीण उद्योग	451
			(ग) कारीगरों को रोजगार	600
			(घ) हाथ कर्घे-नये	120

जिला—नागौर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हेक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	
				(ii) कुओं द्वारा	1,300
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	104
				(ब) रबी	68
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	520
				(ब) रबी	50
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	6,830
				(ब) रबी	2,050
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	343
				(ब) रबी	—
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	340.0
				(ब) मध्यकालीन	52.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	24.94
				(ब) रबी	15.01
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	224.85
				(ब) रबी	30.10
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	174.30
				(ब) रबी	200,00
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	10,725
				(ब) रबी	3,000
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	6,600
				(ब) रबी	10,600
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	741
				(ब) रबी	400
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	30
				(ब) रबी	5

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	100
				(ब) रबी	10
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	340
				(ब) रबी	160
				(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग:—	
				(अ) क्षेत्रफल (है.)	3,000
				(ब) मात्रा (टन)	180
				(v) पौध संरक्षण क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	19
				(ब) रवी	6
				(vi) प्रदर्शन–(अ) खरीफ	3
				(ब) रवी	–
3.	3	पिछडे को पहले	ग्राम विकास योजना:—		
			अनुसूचित जाति परिवार		3,300
			अनुसूचित जनजाति परिवार:—		–
			कुल परिवार		6,600
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)		336
5.	7	हरिजन, गिरिजन विकास:–			
			(क) अनुसूचित जाति परिवार–		4,692
			(ख) अनुसूचित जाति/ जनजाति छात्रवृत्ति		1,000
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार :—		–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास—		
				(i) बिजली	40
				(ii) पीने का पानी	160
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित:–		160
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू-खंड वितरण		1,500
			(ख) मकान		600
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति		–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास मकान–		–
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)		50
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)		150
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)		7.00
			(ख) गोबर गैस संयंत्र		200
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाईजेशन		10,400
			(ख) आई. यू. डी.		3,140
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार		
				(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन:—	–
				(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
				(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	2
				(iv) उप केन्द्र	20
				(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	500
			(ख) रोग चिकित्सा	(i) कुष्ट रोग	120
				(ii) क्षय रोग	200
				(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982–83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रमः—	
			(i) मध्यान्ह भोजन	—
			(ii) पोषाहार	
			(अ) विशेष पोषाहार	—
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	6,500
			(स) पूरक पोषाहार	35,700
			(ख) समग्र बाल विकास-लाभान्वित	10,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	156.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	38,18
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र	
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा-लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें:—	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	25
			(ii) नगरीय क्षेत्र	19
16.	18	ग्रामीण उद्योग	(क) छोटे उद्योग	200
			(ख) ग्रामीण उद्योग	483
			(ग) कारीगरों को रोजगार	400
			(घ) हाथ कर्घे-नये	10

जिला--पाली

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	1,120
				(ii) कुओं द्वारा	510
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज (000 टन)	
				(क) खरीफ	53.2
				(ब) रबी	128
				(ii) क्षेत्रफल (000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	151
				(ब) रबी	120
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं 90)	
				(अ) खरीफ	2,672.67
				(ब) रबी	4,150
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	–
				(ब) रबी	1,010
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	520
				(ब) मध्यकालीन	37.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–		
				(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	7.30
				(ब) रबी	17.01
				(ii) क्षेत्रफल (000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	40.07
				(ब) रबी	25.03
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	146.3
				(ब) रबी	700
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	3,355
				(ब) रबी	5,400
				(v) पौध संरक्षण (हैं.)	
				(अ) खरीफ	5,000
				(ब) रबी	8,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	631
				(ब) रबी	200
			(ख) तिलहन–	(i) उपज (000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	15
				(ब) रबी	15

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल (000 हे.)	
			(अ) खरीफ	84
			(ब) रबी	35
			(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
			(अ) खरीफ	340
			(ब) रबी	750
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	
			(अ) क्षेत्रफल (हे.)	500
			(ब) मात्रा (टन)	30
			(v) पौध संरक्षण (000 हे.)	
			(अ) खरीफ	7
			(ब) रबी	21
			(vi) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	4
			(ब) रबी	125
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना	
			अनुसूचित जाति परिवार	1,950
			अनुसूचित जनजाति परिवार	317
			कुल परिवार–	6,000
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	748
5.	7	हरिजन, गिरिजन विकास–	(क) अनुसूचित जाति परिवार	3,298
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	2,500
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	60
			(ii) पीने का पानी	75
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	75
7.	9	गरीब को छप्पर–	(क) भूखण्ड वितरण	1,500
			(ख) मकान–	400
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	500
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास मकान–	
			(i) आवासन मण्डल	250
9	11	गांव में उजाला–	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	42
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	175
10.	12	जंगल से मंगल–	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	4.75
			(ख) गोबर गैस संयंत्र	250
11.	13	छोटा परिवार–	(क) स्टरलाइजेशन	7,900
			(ख) आई. यू. डी.	2,390
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र–	19
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	450
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ठरोग	20
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982–83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–	
			(i) मध्याह्न भोजन	–
			(ii) पोषाहार–	
			(अ) विशेष पोषाहार	–
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	42,900
			(स) पूरक पोषाहार	–
			(ख) समग्र बाल विकास–	
			लाभान्वित	10,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	134.2
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	31.48
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र	–
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा लाभान्वित (000 में)	9.00
15.	17	घर-घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें–	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	–
			(ii) नगरीय क्षेत्र	21
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग	250
			(ख) ग्रामीण उद्योग	217
			(ग) कारीगरों को रोजगार	400
			(घ) हाथ कर्घे-नये	100

जिला–सवाई माधोपुर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1	1.	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	1,000
				(ii) कुओं द्वारा	1,830
			(ख) अन्न उत्पादन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	124
				(ब) रबी	211
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	160
				(ब) रबी	145
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	3,011
				(ब) रबी	8,650
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	2,400
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	570.0
				(ब) मध्यकालीन	40.0
2	2.	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन–	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	16.7
				(ब) रबी	119.4
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	30.242
				(ब) रबी	90.5
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	199.2
				(ब) रबी	900
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	3,390
				(ब) रबी	5,500
				(v) पौध संरक्षण (हे.)	
				(अ) खरीफ	20,000
				(ब) रबी	22,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	633
				(ब) रबी	400
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	43.0
				(ब) रबी	27.5

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982–83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	77
			(ब) रबी	45
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	360
			(ब) रबी	675
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	
			(अ) क्षेत्रफल (है.)	8,500
			(ब) मात्रा (टन)	510
			(v) पौध संरक्षण ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	46.7
			(ब) रबी	21.0
			(vi) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	13
			(ब) रबी	50
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–	
			अनुसूचित जाति परिवार	1,897
			अनुसूचित जन जाति परिवार	2,106
			कुल परिवार	6,600
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)	305
5.	7	हरिजन, गिरिजन विकास		3,892
			(क) अनुसूचित जाति परिवार	4,625
			(ख) अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रवृत्ति	–
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	25
			(ii) पीने का पानी	130
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	130
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	4,500
			(ख) मकान	3,720
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	–
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास-मकान	
			(i) आवासन मंडल	125
			(ii) नगर विकास न्यास	–
9.	11	गांवों में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	66
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	584
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	3.60
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र	250
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	9,300
			(ख) आई. यू. डी.	2,810
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	1
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	33
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	1,000
			(ख) रोग चिकित्सा (i) कुष्ठ रोग	50
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	
			(i) मध्यान्ह भोजन	–
			(ii) पोषाहार	
			(अ) विशेष पोषाहार	–
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	12,500
			(स) पूरक पोषाहार	32,800
			(ख) समग्र बाल विकास– लाभान्वित	20,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में)	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	166.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	45.97
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा–केन्द्र	
			(ग) प्रौढ शिक्षा–लाभान्वित ('000 में)	6.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	73
			(ii) नगरीय क्षेत्र	24
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	200
			(ख) ग्रामीण उद्योग	536
			(ग) कारीगरों को रोजगार	300
			(घ) हाथ कर्घे–नये	160

जिला–सीकर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)	(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	1,800
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज (000 टन)	
				(अ) खरीफ	76
				(ब) रबी	77
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	190
				(ब) रबी	55
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	2,015
				(ब) रबी	2,850
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	385
				(ब) रबी	
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	340.0
				(ब) मध्यकालीन	43.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	7.91
				(ब) रबी	37.0
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	151.3
				(ब) रबी	30.0
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	192
				(ब) रबी	900
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	5,720
				(ब) रबी	2,100
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	5,000
				(ब) रबी	27,000
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	535
				(ब) रबी	200
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	3
				(ब) रबी	2

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982–83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
			(अ) खरीफ	
			(ब) रबी	5
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	5
			(अ) खरीफ	50
			(ब) रबी	100
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग–	
			(अ) क्षेत्रफल	500
			(ब) मात्रा (टन)	30
			(v) पौध संरक्षण (000 है.)	
			(अ) खरीफ	3
			(ब) रबी	3
			(vi) प्रदर्शन–	
			(अ) खरीफ	4
			(ब) रबी	–
3.	3	पिछड़े को पहले–	ग्राम विकास योजना–	2,150
			अनुसूचित जाति परिवार–	744
			अनुसूचित जन जाति परिवार	4,800
			कुल परिवार–	–
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)–	
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–		
			(क) अनुसूचित जाति परिवार–	3,061
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	1,875
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार–	–
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास–	
			(i) बिजली–	60
			(ii) पीने का पानी–	105
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	105
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखण्ड वितरण	1,500
			(ख) मकान–	480
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	500
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास मकान (i) आवासन मण्डल	112
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)	15
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	300
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	6.50
			(ख) गोबर गैस संयन्त्र	200
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	8,500
			(ख) आई. यू. डी.	2,570
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	–
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	–
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	9
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	350
			(ख) रोग चिकित्सा– (i) कुष्ठ रोग	10
			(ii) क्षय रोग	200
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982–83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम–		
				(i) मध्यान्ह भोजन	–
				(ii) पोषाहार–	
				(अ) विशेष पोषाहार	4,000
				(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
				(स) पूरक पोषाहार	7,300
			(ख) समग्र बाल विकास–		
				लाभान्वित	–
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 में.)–		
				(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ष	161.7
				(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	45.57
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र		
			(ग) प्रौढ शिक्षा लाभान्वित (000 में)		6.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें–	(i) ग्रामीण क्षेत्र	79
				(ii) नगरीय क्षेत्र	6
16.	18	ग्रामीण उद्योग धन्धे	(क) छोटे उद्योग		100
			(ख) ग्रामीण उद्योग		390
			(ग) कारीगरों को रोजगार		300
			(घ) हाथ कर्घे–नये		10

जिला–सिरोही

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(क) सिंचाई (हैक्टेयर)		
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज		(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	51
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	23
				(ब) रबी	45
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	50
				(ब) रबी	35
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	7,199
				(ब) रबी	2,750
				(iv) उर्वरक (टन)	570
				(अ) खरीफ	
				(ब) रबी	
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	230.0
				(ब) मध्यकालीन	30.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	5.6
				(ब) रबी	5.3
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	30.5
				(ब) रबी	9.4
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	129.1
				(ब) रबी	200
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	1,450
				(ब) रबी	1,300
				(v) पौधे संरक्षण (हैं.)	
				(अ) खरीफ	1,800
				(ब) रबी	4,800
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	401
				(ब) रबी	200
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	4.5
				(ब) रबी	5.0

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
			(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
			(अ) खरीफ	18
			(ब) रबी	10
			(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
			(अ) खरीफ	110
			(ब) रबी	200
			(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग:—	
			(अ) क्षेत्रफल (हैं.)	250
			(ब) मात्रा (टन)	30
			(v) पौध संरक्षण ('000 हैं.)	
			(अ) खरीफ	1.75
			(ब) रबी	6.00
			(vi) प्रदर्शन	
			(अ) खरीफ	3
			(ब) रबी	—
3.	3	पिछड को पहले	ग्राम विकास योजना	
			अनुसूचित जाति परिवार	679
			अनुसूचित जनजाति परिवार	578
			कुल परिवार	3,000
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड में)	—
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास:-	(क) अनुसूचित जाति परिवार	1 438
			(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति	750
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार	1,200
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास	
			(i) बिजली	25
			(ii) पीने का पानी	45
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित	45
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भूखंड वितरण	500
			(ख) मकान	240
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति	
			(ख) आर्थिक कम्जोरों को आवास-मकान	—
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव म उजाला (ग्राम)	2
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)	400
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)	8.40
			(ख) गोबर गैस संयत्र	150
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन	3,500
			(ख) आई. यू. डी.	1,060
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार	
			(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	—
			(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	—
			(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
			(iv) उप केन्द्र	9
			(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	300
			(ख) रोग चिकित्सा	
			(i) कुष्ट रोग	10
			(ii) क्षय रोग	150
			(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982–83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम		
				(i) मध्यान्ह भोजन	4,300
				(ii) पोषाहार	
				(अ) विशेष पोषाहार	6,100
				(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
				(स) पूरक पोषाहार	8,200
			(ख) समग्र बाल विकास लाभान्वित		10,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)–		
				(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	63.2
				(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	17.88
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र		
			(ग) प्रौढ शिक्षा लाभान्वित	('000 में.)	3.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें	(i) ग्रामीण क्षेत्र	36
				(ii) नगरीय क्षेत्र	8
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग		50
			(ख) ग्रामीण उद्योग		180
			(ग) कारीगरों को रोजगार		150
			(घ) हाथ कर्घे-नये		10

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)		
				(i) नहरों द्वारा	–
				(ii) कुओं द्वारा	1,480
			(ख) अन्न उत्पादन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	90
				(ब) रबी	122
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	160
				(ब) रबी	125
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	2,111.25
				(ब) रबी	6,800
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	625
				(ब) रबी	–
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	340.0
				(ब) मध्यकालीन	38.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	6.71
				(ब) रबी	49.0
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	5.73
				(ब) रबी	60.0
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	32.25
				(ब) रबी	600
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	490
				(ब) रबी	6,000
				(v) पौध संरक्षण (है.)	
				(अ) खरीफ	14,000
				(ब) रबी	18,000
				(vi) प्रदर्शन–	
				(अ) खरीफ	203
				(ब) रबी	400
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	21.5
				(ब) रबी	5.0

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982-83
				(ii) क्षेत्रफल ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	40
				(ब) रबी	10
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	162
				(ब) रबी	145
				(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	
				(अ) क्षेत्रफल (है.)	3,000
				(ब) मात्रा (टन)	180
				(v) पौध संरक्षण ('000 है.)	
				(अ) खरीफ	21.2
				(ब) रबी	3.0
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	3
				(ब) रबी	—
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना–		
			अनुसूचित जाति परिवार		1,114
			अनुसूचित जन-जाति परिवार		536
			कुल परिवार		3,600
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़ में)		5,821
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास–			
			(क) अनुसूचित जाति परिवार		2,191
			(ख) अनुसूचित जाति/ जन जाति छात्रवृत्ति		1,875
			(ग) अनुसूचित जन जाति परिवार		—
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास–		
				(i) बिजली	20
				(ii) पीने का पानी	50
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित		50
7.	9	गरीब को छप्पर			
			(क) भू-खंड वितरण		1,000
			(ख) मकान		3,521
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति		
			(ख) आर्थिक कमजोरों को आवास–मकान		
				(ii) नगर विकास न्यास	100
9.	11	गांवों में उजाला			
			(क) गांव में उजाला (ग्राम)		17
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)		200
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)		4.35
			(ख) गोबर गैस संयंत्र		200
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन		5,100
			(ख) आई.यू.डी		1,540
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुविधा प्रसार–		
				(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	—
				(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	—
				(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
				(iv) उप केन्द्र	4
				(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	600
			(ख) रोग चिकित्सा–	(i) कुष्ठ रोग	—
				(ii) क्षय रोग	200
				(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982-83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	
			(i) मध्यान्ह भोजन	–
			(ii) पोषाहार	
			(अ) विशेष पोषाहार	4,000
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	–
			(स) पूरक पोषाहार	39,100
			(ख) समग्र बाल विकास–लाभान्वित	9,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन ('000 मे.)–	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	89.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	20.375
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्र	
			(ग) प्रौढ शिक्षा लाभान्वित ('000 मे.)	3.00
15.	17	घर-घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें–	
			(i) ग्रामीण क्षेत्र	13
			(ii) नगरीय क्षेत्र	4
16.	18	ग्रामीण उद्योग धंधे	(क) छोटे उद्योग	200
			(ख) ग्रामीण उद्योग	423
			(ग) कारीगरों को रोजगार	450
			(घ) हाथ कर्घे-नये	80

जिला-उदयपुर

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र		कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982–83
1.	1	अधिक सिंचाई अधिक उपज	(क) सिंचाई (हैक्टेयर)–	(i) नहरों द्वारा	170
				(ii) कुओं द्वारा	550
			(ख) अन्न उत्पादन	(iii) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	217.7
				(ब) रबी	183
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	223
				(ब) रबी	125
				(iii) संकर/उन्नत बीज वितरण	
				(अ) खरीफ	3,207.9
				(ब) रबी	7,000
				(iv) उर्वरक (टन)	
				(अ) खरीफ	2,373
				(ब) रबी	––
				(v) ऋण (लाख रु.)	
				(अ) अल्पकालीन	400.0
				(ब) मध्यकालीन	63.0
2.	2	दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी	(क) दलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	16.25
				(ब) रबी	34.8
				(ii) क्षेत्रफल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	31.25
				(ब) रबी	34.00
				(iii) बीज वितरण (क्वि.)	
				(अ) खरीफ	172.4
				(ब) रबी	400
				(iv) जीवाणुओं का प्रयोग (राइजोबियम कल्चर)	
				(अ) खरीफ	3,470
				(ब) रबी	400
				(v) पौध संरक्षण (हैं.)	
				(अ) खरीफ	6,800
				(ब) रबी	10,800
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	830
				(ब) रबी	400
			(ख) तिलहन	(i) उपज ('000 टन)	
				(अ) खरीफ	6.6
				(ब) रबी	1.0

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य 1982–83
				(ii) क्षेत्र फल ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	17
				(ब) रबी	3
				(iii) बीज वितरण (क्विं.)	
				(अ) खरीफ	68
				(ब) रबी	80
				(iv) मूंगफली में फास्फेटिक खाद का प्रयोग	
				(अ) क्षेत्रफल (हैं.)	1,400
				(ब) मात्रा (टन)	60
				(v) पौध संरक्षण ('000 हैं.)	
				(अ) खरीफ	7.3
				(ब) रबी	2.0
				(vi) प्रदर्शन	
				(अ) खरीफ	3
				(ब) रबी	—
3.	3	पिछड़े को पहले	ग्राम विकास योजना		
				अनुसूचित जाति परिवार	1,980
				अनुसूचित जनजाति परिवार	4,268
				कुल परिवार	10,800
4.	4	भूमिहीन को भूमि	भूमि आवंटन (एकड़) में		213
5.	7	हरिजन गिरिजन विकास			
			(क) अनुसूचित जाति परिवार		3,618
			(ख) अनुसूचित जाति/जन जाति छात्रवृत्ति		2,500
			(ग) अनुसूचित जनजाति परिवार		8,420
			(घ) अनुसूचित जाति बस्तियों में विकास		
				(i) बिजली	65
				(ii) पीने का पानी	305
6.	8	पीने का पानी	ग्राम लाभान्वित		305
7.	9	गरीब को छप्पर	(क) भू-खण्ड वितरण		7,000
			(ख) मकान		1,020
8.	10	गन्दी बस्ती सुधार	(क) लाभान्वित व्यक्ति		2,000
			(ख) आर्थिक कमोजोरों को आवास-मकान		—
9.	11	गांव में उजाला	(क) गांव में उजाला (ग्राम)		92
			(ख) कुओं पर बिजली (संख्या)		600
10.	12	जंगल से मंगल	(क) वृक्षारोपण (लाखों में)		24.70
			(ख) गोबर गैस संयंत्र		300
11.	13	छोटा परिवार	(क) स्टरलाइजेशन		13,900
			(ख) आई. यू. डी		42,00
12.	14	सब स्वस्थ	(क) चिकित्सा सुधार प्रसार		
				(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्तरोन्नयन	1
				(ii) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	—
				(iii) सहायक स्वास्थ्य केन्द्र	1
				(iv) उप केन्द्र	22
				(v) स्वास्थ्य प्रदर्शक	750
			(ख) रोग चिकित्सा	(i) कुष्ठ रोग	100
				(ii) क्षय रोग	275
				(iii) अन्धापन	1,000

क्रमांक	सूत्र संख्या	सूत्र	कार्यक्रम	वार्षिक लक्ष्य 1982–83
13.	15	मातृ शिशु कल्याण	(क) पोषाहार कार्यक्रम	
			(i) मध्यान्ह भोजन	62,800
			(ii) पोषाहार	
			(अ) विशेष पोषाहार	56,850
			(ब) विश्व खाद्य कार्यक्रम	—
			(स) पूरक पोषाहार	72,800
			(ख) समग्र बाल विकास–लाभान्वित	20,000
14.	16	सब साक्षर	(क) नामांकन (000 में)	
			(i) 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	214.7
			(ii) 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	54.38
			(ख) अनौपचारिक शिक्षा–केन्द्र	—
			(ग) प्रौढ़ शिक्षा–लाभान्वित ('000 में)	9.00
15.	17	घर घर राशन	उचित मूल्यों की दुकानें (i) ग्रामीण क्षेत्र	24
			(ii) नगरीय क्षेत्र	73
16.	18	ग्रामीण उद्योग	(क) छोटे उद्योग	350
			(ख) ग्रामीण उद्योग	641
			(ग) कारीगरों को रोजगार	650
			(घ) हाथ कर्घे नये	10

संलग्नक–I

अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए वर्ष 1982-83 के लक्ष्य

क्र. सं.	जिला	लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या				
		राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन	अनुसूचित जाति के परिवारों के कुओं पर बिजली	खादी एवं ग्रामोद्योग	दुग्ध विकास	सिंचाई
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	—	45	400	470	—
2.	अलवर	—	50	380	470	180
3.	बांसवाड़ा	—	10	410	—	—
4.	बाड़मेर	—	5	200	250	—
5.	भरतपुर	—	25	510	150	100
6.	भीलवाड़ा	—	60	390	470	90
7.	बीकानेर	2,000	—	270	550	—
8.	बून्दी	—	10	170	—	80
9.	चित्तौड़गढ़	—	150	420	—	80
10.	चूरू	—	5	170	300	—
11.	डूंगरपुर	—	5	350	—	—
12.	गंगानगर	3,000	10	230	150	—
13.	जयपुर	—	250	530	710	80
14.	जैसलमेर	—	—	150	250	—
15.	जालौर	—	250	160	—	5
16.	झालावाड	—	25	210	—	150
17.	झुन्झुनूं	—	60	170	250	—
18.	जोधपुर	—	25	290	590	15
19.	कोटा	—	30	290	150	430
20.	नागौर	—	100	350	300	—
21.	पाली	—	40	280	300	30
22.	सवाई माधोपुर	—	50	280	190	100
23.	सीकर	—	140	180	150	—
24.	सिरोही	—	75	200	—	—
25.	टौंक	—	40	160	150	30
26.	उदयपुर	—	40	350	150	30
	योग	5,000	1,500	7,500	6,000	1,400

क्र. सं.	जिला	राजस्थान भूमि विकास निगम (ओ.एस.डी. कार्य)	मुर्गी/शुकर पालन इकाई	रा. न. क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि आवंटन (सीलिंग भूमि सहित)	हाथ कर्घा विकास	रोजगार	
						राज्य सरकार स्वायत्तशासी निकाय आदि (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी)	संयुक्त निजी क्षेत्र
1	2	8	9	10	11	12	13
1.	अजमेर	–	100	100	85	200	75
2.	अलवर	–	50	30	85	150	150
3.	बांसवाड़ा	–	–	70	–	25	25
4.	बाड़मेर	–	–	50	40	50	25
5.	भरतपुर	–	50	175	200	150	75
6.	भीलवाड़ा	–	100	150	100	150	75
7.	बीकानेर	2,500	–	–	135	150	50
8.	बून्दी	500	–	600	90	50	50
9.	चित्तौड़गढ़	–	–	650	10	50	50
10.	चूरू	–	–	–	40	50	50
11.	डूंगरपुर	–	–	30	–	30	25
12.	गंगानगर	4,000	–	100	10	150	75
13.	जयपुर	–	100	200	280	500	125
14.	जैसलमेर	–	–	40	–	100	25
15.	जालौर	–	–	80	20	75	50
16.	झालावाड़	–	–	150	10	75	25
17.	झुन्झुनूं	–	–	–	10	120	50
18.	जोधपुर	–	–	50	100	300	75
19.	कोटा	1,000	–	2,300	75	200	75
20.	नागौर	–	–	50	10	100	50
21.	पाली	–	–	60	100	100	75
22.	सवाई माधोपुर	–	–	550	120	100	50
23.	सीकर	–	–	10	10	100	50
24.	सिरोही	–	–	200	10	100	25
25.	टोंक	–	50	105	50	150	50
26.	उदयपुर	–	50	250	10	275	50
	योग	8,000	500	6,000	1,600	3,500	1,50

क्र. सं.	जिला	शहरी क्षेत्र में स्व-रोजगार के लिए ऋण	राज. लघु उ. निगम बुनकर संघ/ आई. टी. आई. द्वारा प्रशिक्षण	भूमि सीलिंग में प्राप्त आवंटित भूमि में कृषि उत्पादन एवं विकास हेतु सहायता	औद्योगिक ऋण/सहायता छोटे उद्योग/गृह उद्योग एवं औद्योगिक प्लाट के लिए	एकीकृत ग्रामीण विकास योजना	योग
1	2	14	15	16	17	19	20
1.	अजमेर	100	260	30	300	1772	3937
2.	अलवर	100	85	5	300	2840	4875
3.	बांसवाड़ा	–	3	10	20	749	1322
4.	बाड़मेर	50	3	50	80	2008	2811
5.	भरतपुर	100	32	15	355	4179	6116
6.	भीलवाड़ा	100	234	100	300	1742	4061
7.	बीकानेर	100	122	40	80	799	6796
8.	बून्दी	50	8	70	80	596	2354
9.	चित्तौड़गढ़	50	40	35	150	1698	3383
10.	चूरू	50	51	5	140	2780	3641
11.	डूंगरपुर	–	5	20	20	402	887
12.	गंगानगर	100	10	35	380	3403	11653
13.	जयपुर	250	398	60	565	3329	7377
14.	जैसलमेर	50	13	35	25	799	1487
15.	जालौर	50	–	75	80	1735	2560
16.	झालावाड़	50	–	20	140	2324	3179
17.	झुन्झुनूं	50	69	5	140	1249	2173
18.	जोधपुर	100	136	45	300	1984	4010
19.	कोटा	100	96	100	300	2542	7688
20.	नागौर	100	37	15	280	3300	4622
21.	पाली	100	43	80	140	1950	3298
22.	स. माधोपुर	100	70	30	355	1897	3892
23.	सीकर	50	71	10	140	2150	3061
24.	सिरोही	50	4	35	60	670	1438
25.	टोंक	50	62	30	150	1114	2191
26.	उदयपुर	100	148	45	140	1980	3618
	योग	2,000	2,000	1,000	5,000	50,000	1,02,500

विभागीय निर्देश

सूत्र संख्या–1

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर

एफ. 2( )सीईआई।एसटीएटी।502-5 दिनांक 18-3-82

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
उदयपुर, जयपुर, कोटा मुख्यालय

विषयः—प्रधान मंत्री के नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता के लक्ष्य ।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित होगा प्रधान मंत्री के नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सूत्र देश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने का है । इस सूत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का समुचित सहयोग व योगदान देना परम आवशयक है । अतः राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं व अन्य कार्यक्रमों द्वारा अधिक से अधिक सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिसके लिये हमें सम्पूर्ण रूप से प्रभावी प्रयास किये जाने हैं ।

राजस्थान नहर परियोजना सहित छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य योजनान्तर्गत परियोजनाओं से 5.58 लाख हैक्टर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रक्खा गया है । इसमें 2.62 लाख हैक्टर राजस्थान नहर, 0.80 लाख हैक्टर माही बजाज सागर, 1.86 लाख हैक्टर अन्य बहुउद्देशीय, वृहत व मध्यम तथा आधुनीकीकरण योजनाओं (मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा नियन्त्रित), 0.30 लाख हैक्टर राज्य योजनान्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य शामिल है । इसके अतिरिक्त करीब 0.10 लाख हैक्टर भूमि की क्षमता मुख्य सम्भाव्य क्षेत्र, मरु विकास, विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत जन जाति क्षेत्र की लघु सिंचाई योजनाओं से उपलब्ध कराने का है । उपरोक्त लक्ष्यों में से वर्ष 1980-81 में करीब 0.35 लाख हैक्टर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता जिसमें 0.10 लाख हैक्टर के करीब राजस्थान नहर की शामिल है, प्राप्त कर लिया गया है । वर्ष 1981-82 में करीब 0.38 हजार हैक्टर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त किये जाने की सम्भावना है । इस प्रकार शेष तीन वर्षों में 4.95 लाख हैक्टर भूमि की क्षमता प्राप्त करना शेष है । इसम से 2.41 लाख हैक्टर राजस्थान नहर, 0.80 लाख हैक्टर माही बजाज सागर, शेष 1.74 लाख हैक्टर अन्य परियोजनाओं की शेष शामिल है ।

सिंचाई विभाग द्वारा नियन्त्रित परियोजनाओं से बचे तीन वर्षों में छठी पंचवर्षीय योजना के शेष लक्ष्यों को अवश्य पूर्ण किया जाना है । कार्यों की प्रगति को देखते हुए तथा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान म रखते हुये 1982-83 के जिले वार लक्ष्य तय किये गये हैं । इन लक्ष्यों को उस जिले की परियोजनाओं को पूरा करने का आंशिक सिंचाई लक्ष्य प्राप्त कर अर्जित करना है । आपके क्षेत्र में जिलवार निर्धारित लक्ष्यों की प्रति संलग्न है । कृपया आपके अधीनस्थ संबंधित सर्किल/डिविजनल अधिकारियों को इन लक्ष्यों से अवगत करावें और ताकीद कर दें कि इन लक्ष्यों या उनसे अधिक सम्भव लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है । डिविजन/जिले में चल रही परियोजनाओं की प्रगति व पूर्णता पर उस जिले के लक्ष्य या इससे पूरी की गई अधिक सम्भव क्षमता प्राप्त की जा सकेगी । इन लक्ष्यों की प्रति राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है जिसके लिये यहां से समयबद्ध रिपोर्ट भेजनी होगी ।

इस संबंध में आप भी समयबद्ध तरीके से सिंचाई कार्यों का निरीक्षण/जांच कर सुनिश्चित करते रहें कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो जावेंगे । आपके द्वारा भेजे जाने वाले त्रैमासिक प्रगति विवरणों में इस मुद्दे पर विशिष्ट आलेख होना चाहिये ।

कृपया इसे अत्यन्त आवश्यक मानें ।

भवदीय,

ह.

(को. एस. हुकमानी)
मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर ।

राजस्थान के बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन तकनीक

प्रधान मंत्री द्वारा घोषित नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शुष्क खेती की सघन कृषि विधियों तथा तदनुसार उनके प्रसार तथा उपादान व्यवस्था पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। नई दिल्ली में मार्च 1980 में आयोजित एशिया एवं प्रशांत देशों के सम्भागीय सम्मेलन में भी यह सिफारिश प्रतिपादित की गई कि अर्द्ध शुष्क एवं वर्षा पर आधारित कृषि का विकास ग्रामीण गरीबी को हटाने के लिये कारगर क्षेत्र है जिसे प्राथमिकता दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

शुष्क क्षेत्रों का विस्तार एवं प्रकृति

हमारी कृषि में फसलों की उत्पादन क्षमता को सीमित रखने में पानी की कमी महत्वपूर्ण रही है। यद्यपि शासकीय स्तर पर सिंचित क्षेत्रों में लगातार वृद्धि किये जाने के प्रयास किये गये हैं परन्तु समस्त कृषिमय क्षेत्रों को सिंचित अवस्था में लाने के लिये अभी भी कई दशकों तक प्रतीक्षा करनी पडेगी। राजस्थान में वर्ष 1952-53 में सिंचित क्षेत्रफल कुल बोये हुए क्षेत्रफल का 12 प्रतिशत था जो अब बढ़कर लगभग 22 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार अनुमानतः समस्त बोये हुए क्षेत्रफल लगभग 160 लाख हैक्टेर में से 78 प्रतिशत क्षेत्र अभी भी वर्षा पर निर्भर करता है।

सारणी:—1 से यह प्रतिपादित होता है कि कपास, धान, गन्ना, मक्का, गेहूं तथा जौ को फसलों में ही अधिकतम सिंचित क्षेत्र का उपयोग हुआ है तथा शेष फसलों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र नगण्य है। इस प्रकार बाजरा, ज्वार खरीफ की दालें एवं तिलहनों का अधिकांशतः सम्पूर्ण क्षेत्र अभी भी वर्षा पर निर्भर होने के कारण इनकी इकाई क्षेत्र उत्पादकता बहुत कम है।

चूंकि शुष्क क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषिमय क्षेत्र बहुत अधिक हैं एवं कुल उत्पादन का अधिकांश भाग ऐसे क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है अतः किसी भी कारणवश प्रति इकाई क्षेत्र में थोड़ा भी उत्पादन कम होने पर राज्य की खाद्यान्न स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वर्ष 1978-79 में जो कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से एक अच्छा वर्ष था, खरीफ खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 27.80 लाख टन हुआ परन्तु वर्ष 1979-80 में व्यापक सूखे के कारण उत्पादन घटकर 12.80 लाख टन रह गया।

सिंचित क्षेत्रों से उत्पादन एवं प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता में स्थिरता आई है, परन्तु शुष्क क्षेत्रों में यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। सारणी से पता चलता है कि सिंचित फसलों जैसे गेहूं, गन्ना एवं कपास के उत्पादन में पिछले 15-20 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है परन्तु बारानी खेती में जैसे बाजरा, राई व सरसों, मूंगफली, दालें आदि में या तो अल्पतम वृद्धि हुई है या लगभग स्थिर रही है।

सिंचाई के साधनों में वर्षानुगत क्रमवार वृद्धि होते रहने के कारण मोटे अनाज, दालें एवं तिलहनी फसलों को कमजोर एवं क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में आवंटित किया जाता रहा है जिसके कारण भी उनकी उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार मोटे अनाज, दालों एवं तिलहनी फसलों के उत्पादन में आयी अस्थिरता को रोक कर उनके उत्पादन में वृद्धि को स्थायित्व दिये जाने में शुष्क खेती या बारानी खेती का महत्व अत्यन्त प्रभावी हो सकता है।

वर्षा एवं फसलोत्पादन

राज्य में सामान्य औसत वर्षा 586.4 मिलीमीटर है परन्तु विभिन्न जिलों में इसकी मात्रा में 164 मिली मीटर (जैसलमेर में) से एक हजार मिलीमीटर से भी ऊपर (झालावाड) तक की विभिन्नता है। राज्य में अधिकतर वर्षा दक्षिणी-पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। वर्षा की मात्रानुसार जिलों का विभाजन निम्नानुसार है:—

वर्षा की मात्रा	जिले
300 मि.मी. से कम	जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर।
300 से 600 मि.मी.	अजमेर, चूरू, जयपुर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर।
600 से 900 ,,	अलवर, भरतपुर, भीलवाडा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, टौंक, उदयपुर।
900 मि.मी. से अधिक	बांसवाड़ा, झालावाड़।

उन क्षेत्रों में जहां वर्षा 300 मि.ली. से कम होती है फसल उत्पादन बहुत ही दुष्कर कार्य है। अतः ऐसे क्षेत्रों में चरागाह या शस्य वनों का विकास करने हेतु सिफारिश की जाती है। 300 से अधिक परन्तु 600 मि. मी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रो में खरीफ की एक फसल ही लिया

जाना संभव है। इन क्षेत्रों में जल संरक्षण की विधियां तथा अन्य सुधरी क्रियाओं द्वारा प्रति हैक्टर उत्पादन बढ़ाये जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। 600 से 900 मि. मी. वर्षा वाले क्षेत्रों में विभिन्न फसलों, उनकी किस्मों का चयन, अन्य कृषि क्रिया द्वारा एवं जल संरक्षण की उचित विधियां अपनाकर दो फसल लेने की संभावनाएं भी हैं। ऐसे क्षेत्रों में सघन विधियों, पानी का संचयन एवं पुनः चक्रीकरण पर किये खर्चे से अधिक आमदनी की अपेक्षा की जा सकती है। जहां वर्षा 900 मि. मी. से अधिक होती है वहां पर दो या दो से अधिक फसले लेना अधिक सरल है। ऐसे क्षेत्रों में प्रति हैक्टर उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक सघन विधियों को आसानी से बिना किसी जोखिम के अपनाया जा सकता है।

उत्पादन वृद्धि की सम्भावनाएं

राज्य में विभिन्न फसलों, जो साधारणतया असिंचित ही उगाई जाती हैं, की औसत उपज सारणी 2 में दी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन फसलों की उत्पादकता शुष्क क्षेत्रों में 5 क्वि./हैक्टर से भी कम है। वर्ष 1979-80 में तो मूंगफली को छोड़कर (जिसमें एक या दो सिंचाई की व्यवस्था की गई है) किसी भी फसल का उत्पादन 2 क्वि./हैक्टर से ऊपर नहीं पहुंचा है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में शुष्क क्षेत्रों के प्रबन्ध तथा फसल उत्पादन के तरीकों का स्तर अत्यन्त ही नीचा है। परन्तु कृषि प्रदर्शनों व परीक्षणों के परिणाम ऐसे क्षेत्रों में अति उत्साहजनक रहे हैं और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि जल संरक्षण व फसल उत्पादन की समुचित विधियां काम में ली जायें तो उत्पादन स्तर को कम से कम 300 से 400 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि इन सुपरिभाषित विधियों की शीघ्र से शीघ्र कृषकों के खेतों में प्रतिस्थापित किया जाये।

बारानी क्षेत्रों में उत्पादन के सीमाकारक

बारानी क्षेत्रों में खेतों में उत्पादन के निम्न सीमाकारक हैं :

(1) वर्षा की मात्रा एवं वितरण का अनिश्चित एवं भिन्न-भिन्न होना।

(2) बारानी खेतों को उर्वरता अत्यधिक कम होना जिसके कारण बारानी फसलों की खेती छोटे-छोटे व सीमान्त खेतों तक फैल जाना।

(3) बारानी खेतों में कृषि उपादानों की व्यवस्था एवं उपयोग किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण समय पर न होना। उनको समय पर ऋण आदि की व्यवस्था भी न होना जो साधारणतया सिंचित क्षेत्रों के किसानों के लिए की जाती है।

(4) बारानी खेती वाले कृषकों में प्रबन्ध कुशलता तथा समुचित विकसित कृषि विधियों का ज्ञान न होना।

(5) लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रचलित खेती के तरीकों को काम में लाना जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है।

शुष्क बारानी खेती की तकनीक

राज्य में जोधपुर में स्थित काजरी, उदयपुर विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के सम्मिलित प्रयासों से किये गये अनुसंधान परीक्षणों द्वारा प्राप्त नतीजों के आधार पर शुष्क/बारानी क्षेत्रों से अधिकतम फसल लेने की तकनीकी का विकास किया गया है। तकनीकी जानकारी विकसित करने में यह प्रयास किये गये हैं कि जहां पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है वहां पर दो फसल उगाई जा सकें। शुष्क या बारानी खेती की तकनीकी निश्चित रूप से किसी विशिष्ट स्थान की परिस्थितियों से सम्बन्धित होती हैं। परन्तु इस तकनीकी के मुख्य प्रमाण निम्न हैं:—

(1) फसल उत्पादन की ऐसी प्रबन्ध विधियों एवं प्रणाली का विकास करना जिससे ऐसी अच्छी फसल स्थापित की जा सके जो प्राप्त पानी का समुचित उपयोग करे एवं अन्य कृषि उपादानों के प्रयोग करने पर अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखें।

(2) भू एवं जल प्रबन्ध विधियां जो पानी एवं मिट्टी के संचयन में वृद्धि कर फसलों को अपेक्षाकृत अधिक जल उपलब्ध कराये।

(3) ऐसे उपकरणों का विकास जो खेत की तैयारी करने, खरपतवार नाशक, अन्तराशस्य क्रिया तथा उर्वरकों एवं बीज को भूमि में उपयुक्त नमी के स्थान पर रख सकें।

उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न शस्य तथा भू एवं जल संरक्षण क्रियाओं का विषद वर्णन निम्नानुसार है :

शुष्क बारानी खेती की शस्य क्रियाएं

फसलों का चयन—स्थान एवं स्थिति विशेष के अनुसार फसलों का चयन करना आवश्यक है। साधारणतया मानसून विचलन की 3 परिस्थितियां हो सकती हैं:—

(अ) मानसून का समय से बहुत पहले या बहुत बाद आना

(ब) वर्षाकाल में लम्बे शुष्क समय, एवं

(स) अपर्याप्त वर्षा

इन परिस्थितियों के लिए विभिन्न फसल अनुसूचियों का विकास किया गया है। समय पर मानसून आने पर ज्वार या मक्का, देर से मानसून आने पर बाजरा या अत्याधिक देर से आने पर दलहनी फसलें एवं तिल आदि बोये जा सकते हैं। बाजरा की बुवाई जुलाई के तृतीय सप्ताह तक तथा मूंग, मौठ, चवला आदि की बुवाई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है परन्तु मक्का की बुवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह बाद नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसे क्षेत्रों में, जहां मिट्टी रेतीली या रेतीली दोमट है तथा वर्षा भी अपेक्षाकृत कम होती है बाजरा एवं अल्पावधि वाली दलहनी फसल बोनी चाहिये। भूमि के क्रमशः अधिक भारी तथा अधिक वर्षा होने की स्थिति में ज्वार, मक्का या अन्य कोई फसल बोई जा सकती है।

किस्मों का चयन

अनुसंधान एवं परीक्षणों से ऐसी किस्मों का विकास एवं चयन किया गया है जिनकी प्रकाश संवेदनशीलता अपेक्षाकृत कम है, व कम समय में पक जाती हैं तथा सूखे से बचने की क्षमता होती है। ऐसी किस्मों की अन्य विशेषताएं जैसे पौध स्फूर्ति (सीडलिंग विगर) एवं संख्यात्मक संपादन (पापुलेशन परफारमेन्स) की इन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हैं। राज्य में फसलवार उपयुक्त किस्मों का चयन निम्न प्रकार किया गया है :

फसल	किस्म
बाजरा	बी. जे. 104, बी. के. 560.
ज्वार	सी. एस. एच. 1, सी. एस. एच. 6, सी. एस. एच. 9 व सी. एस. एच. 5.
मक्का	संकर गंगा 5, संकर गंगा 2.
उर्द	टी-9
मूंग	पूसा बैसाखी, के 851, एस 8
चवला	एफ. एस. 68, के. 11
तिल	टी. 13, टी. सी. 25
मौठ	टी-18, टी-2, जडिया
अरण्डी	अरुणा, भाग्या, जी. सी. एच. 1
ग्वार	दुर्गापुरा सफेद, एफ. एस. 227, एफ. एस. जी. 75
गेहूं	नर्मदा-4, नर्मदा 112, कल्याण सोना
जौ	आर. डी. 31, आर. डी. 294, आर. डी. 297
सरसों	वरुणा, दुर्गामणी, कुसुम, जे. एस. एफ. 2, जे. एस. एफ 5.
अलसी	चम्बल, आर. आर. 45
तारामीरा	दुर्गापुरा, कॉम्पलेक्स

फसल क्रम प्रणाली

(1) कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां अपेक्षाकृत मिट्टी हल्की हो, एकल फसल प्रणाली में बाजरा-पड़त की उत्पादकता अधिक है जबकि ग्वार-पड़त, मूंग-पड़त तथा अरण्डी-पड़त अधिक स्थिर एवं लाभजनक है।

(2) अपेक्षाकृत अधिक वर्षा (लगभग 600 मिलीमीटर) तथा लम्बे मानसून मौसम में बाजरा (बी. जे. 104)-सरसों (टी. 59) अच्छी फसल प्रणाली है।

(3) जहां अपेक्षाकृत अधिक वर्षा एवं भारी भूमि हो वहां ज्वार/मक्का-सरसों, उडद, मूंग, चवला-सरसों, बाजरा/मक्का, चवला (चारा) -सरसों अधिक लाभप्रद प्रणालियां हैं। इन फसल प्रणालियों में खरीफ की फसल की मानसून की प्रथम वर्षा के साथ या मानसून की वर्षा से 10-15 दिन पहले अच्छी वर्षा के साथ ही बुवाई कर देनी चाहिये ताकि सितम्बर की वर्षा से प्राप्त नमी से रबी की फसल बोयी जा सके। जहां पर खरीफ में चारे की फसल ली जाये, बुवाई के लगभग 60 दिन पश्चात् काटकर सितम्बर के मध्य में सरसों की बुवाई कर दी जानी चाहिये।

मिश्रित फसल प्रणाली

शुष्क बारानी क्षेत्रों में किसानों के भौतिक साधन, वर्षा से प्राप्त जल एवं भूमि की उर्वरता को बनाये रखने के लिये मिश्रित फसल उत्पादन का अत्यन्त महत्व है। मिश्रित फसल प्रणाली सूखे की विभीषिका के विरुद्ध कुछ ना कुछ निश्चित उत्पादन प्राप्त करने के लिये एक प्रकार का बीमा भी है। जिन क्षेत्रो में 600 से 800 मिली मीटर तक वर्षा प्राप्त होनी है वहां पर मिश्रित फसल उगाना अत्याधिक लाभप्रद है परन्तु इससे भी कम वर्षा प्राप्त होने पर मिश्रित फसल प्रणाली द्वारा कुछ ना कुछ उत्पादन लिया जा सकता है।

कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मूंग की दो जुड़वा पंक्तियां 20 से.मी. दूरी पर बोई जाकर दो जुडवाओं के मध्य 40 से.मी. की जगह में एक बाजरा (बी.जे. 104) की पंक्ति अधिक लाभदायक है। ऐसे क्षेत्रों में बाजरा की अपेक्षा अरण्ड का उपयोग भी किया जा सकता है। अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मक्का की दो जुड़वा पंक्तियां 30 से.मी. की दूरी पर बोकर दो जुड़वाओं के बीच की 90 से.मी. की जगह में दो उड़द की पंक्तियां लाभदायक है। जिन क्षेत्रों में ज्वार मुख्य फसल हैं वहां पर मक्का के बजाय ज्वार बोई जा सकती है। कपास की दो पंक्तियों की 75 से 100 से. मी. की दूरी में दो या तीन उड़द की पंक्तियां भी बोई जा सकती है। मूंगफली बारानी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, परन्तु कम वर्षा वाले वर्षों में या तो दाना बन ही नहीं पाता है या नमी के अभाव में पूरी तरह से निकलना संभव नहीं हो पाता है ऐसी परिस्थिति में मूंगफली की दो पंक्तियों के मध्य 1:1 में चवला (एफ एस. 68) या मूंग बैशाखी या उड़द (टी. 59) की एक एक पंक्ति लगाने से अधिक लाभ मिलता है।

उर्वरक उपयोग

हमारे देश व राज्य में उर्वरक खपत का बड़ा भाग सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित है। राज्यवार एवं जिलेवार विश्लेषण से पता चलता है कि पंजाब जिसका 77 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है उर्वरकों की औसत खपत 94 किलोग्राम प्रति हैक्टर है जब कि राजस्थान की औसत खपत केवल 8.6 किलोग्राम हैक्टर ही है जहां सिंचित क्षेत्रफल केवल 22 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार बून्दी एवं गंगानगर जिले में उर्वरकों की औसत खपत क्रमशः 33.0 व 30.18 किलोग्राम है जबकि बाडमेर एवं जोधपुर में क्रमशः 0.25 व 1.70 किलोग्राम प्रति हैक्टर ही है। (सारणी 3)

अनुसंधान केन्द्रों में परीक्षणों के साथ साथ बारानी परिस्थितियों में किसानों के खेतों पर किये गये परोक्षणों से पता चला है कि उर्वरकों के प्रयोग से फसलों में सूखे को सहन करने की शक्ति बढ़ती है तथा बिना उर्वरक वाली फसल की तुलना में लगभग दुगनी उपज प्राप्त होती है। कृषको में आमतौर पर यह धारणा है कि बारानी क्षेत्रों में उर्वरक देने से फसलें जल जाती हैं लेकिन अनुसंधान से यह पता चला है कि उर्वरक प्रयोग से जल की उपयोग कुशलता 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है जबकि जब की कुल आवश्यकता 5 से 8 प्रतिशत ही बढती है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो गया है कि उर्वरकों का उपयोग, उपलब्ध इकाई जल से अधिक फसल उगाने में जल उपयोग की कुशलता बढाता है। विभिन्न बारानी फसलों के लिये आवश्यक उर्वरको की मात्रा निम्न प्रकार है —

फसल	नत्रजन *1 (कि ग्रा /है.)	फास्फोरस (कि. ग्राम/है.)
बाजरा	40	20
ज्वार	60	30
मक्का	60	30
उडद/मूंग/चवला	15	30
तिल	40	20
गेहूं	30	15
जौ	30	15
सरसों	30	15
चना	10	20

प्रस्तुत सारणी में दी गई उर्वरकों की मात्राएं अनुसंधान एवं परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर बनाई गई है परन्तु किसी स्थान एवं फसल विशेष के लिये उर्वरकों की उपयुक्त मात्रा जानने हेतु मिट्टी विश्लेषण करा लेना आवश्यक है। परिणामों से यह भी प्रतिपादित हुआ है कि अन्न वाली फसलों में आधा भाग नत्रजन बुवाई के समय देना चाहिये। नत्रजन का शेष आधा भाग निराई गुडाई के बाद मिट्टी में नमी होने पर फसल की 30 या 40 दिन की अवस्था होने पर देना चाहिये। दलहनी फसलो में सम्पूर्ण उर्वरको को बुवाई समय ही दे देना के चाहिये। एक विशिष्ट बात जो ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि उर्वरकों को सभी प्रकार की फसलो में बिखेर नहीं देना चाहिये बल्कि हल के पीछे गहरा ऊर कर देना चाहिये। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उर्वरक और बीज का आपसी संयोग न हो अतः उर्वरक बीज से 2 से 3 से.मी. गहराई से देना चाहिये। ऐसा करने के लिए देशी हल के साथ दो पोरे इस प्रकार बांधे जाएं कि बीज पोरा उर्वरक पोरे से 2–3 से.मी. ऊपर हो। दलहनी फसलों में दिये गये उर्वरकों एवं अन्य उपादानों से अधिक लाभ लेने के लिये यह आवश्यक है कि बीजों को राइजोबियम जीवाणु से उपचारित किया जाये।

पौध-संरक्षण

कीट नियन्त्रण

बारानी क्षेत्रों में फसल उत्पादन की क्षमता अनुकूल रखने हेतु कीटों का उचित नियन्त्रण अपनी प्रमुखता रखता है। ऐसे क्षेत्रों के कीटों एवं फसलों को दृष्टिगत रखते हुये कीटों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है बहुफसलीय कीट एवं एक फसलीय कीट/बहुफसलीय कीटो में सफेद लट, कातरा एवं दीमक का प्रमुख स्थान है। इन कीटों की संख्या प्रति वर्गमीटर क्रमशः एक दो एवं अपरिपक्व अवस्थाए पाये जाने पर उचित उपाय करने आवश्यक है। दीमक में 0.5 से 1.0 प्रतिशत पौधों को नुकसान पहुंचने वाले क्षेत्रों में कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक है। सफेद लट के निवारण हेतु बाजरे की फसल में क्यूनालफॉस अथवा कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल 8 से 10 किलो प्रति हैक्टेयर बीज के साथ मिला कर देना लाभप्रद है। अन्य फसलों में 25 किलो प्रति हैक्टेयर कण जमीन में बीज बोने से पहले कूडों में डालना चाहिये। कातरा की प्राथमिक अवस्था से बी. एच. सी. अथवा पैराथियान अथवा कार्बोरिल चूर्ण 15 किलो तथा बाद की अवस्था में क्यूनालफॉस अथवा मोनोक्रोटोफॉस ई.सी. का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। दीमक नियन्त्रण हेतु बीज बोने से पहले 25 किलो प्रति हैक्टेयर बी. एच. सी. अथवा एल्ड्रिन चूर्ण का प्रयोग करना चाहिये।

विभिन्न फसलों में एक फसलीय कीटों एवं उनमें बचाव का विवरण यहां दिया जा रहा है:--

बाजरा : सिट्टे निकलने पर ब्लिस्टर बीटल का प्रकोप होता है। जिसके निवारण हेतु कार्बोरिल चूर्ण अथवा घुलनशील दवा का प्रयोग करना आवश्यक है।

ज्वार एवं मक्का : तना छेदक कीट का प्रकोप बुवाई के 20 और 25 दिन के मध्य प्रारम्भ हो जाता है। इनके नियन्त्रण हेतु पौधों के पोटों में एक या दो कण एन्डोसल्फान अथवा क्यूनालफॉस अथवा लिन्डेन कण 5 से 7 किलो प्रति हैक्टेयर डालने चाहिये अगर कण उपलब्ध न हो तो एन्डोसल्फान या क्यूनालफास या मोनोक्रोटोफास ई.सी. का छिडकाव किया जा सकता है।

दलहनी फसलें : खरीफ की दलहनों में हरा तेला, सफेद मक्खी एवं फली छेदक कीटों का प्रकोप पाया जाता है। जबकि चना केवल फली छेदक से ग्रसित होता हैं। इन कीटों के निवारण हेतु बी. एच.सी. अथवा कार्बोरिल अथवा एन्डोसल्फान चूर्ण का प्रयोग 25 किलो प्रति हैक्टेयर करना चाहिये। फली छेदक नियन्त्रण हेतु चने में फूल आते समय दवाइयों का प्रयोग करना चाहिये क्योंकि कीट का प्रसार इसी समय होता है।

बीमारियों में ज्वार व मक्का का पत्ती धब्बा रोग, ज्वार का कण्डुआ, बाजरा का अरगट तथा दलहनी फसलों का मोजेक महत्वपूर्ण हैं।

रोग नियंत्रण

ज्वार एवं मक्का का पत्ती धब्बा रोग : पत्ती धब्बा रोग की पूर्वावस्था शुरू होते ही नियन्त्रण हेतु ढाई किलो जाईनेब का छिड़काव करायें।

ज्वार का कण्डवा : इस रोग के नियन्त्रण के लिये प्रमाणित बीज बोये जाने या बीजों को डाइथेन जेड-78 या गंधक पाउडर से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करायें।

बाजरा का अरगट : अरगट रहित प्रमाणित बीज बोना चाहिये या बीज को बुवाई से पहले 20 प्रतिशत नमक के घोल में डुबोकर अरगट वाले दाने अलग करने के पश्चात् बीज की बुआई करनी चाहिये।

दलहनी फसलों का मोजेक : यह रोग वायरस से फैलता है अतः रोग रोधी किस्मों का प्रयोग किया जाना चाहियें एवं वायरस फैलाने वाले कीट सफेद मक्खी एवं जैसिड आदि के नियन्त्रण के लिये फसल पर कीट नाशक का भुरकाव कर देना चाहिये।

अगेती बुवाई

अनुसंधान से पता चला है कि सामान्य समय से लगभग 10-12 दिन अगेती बुवाई करने से उपज में 25-50 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है एवं फसलें कीडों एवं रोगों से अपेक्षाकृत मुक्त हैं। जल्दी बुवाई करने के लिये पहली फसल काटने के तुरन्त बाद खेत तैयार कर लेना चाहिये एवं मानसून से 10 से 20 दिन पूर्व जो भी अच्छी वर्षा हो उसके साथ बुवाई कर देना चाहिये जबकि परम्परावादी किसान उस समय भूमि की तैयारी शुरू करते हैं। यदि एक सिंचाई करने का पानी उपलब्ध हो तो यह क्रिया सिंचाई करके भी की जा सकती है।

अच्छा जमाव एवं पौधों की अनुकूलतम संख्या

पौधों की अनुकूलतम संख्या एवं उनका अच्छा जमाव प्राप्त करने के लिये प्रति इकाई क्षेत्र हेतु सिफारिश की गई बीजों की मात्रा काम में लेना चाहिये एवं उन्हें जमीन में उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त नमी में रखना चाहिये। यह क्रिया ट्रैक्टर या बैल चालित बीजाई यन्त्रों

द्वारा सरलता से की जा सकती है अन्यथा नली में लगे देशी हल से भी यह क्रिया अनुभव के आधार पर अच्छी तरह की जा सकती है। फसलवार बीजों की मात्रा एवं कतारों तथा पौधों की दूरी सारिणी में दी गई है ।

जल संरक्षण एवं भूमि विकास

वर्षा से प्राप्त पानी का समुचित संरक्षण किया जाना इसलिये अत्यन्त आवश्यक है ताकि पानी अधिक समय तक खेत में रुके और मिट्टी का कटाव करता हुआ बहकर व्यर्थ नहीं चला जाये और इस जल का फसल उत्पादन में अधिकतम उपयोग हो सके। इसके लिये निम्न कृषि तकनीकी का सहारा लिया जाना चाहिये ।

समोच्च रेखा बन्दी

1 3 प्रतिशत से अधिक ढलाव वाली जमीनों में समोच्च रेखा पर मेड़ बन्दी जल के बहाव को रोक कर भू-संरक्षण को कम करती है एवं भूमि में जल रिसाव की मात्रा को बढ़ाती है इसके साथ ही समोच्च रेखा पर जुताई एवं बुवाई कर उत्पादन में आशातीत वृद्धि प्राप्त की जा सकती है ।

पट्ठीदार खेती

जहां भूमि में ढलान अपेक्षाकृत कम है वहां पट्टीवार खेती की जानी चाहिये । इनमें एक पट्टी भूमि कटाव रोकने वाली फसल जैसे मूंगफली एवं दलहनी फसलें एवं एक पट्टी अनाज वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा आदि की बुवाई की जानी चाहिये । साधारणतया 4 कतारें बाजरा एवं 8 कतारें मूंगफली की क्रमवार बोई जानी चाहिये । इसी क्रम में अन्य दलहनी एवं अन्न वाली फसलें भी बोनी चाहिये।

जल संचयन

न्यून वर्षा क्षेत्र में जहां एक फसल लेने लायक पानी नहीं मिलता है वहां एक हेक्टेयर क्षेत्र में हुई वर्षा के जल को आधे या इससे कम क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है एवं बोये गये क्षेत्र के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सकता है । इस विधि भूमि पर ढलान देकर वहां का पानी जोते वाले क्षेत्र में बहाकर लाया जाता है । एक अन्य जल संचयन विधि में आसपास की भूमि से पानी इकट्ठा कर एक कच्चे या पक्के टांके में एकत्रित किया जाता है । इस टांके से आसपास बोयी गई फसल को जीवनदायिनी सिंचाई आवश्यकतानुसार दी जा सकती है ।

जल चक्रीकरण एवं मेड़ कूड़ पर बुवाई

कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खेत में बुवाई का तरीका कुछ इस प्रकार बदलना चाहिये कि खेत में ढलान की काटती हुई छोटी छोटी मेडे व नालियां बनाली जायें और मेडों के ढलान पर पौधों की बुवाई की जाये । इससे बरसात का पानी मेड पर बहकर सीधे नालो में पौधों की जड के पास चला जायगा एवं जमीन में रिस जायगा और बचा हुआ पानी नालियों में हल्की गति से बहकर खेत में सबसे निचले क्षेत्र में बने छोटे तालाब में चला जायेगा । इस तालाब में इकट्ठे हुए पानी का पुनः चक्रीकरण किया जा सकता है । जब बरसात अच्छी हो और फसल की मुख्य अवस्था हो तो इस पानी को नालियों में प्रवाहित कर सिंचाई के काम में लिया जाना चाहिये । यह विधि लवणीय भूमि में भी बहुत कारगर रहती है ।

मल्चिंग एवं खडी फसल में नाली बनाना

साधारण रूप से बोई फसल को सूखे के दौरान जमीन से नमी के उडने को रोकने हेतु जमीन पर कृषि यन्त्र कुल्पा आदि से जुताई कर मिट्टी की इस प्रकार को तह बना दी जानी चाहिये कि नमी उड न सके । इससे फसल सूखे को ज्यादा लम्बे समय तक बरदास्त कर सकती है। छोटी कतारों में बोई जाने वाली फसलें जैसे मक्का, कपास, ज्वार आदि को खडी फसलों में भी हल्का रिजर हल चलाकर मेड बना कर नमी संरक्षण किया जाना चाहिये ।

सर्वोच्च प्राथमिकता बुवाई के समय को देना अति आवश्यक है जिससे बरसात की पहली बूंद से अन्तिम बूंद तक का पानी फसल के लिये काम लाया जा सके इसके लिये कम अवधि में पकने वाली फसलों एवं सूखा सहन करने वाली फसलों का चयन भी अति आवश्यक है ।

सारणी–1

राजस्थान में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत कुल सिंचित क्षेत्र व प्रतिशत

फसल	कुल बोया गया क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	सिंचित क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	सिंचित क्षेत्र प्रतिशत
बाजरा	4,262	146	3.0
ज्वार	855	13	2.0
मक्का	879	296	34.0
खरीफ दालें	1,534	7	0.4
मूंगफली	279	25	9.0
गेहूं	2,069	1,630	79.0
जौ	421	321	76.0
सरसों	366	244	67.0
चना	1,348	369	27.0

सारणी–2

विभिन्न वर्षों में विभिन्न फसलों की औसत उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)

फसलें	उत्पादन (किलोग्राम/हैक्टेयर)			
	1968-69	1973-74	1978-79	1979-80
बाजरा	98	382	253	89
ज्वार	202	349	401	179
मक्का	531	411	970	653
मूंगफली	211	584	617	243
खरीफ दालें	71	261	146	40
गेहूं	1,013	1,071	1,443	1,303
जौ	1,157	1,008	1,345	1,152
चना	516	476	909	542
सरसों	454	297	648	448

सारणी– 3

राजस्थान के सिंचित एवं असिंचित जिलों में उर्वरक उपयोग

(किलो ग्राम/हैक्टेयर)

जिला	कुल बोया गया क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	सिंचित क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)	कुल उर्वरक उपयोग (मै. टन)	उर्वरक उपयोग (कि. ग्रा./हैक्टेयर)	सिंचित क्षेत्र प्रतिशत
श्री गंगानगर	1,402	909	46,491	33.15	64.83
बूंदी	298	142	8,998	30.18	47.65
चित्तौड़गढ़	519	179	10,005	19.26	34.49
बाड़मेर	1.456	37	357	0.24	2.54
जैसलमेर	247	0.142	–	नगण्य	0.06
जोधपुर	1,165	67	1,996	1.71	5.75

सारणी–4

विभिन्न फसलों की बीज दर, पौधों की संख्या तथा उनमें दूरी

फसलें	बीज दर कि. ग्राम/हैक्टेयर	पौधों की दूरी (से. मी.) कतार से कतार	कतार में	पौधों की संख्या (लाख/हैक्टेयर)
बाजरा	4	40	–	1.90
ज्वार	10	45	15	1.75
मक्का	25	60	25	0.65
ग्वार	15	40	15	–
उर्द	15	30	15	–
मूंग	15	30	10	–
चोला	15	40	10	–
मोठ	10	30	15	–
तिल	2	30	15	–
मूंगफली (फैलने वाली प्रजाति)	80	45	20–25	–
गेहूं	100	22.5	–	–
जौ	100	22.5	–	–
सरसों	4	45	–	–
चना	70	30	–	–
अलसी	15	30	–	–

सूत्र संख्या–2

राज्य में दलहनी फसलें

राज्य में दलहनी फसलें 35 से 40 लाख हैक्टेयर में बोई जाती हैं जो कुल बोये हुए क्षेत्र का करीब 23% है। दलहनों के कुल क्षेत्र में से खरीफ की फसल में 20 से 22 लाख हैक्टेयर व रबी की फसल 15 से 18 लाख हैक्टेयर में बोई जाती है।

खरीफ में मोठ करीब 14 से 16 लाख हैक्टेयर में बोया जाता है। इसके अलावा मूंग करीब 3 लाख, उड़द 1 से 1.35 लाख, चावल 2 लाख व 70 से 80 हजार हैक्टेयर में अरहर व अन्य खरीफ की दलहनी फसलें बोई जाती है। ये सभी फसलें वर्षा पर निर्भर हैं। मूंग, चौला, उड़द व अरहर के अन्तर्गत लगभग 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित बोया जाता है।

रबी में चना 15 से 18 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है। मटर, मसूर आदि अन्य फसलें सीमित क्षेत्र में ही बोई जाती हैं। सिंचित चना 3 से 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में तथा 12 से 14 लाख हैक्टेयर में असिंचित चना बोया जाता है। पिछले 2-3 वर्षों से सिंचाई के साधनों में कमी के कारण जिन क्षेत्रों में रबी में सिंचित गेहूं की फसलों के लिए पर्याप्त पानी नहीं था, उन क्षेत्रों में कृषि विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से सिंचित चने का क्षेत्रफल बढाने के प्रयास किये गये हैं। परिणामस्वरूप चने का सिंचित क्षेत्रफल 1978-79 के वर्ष में 3.07 लाख हैक्टेयर था, वर्ष 1980-81 तक बढ कर 3.91 लाख हैक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि 27.3% रही तथा इस वर्ष सिंचित चने के 4.30 लाख हैक्टेयर में बुआई के अनुमान हैं।

माननीय प्रधान मंत्रीजी के नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दलहनी फसलों की उत्पादन वृद्धि पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। वर्ष 1982-83 में करीब 40 लाख हैक्टेयर में दलहनी फसलें बोये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जो इस वर्ष की तुलना में करीब 9% अधिक हैं। इस वर्ष 1981-82 में दालों का क्षेत्रफल 36.62 लाख हैक्टेयर था।

गत जायद में वैशाखी मूंग का क्षेत्रफल 16 हजार हैक्टेयर था। वर्ष 1982-83 में इस क्षेत्र को बढाकर 20 हजार में बोये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यतः डूंगरपुर (4.300 हैक्ट.), उदयपुर (3300 हैक्ट.), बांसवाडा (2520 हैक्ट.), भरतपुर (1280 हैक्ट.), गंगानगर (1200 हैक्ट.), जयपुर (1330 हैक्ट.) के लक्ष्य रखे गये हैं। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी क्षेत्र बढ़ाने के प्रयत्न किये जायेंगे।

खरीफ में मूंग 3.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो गत वर्ष की तुलना में 9% अधिक हैं। वर्ष 1981-82 में खरीफ मूंग करीब 2.84 लाख हैक्टेयर में बोया गया था। खरीफ मूंग मुख्यतः जालौर (40,600 हैक्ट.), नागौर (37,400 हैक्ट.), जोधपुर (30,300 हैक्ट.), पाली (29,500 हैक्ट.), बाड़मेर (27,100 हैक्ट.), सीकर (16,800 हैक्ट.), झुन्झुनूं (16,200 हैक्ट.), चूरू (18,900 हैक्ट.), सिरोही (12,000 हैक्ट.) में बोये जाने के लक्ष्य रखे गये हैं तथा अन्य जिलों में भी इसी तरह 2,000 से 8,000 हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मूंग बोये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

उड़द वर्ष 1982-83 में 1.35 लाख हैक्टेयर में बोये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। यह मुख्यतः चित्तौडगढ (40,000 हैक्ट.), बांसवाडा (22,000 हैक्ट.), उदयपुर (17,100 हैक्ट.), डूंगरपुर (12,500 हैक्ट.), झालावाड़ (16,400 हैक्ट.), कोटा (11,700 हैक्ट.), बूंदी (3,100 हैक्ट.), भीलवाडा (2,800 हैक्ट.) व सिरोही (3,300 हैक्ट.) में बोये जाने के लक्ष्य रखे गये हैं। राज्य के कुछ अन्य भागों में भी उड़द की बुवाई की सम्भावना है।

चौला जो इस वर्ष 1.20 लाख हैक्टेयर में बोया गया था, वर्ष 1982-83 में 1.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। चौला मुख्यतः जयपुर (59,800 हैक्ट.), सीकर (59,260 हैक्ट.), झुन्झुनूं (33,100 हैक्ट.), नागौर (12,700 हैक्ट.), अलवर (5,400 हैक्ट.) व सिरोही (2,650 हैक्ट.) क्षेत्र के लक्ष्य रखे गये हैं।

मोठ का क्षेत्रफल पिछले वर्षों में 12.40 लाख हैक्टेयर तक रह गया है। वर्ष 1982-83 में 14.75 लाख हैक्टेयर में इसकी बुवाई के लक्ष्य रखे गये हैं। यह मुख्यतः जोधपुर डिवीजन, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुन्झुनूं व जयपुर आदि जिलों में बोया जायेगा।

अरहर पिछले वर्षों में 30 से 40 हजार हैक्टेयर में बोई जाती रही है। वर्ष 1982-83 में 1.10 लाख हैक्टेयर में इसकी बुवाई के प्रयत्न किये जायेंगे। मुख्यतः क्षेत्रफल अलवर (20,700 हैक्ट.), सवाईमाधोपुर (8,900 हैक्ट.), भीलवाडा (20,800 हैक्ट.), भरतपुर (12,700 हैक्ट.), झालावाड़ (11,000 हैक्ट.), जयपुर (9,000 हैक्ट.), डूंगरपुर (4,500 हैक्ट.) गंगानगर (3,000 हैक्ट.), सिरोही (5,700, हैक्ट.), चित्तौडगढ (3,700 हैक्ट.) व पाली (2, 300 हैक्ट.) क्षेत्र में बोयी जायेगी। इनके अलावा इसका क्षेत्रफल अन्य जिलों में भी बढ़ाया जायेगा।

रबी में चने की फसल राज्य के सभी जिलों में होती है, इसके अन्तर्गत सिंचित चने का क्षेत्रफल कोटा खण्ड, अजमेर खण्ड, पाली, सिरोही, उदयपुर व गंगानगर आदि जिलों में बढ़ाया जायेगा।

उपरोक्त जिलों में उप निदेशक कृषि/जिला कृषि अधिकारी कलस्टर गांव व कृषकों का चयन करेंगे तथा उप जिले के कृषकवार क्षेत्रफल बढाने के लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। ग्राम विस्तार कार्यकर्ता/सहायक कृषि अधिकारी के प्रत्येक क्षेत्र के लक्ष्य भी निर्धारित करेंगे।

फसलवार व जिलेवार क्षेत्रफल के लक्ष्य संलग्न तालिका में दिये हुये हैं।

राज्य में खरीफ की दालों का उत्पादन पिछले वर्षों में कम से कम 65 हजार टन व अधिक से अधिक 6 लाख टन तक रहा है। वर्ष 1981-82 में खरीफ की दालों के उत्पादन का 2.90 लाख टन का अनुमान ह तथा वर्ष 1982-83 में उत्पादन के लक्ष्य 5 लाख टन रखे गये हैं। उत्पादन में वृद्धि मुख्यतया मूंग, उडद, चौला व अरहर की फसलों में संभावित है।

इसी प्रकार रबी में दलहनी फसलों का उत्पादन गत वर्षों में कम से कम 7.75 लाख टन व अधिक से अधिक 16 लाख टन तक रहा है। वर्ष 1981-82 में चना व अन्य रबी की दालों का अनुमानित उत्पादन 14.00 लाख टन है व वर्ष 1982-83 में रबी की दालों का 17.20 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मुख्यतः चने का उत्पादन 16.90 टन निश्चित किया गया है।

दलहन उत्पादन वृद्धि के लिए जो रण कौशल अपनाया जा रहा है वह मूल रूप से निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

1. दलहन के अन्तर्गत क्षेत्रफल में विस्तार।

2. प्रावैधिक ज्ञान एवं उन्नत साधनों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि।

क्षेत्रफल के बढ़ाने के प्रयत्नों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

प्रावैधिक ज्ञान एवं उन्नत साधनों के प्रयोग जैसे :

(1) उन्नत बीजों का प्रयोग (2) बीजों का उचित मात्रा में प्रयोग (3) रसायनिक उर्वरक का उपयोग (4) राईजोवियम कल्चर का प्रयोग (5) पौध संरक्षण कार्य (6) उचित दूरी पर बुवाई (7) समय पर खरपतवार नियंत्र ण आदि द्वारा उत्पादन में प्रति हैक्टर वृद्धि की जावेगी।

उन्नत बीज :—इस वर्ष निम्नलिखित प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है :—

(1) बैशाखी मूंग 450 क्विं. (2) मूंग खरीफ 1,000 क्विं. (3) उड़द 500 क्विं. (4) चौला 300 क्विं. (5) मौठ 300 क्विं. (6) अरहर 1750 क्विं. (7) चना 16,000 क्विंटल।

राजस्थान राज्य बीज निगम ने खरीफ में निम्नलिखित बीजों के वितरण हेतु प्रबन्ध कर लिया है एवं बाकी बीज का प्रबन्ध किया जा रहा है।

1. मूंग पूसा वैशाखी :—400 क्विं. य ह किस्म जायद तथा खरीफ दोनों में बोई जा सकती हैं। जोधपुर खण्ड के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों में इसे देरी से भी बोया जा सकता है।

2. मूंग एस. 8–73 क्विं. (जोधपुर क्षेत्र के लिए)।

3. मूंग–आर. एस. 4–22 क्विं. (अजमेर क्षेत्र के लिए) ।

4. उड़द–टी. 9–200 क्विं. (अलवर तथा भरतपुर क्षेत्र के लिए) ।

5. उड़द–कृष्णा 500 क्विं (कोटा क्षेत्र के लिए) ।

6. चौला–सी. 152–500 क्विं. (सभी क्षेत्रों के लिए) ।

7. अरहर–यू.पी.एस. 120–500 क्विं. (जल्दी 120–140 दिन में पक कर तैयार हो जाता है ।

8. मौठ–जडिया–100 क्विं. (जोधपुर डिविजन, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं व जयपुर जिलों के लिए) ।

काश्तकार उन्नत बीज का अधिक से अधिक लाभ उठा सके इसके लिए उनको उचित दर पर बीज मिलना आवश्यक है । इसके लिए भारत सरकार द्वारा 150/– रु. प्रति क्विं. प्रमाणित बीज पर अनुदान दिया जावेगा । राजस्थान राज्य बीजें निगम को यह अनुदान दिया जावेगा व राजस्थान राज्य बीज निगम जो बीजों की दर निर्धारित करेगा वह इस अनुदान को कम करने के बाद होगी ।

उपरोक्त बीज वितरण के अतिरिक्त गत सालों में जो बीज वितरण किया है उसकी पैदावार को भी बीज के काम में लेना है । अतः जिन काश्तकारों को गत 2–3 साल में प्रमाणित बीज बांटा हैं, उसकी पैदावार को बीजों के लिए सुरक्षित रखवाकर स्थानीय काश्तकारों को वितरण करवाया जावें । खण्ड स्तरीय संयुक्त निदेशक कृषि/परियोजना निदेशक, बीकानेर एवं कोटा इस प्रकार की अपने क्षेत्र में योजना तैयार करवा कर क्रियान्वित करवायेंगें, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट निदेशालय को भी भिजवायेंगें ।

उर्वरकः—मूंग, उडद व चौवला के लिये प्रति हैक्टेयर 30–40 किलो फास्फेट व 10 से 15 किलो नत्रजन बुवाई से पहले नापलें से ऊर कर देना चाहिये । दलहनी फसलों को देशी खाद देने की आवश्यकता प्रायः नहीं होती । जहां पोटाश की कमी हो वहां भूमि परीक्षण के आधार पर पोटाश युक्त उर्वरक डालें । मौठ की फसल को 30 किलो फास्फेट व 10 किलो नत्रजन बुवाई के समय नायले सें ऊर कर देना चाहिये ।

अरहरः—अरहर को साधारणतया बुवाई के समय 50 से 60 किलो ग्राम फास्फेट तथा 15 से 20 किलो नत्रजन प्रति हैक्टेयर ऊर कर देना चाहिये । इसको प्रायः गोबर या कम्पोस्ट खाद की आवश्यकता नहीं होती ।

चना :—चने की प्रति हैक्टयर पैदावार बढ़ाने के लिये उर्वरक का सबसे अधिक महत्व है । जबकि इस ओर गेहूं/सब्जी, कपास, मक्का इत्यादि फसलों के मुकाबले बहुत कम प्रयास किया गया है । उर्वरक का उपयोग इस फसल में असिंचित फसल में ही नहीं, सिंचित सें भी कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर नहीं के बराबर हो रहा है । चने में सिंचित क्षेत्र के साथ साथ असिंचित क्षेत्र में भी उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना है । जिलेवार उर्वरकों के लक्ष्य तालिका में संलग्न है । इन लक्ष्यों को हर सम्भव प्रयत्न कर पूरे किये जाने चाहिये ।

मुख्यतः मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिये पर जहां मिट्टी का परीक्षण सम्भव नहीं हो तो सामान्यतः निम्नांकित सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये :–

1. असिंचित क्षेत्र के लिए :—10 किलो नत्रजन व 25 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर, 12–15 सेन्टीमीटर की गहराई पर आखिरी जुताई के समय देवें ।
2. सिंचित क्षेत्रों के लिए :—20 किलो नत्रजन व 40 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर उर्वरक 12–15 सेन्टीमीटर की गहराई पर आखिरी जुताई के समय देंवे ।

वैशाख में बोये जाने वाले मूंग के लिए 10 किलो नत्रजन व 30 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर बोने से पूर्व नायले से ऊर कर देना चाहिये । रासायनिक खाद के जिलेवार लक्ष्य संलग्न किये जा रहे । हैं इन लक्ष्यों को पूरा किये जाने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जाने चाहिये ।

राईजोविया कल्चर :—दलहन फसलों के बीज के साथ राईजोविया कल्चर मिलाने से फसल की जड़ों में मौजूदा वैक्टोरिया अपना काम अधिक कुशलता से करने लगते हैं तथा पैदावार बहुत अधिक होती है । इसका प्रभाव अधिक नत्रजन वाली मिट्टी में कम पाया जाता है । उपचार के लिए एक लीटर गरम पानी में 250 ग्राम गुड़ घोल लीजिये । इस घोल की ठण्डा होने दें, इसके बाद 500 ग्राम र इजोविया कल्चर प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मिलाइये । इस घोल को बीजों पर डालते हुए उस समय तक मिलाईये जब तक सभी बीजों पर घोल की परत एकसार न जम जाय । फिर छाया में सुखा कर बो दीजिये । राइजोविया

कल्चर के पैकेट पौध व्याधि विज्ञ, कृषि विभाग, दुर्गापुरा से एक रुपया प्रति पैकेट कीमत पर प्राप्त किया जा सकता है। एक हैक्टेयर के लिए 3 पैकेटों की आवश्यकता होगी।

जिलों में राइजोविया कल्चर के पैकेट सम्बन्धी उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारी उपलब्ध करायेंगे। उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारी निम्न बातों का ध्यान रखें :--

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि पौध व्याधि विज्ञ का प्रयोगशाला में इस जिले के पेटे पहले की कोई बकाया न हो।

2. जिले की मांग एक माह पूर्व पौध व्याधि विज्ञ की संयुक्त निदेशक, कृषि (दलहन) राजस्थान, जयपुर (ए) सम्बन्धित खण्ड के संयुक्त निदेशक, कृषि को सूचित करते हुए भिजवादी जावे।

3. व्यक्ति विशेष को भेजकर पैकेट पौध व्याधि विज्ञ, दुर्गापुरा से मंगवा लिए जायें। जो उधार पर मिल जायेंगे।

4. इन पैकेटों को वितरण करके भुगतान 2 माह के अन्दर अन्दर कर दिया जावे। यदि यह भुगतान 2 माह के अन्दर नहीं होता है तो सम्बन्धित उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

इस वर्ष खरीफ में 1,02,500 व रबी में, 1,37,500 राइजोविया कल्चर के पैकेट वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। फसलवार एवं जिलेवार कल्चर पैकेट के वितरण का आवंटन संलग्न तालिका में दिया जा रहा है।

पौध संरक्षण:--दलहनी फसलों में वर्ष 1982-83 में 7.65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण कार्य के लक्ष्य हैं। इनमें से 3.45 लाख हैक्टेयर खरीफ तथा 4.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र रबी के हैं। खरीफ एवं रबी में बीज उपचार 2 लाख 5 हजार सघन उपचार, फली छेदक के लिए 1.20 लाख, चूहा नियंत्रण 3.90 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में किये जाने का लक्ष्य है। रबी की फसल में भूमिगत कीट की रोकथाम लिए 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि उपचार कराने का प्रस्ताव है।

पौध संरक्षण कार्यों के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित दलहन विकास योजना के अन्तर्गत रसायनों की कीमत पर 25 प्रतिशत या रु. 30/- प्रति हैक्टेयर की दर से भी भी कम हो एवं रु. 15/- प्रति हैक्टेयर भुरकाव-छिड़काव के लिए परिचालन व्यय पर अनुदान देय है। परिचालन व्यय बीज उपचार, भूमि उपचार तथा चूहा नियंत्रण कार्य पर देय नहीं है।

जायद की दलहनी फसल बशाखी मूंग एवं उड़द में पौध संरक्षण कार्यों के लिए इस योजना के तहत 10,000 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य कराया जायेगा। मूंग की खेती समस्त राजस्थान में एवं उड़द की कोटा व उदयपुर खण्ड तथा अजमेर खण्ड के भरतपुर अलवर तथा सवाई माधोपुर जिलों में मुख्य रूप से की जाती है।

खरीफ की दालों में मूंग, मोठ, उड़द, चवौला व अरहर पर उपरोक्त अनुसार अनुदान देय है। परिचालन व्यय-यह अनुदान केवल छाछियों क्षेत्र, चित्तीरोग कातरा, चेपा एवं फली छेदक नियंत्रण पर देय है। रसायनों की कीमत पर अनुदान विभाग द्वारा सिफारिश रसायनों पर ही देय है जिनके नाम संलग्न तालिकाओं में दिये गये हैं।

चौला-जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, मोठ-बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं एवं जयपुर जिलों में मुख्य रूप से बोया जाता है।

खरीफ की दलहनी फसल को नुकसान करने वाला मुख्य कीट "कातरा" है जो वर्षा के शुरू के साथ ही अंकुरण से लेकर अगस्त तक नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रकोप मुख्यतया अजमेर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, नागौर, टौंक, श्रीगंगानगर एवं चूरू जिलों में होता है। इन जिलों में जहां कातरे का प्रकोप लगातार हो रहा है केन्द्रीय प्रवर्तित की विशेष कीट एन्डेमिक योजना के तहत नियंत्रण उपाय हेतु कीटनाशक रसायनों की कीमत पर 50 प्रतिशत या रु. 17.50 पैसे प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो तथा परिचालन व्यय पर 15 रु. प्रति हैक्टेयर की दर में अनुदान देय है।

दालों में फली छेदक कीट से प्रायः सभी जगह 10 से 20 प्रतिशत हानि होती है। इसके अलावा चेपा, हरा मच्छर, ग्रास होपर द्वारा भी फसल में नुकसान होता है।

खरीफ में मूंग, मोठ तथा चवौला में चित्ती रोग का प्रकोप जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग से 20 से शत प्रतिशत तक हानि होती है।

रबी की चना, मटर एवं मसूर मुख्य दलहनी फसलें हैं। चने की फसल में कटवर्म तथा फली छेदक कीट व उकठा तथा जड़ गलन रोग और मटर में तने की मक्खी फली छेदक, लीफ माइनर कीट तथा छाछिया रोग से भारी नुकसान होता है। पौध संरक्षण क्रियाओं को अपनाने से दलहनी फसलों की उपज लगभग दुगनी की जा सकती है।

विभाग द्वारा दी गई पौध संरक्षण कार्यों की सिफारिशें संलग्न हैं।

जायद की दलहनीय फसलों (वैशाखी मूंग/उड़द) में पौध संरक्षण उपचार हेतु दवाइयों की सिफारिशें।

क्र. सं.	उपचार	दवाइयों का नाम	मात्रा।दर प्रति हैक्टर किलो भुरकाव।छिड़काव करें
1.	वीजोपचार	थाईरम या कैप्टान	3 ग्राम प्रति किलो
2.	भूमि उपचार (दीमक हेतु)	एल्ड्रिन चूर्ण	25 किलो प्रति हैक्टेयर
3.	एफिड्स	मैलाथियान चूर्ण 5% अथवा मैलाथियान 50% ई. सी.	25 किलो प्रति हैक्टेयर 1,000 मि. ली. प्रति हैक्ट.
		या– फास्फामिडोन	250 ,, ,,
		या– डाईमैथोएट	1,000 ,, ,,
4.	फली छेदक	मि. पैराथियान 2% डस्ट या– एनडोसल्फान 4% डस्ट	20 से 25 किलो प्रति हैक्ट. ,, ,, ,,
		या– मोनोक्रोटोफास	1,000 मि. ली. प्रति हैक्टेयर
		या– क्यूनालफास 25% ई. सी.	
		या– मैलोथियान 50% ई. सी. या (एनडोसल्फान) 35% ई. सी.	1500 मि.ली. प्रति है.
		या– कार्बोरिल घुलनशील चूर्ण	2-1।2 किलो प्रति है.
		या– कार्बोरिल 40% मोलैसस बेस्ड कम्पाउन्ड	3 किलो प्रति हैक्टेयर
5.	चित्ती रोग	एग्रोमाइसीन	200 ग्राम प्रति हैक्टेयर
		या– सेसामाइसिन	,, ,, ,,
6.	छाछया रोग	घुलनशील गंधक चूर्ण या करेथीन ई. सी. (1%) या गन्धक का चूर्ण	2-1।2 कि. प्रति हैक्टयर 1,000 मि.ली. प्रति हैक्ट. 25 किलो प्रति हैक्टयर

नोटः—फूल व फली आते ही उपरोक्त में से कोई एक दवाई का छिड़काव/भुरकाव करें। आवश्यकता हो तो 15 दिन बाद पुनः दोहरावें।

खरीफ की दलहनी फसलें (मूंग/मोठ/उड़द/चौला व अरहर) में पौध संरक्षण उपचार हेतु दवाइयों की सिफारिशें

क्र. सं.	पौध संरक्षण उपचार का मद	कीट/रोग/पौधे की अवस्था	सिफारिश दवाइयों के नाम	सिफारिश की गई दवाइयों की मात्रा एवं उपचार विधि
1	2	3	4	5
1.	बीजोपचार	बीज	थाइरम या कैप्टान	3 ग्राम प्रति किलो बीज को उपचारित कर बोवें
2.	कातरा	लट की छोटी अवस्था	बी. एच. सी. 10% प्रति डस्ट या क्यूनालफास 1.5% डस्ट	25 किलो प्रति हैक्टयर भुरकाव करें। 10 किलो प्रति हैक्टेयर भुरकाव करें।
			या– पैराथियान 2% डस्ट	
		लट की बड़ी अवस्था	पैराथियान 2% डस्ट या क्यूनालफास 5% डस्ट या फोसोलोन 4% डस्ट	25 किलो प्रति हैक्टेयर भुरकाव करें।

1	2	3	4	5
		पानी की सुविधा हो तो	डाइक्लोरोफास-100 ई. सी. या	300 मिली. प्रति हैक्टेयर छिड़काव करें।
			मिथाइल पैराथियान 50% ई. सी.	750 मिली. प्रति हैक्टे. छिड़काव करें।
3	एफिड्स	,,	फास्फोमिडान 100% ई. सी. या	250 मिली. प्रति है. छिड़काव करें।
			मैलाथियान 50% ई. सी. या	1000 मिली. प्रति है. छिड़काव करें।
			डाइमिथेएट 30% ई. सी. या	1000 ,, ,,
			मैलाथियान 5% डस्ट	25 किलो प्रति है. भुरकाव करें।
4.	छाछ्या रोग	,,	सल्फर डस्ट या	25 किलो प्रति हैक्टे. छिड़काव करें।
			घुलनशील गंधक या	$2\frac{1}{2}$ किलो प्रति हैक्टे. छिड़काव करें।
			केरेथीन ई.सी. (0.1%)	1000 मि.ली. प्रति हैक्टे. छिड़काव करें।
5.	वित्तोरोग (जीवाणु)	,,	एग्रीमाइसिन या सोयामाइसिन	200 ग्राम प्रति हैक्टेयर छिड़काव करें।
6.	फली छेदक	फूल व फली आने पर	मोनोक्रोटोफास 36 डब्लू.पी. या	1000 मिली. प्रति हैक्टेयर छिड़काव करें।
			क्यूनालफास 25% ई. सी. या	1000 ,, ,,
			मैलाथियान 25% ई.सी. या	1000 ,, ,,
			एन्डोसल्फान 35% ई.सी. या	1500 ,, ,,
			कारबोरिल 50% डब्ल्यू.पी. या	$2\frac{1}{2}$ किलो ,, ,,
			कार्बोरिल 40%	3 किलो ,, ,,
		असिंचित क्षेत्र में	पैराथियान 2% डस्ट या एन्डोसल्फान 4% डस्ट	20-25 किलो प्रति हैक्टेयर भुरकाव करें।

नोटः—यदि आवश्यक हो तो फली छेदक हेतु उपरोक्त उपचार 15 दिन के अन्तराल पर दोहरावें।

रबी की दलहनीय फसलें "चना एवं मटर" में पौध संरक्षण उपचार हेतु दवाइयों की सिफारिशे

क्र. सं.	उपचार	नाम फसल	दवाइयों का नाम	मात्रा/दर प्रति हैक्टेयर किलो
1	2	3	4	5
1.	बीजोपचार	चना व मटर	थ्रेसिकोल+थाईरम (1+1) या— वाविस्टिन	2.5 ग्रा. प्रति किलो 0.5 ग्राम प्रति किलो
2.	बीजोपचार (क) केवल दीमक नियंत्रण के लिए	चना	एल्ड्रिन 30 ई. सी. या	400 मिली. ग्रा. 5 लीटर पानी में घोल बनाकर, 100 किलो बीज पर बुवाई से एक दिन पहले समान रूप से छिड़काव करें।
			एल्ड्रिन 5%डस्ट	6 किलो दवा 100 किलो बीज में भली-प्रकार मिलाकर बुवाई करें।
	(ख) कटवर्म व वायर-वर्म व दीमक के लिए	चना	हैक्टाक्लोर 5% डस्ट या— बी.एच.सी. 10% डस्ट या— क्लोरोडेन 5% डस्ट	अंतिम जुताई से पूर्व 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से जमीन में डालें।

1	2	3	4	5
(ग)	कटवर्म के लिए (यदि भूमि उपचार नहीं हो पाया है)	चना	या– ट्राइक्लोरोफार्म 5% डस्ट (डिप्टेस)	25 किलो प्रति हैक्टेयर भुरकें।
(घ)	तना मक्की के लिए	मटर	फोरेट 10% कण	10 किलो प्रति है. बुवाई के समय ऊर कर दीजिए और बीज पीछे कुंडो डालते हुए बोईये।
3.	सघन उपचार	चना व मटर	कार्बोरिल (सेविन) 5% डस्ट	
(क)	कंकरी छेदक (फूल आने से पूर्व व फली लगने के बाद)		या– एन्डोसल्फान 4% डस्ट या– मैलाथियन 5% डस्ट या– क्यूनालफास 1.5 % डस्ट या– बी. एच. सी. 10 % डस्ट	25 किलो प्रति हैक्टेयर भुरकें।

जहां पानी की सुविधा हो वहां 45 दिन की फसल होने पर निम्न छिड़काव करें:--

	क्यूनालफास 25 ई.सी.	1000 मिली. प्रति हैक्टेयर।
या–	मैलाथियन 50 ई. सी.	1250 मिली. प्रति हैक्टेयर।
या–	डी. डी. टी. 25 ई. सी.	4000 मिली. प्रति हैक्टेयर।
या–	एन्डोसल्फान 35 ई. सी.	1250 मि.ली. प्रति हैक्टेयर।
या–	फोसोलोन 35 ई. सी.	1875 मि.ली. प्रति हैक्टेयर।
या–	मोनोक्रोटोफास 40 ई.सी.	1000 मिली. प्रति हैक्टेयर।
या–	सेवीमोल 40 एल.वी.	2.5 प्रति हैक्टेयर।
या–	फैंटोनीशियन 50 ई. सी.	1250 कि. ली. प्रति हैक्टेयर।

यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त में से किसी एक दवा का उपचार प्रथम छिड़काव के 15 दिन बाद दोहरावें।

(ख)	चूर्णीफंफूद (पोउडरी मिल्डयू)	मटर	गंधक चूर्ण या– घुलनशील गंधक 2.5 किलो प्रति हैक्टेयर छिड़कें।	25 किलो प्रति हैक्टेयर भुरकें।
		या–	केरोन 0.15 प्रतिशत 750 कि.ली. प्रति हैक्टेयर	

यदि आवश्यक हो तो उपरोक्त उपचार 10 दिन के अन्तर से दोहरावें।

(ग)	तना छेदक (शूट-फलाई व पूर्ण खान के (लोफमाईनर)	मटर	मोनोक्रोटोफास 40 ई. सी.	375 किलो प्रति हैक्टेयर।
			या– क्यूनालफास 25 ई. सी.	1000 मिली. प्रति हैक्टेयर।
4.	चूहा नियंत्रण	चना व मटर	जिंक फास्फाईड	10 ग्राम प्रति हैक्टेयर।

नोट:--दवाई के छिड़काव/भुरकाव के 15 दिन बाद तक फसल खाने के काम में न लें।

मसूर की फसल :--

1.	दीमक नियन्त्रण	अन्तिम जुताई के समय प्रति हैक्टेयर 25 किलो बी. एच. सी. पाउडर जमीन में मिलावें।
2.	बीजोपचार	ब्रेसीकोल-थाईरम (1:1) 2.5 ग्राम प्रति कि.
3.	फली छेदक	डी. डी. टी. 50 प्रतिशत 2 किलो या मोनोक्रोटोफास 40 प्रतिशत ई. सी. 1000 मि. ली. या एन्डोसल्फान 35 प्रतिशत ई. सी. 1.5 लीटर प्रति हैक्टेयर दर से छिड़काव करें।

नोट:–परिचालन व पौध संरक्षण रसायन पर दीमक नियन्त्रण व बीजोपचार के लिये कोई अनुदान देय नहीं होगा।

अनुदान व परिचालन के व्यय पर उपरोक्त दर से अनुदान देय होगा।

प्रदर्शन :---अधिक उत्पादन वृद्धि के प्रयासों में जो उपलब्ध प्रावैधिक ज्ञान हमारे पास है, उसको कृषकों द्वारा शीघ्र अपनाये जाने के उद्देश्य से उन समस्त उन्नत विधियों को कृषकों के खेत पर विभाग के प्रतिनिधी द्वारा करके दिखाने हेतु विभिन्न दलहनी फसलों के प्रदर्शनों का राज्य में आयोजन लक्ष्य निम्न प्रकार से है :---

1.	वैशाखी मूंग	1500 हैक्टेयर
2.	खरीफ मूंग	1000 हैक्टेयर
3.	उडद	300 हैक्टेयर
4.	चंवला	200 हैक्टेयर
5.	मोठ	200 हैक्टेयर
6.	अरहर	300 हैक्टेयर
7.	चना	2500 हैक्टेयर
	योग:-	6000 हैक्टेयर

प्रदर्शनों की जिलेवार एवं फसलवार संख्या संलग्न प्रपत्र में दी गई है। प्रदर्शनों के आयोजन में निम्न बातें महत्वपूर्ण है; जिनका हर स्तर पर सख्ती से पालन किया जावे :---

1 जायद प्रदर्शनों में उपचारित क्षेत्र 0.25 हैक्टेयर होगा जबकि अन्य खरीफ एवं रबी फसलों में उपचारित क्षेत्र 0.4 हैक्टेयर होगा। जनजाति क्षेत्रों में जहां किसानों की भूमि सीमा छोटी है वहां इन प्रदर्शनों का उपचारित क्षेत्र 0.4 हैक्ट. के बजाय 0.25 हैक्टेयर रखा जा सकता है ।

2. नियन्त्रित क्षेत्र समान क्षेत्र का रखना आवश्यक है। यदि कहीं यह संभव न हो तो कम से कम 0.1 हैक्टेयर को अवश्य ही रखा जायें ।

3. प्रदर्शन ऐसे कृषक के यहां लगाया जाये जिसकी बात उस क्षेत्र के अन्य कृषक स्वत: मानते हो ।

4. प्रदर्शन का स्थान ऐसा हो जिसे अधिक से अधिक कृषक सुगमतापूर्वक देख सकें ।

5. प्रदर्शन के क्षेत्र की मिट्टी और पानी समस्या रहित हो जहां तक संभव हो मिट्टी व पानी का परीक्षण करवा लिया जावे ।

6. एक बार एक कृषक के यहां प्रदर्शन लगाने के बाद पुन: उस कृषक के यहां प्रदर्शन का आयोजन न किया जावे।

7. कम से कम 20 प्रतिशत प्रदर्शन अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कृषकों के यहाँ ही लगाये जावें।

8. लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।

9. योजना में प्रावधानों के अनुरूप इन प्रदर्शनों पर वास्तविक लागत का आधा या रु. 275 प्रति हैक्टेयर को भी कम हो अनुदान उपादान रूप में देय होगा।

10. इन प्रदर्शनों में प्रमाणित बीज ही काम में लिया जावे।

11. ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता/सहायक कृषि अधिकारी को जो प्रदर्शन आयोजित किये जावें उन प्रदर्शनों पर की जाने वाली उन्नत क्रियाओं को वे स्वयं अपने सामने करवायें।

12. जब जब भी प्रदर्शन क्षेत्र पर कोई क्रिया करवाई जावे, तो अधिक से अधिक किसानों को एकत्रित कर उनको उस क्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझाया जावे व उनके सामने की जावे।

13. प्रदर्शन के सफल आयोजित होने पर उस प्रदर्शन पर एक किसान दिवस का अवश्य आयोजन किया जावे।

14. नियंत्रित/स्थानीय विधि से की गई खेती के और उपचारित क्षेत्र की खेती के अन्तर को किसानों को स्पष्ट किया जावे तथा उपज के आंकड़ों से भी उन्नत क्रियाओं के महत्व को लोकप्रिय किया जावे।

15. जिले के विषय विशेषज्ञ/जिला कृषि अधिकारी/उप निदेशक, कृषि या अन्य विभागीय उच्च अधिकारी जब भी इन प्रदर्शनों का अवलोकन करेंगे अपने आब्जरवेशन संयुक्त निदेशक, कृषि (दलहन) राजस्थान, जयपुर को अवश्य भेजेंगे।

16. प्रदर्शनों के निरीक्षण आदि के लिए शस्य विज्ञानी, जलोपयोगी प्रकोष्ठ कृषि निदेशालय द्वारा प्रसारित निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ शस्य विज्ञानी द्वारा प्रदर्शनों के निरीक्षण के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मापदण्ड जो निश्चित किए गए हैं तद्नुसार ही प्रदर्शनों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना है।

17. प्रदर्शनों के निरीक्षण की टिप्पणी के इन्द्राज हेतु ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता/सहायक कृषि अधिकारी स्तर पर एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए, जिसे कि निरीक्षण अधिकारी को यह मालूम रहे कि पहले की टिप्पणी के अनुरूप अब आवश्यक सुधार या कार्य जो सुझाया गया था वह किया गया है अथवा नहीं। यह बिन्दु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महा लेखाकार राजस्थान की आडिट पार्टी ने इस बिन्दु को काफी गंभीर बना लिया है और ड्राफ्ट पैरा में सभी सम्मिलित कर लिया है। अतः इस ओर इसलिए ध्यान देना जरूरी हो गया है, ताकि ऐसी त्रुटियों को पुनरावृत्ति न हो सके।

18. प्रत्येक जिला कार्यालय में प्रदर्शनों को पूर्ण सूचना जैसे-लक्ष्य/आयोजित प्रदर्शनों की संख्या सफल/असफल प्रदर्शनों की संख्या, वितरित अनुदान राशि प्रदर्शन (पौध संरक्षण उपचार) आदि की सूचना के लिए एक विवरणिका तैयार करके रखी जानी चाहिए जिससे यह जाहिर हो सके कि अमुक वर्ष अमुक मद में क्या प्रगति रही।

उपरोक्त सभी मदों के जिलेवार लक्ष्य दिए जा रहे हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खण्ड स्तर के लिए खण्ड के संयुक्त निदेशक राजस्थान नहर क्षेत्र एवं सी.ए.डी. कोटा के लिए सम्बन्धित परियोजना निदेशक, कृषि एवं जिलों के लिए सम्बन्धित उपनिदेशक कृषि/जिला कृषि अधिकारी जिम्मेदार होंगे। संयुक्त निदेशक कृषि/परियोजना निदेशक अपने खण्ड/परियोजना के समस्त कृषि सम्बन्धी अधिकारियों के लक्ष्य निर्धारित करेंगे व उन्हें उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार बनायेंगे।

संयुक्त निदेशक, कृषि/परियोजना निदेशक/आर.सी.पी./सी ए.डी./ उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारी हर माह कर्मचारियों की मासिक बैठक में दलहन विकास योजना की प्रगति रिव्यू करेंगे एवं इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तर पर आ रही कठिनाइयों का समाधान करेंगे। संयुक्त निदेशक, कृषि/परियोजना निदेशक, बीकानेर/कोटा प्रत्येक माह उनके खण्ड में हुई प्रगति विवरण एवं समस्याओं परा प्रत्येक माह को आखिरी तारीख को एक नोट संयुक्त निदेशक, कृषि (दलहन) राजस्थान, जयपुर को भेजेंगे।

उपरोक्त लक्ष्यों पूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों का भी पूरा पूरा सहयोग लिया जावे। इसके अतिरिक्त विस्तार संगठन के माध्यम से समस्त काश्तकारों तक जो दलहन फसलें बोई जाती हैं, उनकी उन्नत तकनीक पहुंचाई जावे। योजना के अन्तर्गत जो सहायता दी जा रही है, उसका पूरा पूरा लाभ उठाने के बारे में काश्तकारों को पूरी जानकारी करवाई जावे।

दलहन विकास कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति के लिए यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर योजना की समस्त रूपरेखा से पहले जिलाधीश को सूचित किया जावे ताकि भविष्य में योजना की प्रगति में आने वाली बाधाओं का जिलाधीश की मदद से तुरन्त निराकरण किया जा सके।

इस ओर मेरा जिलास्तरीय अधिकारियों से विशेष आग्रह यह है कि वे अपने कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस योजना का इन्चार्ज बनावें और तदुपरान्त हर स्तर पर योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य निर्धारित करदें एवं समय समय पर उनकी प्रगति का जायजा लेते रहें। तभी हम सबका एकत्रित प्रयास, भारत सरकार की भावना को इस वर्ग के लिए उत्पादकता का वर्ष मनाने के लिए अमली जामा पहना सकने में, सार्थक सिद्ध हो सकेगा।

दलहन विकास कार्यक्रम

विवरण		प्राप्तियां 1981-82	लक्ष्य 1982-83
(क) बीज वितरण (क्विंटल में)			
1. जायद मूंग		200	450
2. खरीफ मूंग		421	1000
3. उड़द		451	500
4. चौला		20	300
5. मोठ		47	300
6. अरहर		176	1750
7. चना		4815	16000
	योग	6130	20300
(ख) उर्वरक का उपयोग (हैक्टर में)			
1. जायद मूंग		800	4000
2. चना		195000	340000
(ग) राइजोबियम कल्चर पैकेटस			
क. जायद मूंग		5441	10000
ख. खरीफ मूंग		5000	20000
ग. उड़द		5338	10000
घ. चौला		1980	2500
च. मौठ		2143	60000
छ. अरहर		5703	10000
ज. चना		45726	137500
	योग	72331	250000
(घ) पौध संरक्षण कार्य (हजार हैक्टरों में)			
क. खरीफ फसल		94	345
ख. रबी फसल		390	420
	योग	484	765
(च) प्रदर्शन (हैक्टर में)			
1. जायद मूंग		–	1500
2. खरीफ मूंग		–	1000
3. उड़द		280	300
4. चौला		–	200
5. मौठ		–	200
6. अरहर		260	300
7. चना		1500	2500
	योग	2040	6000

पैदावार '000 टनों में
औसत उपज किलो/हैक्ट.

फसल		1981-82			1982-83		
		क्षेत्रफल	पैदावार	औसत उपज	क्षेत्रफल	पैदावार	औसत उपज
जायद मूंग		16.0	5.6	350	20.0	8.0	400
खरीफ मूंग		284.0	69.0	245	310.0	107.0	345
उड़द		135.0	60.0	450	135.0	75.0	555
मौठ		1523.0	85.0	55	1475.0	185.0	125
चौला		120.0	42.0	250	180.0	54.0	300
अन्य खरीफ दालें		20.0	3.0	150	20.0	6.0	300
अरहर		45.0	25.0	555	110.0	65.0	600
	योग	2200.00	290.0	135	2250.0	500.0	220
चना		1436.0	1386.0	965	1720.0	1690.0	980
अन्य रबी दलहने		26.0	14.0	540	28.0	30.0	1070
	योग	1462.0	1400.0	955	1748.0	1720.0	980
	कुल योग	3662.0	1690.0	462	3998.0	2220.0	555

खरीफ फसलः–

क्र. सं.	जिल का नाम	जायद मूंग		खरीफ मूंग		उडद		चौला	
		क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1.	अजमेर	230	15	8700	1400	320	80	1700	690
2.	अलवर	420	23	1800	450	1000	210	5400	2480
3.	भरतपुर	1280	262	1800	350	800	300	750	690
4.	जयपुर	700	55	8000	2550	200	80	29900	13600
5.	दौसा	630	50	7000	2250	200	80	29900	13600
6.	सीकर	140	6	16800	950	–	–	58260	8550
7.	झुन्झुनूं	140	7	16200	850	–	–	33100	6940
8.	सवाई माधोपुर	560	630	13700	9500	2800	1560	680	350
	योग	4100	1048	74000	18300	5320	2310	160690	46900
9.	श्री गंगानगर	1100	790	2000	1800	160	160	–	–
10.	हनुमानगढ	100	72	2000	1800	160	160	–	–
11.	बीकानेर	–	–	3400	1250	–	–	–	–
12.	चूरू	100	51	18900	8000	–	–	170	100
	योग	1300	913	26300	12850	320	320	170	100
13.	कोटा	270	167	5300	2750	5850	4250	25	50
14.	बारां	170	105	5300	2750	5850	4250	25	50
15.	बूंदी	170	18	4200	2100	3100	1600	–	–
16.	झालावाड	150	31	5900	1800	16400	4600	150	100
17.	टोंक	420	31	3900	6000	260	80	250	100
	योग	1180	352	24600	15400	31460	14780	450	300
18.	जोधपुर	250	333	30300	24800	30	20	–	–
19.	जालोर	90	1	40600	7300	30	20	400	150
20.	बाडमेर	60	5	27100	9200	–	–	–	–
21.	पाली	250	3	29500	5650	140	50	880	200
22.	नागोर	250	42	37400	7600	–	–	12700	3700
23.	सिरोही	200	10	12000	2000	3300	500	2650	570
24.	जैसलमेर	–	–	200	50	–	–	–	–
	योग	1100	394	177100	56600	3500	590	16630	4620
25.	उदयपुर	3300	500	1000	800	8550	4250	550	550
26.	कांकरोली	400	60	1000	800	8550	4250	550	550
27.	डूंगरपुर	4300	2300	500	300	12500	8800	50	120
28.	बासवाडा	2520	1566	300	200	22000	12800	110	200
29.	भीलवाडा	300	15	4200	1400	2800	900	650	460
30.	चित्तौडगढ	300	217	1000	350	40000	26000	150	200
	योग	11120	4658	8000	3850	94400	57000	2060	2080
31.	आर. सी. पी. बीकानेर	500	135	–	–	–	–	–	–
32.	सी. ए. डी. कोटा	700	500	–		–	–	–	–
	कुल योग	20000	8000	310000	107000	135000	75000	180000	54000

क्र. सं.	जिले का नाम	मोठ		अरहर		अन्य फसले		कुल योग	
		क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1.	अजमेर	4750	500	100	40	2000	1000	17800	3225
2.	अलवर	500	60	20700	8000	–	–	29820	11223
3.	भरतपुर	1400	210	12700	5500	–	–	18730	7312
4.	जयपुर	19000	2700	4500	3700	–	–	62300	22685
5.	दौसा	19000	2700	4500	3700	–	–	61230	22380
6.	सीकर	74000	3000	500	400	–	–	150700	12906
7.	झुन्झुनू	76600	2100	–	–	–	–	126040	9897
8.	सवाई माधोपुर	3600	1100	8900	3500	–	–	30240	16640
	योग	198850	12370	51900	24840	2000	1000	496860	106768
9.	श्री गंगानगर	25000	7600	1500	2800	–	–	29760	13150
10.	हनुमानगढ	25000	7600	1500	2800	–	–	28760	12432
11.	बीकानेर	308000	50300	100	2120	–	–	311500	51760
12.	चूरू	380000	36000	–	–	–	–	399170	44151
	योग	738000	101500	3100	5720	–	–	769190	121403
13.	कोटा	–	–	750	700	–	–	24290	7917
14.	बारां	–	–	750	700	–		–	7855
15.	बूंदी	–	–	1800	1800	–	–	9270	5518
16.	झालावाड	–	–	11000	5760	–	–	33600	12291
17.	टौंक	500	100	400	400	–	–	5730	6711
	योग	500	100	14700	9360	–	–	72890	40292
18.	जोधपुर	239000	24000	–	–	–	–	269580	49153
19.	जालोर	11000	5300	–	–	3000	600	55120	13371
20.	बाडमेर	105000	25500	–	–	–	–	132160	34705
21.	पाली	6000	1000	2300	300	1000	100	40070	7303
22.	नागोर	174500	15000	–	–	–	–	224850	26342
23.	सिरोही	1500	80	5700	900	5450	1540	30800	5600
24.	जैसलमेर	–	–	–	–	–	–	200	50
	योग	537000	70880	8000	1200	9450	2240	752780	136524
25.	उदयपुर	150	50	1500	1220	4000	2000	19050	9370
26.	कांकरोली	–	–	1500	1220	–	–	12000	6880
27.	डूंगरपुर	–	–	4500	4250	500	150	22350	15920
28.	बांसवाडा	–	–	20800	16000	–	–	45730	30766
29.	भीलवाडा	300	30	300	110	4000	600	12550	3515
30.	चित्तौडगढ	200	70	3700	1080	50	10	45400	27927
	योग	650	150	32300	23880	8550	2760	157080	94378
31.	आर. सी. पी. बीकानेर	–	–	–	–	–	–	500	135
32.	सी. ए. डी. कोटा	–	–	–	–	–	–	700	500
	योग	–	–	–	–	–	–	1200	635
	राज्य का योग	1475000	185000	110000	65000	20000	6000	2250000	500000

क्रम संख्या	जिले का नाम	चना		अन्य रबी दालें		कुल योग	
		क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1.	अजमेर	50000	36000	30	30	50030	36030
2.	अलवर	170000	228000	900	500	170500	228500
3.	भरतपुर	140000	184000	3000	3600	143000	187600
4.	जयपुर	60000	62000	1000	1500	61000	63500
5.	दौसा	60000	62000	–	–	60000	62000
6.	सीकर	30000	37000	–	–	30000	37000
7.	झूंझुनूं	60000	77000	–	–	60000	77000
8.	सवाईमाधोपुर	90000	109000	500	400	90500	109400
	योग	660000	795000	5430	6030	665430	801030
9.	श्रीगंगानगर	269000	259000	1000	1200	270000	260200
10.	हनुमानगढ	269000	259000	–	–	269000	259000
11.	बीकानेर	2000	1000	–	–	2000	1000
12.	चूरू	90000	40000	–	–	90000	40000
	योग	630000	559000	1000	1200	631000	560200
13.	कोटा	40000	31000	7500	8500	47500	39500
14.	बारां	40000	34000	–	–	40000	34000
15.	बूंदी	30000	29000	2500	2500	32500	31500
16.	झालावाड़	35000	20000	2470	2480	37470	22480
17.	टोंक	60000	49000	–	–	60000	49000
	योग	205000	163000	12470	13480	217470	176480
18.	जोधपुर	8000	4300	–	–	8000	4300
19.	जालौर	7000	4000	50	50	7050	4050
20.	बाडमेर	1000	600	10	10	1010	610
21.	नागौर	30000	15000	10	15	30010	15015
22.	पाली	25000	17000	30	15	25030	17015
23.	सिरोही	9000	5100	400	200	9400	5300
	योग	80000	46000	500	290	80500	46290
24.	उदयपुर	15000	15000	4000	4800	19000	19800
25.	कांकरोली	15000	15000	–	–	15000	15000
26.	डूंगरपुर	20000	19000	1000	1000	21800	20000
27.	बांसवाड़ा	35000	32000	1800	1800	36800	33800
28.	भीलवाड़ा	20000	19000	900	900	20900	19900
29.	चित्तोड़गढ	40000	27000	900	500	40900	27500
	योग	145000	127000	8600	9000	153600	136000
	राज्य का योग	1720000	1690000	28000	30000	1748000	1720000

क्र. सं.	जिले का नाम	जायद मूंग	खरीफ मूंग	उडद	चौला	मोठ	अरहर	योग खरीफ	चना
1.	अजमेर	32.25	20	1	1	1	—	23	90
2.	अलवर	59.25	10	5	9	—	40	64	120
3.	भरतपुर	59.25	10	5	1	—	30	46	100
4.	जयपुर	66.75	25	2	37	5	15	84	100
5.	दौसा	66.75	25	2	37	5	15	84	100
6.	सीकर	18.75	40	—	65	10	—	115	50
7.	झुंझुनूं	32.25	50	—	30	10	—	90	100
8.	सवाईमाधोपुर	86.25	40	10	1	1	20	72	100
	योग	421.50	220	25	181	32	120	578	760
9.	श्रीगंगानगर	32.25	10	—	—	5	5	20	150
10.	हनुमानगढ़	32.25	10	—	—	5	5	20	150
11.	चूरू	18.75	60	—	—	40	—	100	—
	योग	83.25	80	—	—	50	10	140	300
12.	कोटा	32.25	10	15	—	—	2	27	70
13.	बारां	32.25	10	15	—	—	2	27	70
14.	बूंदी	32.25	10	10	—	—	6	26	50
15.	झालावाड	18.75	10	40	—	—	30	80	60
16.	टोंक	30.75	10	5	—	—	5	20	100
	योग	146.25	50	85	—	—	45	180	350
17.	जोधपुर	30.00	100	—	—	30	—	130	30
18.	जालौर	37.50	110	—	—	10	—	120	30
19.	बाडमेर	22.50	100	—	—	20	—	120	20
20.	नागौर	35.35	120	—	10	20	—	150	100
21.	पाली	45.75	100	—	2	5	5	112	50
22.	सिरोही	32.25	35	10	3	—	20	68	50
	योग	203.25	565	10	15	85	25	700	280
23.	उदयपुर	72.75	5	20	2	—	5	32	50
24.	कांकरोली	72.75	5	20	1	—	5	31	50
25.	डूंगरपुर	72.75	5	20	—	—	15	40	60
26.	बासवाडा	52.25	5	45	—	—	45	95	80
27.	भीलवाडा	32.25	10	10	1	—	—	21	70
28.	चित्तौडगढ़	50.25	5	50	—	—	10	65	100
	योग	360.00	35	165	4	—	80	284	410
29.	पी. डी. बीकानेर	140.25	20	5	—	33	5	63	200
30.	पी. डी. कोटा	145.50	30	10	—	—	15	55	200
	योग	285.75	50	15	—	33	20	118	400
	राज्य का योग	1500.00	1000	300	200	200	300	2000	2500

Statement Showing the Target of Productivity for the Year 1982-83

(Target) *Productivity Kg./Hect.*

S. No.	Name of District	Zaid Moong	Kharif Moong	Urd.	Cow pea	Moth	Arhar	Other Pulses	Total Kharif Crops	Gram	Other Rabi pulses	Total Rabi Crops
1.	Ajmer	65	161	250	406	105	400	500	209	720	1000	720
2.	Alwar	55	250	210	459	120	386	—	376	1341	556	1340
3.	Bharatpur	205	194	375	920	150	433	—	390	1314	1200	1312
4.	Jaipur	79	319	400	455	142	822	—	364	1033	1500	1041
5.	Dausa	79	321	400	455	142	822	—	366	1033	—	1033
6.	Sikar	43	56	—	144	41	800	—	86	1233	—	1233
7.	Jhunjhunu	50	52	—	210	27	—	—	79	1233	—	1283
8.	Sawai Madhopur	1125	693	557	515	306	393	—	550	1211	800	1209
	TOTAL:—	256	247	434	292	62	479	500	215	1205	1110	1204
9.	Ganganagar	718	900	1000	—	304	1867	—	442	963	1200	964
10.	Hanumangarh	720	900	1000	—	304	1867	—	432	963	—	963
11.	Biakner	—	368	—	—	163	1200	—	166	500	—	500
12.	Churu	510	423	—	588	95	—	—	111	444	—	444
	TOTAL:—	702	489	1000	588	138	1845	—	158	887	1200	888
13.	Kota	619	519	727	2000	—	933	—	649	775	1133	832
14.	Baran	618	519	727	2000	—	933	—	649	850	—	850
15.	Bundi	106	500	516	—	—	1000	—	595	967	1000	969
16.	Jhalawar	207	305	280	667	—	524	—	366	571	1004	600
17.	Tonk	74	1538	308	400	200	1000	—	1171	817	—	817
	TOTAL:—	298	626	470	667	200	637	—	553	795	1081	812
18.	Jodhpur	1332	818	667	—	100	—	—	182	538	—	537
19.	Jalore	11	180	667	375	482	—	200	243	571	1000	574
20.	Barmer	83	339	—	—	243	—	263	—	600	1600	604
21.	Nagaur	168	203	—	291	86	—	—	117	500	1500	500
22.	Pali	12	192	357	227	167	130	100	182	680	500	680
23.	Sirohi	50	167	158	215	53	158	283	182	567	500	564
24.	Jaisalmer	—	250	—	—	—	—	—	250	—	—	—
	TOTAL:—	358	320	169	278	132	150	237	181	575	580	575
25.	Udaipur	152	800	407	1000	333	813	500	402	1000	1200	1042
26.	Kankroli	150	800	497	1000	—	813	—	573	1000	—	1000
27.	Dungarpur	535	600	704	2400	—	944	300	712	950	1000	952
28.	Banswara	621	667	582	1818	—	769	—	673	914	1000	918
29.	Bhilwara	50	333	321	708	100	367	150	281	950	1000	952
30.	Chittorgarh	723	350	650	1333	330	292	200	615	675	555	672
	TOTAL:—	419	481	604	1010	231	789	323	601	876	1047	825
	STATE TOTAL:—	400	345	555	300	125	600	300	222	980	1070	984

20 संकल्प कार्यक्रम—दलहन विकास योजना

बीज वितरण कार्यक्रम सन् 1982–83

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं	जिले का नाम	जायद मूंग	खरीफ मूंग	उडद	चौला	मौठ	अरहर	योग खरीफ	चना
1.	अजमेर	9.40	22	1	3	5	10	41	500
2.	अलवर	19.30	6	10	10	1	190	217	1200
3.	भरतपुर	19.30	6	8	1	3	120	138	1200
4.	जयपुर	21.40	27	2	50	10	45	134	1200
5.	दौसा	21.40	23	—	50	10	45	130	1200
6.	सीकर	6.00	56	—	100	20	10	186	900
7.	झुंझुनूं	9.65	54	—	50	20	—	124	500
8.	सवाई माधोपुर	26.20	46	25	1	6	95	173	900
	योग:–	132.65	240	48	265	75	515	1143	76000
9.	श्री गंगानगर	12.30	7	—	—	10	35	52	1000
10.	हनुमानगढ़	8.56	7	—	—	10	35	52	1000
11.	चूरू	6.01	63	—	1	70	—	134	300
	योग:–	26.87	77	—	1	90	70	238	2300
12.	कोटा	9.70	17	25	—	—	25	67	550
13.	बारां	9.70	17	25	—	—	25	67	550
14.	बूंदी	8.70	14	15	—	—	35	64	300
15.	झालावाड़	6.00	20	40	—	—	120	180	200
16.	टोंक	10.25	10	1	1	—	10	22	600
	योग:–;	44.35	78	106	1	—	215	400	2200
17.	जोधपुर	8.90	100	—	—	50	—	150	200
18.	जालौर	11.75	100	—	1	10	—	111	200
19.	बाडमेर	6.76	90	—	—	25	—	115	—
20.	नागौर	10.30	109	—	24	40	—	164	200
21.	पाली	14.30	190	1	1	5	25	132	700
22.	सिरोही	10.10	40	15	4	–	60	119	200
	योग	62.11	530	16	30	130	85	791	1500
23.	उदयपुर	22.20	3	25	1	–	35	64	200
24.	कांकरोली	22.20	3	25	1	–	35	64	200
25.	डूंगरपुर	22.20	1	40	–	–	45	86	300
26.	बांसवाडा	18.73	1	50	–	–	190	241	350
27.	भीलवाडा	10.35	14	25	1	–	10	50	300
28.	चित्तौड़गढ़	15.44	3	115	–	–	70	188	300
	योग	111.12	25	280	3	–	385	693	1600
29.	पी. डी. बीकानेर	36.30	20	–	–	5	240	265	400
30.	पी. डी. कोटा	36.60	30	50	–	–	240	320	400
	योग	72.90	50	50	–	5	480	585	800
	राज्य का योग	450.00	1000	500	300	300	1750	3850	16000

क्र.सं.	जिले का नाम	जायद मूंग	खरीफ मूंग	उडद	चौला	मोठ	अरहर	योग खरीफ	चना
1.	अजमेर	115	400	20	30	1000	50	1500	2700
2.	अलवर	210	200	200	80	200	800	1480	7200
3.	भरतपुर	640	200	160	10	600	700	1670	3200
4.	जयपुर	350	500	40	400	2000	400	3340	2000
5.	दौसा	315	800	40	400	2000	400	3340	2000
6.	सीकर	70	800	–	800	4000	50	5650	2100
7.	झुन्झुनूं	70	1000	–	400	4000	–	5400	2000
8.	सवाईमाधोपुर	280	800	500	10	1200	600	3110	5500
	योग	2050	4400	960	2130	15000	3000	25490	26700
9.	श्रीगंगानगर	550	200	–	–	2000	300	2500	22000
10.	हनुमानगढ	50	200	–	–	2000	300	2500	22000
11.	चूरू	50	1200	–	10	14000	–	15210	2700
	योग	650	1600	–	10	18000	600	26210	46700
12.	कोटा	135	200	500	–	–	200	300	5600
13.	बारां	85	200	500	–	–	200	900	5600
14.	बूंदी	85	200	500	–	–	300	800	4000
15.	झालावाड	75	200	800	–	–	1000	2000	6000
16.	टोंक	210	200	20	10	–	50	280	6000
	योग	590	1000	2120	10	–	1750	4880	27200
17.	जोधपुर	125	2000	–	–	10000	–	12000	2000
18.	जालौर	45	2200	–	–	2000	–	4200	2100
19.	बाडमेर	30	2000	–	10	5000	–	7010	500
20.	नागौर	125	2400	–	250	8000	–	10650	3000
21.	पाली	225	2000	20	10	1000	200	3230	5400
22.	सिरोही	100	700	300	50	–	300	1350	1300
	योग	550	11300	320	320	26000	500	38440	14300
23.	उदयपुर	1650	100	500	10	–	200	810	2000
24.	कांकरौली	200	100	500	10	–	200	810	2000
25.	डूंगरपुर	2150	100	800	–	–	300	1200	2000
26.	बांसवाडा	1260	100	1000		–	1000	2100	3500
27.	भीलवाडा	150	200	500	10	–	50	760	3000
28.	चित्तौडगढ	150	100	2300	–	–	400	2800	7000
	योग	5560	700	5600	30	–	2150	8480	19500
29.	पी. डी. बीकानेर	250	400	–	–	1000	1000	2400	1500
30.	पी. डी. कोटा	350	600	1000	–	–	1000	2600	1600
	योग	600	1000	1000	–	1000	2000	5000	3100
	राज्य का योग	10000	20000	10000	2500	60000	10000	102500	1,37,500

STATEMENT SHOWING THE REQUIREMENT OF FERTILIZER FOR 1982-1983.

*(Fertilizer in Tonnes)

S.No.	Districts	Crop :-Zaid Mo ong. Area. @20% Hect.	Fertilizers N @10 Kg. per Hect.	Fertilizers P 205 @ 30 Kg. Hect.	Crop :-Kharif Moong. Fertilizers N @ 10 Kg. Hect.	Fertilizers P 205 @ 30 Kg. Hect.	Crop :— Urd. Area for 0.5.% (Hect.)	Area for 1% (Hect.)	Fertilizers N @ 10 Kg. Hect.	Fertilizers P 205 @ 30 Kg. Hect.
1.	Ajmer	46	0.46	1.38	4.35	13.05	435	32	0.32	0.96
2.	Alwar	84	0.84	2.52	0.90	2.70	90	100	1.00	3.00
3.	Bharatpur	256	2.56	7.68	0.90	2.70	90	80	0.80	2.40
4.	Jaipur	140	1.40	4.20	4.00	12.00	400	20	0.20	0.60
5.	Dausa	126	1.26	3.78	3.50	10.50	350	20	0.20	0.60
6.	Sawai Madhopur	112	1.12	3.36	6.85	20.65	685	280	2.80	8.40
7.	Sikar	28	0.28	0.84	8.40	25.20	840	..	..	..
8.	Jhunjhunu	28	0.28	0.84	8,10	24.30	810	..	..	..
	TOTAL	820	8.20	24.60	37.00	111.00	3700	532	5.32	15.96
9.	Ganganagar	210	2.10	6.30	1.00	3.00	100	16	0.16	0.48
10.	Hanumangarh	40	0.40	1.20	1.00	3.00	100	16	0.16	0.48
11.	Bikaner	..	..	..	1.70	5.10	170	..	..	..
12.	Churu	10	0.10	0.30	6.95	20.85	695	..	..	..
	TOTAL	260	2.60	7.80	10.65	31.95	1065	32	0.32	0.96
13.	Kota	54	0.54	1.62	2.65	7.95	265	585	5.85	17.55
14.	Baran	34	0.34	1.02	2.65	7.95	265	585	5.85	17.55
15.	Bundi	34	0.34	1.02	2.10	6.30	210	310	3.10	9.30
16.	Jhalawar	30	0.30	0.90	2.95	8.85	295	1640	16.40	49.20
17.	Tonk	84	0.84	2.52	2.95	8.85	295	26	0.26	0.78
	TOTAL	236	2.36	7.08	12.30	36.90	1230	3146	31.46	94.38
18.	Jodhpur	50	0.50	1.50	16.15	48.45	1615	..	..	..
19.	Jalore	18	0.18	0.54	20.30	60.90	2030	..	..	..
20.	Barmer	12	0.12	0.36	13.55	40.65	1355	..	..	..
21.	Nagaur	50	0.50	1.50	18.70	56.10	1870	..	..	..
22.	Pali	50	0.50	1.50	14.75	44.25	1475	20	0.20	0.60
23.	Sirohi	40	0.40	1.20	6.00	18.00	600	330	3.30	9.90
	TOTAL	2.20	2.20	6.60	88.55	265.55	8855	350	3.50	10.50

24. Udaipur	660	6.60	19.80	0.50	1.50	50	865	8.65	25.95
25. Kankroli	80	0.80	2.40	0.50	1.50	50	865	8.65	25.95
26. Dungarpur	860	8.60	25.80	0.25	0.75	25	1250	12.50	37.50
27. Banswara	504	5.04	15.12	0.15	0.45	15	2200	22.00	65.00
28. Bhilwara	60	0.60	1.80	2.10	6.30	210	280	2.80	8.40
29. Chittorgarh	60	0.60	1.80	0.50	1.50	50	4000	40.00	120.00
TOTAL	2224	22.24	66.72	4.00	12.00	400	9440	94.40	283.80
30. P. D. Bikaner	100	10.00	3.00	1.25	3.75	125	..	..	..
31. P. D. Kota	140	1.40	4.20	1.25	3.75	125	..	..	..
TOTAL	240	2.40	7.20	2.50	7.50	250	..	..	..
**STATE TOTAL	4000	40.00	120.00	155.00	465.00	15500	13500	135.00	405.00

*(*Fertilizer in TONNES*)

STATEMENT SHOWING THE REQUIREMENT OF FERTILIZER FOR 1982-83

S. No.	District	Crop	Cowpea			Crop	Moth		Crop	Arhar		Crop	Gram	
		Area for 1% Hect.	Fertilizers N @10 Kg. Ht.	Fertilizers P 205 @ 30 Kg./Ht.	Area for 1% Hect.	Fertilizers N @10 Kg./Ht.	Fertilizers P 205 @30 Kg./Ht.	Area for 1% Hect.	Fertilizers N @20 Kg./Ht.	Fertilizers P 205 @60 Kg./Ht.	Area for 20% Hect.	Fertilizers N @ 10 Kg./Ht.	Fertilizers P205 @25 Kg./Ht.
1.	Ajmer	170	1.70	5.10	50	0.50	1.50	..	..	..	1000	100	250
2.	Alwar	540	5.40	16.20	..	..	..	2080	41.60	124.80	30000	300	750
3.	Bharatpur	80	0.80	2.40	20	0.20	0.60	1270	25.40	76.20	20000	200	500
4.	Jaipur	2990	29.90	89.70	190	1.90	5.70	450	9.00	27.00	12000	120	300
5.	Dausa	2990	29.90	89.70	190	1.90	5.70	450	9.00	27.00	12000	120	300
6.	Sawaimadhopur	100	1.00	3.00	50	0.50	1.50	890	17.80	53.40	20000	200	500
7.	Sikar	5920	59.20	177.60	740	7.40	22.20	50	1.00	3.00	5000	50	125
8.	Jhunjhunu	3310	33.10	99.30	760	7.60	22.80	..	..	..	13400	134	335
	TOTAL	16100	161.00	483.00	2000	20.00	60.00	5190	103.80	311.40	122440	1224	3060
9.	Ganganagar	..	..	..	250	2.50	7.50	160	3.20	9.60	50000	500	1250
10.	Hanumangarh	..	..	..	250	2.50	7.50	150	3.00	9.00	50000	500	1250
11.	Bikaner	..	..	..	3080	30.80	92.40	..	..	..	..	..	..
12.	Churu	..	..	..	3800	38.00	114.00	..	..	..	16000	160	400
	TOTAL	..	..	..	7380	73.80	221.40	310	6.20	18.60	116000	1160	2900
13.	Kota	..	..	..	..	..	..	75	1.60	4.50	8000	80	200
14.	Baran	..	..	..	..	..	..	75	1.50	4.50	8000	80	200
15.	Bundi	..	..	..	..	..	..	180	3.60	10.80	6000	60	150
16.	Jhalawar	..	..	..	..	..	..	1100	22.00	66.00	7000	70	175
17.	Tonk	45	0.45	1.35	..	..	..	40	0.80	2.40	14000	140	350
	TOTAL	45	0.45	1.35	..	..	..	1470	29.40	88.20	43000	430	1075
18.	Jodhpur	..	..	..	2390	23.80	71.70	..	..	..	16000	150	400
19.	Jalore	40	0.40	1.20	110	1.10	3.30	..	..	..	1600	16	40
20.	Barmer	..	..	..	1050	10.50	31.50	..	..	..	..	..	..
21.	Nagour	1250	12.50	37.50	1740	17.40	52.40	..	..	..	6600	66	165
22.	Pali	90	0.90	2.70	60	0.60	1.80	230	4.60	13.80	5800	58	145
23.	Sirohi	265	2.65	7.95	20	0.20	0.60	570	11.40	34.20	8000	80	200
	TOTAL	1645	16.45	49.35	5370	53.70	161.10	800	16.00	48.00	38000	380	950

24.	Udaipur	55	0.55	1.65	..	..	..	150	3.00	9.00	3400	34	85
25.	Kankroli	55	0.55	1.65	..	..	..	150	3.00	9.00	3400	34	85
26.	Dungarpur	..	..	..	..	..	..	450	9.00	27.00	4400	44	110
27.	Banswara	..	..	..	..	..	..	2080	41.60	124.80	7000	70	175
28.	Bhilwara	100	1.00	2.00	..	..	..	..	..	..	5000	50	125
29.	Chittorgarh	..	..	..	..	..	..	400	8.00	24.00	8000	80	200
	TOTAL	210	2.10	6.30	..	..	..	3230	64.60	193.80	31200	312	780
30.	P. D. Bikaner	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5000	50	125
31.	P. D. Kota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5000	50	125
	TOTAL	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10000	100	250
	GRAND TOTAL	18000	180.00	540.00	14750	147.50	442.50	11000	220.00	66.00	340000	3400	8500

20—संकल्प कार्यक्रम दलहन विकास योजना के अन्तर्गत फोसफेटिक उर्वरक का उपयोग

वर्ष 1982-83

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र. सं.	जिले का नाम		फासफेटिक उर्वरक के उपयोग का क्षेत्रफल जायद मूंग	चना
1.	अजमेर		50	10000
2.	अलवर		80	30000
3.	भरतपुर		300	20000
4.	जयपुर		150	12000
5.	दौसा		150	12000
6.	सीकर		25	5000
7.	झुन्झुनूं		25	13400
8.	सवाईमाधोपुर		120	20000
		योग	900	122400
9.	श्रीगंगानगर		200	50000
10.	हनुमानगढ		25	50000
11.	चूरू		25	16000
		योग	250	116000
12.	कोटा		50	8000
13.	बारां		25	8000
14.	बूंदी		25	6000
15.	झालावाड		25	7000
16.	टोंक		75	14000
		योग	200	43000
17.	जोधपुर		40	16000
18.	जालौर		20	1600
19.	बाडमेर		10	—
20.	नागौर		50	6600
21.	पाली		50	5800
22.	सिरोही		75	8000
		योग	200	17400
23.	उदयपुर		700	3400
24.	कांकरोली		100	3400
25.	डूंगरपुर		900	4400
26.	बांसवाडा		400	7000

27.	भीलवाड़ा	75	5000
28.	चित्तौडगढ	75	8000
	योग	2250	31200
29.	पी. डी. बीकानेर	100	5000
30.	पी. डी. कोटा	100	5000
	योग	200	10000
	राज्य का योग	4000	340000

20—संकल्प कार्यक्रम—दलहन विकास योजना—वर्ष 1982-83

"पौध संरक्षण कार्य"

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रम सं.	जिले का नाम		पौध संरक्षण कार्य	
			खरीफ	रबी
1.	अजमेर		10,000	12,000
2.	अलवर		30,000	32,000
3.	भरतपुर		20,000	22,000
4.	जयपुर		12,000	14,000
5.	दौसा		12,000	14,000
6.	सीकर		5,000	22,000
7.	झुन्झुनूं		13,400	15,400
8.	सवाईमाधोपुर		20,000	22,000
		योग	1,22,400	1,53,400
9.	श्रीगंगानगर		53,000	56,000
10.	हनुमानगढ		52,000	55,000
11.	चूरू		16,000	21,000
		योग	1,21,000	1,32,000
12.	कोटा		8,000	11,000
13.	बारां		8,000	11,000
14.	बूंदी		6,000	9,000
15.	झालावाड़		7,000	10,000
16.	टोंक		14,000	18,000
		योग	45,000	59,000
17.	जोधपुर		1,600	4,600
18.	जालौर		4,600	4,600
19.	बाड़मेर		—	—
20.	नागौर		6,600	10,600
21.	पाली		5,800	8,800
22.	सिरोही		1,800	4,800
		योग	17,400	33,400
23.	उदयपुर		3,400	5,400
24.	कांकरोली		3,400	5,400
25.	डूंगरपुर		4,400	6,400
26.	बांसवाड़ा		7,000	9,000

27. भीलवाडा		5,000	7,000
28. चित्तौड़गढ़		8,000	10,000
	योग	31,200	43,200
29. पी. डी. बीकानेर		5,000	7,000
30. पी. डी. कोटा		5,000	7,000
	योग	10,000	14,000
	राज्य का योग	3,45,000	4,20,000

तिलहन उत्पादन बढाईये
'20 सूत्रीय संकल्प'

तिलहन विकास कार्यक्रम वर्ष 1982-83

आपको भली भांति ज्ञात है कि राष्ट्र में खाद्य तेलों की कमी होने कारण विभिन्न प्रकार के तेलों का आयात करना पड़ रहा है। इस विषम स्थिति पर काबू पाने के लिए तिलहन विकास योजना को बीस सूत्रीय संकल्प में सम्मिलित किया गया है एवम् लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जिलेवार योजना बना कर संलग्न की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि योजना के अनुसार अपने अधीनस्थ समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों/कार्यकर्त्ताओं में जागरुकता लाकर लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु आपका अधिक से अधिक योगदान देने का श्रम करें।

कृषि उत्पादन में तिलहन विकास योजना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राज्य के अन्दर खरीफ में तिल, मूंगफली, सोयाबीन एवं अरण्डी और रबी में सरसों एवं अलसी की तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों का क्षेत्रफल व उत्पादन वर्ष 1982–83 के लिए प्रस्तावित किया गया है जो निम्न प्रकार हैः—

क्र. सं.	फसल का नाम	1982–83	
		प्रस्तावित क्षेत्र (है. में)	प्रस्तावित उत्पादन (टनों में)
1.	तिल	425000	75000
2.	मूंगफली	400000	250000
3.	अरण्डी	5000	3000
4.	सोयाबीन	50000	50000
5.	राया सरसों	430000	300000
6.	अलसी	100000	37000
	योगः—	1410000	715000

तिलः—

खरीफ 1982 में राजस्थान राज्य बीज निगम को 730 क्विन्टल उन्नत किस्म के प्रमाणित तिल बीज वितरण हेतु व्यवस्था करने हेतु निवेदन किया गया है एवं इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मूंगफलीः—

20 सूत्रीय संकल्प के अन्तर्गत 4 लाख हैक्टर क्षेत्र में मूंगफली बुवाई के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। 20 हजार हैक्टर क्षेत्र में मूंगफली की अग्रिम बुवाई करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बीज की व्यवस्था राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से की जा रही है किन्तु बीज पहुंचने में यदि विलम्ब हो जावे तो सहकारी समितियों के माध्यम से उत्तम किस्म का बीज जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो उसकी व्यवस्था लक्ष्यों के अनुसार करवाई जावें।

मूंगफली फसल के अधिक प्रसार हेतु इस वर्ष खरीफ में राज्य के विभिन्न जिलों में 60 प्रदर्शन लगाये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। प्रत्येक प्रदर्शन का क्षेत्रफल 1 हैक्टर होगा एवं इस पर 200 रुपये प्रति हैक्टर की दर से अनुदान देय होगा। प्रदर्शन में उन्नत बीज का उपयोग किया जायेगा एवंम् उत्पादन में उर्वरक, बीज उपचार, पौध संरक्षण कार्य आदि विभागीय सिफारिशों के अनुसार काम में लिये जावेंगे।

अरण्डीः—

अरण्डी की खेती बहुधा कृषक मेड़ पर करते हैं जो कि विन्डब्रेक का काम भी करती है। परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि यदि कृषि फसल के रूप में इसे अपनावें तो अपर्याप्त वर्षा की दशा में भी परिणाम लाभप्रद सिद्ध होंगें क्योंकि यह पानी की कमी को सहन करने की अपार शक्ति रखती है। अतः इस फसल के अर्न्तगत बरानी क्षेत्र में प्रसार करने के विशेष प्रयत्न किये जावें तो उचित होगा एवं इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान होगा। अरुणा किस्म एक बोनी किस्म है और अन्य किस्मों से अधिक उपज देने वाली है। इस वर्ष 5000 हैक्टर क्षेत्र में इसकी बुवाई के लक्ष्य रखे गये हैं।

सोयाबीनः—

सोयाबीन एक नगदी फसल है इसके प्रसार हेतु पिछले वर्ष राज्य के 11 जिलों में 400 प्रदर्शन लगाये गये थे जिसके परिणाम बड़े उत्साह वर्धक रहें एवं राज्य में लगभग 12500 हैक्टर क्षेत्र में इस फसल की बुवाई की गई। इस वर्ष भी 50000 हैक्टर क्षेत्र में बुवाई के लक्ष्य रखे गये हैं एवम् 250 प्रदर्शन लगाये जाने का कार्यक्रम है। प्रत्येक प्रदर्शन का क्षेत्र 1 हैक्टर का होगा एवंम् इन प्रदर्शनों में उपयोग किये जाने वाले समस्त उपादान जैसे बीज, उर्वरक इत्यादि या तो निशुल्क उपलब्ध कराये जायेगें या 500 प्रति हैक्टर के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा।

ह.
कार्यलय उप निदेशक कृषि (तिलहन एवं गन्ना)
कृषि विभाग, राजस्थान, सी-7 पृथ्वीराज मार्ग,
सी स्कीम, जयपुर द्वारा प्रसारित।

20–संकल्प कार्यक्रम–तिलहन फसलों का उत्पादन

क्षेत्रफल–'000 है. में

फसलवार एवं जिलेवार लक्ष्य वर्ष 1982-83

उत्पादन -'000 टन में

क्र. सं.	जिले का नाम	तिल		मूंगफली		सोयाबीन		अलसी		राया-सरसों	
		क्षेत्र	उत्पा.	क्षेत्र	उत्पा.	क्षेत्र	उत्पा.	क्षेत्र	उत्पा.	क्षेत्र	उत्पा.
1.	अजमेर	15	1.5	30	15	–	–	–	–	7	3.5
2.	भरतपुर	5	1.1	25	15	2	1.8	–	–	90	72
3.	जयपुर	20	4	65	45	–	–	–	–	10	5
4.	सीकर	–	–	5	3	–	–	–	–	5	2
5.	सवाई माधोपुर	10	2	65	39	2	2	10	3	35	24.5
6.	अलवर	10	2	–	–	–	–	–	–	50	38
7.	झुंझूनूं	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2
	योग	60	10.6	190	117	4	3.8	10	3	202	147
8.	श्री गंगानगर	–	–	8	8	–	–	–	–	80	80
9.	बीकानेर	20	3	–	–	–	–	–	–	5	5
10.	चूरू	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	20	3	8	8	–	–	–	–	85	85
11.	जोधपुर	65	13	2	1	–	–	–	–	10	5
12.	जालोर	40	6	–	–	–	–	–	–	42	21
13.	बाड़मेर	20	4	–	–	–	–	–	–	8	4
14.	नागौर	80	16	20	14	–	–	–	–	10	5
15.	पाली	80	12	4	3	–	–	–	–	35	15
16.	सिरोही	15	3	2	1	–	–	–	–	10	5
	योग	300	54	28	19	–	–	–	–	115	55
17.	कोटा	5	0.5	10	6	21	21	45	13	10	5
18.	बूंदी	5	0.5	4	2	3	3	5	2	–	–
19.	झालावाड़	5	0.5	20	10	10	10	15	6	–	–
20.	टोंक	5	0.5	35	21	–	–	5	2	5	3
	योग	20	2.0	69	39	34	34	70	23	15	8
21.	उदयपुर	7	1.6	10	5	–	–	–	–	3	1
22.	डूंगरपुर	–	–	–	–	–	–	10	3	–	–
23.	बांसवाड़ा	–	–	5	3	5	4.5	–	–	5	2
24.	भीलवाड़ा	10	2	40	24	–	–	–	–	–	–
25.	चित्तौड़गढ़	8	2	50	35	7	7.7	10	3	5	2
	योग	25	5.6	105	67	12	12.2	20	6	13	5
	कुल योग	425	75	400	250	50	50	100	430	300	–

क्र. सं.	फसल का नाम	वास्तविक वर्ष 1980-81		अनुमानित वर्ष 1981-82		क्षेत्र-'000 है.
		क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	उत्पादन–'000 टन
1.	मूंगफली	212	85–5	300	180	
2.	तिल	428	34	560	40	
3.	सोयाबीन	10	10	10	10	
4.	राया-सरसों	362	248	470	260	
5.	अलसी	43	14	600	40	

20 संकल्प कार्यक्रम–तिलहनी फसलों का उत्पादन वर्ष 1982–83

क्र. सं.	विवरण	इकाई	तिल	मूंगफली	अरण्डी	सोयाबीन	राया-सरसों	अलसी	योग
1.	फसलीय क्षेत्र	'000 है.	425	400	5	50	430	100	1410
2.	उत्पादन	'000 टन	75	250	3	50	300	37	715
	उन्नत विधियां:—								
1.	वर्षा प्रारम्भ पर बुवाई	'000 है	21	–	–	–	–	–	21
2.	पौधों की छंटाई (थीनिंग)	,,	21	–	–	–	–	–	21
3.	कतारों में बुवाई	,,	42	–	–	–	–	–	42
4.	अग्रिम बुवाई	,,	–	10	–	–	–	–	10
5.	वांछित पौध संख्या बनाये रखना	,,	–	40	–	–	–	–	40
6.	उचित बीज दर का उपयोग	,,	–	20	–	–	–	–	20
	उपादान:—								
1.	बीज वितरण	क्विंटल	1245	2600	75	2000	8000	750	14670
2.	उर्वरक-नत्रजनीय	टनों में	2100	1000	5	200	2580	50	5935
	फास्फेटिक	,,	2100	3000	5	600	1290	50	7045
3.	सुपर फास्फेट का उपयोग दर 60 किलो प्रति हैक्टर	'000 है.	–	50	–	–	–	–	50
4.	राइजोबियम कल्चर का उपयोग	हैक्टर	–	4000	–	–	–	–	4000
5.	जिप्सम का उपयोग	,,	–	4000	–	–	–	–	4000
6.	पौध संरक्षण कार्य	'000 है.	21	280	–	5	250	–	306
7.	प्रदर्शन	संख्या	–	60	–	250	1450	–	1760
8.	मूंगफली हेतु खोदने का यंत्र	,,	–	40	–	–	–	–	40
9.	बीज उपचार	है.	–	4000 (केपटान सहित)	–	–	43000	–	47000

20-संकल्प कार्यक्रम–तिलहनी फसलों का उत्पादन–वर्ष 1982–83
प्रस्तावित जिलेवार कार्यक्रम

फसल : अलसी

क्रम संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र लक्ष्य हैक्टर में	बीज वितरण		उर्वरक वितरण (टनों में)		
			क्षेत्र (है.)	मात्रा (क्वि.)	क्षेत्र (है.)	एन (10 किलो)	पी. (10 किलो)
1.	अजमेर	–	–	–	–	–	
2.	सवाई माधोपुर	10000	500	75	500	5	5
	योग	10000	500	75	500	5	5
1.	कोटा	45000	2500	375	2500	25	25
2.	बून्दी	5000	300	45	300	3	3
3.	झालावाड़	15000	700	105	700	7	7
4.	टोंक	5000	300	45	300	3	3
	योग	70000	3800	570	3800	38	38
1.	चित्तौड़गढ़	10000	400	60	400	4	4
2.	डूंगरपुर	10000	300	45	300	3	3
	योग	20000	700	105	700	7	7
	कुल योग	100000	5000	750	5000	50	50

20–संकल्प कार्यक्रम-तिलहनी फसलों का उत्पादन वर्ष 1982-83
जिलेवार प्रस्तावित कार्यक्रम

फसल–तिल
क्षेत्रफल–हैक्टर में

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षेत्र लक्ष्य	वर्षा/ प्रारम्भ पर बुवाई	पौधों की छटाई	कतारों में बुवाई है.	बीज वितरण (क्विं.में)	उर्वरक वितरण (टनों में) क्षेत्र	नत्रजन	फास्फेटिक	पौध संरक्षण कार्य (है. में)
1.	अजमेर	15000	750	750	15000	45	750	75	75	750
2.	अलवर	10000	500	500	1000	30	500	50	50	500
3.	भरतपुर	5000	250	250	500	15	250	25	25	250
4.	जयपुर	20000	1000	1000	2000	60	1000	100	100	1000
5.	सवाई माधोपुर	10000	500	500	1000	30	500	50	50	500
	योग	60000	3000	3000	6000	180	3000	300	300	3000
1.	बीकानेर	20000	1000	1000	2000	60	1000	100	100	1000
2.	जोधपुर	65000	3250	3250	6500	180	3250	325	325	3250
3.	जालौर	40000	2000	2000	4000	120	2000	200	200	2000
4.	बाड़मेर	20000	1000	1000	2000	60	1000	100	100	1000
5.	नागौर	80000	4000	4000	8000	240	4000	400	400	4000
6.	पाली	80000	4000	4000	8000	240	4000	400	400	4000
7.	सिरोही	15000	750	750	1500	45	750	75	75	750
	योग	300000	15000	15000	30000	885	15000	1500	1500	15000
1.	कोटा	5000	200	200	400	12	200	20	20	200
2.	बूंदी	5000	200	200	400	12	200	20	20	200
3.	झालावाड़	5000	200	200	400	12	200	20	20	200
4.	टोंक	5000	200	200	400	12	200	20	20	200
	योग	20000	800	800	1600	48	800	80	80	800
1.	उदयपुर	7000	300	300	600	18	300	30	30	300
2.	भीलवाड़ा	10000	500	500	1000	30	500	50	50	500
3.	चित्तौड़गढ़	8000	400	400	800	24	400	40	40	400
	योग	25000	1200	1200	2400	72	1200	120	120	1200
	कुल योग	425000	21000	21000	42000	1245	21000	2100	2100	21000

20-संकल्प कार्यक्रम-तिलहनी फसलों का उत्पादन वर्ष 1982-83 जिलेवार प्रस्तावित कार्यक्रम

फसल-अरण्डी

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षेत्र लक्ष्य (हैं.)	बीज वितरण क्षेत्र (हैं.)	मात्रा (क्वि.)	उर्वरक वितरण (टनों में) क्षेत्र	एन. (10 किलो)	पी. (10 किलो)
1.	श्री गंगानगर	1000	100	15	100	1	1
2.	जालौर	2000	200	30	200	2	2
3.	बाडमर	1000	100	15	100	1	1
4.	सिरोही	1000	100	15	100	1	1
	कुल योग	5000	500	75	500	5	5

20-संकल्प कार्यक्रम–तिलहनी फसलों का उत्पादन वर्ष 1982-83 जिलेवार प्रस्तावित कार्यक्रम

फसल–मूंगफली

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षेत्र (हैं. में)	पूर्व बुवाई (हैं. में)	वांछित पौध संख्या रखना (हैं. में)	बीज वितरण बीज (क्वि. में)	सुपर फास्फेट का उपयोग (हैं. में)	उचित बीज दर का उपयोग (हैं. में)	बीज उपचार (हैं. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	30000	–	3000	200	4000	1500	300
2.	भरतपुर	25000	1000	2500	150	3000	1250	250
3.	जयपुर	65000	2000	6500	300	8000	3250	650
4.	सीकर	5000	–	500	50	500	250	50
5.	सवाई माधोपुर	65000	1500	6500	250	8500	3250	650
	योग	190000	4500	19000	950	24000	9500	1900
1.	श्री गंगानगर	8000	–	1000	150	3000	400	200
2.	जोधपुर	2000	–	–	–	250	100	20
3.	नागौर	20000	–	2000	100	3000	1000	80
4.	पाली	4000	–	400	100	500	200	40
5.	सिरोही	2000	–	200	50	250	100	20
	योग	28000	–	2600	250	4000	1400	160
1.	कोटा	10000	–	1000	100	500	500	100
2.	बून्दी	4000	–	400	50	500	200	40
3.	झालावाड	20000	–	2000	100	3000	1000	200
4.	टोंक	35000	–	3500	150	3000	1750	350
	योग	69000	–	6900	400	7000	3450	690
1.	उदयपुर	10000	–	1000	50	1400	250	100
2.	बांसवाडा	5000	–	500	50	600	500	50
3.	भीलवाडा	40000	2500	4000	250	5000	2000	400
4.	चित्तौडगढ	50000	3000	5000	500	5000	2500	500
	योग	105000	5500	10500	850	12000	5250	1050
	कुल योग	400000	10000	40000	2600	50000	20000	4000

मूंगफली (क्रमशः)

क्रम सं.	जिले का नाम	राईजोबियम कल्चर का उपयोग (हे. में)	जिप्सम का प्रयोग (हे.)	उर्वरक वितरण (टनों में)		पौध संरक्षण कार्य (हैक्टर)	प्रदर्शन (संख्या)	डिगर का उपयोग (सं.)
				नत्रजन	फास्फेटिक			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	अजमेर	300	–	80	240	210000	3	5
2.	भरतपुर	250	–	60	180	19000	3	5
3.	जयपुर	650	1000	160	480	40000	3	5
4.	सीकर	50	–	10	30	3000	4	2
5.	सवाई माधोपुर	650	1000	170	510	46000	3	5
	योग	1900	2000	480	1440	135000	16	22
1.	श्री गंगानगर	200	–	60	180	6000	5	5
2.	जोधपुर	20	–	10	30	1000	3	1
3.	नागौर	80	–	60	180	15000	3	5
4.	पाली	40	–	10	30	3000	4	1
5.	सिरोही	20	–	10	30	1000	3	1
	योग	160	–	90	270	20000	13	8
1.	कोटा	100	500	10	30	7000	3	–
2.	बून्दी	40	–	10	30	3000	3	–
3.	झालावाड	200	–	60	180	15000	3	–
4.	टौंक	350	–	60	180	21000	3	5
	योग	690	500	140	420	40000	12	5
1.	उदयपुर	100	500	20	60	7000	3	–
2.	बांसवाडा	50	–	10	30	3000	3	–
3.	भीलवाडा	400	1000	100	300	28000	4	–
4.	चित्तौडगढ	500	–	100	300	35000	4	–
	योग	1050	1500	240	690	73000	14	–
	कुल योग	4000	4500	1600	3000	280000	60	40

20–संकल्प कार्यक्रम–तिलहनी फसलों का उत्पादन वर्ष 1982-83
जिलेवार प्रस्तावित कार्यक्रम

फसल–सोयाबीन

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षेत्र लक्ष्य (हैं. में)	बीज वितरण क्षेत्र (हैं. में)	प्रमाणित मात्रा (कि. में.)	उर्वरक वितरण (टनों में)			पौध संरक्षण कार्य (हैं. में)	प्रदर्शन संख्या
					क्षेत्र (हैं.)	नत्रजन (टनों में 20 कि.)	फास्फेटिक (60 किलो)		
1.	भरतपुर	2000	160	80	400	8	24	200	10
2.	सवाई माधोपुर	2000	160	80	400	8	24	200	10
	योग	4000	320	160	800	16	48	400	20
1.	कोटा	21000	1680	840	4200	84	252	2100	105
2.	बून्दी	3000	240	120	600	12	36	300	15
3.	झालावाड	10000	800	400	2000	40	120	1000	50
	योग	34000	2720	1360	6800	136	408	3400	170
1.	बांसवाडा	5000	400	200	1000	20	60	500	25
2.	चित्तौडगढ	7000	560	280	1400	28	84	700	35
	योग	12000	960	480	2400	48	144	1200	60
	कुल योग	50000	4000	2000	10000	200	600	5000	250

20–सकल्प कार्यक्रम-तिलहनी फसलों का उत्पादन वर्ष 1982–83
जिलेवार प्रस्तावित कार्यक्रम

फसल–राया–सरसों

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षेत्र लक्ष्य (हैं. में)	बीज उपचार (हैं. में)	बीज वितरण (क्विं. में.)	उर्वरक वितरण (टनों में)			पौध संरक्षण कार्य (हैं. में)	प्रदर्शन संख्या
					क्षेत्र	एन. (60 कि.)	पी. (30 कि.)		
1.	अजमेर	7000	700	150	700	42	21	4000	–
2.	अलवर	50000	5000	950	5000	300	150	30000	300
3.	भरतपुर	90000	9000	1220	9000	540	270	54000	375
4.	जयपुर	10000	1000	300	1000	60	300	6000	–
5.	सीकर	5000	500	100	500	30	15	3000	–
6.	झुंझुनूं	5000	500	100	500	30	15	3000	–
7.	सवाई माधोपुर	35000	3500	600	3500	210	105	21000	50
	योग	202000	20200	3420	20200	1212	606	121000	725
1.	बीकानेर	5000	500	100	500	30	15	3000	–
2.	श्री गंगानगर	80000	8000	1600	8000	480	240	50000	250
	योग	85000	8500	1700	8500	510	255	53000	250
1.	जोधपुर	10000	1000	180	1000	60	30	6000	–
2.	जालौर	42000	4200	850	4200	252	126	25000	350
3.	बाडमेर	8000	800	160	800	48	24	5000	–
4.	नागौर	10000	1000	160	1000	60	30	6000	–
5.	पाली	35000	3500	750	3500	210	105	21000	125
6.	सिरोही	10000	1000	200	1000	60	30	6000	–
	योग	115000	11500	2300	11500	690	345	69000	475
1.	कोटा	10000	1000	200	1000	60	30	6000	–
2.	टोंक	5000	500	100	500	30	15	3000	–
	योग	15000	1500	300	1500	90	45	9000	–
1.	बांसवाडा	5000	500	100	500	30	15	3000	–
2.	चित्तौडगढ	5000	500	100	500	30	15	3000	–
3.	उदयपुर	3000	300	80	300	18	9	2000	–
	योग	13000	1300	280	1300	78	39	8000	–
	कुल योग	430000	43000	8000	43000	2580	1290	260000	1450

सूत्र संख्या–तीन

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-12) विभाग

(विशिष्ट योजनाएं)

क्रमांक एफ. 13 (106)कृषि/12/82 जयपुर, दिनांक 13 अप्रेल, 1982

समस्त जिलाधीश एवं पदेन अध्यक्ष,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

विषय :– वर्ष 1982-83 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रोग्राम के जिलेवार लक्ष्य व उनके अनुपालना हेतु निर्देश

महोदय,

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना में चल रहे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को गत वर्ष की भांति वर्ष 1982-83 में भी सुचारु रूप से निष्ठा व तन्मयता के साथ चालू रखना है । इस सम्बन्ध में पूर्व आदेशों के अनुक्रम में निम्न दिशा निर्देश और दिये जाते हैं :—

1. इस विभाग के आदेश सं. 18(2)कृषि/ग्रुप-12 / एस.एस.ओ., दिनांक 3 अप्रेल, 1981 के अनुसार गरीब परिवारों को चयन किया गया था व लगभग 600 परिवारों को प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था । वर्ष 82-83 में भी प्रत्येक विकास खण्ड के लगभग 600 परिवार को लाभान्वित करने का लक्ष्य है । राज्य स्तर पर लगभग 1.42 लाख परिवारों को वर्ष 82-83 में लाभ दिया जावेगा। इसमें से लगभग 0.50 लाख अनुसूचित जाति व 0.28 लाख अनुसूचित जन जाति के होंगे । इनके जिलेवार लक्ष्य परिशिष्ट 'अ' में संलग्न हैं ।

2. वर्ष 1981-82 में चलाये गये अभियान में चयनित गरीब परिवारों की सूचियां प्रकाशित की गई थीं परन्तु कुछ जिलों में इन सूचियों में वर्ष 82-83 में लाभान्वित करने हेतु बहुत कम परिवार रह गये हैं। ऐसे जिलों में सूचियां बनाने का समयबद्ध कार्यक्रम मई-जून 82 में पूर्व में दी गई हिदायतों के अनुसार बना लिया जावे व सूचियां बनवाकर, उन्हें गांव सभाओं से अनुमोदित करवाकर उन्हें जून 1982 के अन्त तक तैयार कर जुलाई के अन्त तक प्रकाशित कर प्रतियां सभी सम्बन्धित कार्यालयों एवं बैंकों को भिजवा दी जावें। जहां तक संभव हो चयन करने के कैम्पों के साथ बैंकों के भी केम्प लगवा दिये जावें ताकि मौके पर ऋण पत्र बनवाने का कार्य भी पूरा करा दिया जावे।

3. जिन परिवारों की अर्जियां मार्च, 82 तक तैयार हो गई हैं अथवा स्वीकृत हो गई है परन्तु अनुदान व ऋण वितरण नहीं हो पाया है, उन सभी अर्जियों पर अनुदान व ऋण वितरण करवाने की कार्यवाही चालू रखी जावे।

4. उन सभी चयनित परिवारों की, जिनको कि वर्ष 1982-83 में लाभान्वित करना है, ऋण अर्जियां बनवाने हेतु एक समय-बद्ध कार्यक्रम माह अप्रेल, 1982 से ही बना लिया जावे व अन्य कार्य को जून, 82 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जावे। प्रत्येक पंचायत समिति को कम से कम 1000 अर्जियां तैयार हो जानी चाहियें।

5. नये चयनित परिवारों की ऋण अर्जियां बनवाने का कार्यक्रम माह जुलाई, 82 में पूर्ण कर लिया जावे। (यदि चयन कैम्पों में यह कार्य पूरा न हो सके) ।

6. इसके पश्चात् माह जुलाई-अगस्त, 82 के चयनित परिवारों पशुओं इत्यादि क्रय के मेले आयोजन करवाने का कार्यक्रम बनावें और यह सुनिश्चित करलें कि क्रय का कार्यक्रम अधिकांशतः माह दिसम्बर, 82 तक पूरा हो जावें ताकि प्रोग्राम के अन्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु माह फरवरी व मार्च, 83 में ज्यादा दौड़ धूप न करनी पड़े व प्रोग्राम एक समयबद्ध तरीके से चले।

7. लाभान्वित परिवारों की देखरेख के लिए राजकीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक एक गांव गोद लेने के लिए अलग से निर्देश एफ. 9(8) कृषि/11/78 दिनांक 27-11-81 द्वारा जारी कर दिये गये हैं। यह देख लें कि उन निर्देशों की अनुपालना सही ढंग से हो रही है ताकि लाभान्वित परिवारों की समय समय पर देख रेख हो सके व उनकी कठिनाईयों को दूर किया किया जा सके।

8. इस कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति के लिये सरपंच, प्रधान व प्रमुख का पूर्ण सहयोग लिया जावे।

9. सभी लाभान्वित परिवारों को एक परिचय पत्र भी दिया जाना है, इसका प्रारूप शीघ्र आपको अलग से भेजा जा रहा है जिसकी समुचित संख्या में प्रतियां छपवाली जावें व प्रत्येक लाभान्वित परिवार को एक परिचय पत्र दे दिया जावे व सभी गोद लेने वाले कार्यकर्ताओं को हिदायत दी जावे कि वे इस परिचय पत्र में समय समय पर प्रविष्टि करते रहें।

10. ट्राइसम के अन्तर्गत ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिलाना व उनके पश्चात् उनको स्वयं के रोजगार/ नियमित रोजगार दिलाने पर विशेष ध्यान देना है लगभग प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर 100 ग्रामीण युवकों को वर्ष 82-83 में प्रशिक्षण देकर उन्हें लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा जावे। इसी प्रकार लगभग 50 अन्य युवक कारीगरों को आर्थिक मदद देने का लक्ष्य रखना है। इसके लिये भी ग्रामीण युवकों को चयन माह अप्रेल व मई, 1982 तक विकास अधिकारी के माध्यम से उद्योग प्रसार अधिकारी व खादी सुपरवाइजर की सहायता से पूरा कर लिया जावे। इसी प्रकार प्रशिक्षण देने के लिये सभी प्रशिक्षण संस्थाओं, मास्टर क्राफ्टसमैन का चयन कार्य भी माह मई, 82 तक कर लिया जावे। इसके पश्चात् माह जून, 82 के प्रथम सप्ताह में जिला स्तर की कमेटी की मीटिंग बुलाकर ग्रामीण युवकों के चयन व उन्हें प्रशिक्षण में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली जावें व भेज दिया जावे। प्रशिक्षण के दौरान ही इनकी ऋण अर्जियां भी तैयार करवा ली जावें ताकि प्रशिक्षण समाप्त होते ही इनको ऋण इत्यादि की सुविधा तुरन्त उपलब्ध हो जावे। यह निश्चित कर लिया जावे कि सभी प्रशिक्षित युवकों को शीघ्र ही रोजगार मिल जावे। इस योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अधिकृत अधिकारी का पूरा अपेक्षित सहयोग है। अतः उस अधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावे।

11. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक मास की 10 तारीख तक परियोजना निदेशक (एकीकृत ग्रामीण विकास) को अवश्य भिजवा दी जावे व उसकी एक प्रति सचिव, बीस सूत्री कार्यक्रम, समाज कल्याण तथा निदेशक, समाज कल्याण विभाग को भी अवश्य भिजवाई जावे।

भवदीय,
रणजीत सिंह कुमट

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष 1982-83 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल परिवार	अनुसूचित जाति के परिवार	अनु. जनजाति के परिवार
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	4800	1772	634
2.	अलवर	8400	2840	910
3.	बांसवाड़ा	4800	749	3651
4.	बाड़मेर	4800	2008	1129
5.	बीकानेर	24400	799	—
6.	भीलवाड़ा	6600	1742	1335
7.	भरतपुर	7800	4179	675
8.	बून्दी	2400	596	827
9.	चित्तौड़गढ	7800	1698	1422
10.	चूरू	4200	2780	36
11.	डूंगरपुर	3000	402	2327
12.	गंगानगर	6000	3403	—
13.	जैसलमेर	1800	799	259
14.	जयपुर	10200	3329	2515
15.	जालोर	4200	1735	1051
16.	झुन्झुनूं	4800	1249	214
17.	झालावाड़	3600	2324	757
18.	जोधपुर	5400	1984	327
19.	कोटा	7200	2542	1383
20.	नागौर	6600	3300	—
21.	पाली	6600	1950	317
22.	सवाई माधोपुर	6600	1097	2106
23.	सिरोही	3000	679	578
24.	सीकर	4800	2150	744
25.	टौंक	3600	1114	536
26.	उदयपुर	10800	1980	4267
	योग	1,41,600	50,000	28,000

सूत्र संख्या–4

राजस्थान सरकार

राजस्व (भूमि सुधार) विभाग

क्रमांक-प.3(25)राजस्व/ग्रुप-6/6/81 दिनांक 19 मार्च, 82

समस्त जिलाधीशगण

विषय :—प्रधान मन्त्री का नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम।

महोदय,

यह तो आपको विदित ही है कि प्रधान मन्त्री के नये बीस सूत्री कार्यक्रम का निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूत्र आपसे सम्बन्धित है:–

"4 कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा कानून का क्रियान्वयन, सरप्लस भूमि का आवंटन एवं भू-अभिलेखों को सभी प्रकार की प्रशासनिक एवं कानूनी कठिनाइयों को दूर करके सम्पूर्ण करना।"

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण तथा निर्देश जारी किये जा रहे हैं :—

(क) सीलिंग कानून का क्रियान्वयन :–

कृषि भूमि सीलिंग कानून की क्रियान्विति के लिए पहले से ही समुचित व्यवस्था कर दी गई है तथा आप उचित कार्यवाही भी कर रहे हैं, परन्तु इस बात की आवश्यकता है कि अब आप व्यक्तिगत ध्यान देते हुए, इन कार्यक्रमों की गति और अधिक तीव्र करें। इसके लिए विशेष रूप से निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :—

1. मुकदमें :–

सीलिंग कानून के तहत जो मुकदमे बकाया हैं, भले ही वे ओरिजनल (Original) मुकदमे हों, रिमाण्ड होकर आये हुए मुकदमे हों, अथवा पुनः खोलने के बाद भेजे गये मामले हों, अब इन्हें अति प्राथमिकता के आधार पर निपटाये जाने चाहियें। इसके लिए आप सम्बन्धित अधिकारीगण को ताकीद करा दें तथा माहवारी प्रगति का स्वयं निरीक्षण करें।

2. शेष सरप्लस भूमि का कब्जा लेना :—

अब तक राज्य में 5.93 लाख एकड़ भूमि सरप्लस घोषित की गई थी, जिसमें से 5.16 लाख एकड़ का कब्जा ले लिया गया है। शेष लगभग 77 हजार एकड़ भूमि ऐसी है जिसका कब्जा नहीं लिया जा सका है। आपके जिले में स्थित ऐसी समस्त भूमि का, सिवा उसके जिसके बाबत किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश है, आप वर्ष 1982-83 में कब्जा अवश्य ले लें।

3. अवाप्त शुदा भूमि का उपयोग :–

कब्जे में ली गई भूमि में से राज्य में 3.33 लाख एकड़ भूमि का आवंटन हुआ है। जो शेष 1.83 लाख एकड़ भूमि, जिसका आवंटन नहीं हो पाया है, उसके विभिन्न कारण हैं जैसे कि न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त होना, भमि काबिल काश्त नहीं होना आदि

परन्तु काबिल काश्त आवंटन योग्य भूमि जो आवंटन से शेष रह गई है। इसके बाबत आप यह देखे कि वास्तव में कितनी भूमि इसमें से काबिल काश्त है और कितनी ऐसी है जो काबिल काश्त नहीं है । इसकी जांच आप अपने स्तर पर करें एवं 6 सप्ताह में इस विभाग को यह सूचना भेजें कि शेष अनावंटित भूमि में से कितनी भूमि काबिल काश्त है एवं कितनी नाकाबिल काश्त है। तत्पश्चात्–

(अ) काबिल काश्त भूमि में से ऐसी समस्त भूमि को जिसके बाबत किसी सक्षम न्यायलय का स्थगन आदेश नहीं है, वर्ष 1982-83 में अवश्य आवंटित कर दी जावे। इस हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः आप समस्त आवंटन अधिकारियों को तुरन्त उपयुक्त आदेश देवें एवं प्रगति की माहवारी समीक्षा करें।

(आ) जहां तक नाकाबिल काश्त भूमि का सम्बन्ध है, पूर्व में अनेक बार आपको इसके उपयोग के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा जा चुका है। परन्तु समुचित प्रस्ताव अभी नहीं आये। आपको विदित है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1981 के द्वारा अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि भूमि का उपयोग न केवल भूमिहीनों को आवंटन करने के लिए किया जा सकता है वरन् अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने, कृषकों की भलाई तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। जो भूमि नाकाबिल काश्त है उसका इस रूप में उपयोग करने के लिए ऐसी भूमि को छांटने के बाद आप अपने जिला स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श करके भूमि के लिए क्षेत्रवार स्पष्ट तथा स्वतः पूर्ण प्रस्ताव भेजें। अकृषि प्रयोजन में सर्वोच्च प्राथमिकता वन रोपण एवं चरागाह विकास को दें। आपके क्षेत्र के लिए जो अन्य विकास योजनाएं अनुमोदित हों, उनके लिए भी इस भूमि का उपयोग करने के लिए आप विचार कर सकते हैं, यदि वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आती हों।

4. मुआवजा वितरण :–

1973 के सीलिंग कानून में ऊपर लिखित संशोधन के द्वारा इसकी धारा 19 में संशोधन करके मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर दिया गया है। अब कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे मुआवजे के निर्धारण तथा वितरण के मामले में द्रुत गति से कार्यवाही न हो। अतः मुआवजे के निर्धारण तथा वितरण के मामलों को उचित महत्व देकर वर्ष 1982-83 में अवश्य निबटाने की व्यवस्था करें।

(ख) भू-अभिलेख :––

समूचे राज्य में वैज्ञानिक रूप से तैयार किये गये भू-अभिलेख उपलब्ध है, तथा नियमों व राजकीय आदेशों के अन्तर्गत इन अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है तथा प्रक्रिया भी तय है, जिसके अन्तर्गत सामान्य रूप से यह अभिलेख भली प्रकार रखे जाने चाहिये । इस सम्बन्ध में कृपया आप निम्नलिखित कार्यवाही को सुनिश्चित कर लें :––

1. चौसाला जमा बन्दियां निर्धारित समय बद्ध कार्यक्रम के अनुसार समय पर बन जावे, उनकी जांच हो जावे एवं वे दाखिल हो जावें।

2. नामान्तरकरण के मामलों को पंजीकृत करने, उनकी जांच करने एवं उनको तस्दीक में विलम्ब न हो, तथा जो समय सीमा नियमों में निर्दिष्ट है, उसके अनुरूप कार्य हो।

3. राज्य में जिन तहसीलों का, भू-अभिलेखों के पुनः निर्माण सहित, पुनः भू-प्रबन्ध अब करवाना है, उनमें से 43 तहसीलों में यह कार्य वर्तमान में चालू है। भू-प्रबन्ध के कार्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। जिन तहसीलों में सिंचित क्षेत्र अधिक हैं उन्हें इस काम के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जैसे भू-प्रबन्ध का काम उपस्थित तहसीलों में समाप्त होता जायेगा, वैसे वैसे नई चयनित तहसीलों में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा परन्तु जब तक आपके जिले की तहसीलों में, भू-अभिलेखों के पुनः निर्माण का कार्य दुबारा नहीं कराया जाता तब तक भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने का दायित्व तथा सम्बन्धित राजस्व अधिकारीगण का है । अतः आप यह भली भांति सुनिश्चित कर लें कि समस्त उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदारगण निरीक्षण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने में ढील न होने पावे।

उपरोक्त कार्य के बाबत कृपया आप मुझे बिन्दुवार प्रगति तथा स्थिति में अ.शा.पत्र द्वारा आगामी आदेश तक, प्रतिमाह, प्रगति की सूचना भेजें ।

इस पत्र की प्राप्ति की सूचना भेजने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह.

(आनन्द मोहन लाल)

राजस्व सचिव ।

सूत्र संख्या–6

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-II) विभाग, वियो संगठन
(बंधक श्रम विभाग)

क्रमांक एफ. 6(7)बोले/कृषि/11/81 जयपुर, दिनांक 29 मार्च, 1982

समस्त जिलाधीश,

.....(राज.)

विषय :–बन्धक श्रमिकों की खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास।

महोदय,

यह तो आपको विदित ही है कि बन्धक श्रमिकों की खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास के कार्य को 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया हैं। बन्धक श्रमिक पद्धति को भारत सरकार के अधिनियम बन्धक श्रमिक पद्धति (समाप्त) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है। ऐसे श्रमिकों को रखा जाना अब कानूनी अपराध है व इसके अनुसार बन्धक श्रमिकों को रखने वालों को 3 वर्ष तक की सजा एवं 2,000/– जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

बन्धक श्रमिकों की खोज, मुक्ति एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में आपको निर्देश समय समय पर दिये जा चुके हैं। इस कार्य के लिए उपलब्ध राजकीय कर्मचारियों का विशेष सर्वेक्षण दल गठित कर एवं अभियान अप्रेल/मई, 1982 में चलाया जावे। आपको सुनिश्चित करना है की आपके जिले में कोई भी व्यक्ति बन्धक श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बन्धक श्रमिक रखने की सूचना आपको प्राप्त हो तो आपको सर्वप्रथम बन्धुआ श्रमिक को छुड़वाना है एवं इसके साथ ही सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करनी है।

बन्धुआ श्रमिकों की शिनाख्तगी के लिए बन्धक श्रमिक पद्धति (समाप्ति) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत सतर्कता समितियों के गठन करने का प्रावधान है एवं इसके अनुसार आपके जिले में सतकर्ता समितियां गठित की हुई हैं। ऐसा महसूस किया गया है कि ये समितियां प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि इन समितियों की बैठक समय समय पर हों ब उसमें की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत कराई जावें । इन समितियों के गठन एवं कर्तव्य के बारे में जो कानूनी प्रावधान है उनका उद्धरण संलग्न है। बन्धुआ श्रमिकों की शिनाख्तगी में जिला प्रशासन के अलावा आपको अपनी जिले में कार्यरत उपयुक्त स्वयं सेवी संस्थाओं की सेवाएं भी प्राप्त करनी चाहिये। जो स्वयं सेवी संस्थाएं जिन बन्धुआ मजदूरों को शिनाख्त कराकर उन्हें मुक्त कराने में योगदान देगी उनके माध्यम से बन्धुआ मुक्त श्रमिकों के पुनर्वास हेतु दी जाने वाली सहायता दी जा सकेगी।

बन्धक श्रमिकों को पुनर्वासित करने की दृष्टि से निम्न प्रकार सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकती है :–

	सहायता राशि	
(अ) शिनाख्तगी के तुरन्त बाद एक मुश्त सहायता देना	500.00 रुपये	
(ब) शिनाख्तगी के बाद प्रथम 3 माह का निर्वाह भत्ता (100 रुपये प्रति माह)	300.00 रुपये	
(स) आवासीय भवन निर्माण हेतु सहायता	1,000.00 रुपये	इनकी आवश्यकता न होने पर (ई) अन्तर्गत राशि बढ़ाई जा सकती है।
(द) बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता (i) पुस्तकें एवं ड्रेस 70/–		
(ii) प्रोत्साहन राशि 15/– प्रतिमाह 180/–अधिकतम 2 बालकों के लिए	500.00 रुपये	
(ई) आर्थिक कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त अनुदान	1,300.00 रुपये	
कुल राशि	4,000.00 रुपये	

इसके अलावा आवश्यक राशि वर्तमान में चालू योजनाओं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि में उपलब्ध करायी जा सकती है।

बन्धक श्रमिकों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करने की दृष्टि से निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाकर साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं :–

1. ऐसे बन्धुआ मजदूर जिनके पास भूमि हैं:–

(अ) राजकीय कृषि योग्य भूमि का आवंटन।
(ब) खाद बीज कृषि उपकरण इत्यादि के लिए सहायता उपलब्ध कराना।
(स) भूमि विकास कार्यों एवं लघु सिंचाई कार्यों हेतु सहायता।

2. ऐसे बन्धुआ कृषक जिन्हें कृषि सम्बन्धित अन्य साधनों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु साधन उपलब्ध कराये जाने हैं :–

(अ) दुधारू पशु इकाई उपलब्ध कराना।
(ब) बकरी/भेड़ इकाई इत्यादि उपलब्ध कराना।
(स) बैलगाड़ी/ऊंटगाड़ी आदि उपलब्ध कराना।
(द) मुर्गीपालन, मत्स्य पालन एवं वन्य उत्पादन पर आधारित कार्यों हेतु।
(ई) उपरोक्त इकाइयों से हुए उत्पादन की विपणन की व्यवस्था एवं पशुओं के इलाज के लिए व्यवस्था।

3. ऐसे बन्धुआ मजदूरों के लिए जो छोटे ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग लगाने में सक्षम हैं :–

(अ) प्रत्येक बन्धुआ मजदूर के लिए उपयुक्त क्राफ्ट का चयन कराना।
(ब) सम्बन्धित लघु/कुटीर उद्योग हेतु कच्चा माल व उपकरण उपलब्ध कराने, कार्य करने के लिए संस्थान एवं कार्यशील पूंजी की व्यवस्था कराना।
(स) लघु उद्योगों में तैयार की हुई वस्तुओं के लिए विपणन की व्यवस्था करना।

पूर्व में जारी किये गये राजकीय निर्देशों के अनुसार छुड़ाये गये बन्धुआ श्रमिकों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया जा सकता है ऐसी नियुक्ति के लिए नियोजन विभाग से आशार्थियों की सूची मंगवाने की आवश्यकता नहीं है।

यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना है कि पूर्व में छुड़ाये गये बन्धक श्रमिक पुनः बन्धुआ श्रमिक के रूप में कार्य न करें। पूर्व में जो राशि आपके जिले को इस कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई है, उस राशि को पूर्ण रूप से उपयोग में लाना है। इसके लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता विशेष कर कोटा, भीलवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले में है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि इस कार्यक्रम को इस प्रकार से क्रियान्वयन करें ताकि आपके जिले में पूर्ण रूप से बन्धक श्रमिक पद्धति 1982-83 में समाप्त हो जावे।

भवदीय,
आर. एस. कूमट,
शासन सचिव।

बंधक श्रमिक पद्धति (समाप्ति) अधिनियम, 1976

सतर्कता समितियां

13. (2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा ।
(ख) तीन व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों के हों और जिले में निवासी हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,
(ग) दो सामाजिक कार्यकर्ता, जो जिले में निवासी हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किए जायेंगे,
(घ) जिले में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित शासकीय या अशासकीय अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जायेंगे;
(ङ) जिले में वित्तीय और उधार संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ।

(3) किसी उप-खण्ड के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) उप-खण्ड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति, जो अध्यक्ष होगा,
(ख) तीन व्यक्ति, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हों और उप-खण्ड के निवासी हों,
(ग) दो सामाजिक कार्यकर्ता, जो उप-खण्ड में निवासी हों, जो उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे।
(घ) उप-खण्ड में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित शासकीय या अशासकीय अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति, जो उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा,
(ङ) उप-खण्ड में वित्तीय तथा प्रत्यय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति, जो उप-खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा,
(च) एक अधिकारी, जो धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है और उप-खण्ड में कार्य कर रहा है।

14. (1) प्रत्येक सतर्कता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) इस अध्यादेश के या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम के उपबन्धों का समुचित रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देना,
(ख) मुक्त किए गए बन्धित श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना,
(ग) मुक्त किए गए बन्धित श्रमिकों को पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने की दृष्टि से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसाइटियों के कृत्यों का समन्वय करना,
(घ) उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना जिनका संज्ञान इस अध्यादेश के अधीन किया गया है,
(ङ) यह सर्वेक्षण करना कि क्या ऐसा कोई अपराध किया गया है, जिसका संज्ञान इस अध्यादेश के अधीन किया जाना चाहिये था,
(च) मुक्त किये गये बन्धित श्रमिक या उसके कुटुम्ब के सदस्य या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद को प्रतिरक्षा करना जो किसी बन्धित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो, जिसका दावा बन्धित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

(2) सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गये बन्धित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतीक्षा करें और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य को मुक्त किये गये बन्धित श्रमिक का ऐसा वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा ।

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक एफ. 6 (1) (7) टीएडी/82-83 जयपुर, दिनांक 24-4-82
वास्ते,

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
2. जिलाधीश, डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, चित्तौडगढ, सिरोही ।
3. मैनेजिंग डाईरेक्टर, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर ।

विषयः–20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति कार्यक्रम सम्बन्धी जिलेवार लक्ष्य ।

महोदय,

निदेशानुसार निवेदन है कि राज्य सरकार ने जनजाति विकास के सन्दर्भ में प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न तालिका के अंतर्गत जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये है । इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये निम्न अधिकारी/संस्था जिम्मेवार रहेंगेः–

क्र. सं.	विषय	क्रियान्वित करने वाले अधिकारी/संस्था का नाम
1.	लघु सिंचाई सुविधाएं (जैसे कुए, पम्प सैट, सिंचाई हेतु पक्की नालियां आदि)	जिला विकास अभिकरण/परियोजना निदेशक एवं विकास अधिकारी
2.	कुओं पर विद्युतीकरण	
3.	समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना के अन्तर्गत कार्य	
4.	पीने के पानी की सुविधाएं	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग
5.	फार्म फोरेस्ट्री	वन विभाग
6.	मत्स्य पालन	जन जाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ एवं फिस फार्मस डवलपमेन्ट ऐजेन्सीज (एफ. एफ. डी. ए.)
7.	परिवार नियोजन	परिवार नियोजन विभाग
8.	भू अभिलेख तैयार किया जाना	भू प्रबन्ध विभाग
9.	उपभोक्ता सामग्री वितरण	जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर
10.	लघु वन उपज	जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य लक्ष्यों की भांति ही सम्बन्धित जिलाधीश कृपया 20 सूत्री कार्यक्रम में इन कार्यक्रमों की भी समीक्षा करेंगे व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक निर्देश व मार्गदर्शन प्रदान करेंगे । जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ अपना एक प्रतिनिधि मनोनीत करेगा जो पूर्ण सूचना के साथ जिलाधीशों द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित रहेगा ।

जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ आयुक्त-जनजाति क्षेत्रीय विकास के मार्गदर्शन में उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूर्ण प्रयास करेगा ।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक माह एक रिपोर्ट इस विभाग को मन्त्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं विकास आयुक्त एवं सचिव महोदय के अवलोकनार्थ आवश्यक रूप से भेजी जाय ।

भवदीय,
ब्रह्म प्रकाश भार्गव,
उप शासन सचिव ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित जिलेवार लक्ष्य वर्ष 1982–83 के लिये।

क्रम सं.	कार्यक्रम		डूंगरपुर	बांसवाड़ा	उदयपुर	चित्तौड़	सिरोही	योग
1.	लघु सिचाई सुविधाएं (जैसे कुए, पम्प सेट, सिंचाई हेतु पक्की नालियां आदि) लाभान्वित परिवारों की संख्या।		360	600	840	120	80	2000
2.	भू-अभिलेख तैयार किया जाना	,,	20000	–	20000	–	–	40000
3.	पीने के पानी की सुविधाएं	,,	45000	75000	105000	12500	12500	250000
4.	फार्म फोरेस्ट्री	,,	1100	1800	2200	360	360	5820
5.	उपभोक्ता सामग्री वितरण	,,	15000	22000	28200	4500	4500	74200
6.	लघु वन उपज	,,	1940	3100	3700	600	600	9940
7.	मत्स्य पालन	,,	–	1250	1250	–	–	2500
8.	कुओं पर विद्युतीकरण	,,	100	150	150	100	100	600
9.	परिवार नियोजन	,,	720	1200	1680	240	160	4000
10.	समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना	,,	3300	4200	5200	800	500	14000

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–12) विभाग

(विशिष्ट योजनाएं)

क्रमांक एफ. 13(106)कृषि/ग्रुप–12/82 जयपुर, दिनांक 19 मार्च, 1982

समस्त जिलाधीश एवं अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

सीलिंग से अवाप्त भूमि जिन परिवारों को आवंटित की गई है उनको राज्य सरकार की ओर से सहायता देने के निर्देश अलग से जारी किए जा चुके हैं और उसके लिये समुचित धनराशि भी जिला विकास अभिकरण को वर्ष 1981-82 की भांति वर्ष 1982-83 में भी हस्तान्तरित की जावेगी । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 3000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 1000 परिवार अनुसूचित जाति के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत होंगे । जिलेवार आंकड़े संलग्न तालिका में दिये जा रहे हैं जिन्हें मार्च, 1983 तक पूर्ण करना है । इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि सीलिंग से अवाप्त भूमि के आवंटियों को नियमानुसार सहायता दिलायें और उसमें प्राथमिकता अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को देते हुए लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयत्न करें ।

प्रगति की सूचना प्रतिमाह 10 तारीख तक उप शासन सचिव, विशिष्ट योजना संगठन विभाग को दें और प्रतिलिपि निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं सचिव, समाज कल्याण एवं 20 सूत्री कार्यक्रम को अवश्य दें ।

आर. एस. कूमट,
शासन सचिव ।

परिशिष्ट:—शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार एवं भूमि सीलिंग के अन्तगत जिलेवार वर्ष 1982-83 के लक्ष्य

क्र. सं.	जिला	शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिये ऋण	भूमि सीलिंग में प्राप्त आवंटित भूमि में कृषि उत्पादन एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	
			कुल परिवार	अनुसूचित जाति के परिवार
1.	अजमेर	100	150	30
2.	अलवर	100	10	5
3.	बांसवाड़ा	–	20	10
4.	बाड़मेर	50	100	50
5.	भरतपुर	100	32	15
6.	भीलवाड़ा	100	120	100
7.	बीकानेर	100	60	40
8.	बून्दी	50	100	70
9.	चित्तौड़गढ़	50	62	35
10.	चूरू	50	8	5
11.	डूंगरपुर	–	30	20
12.	गंगानगर	100	130	35
13.	जयपुर	250	370	60
14.	जैसलमेर	50	100	35
15.	जालौर	50	100	75
16.	झालावाड़	50	30	20
17.	झुंझुनूं	50	22	5
18.	जोधपुर	100	141	45
19.	कोटा	100	500	100
20.	नागौर	100	25	15
21.	पाली	100	350	80
22.	सवाईमाधोपुर	100	80	30
23.	सीकर	50	20	10
24.	सिरोही	50	160	35
25.	टोंक	50	80	30
26.	उदयपुर	100	200	45
	योग	2000	3000	1000

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-12) विभाग

(विशिष्ट योजनायें)

क्रमांक एफ. 13 (106) कृषि/ग्रुप-12/82 जयपुर, दिनांक 19-3-82

सभी जिलाधीश एवं पदेन अध्यक्ष

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान हेतु वर्ष 1982-83 में निम्न व्यवस्था रहेगी:-

1. जिला विकास अभिकरण शहर में रहने वाले अनुसूचित जाति के लिये भी उसी प्रकार ऋण वितरित करने मेंअनुदान देंगे जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को दिलाने में देते हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति विकास निगम अलग से पैसा जिला विकास अभिकरण को हस्तान्तरित करेगा जिसकी निम्न शर्तें होंगी:-

(क) यह अनुदान बैंकों से उद्योग धन्धों या अन्य आय दिलाने वाली क्रियाओं के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु दिलाया जायेगा और इसकी सीमा कुल प्रोजक्ट लागत की 33-1/3 प्रतिशत होगी और इसकी अधिकतम सीमा प्रति परिवार 3000 रुपये होगी।

(ख) शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के ऋणियों के लिए उन सब योजनाओं के लिए अनुदान मिल सकता है जिनसे उनकी आमदनी बढे, जैसे लघु एवं घरेलू धंधे, आटो रिक्शा, तांगा, परचूनी की दुकान, दुधारु जानवर, मोची की दुकान, बढई गिरी आदि। एकीकृत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन स्कीमों पर अनुदान उपलब्ध होता है उन सब योजनाओं पर शहरी क्षेत्र में अनुदान उपलब्ध होगा।

(ग) केवल अनसूचित जाति के उन्हीं परिवारों को यह सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनकी आय प्रतिमाह 500 रु. से कम है।

(घ) अनुदान की राशि के वितरण का उपयोग प्रमाण-पत्र समाज कल्याण विभाग एवं निगम को देना होगा।

2. जिलेवार परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य संलग्न तालिका में दिए हुए हैं जिसके अन्तर्गत 31 मार्च,83 तक दो हजार परिवारों को लाभान्वित करना है।

3. कृपया इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शीघ्र ही शहरी क्षेत्र में सर्वेक्षण करायें और उन परिवारों को समुचित ऋण दिलाकर अनुदान दिलावें।

4. प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह की 10 तारीख तक निदेशक परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर प्रतिलिपि निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं सचिव, समाज कल्याण विभाग एवं 20 सूत्री कार्यक्रम को अवश्य भिजवायें।

ह.
(आर. एस. कुमट)
शासन सचिव

राजस्थान को-ग्रापरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., जयपुर

गांधी नगर रेल्वे स्टेशन, जयपुर (राजस्थान)

क्रमांक एफ. 11( )आरसीडीएफ/82/

प्रबन्धक,
जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ,
जयपुर/अजमेर/अलवर/भीलवाडा/बीकानेर/जोधपुर ।

परियोजना अधिकारी,
जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.,
उदयपुर/कोटा/पाली/चूरू/सरदार शहर/सीकर/भरतपुर/हनुमानगढ़/सवाई माधोपुर/झुन्झुनूं/बांसवाड़ा ।

विषयः—20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रधान मन्त्री के बिन्दू-7 की क्रियान्विति ।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982—83 में दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6000 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इन लक्ष्यों को पूरा किया जाना सर्वोपरि है एवं इसकी अनुपालना हेतु विशेष प्रयास एवं समयबद्ध लक्ष्य प्राप्तियों की आवश्यकता है ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण हो सके ।

तद्नुसार उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलेवार निर्धारित लक्ष्य की प्रति संलग्न कर लेख है कि आप इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनवाकर लक्ष्य प्राप्ति निश्चित कर लेवें ।

इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जावे :—

1. ग्रामस्तर पर जिन अनुसूचित परिवारों के पास दुधारु पशु हैं उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावे ।

2. ग्राम स्तर पर दूधारु पशुओं में दूध देने की क्षमता बढाने के लिए तकनीकी आहान, कृत्रिम गर्भाधान, पशु चिकित्सा, संतुलित पशु आहार जैसी सुविधायें अनुसूचित परिवारों की भी उपलब्ध कराई जावें ।

3. प्रशिक्षण एवं डेयरी विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित परिवारों को अमूल भ्रमण हेतु भेजा जावे तथा संघ स्तर पर आयोजित ग्राम आधार शिविर में अनुसूचित परिवारों को भी प्रशिक्षण दिया जावे ।

4. दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु खरीदने के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों को भी सहायता देने में शामिल किया जावें ।

5. विशेष पशुपालन कार्यक्रम में विदेशी पशु पैदा करने में अनुसूचित जाति के परिवारों को भी शामिल किया जावे ।

6. प्रगति की निरंतर समीक्षा करें तथा लाभान्वित परिवारों से समय समय पर सम्पर्क स्थापित किया जावे ।

7. अपने क्षेत्र का मासिक प्रगति विवरण संलग्न प्रपत्र में इस विभाग के साथ-साथ निदेशक, समाज कल्याण विभाग को भी नियमित रूप से प्रति माह को 10 तारीख तक भिजवाने की व्यवस्था करें ।

भवदीय,
प्र. वि. नाग
प्रबन्ध निदेशक,

अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करने के लिये वर्ष 1982-83 के लक्ष्य

क्र. सं.	जिला	दुग्ध विकास
1.	अजमेर	470
2.	अलवर	470
3.	बांसवाड़ा	–
4.	बाड़मेर	250
5.	भरतपुर	150
6.	भीलवाड़ा	470
7.	बीकानेर	550
8.	बून्दी	–
9.	चित्तौड़गढ	–
10.	चूरू	300
11.	डूंगरपुर	–
12.	गंगानगर	150
13.	जयपुर	710
14.	जैसलमेर	250
15.	जालौर	–
16.	झालावाड	–
17.	झुन्झुनूं	250
18.	जोधपुर	590
19.	कोटा	150
20.	नागौर	300
21.	पाली	300
22.	सवाई माधोपुर	190
23.	सीकर	150
24.	सिरोही	–
25.	टोंक	150
26.	उदयपुर	150
		6000

मासिक प्रगति विवरण

जिला..... माह.....

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1982-83	लक्ष्य जो प्राप्त किये		विशेष विवरण
			चालू माह में	माह के अन्त तक इस वर्ष में	
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध विकास				

आर. सी. शर्मा,
उप शासन सचिव

अ. शा. पत्र. सं. 16(9) शिक्षा–5/81[1]
जयपुर, दिनांक 19 मार्च, 1982.

विषय:—20 सूत्री कार्यक्रम की रिपोर्ट बाबत ।

प्रिय श्री शर्मा,

प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम में सूत्र संख्या 7 के अन्तर्गत 1982-83 में 1.05 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित करना है इसी संदर्भ में 2000 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित किया जाना है जिसके जिलेवार निर्धारित संख्या में (संलग्न अनुसार) लाभान्वित करने हेतु समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों/ अधीक्षकों को निर्देश दिये जाने हैं । निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों को प्रतिमाह की प्रगति रिपोर्ट सचिव, समाज कल्याण विभाग, उप सचिव आयोजना एवं इस विभाग को भेजनी चाहिये । कृपया सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त करलें एवं प्रति माह की रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में उपरोक्त विभागों को भेजें जिससे मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री महोदय को सही रिपोर्ट प्रतिमाह दी जा सके । यह रिपोर्ट हर माह की दस तारीख तक अवश्य पहुंच जानी चाहिये ।

भवदिष्ठ,
आर. सी. शर्मा,
उप शासन सचिव

श्री के. एन. शर्मा,
निदेशक,
प्रार्वधिक शिक्षा, जोधपुर

प्रशिक्षण के जिलेवार लक्ष्य

क्र. सं.	जिला	राज. लघु उ. निगम बुनकर संघ/आई. टी. आई. द्वारा प्रशिक्षण
1	2	3
1.	अजमेर	260
2.	अलवर	85
3.	बांसवाड़ा	3
4.	बाड़मेर	3
5.	भरतपुर	32
6.	भीलवाड़ा	234
7.	बीकानेर	122
8.	बूंदी	8
9.	चित्तौड़गढ	40
10.	चूरू	51
11.	डूंगरपुर	5
12.	गंगानगर	10
13.	जयपुर	398
14.	जैसलमेर	13
15.	जालौर	–
16.	झालावाड़	–
17.	झुन्झुनूं	69
18.	जोधपुर	136
19.	कोटा	96
20.	नागौर	37
21.	पाली	43
22.	सवाई माधोपुर	70
23.	सीकर	71
24.	सिरोही	4
25.	टोंक	62
26.	उदयपुर	148
	योग	2000

राजस्थान सरकार

उद्योग विभाग

क्रमांक एफ. 20/12/उद्योग/ग्रुप-1/81

निदेशक,
उद्योग विभाग, जयपुर

महोदय,

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 1.05 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को वर्ष 1982-83 में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु वर्ष 82-83 में विभिन्न औद्योगिक विकास परियोजनाओं से 16,280 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिलेवार लक्ष्य संलग्न किये जा रहे हैं जिनको पूर्व में अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान वर्ष 1982-83 के अधीन निर्धारित किया जा चुका है ।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति संगठन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चालू वर्ष में लगाये गये अभियान की तरह ही वर्ष 82-83 में भी निश्चित तारीखों में पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर एक विशेष अभियान आयोजित किया जावे। इसकी विस्तृत रूपरेखा गत अभियान के संदर्भ में इस विभाग द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प.20(10) उद्योग/ग्रुप-1/81, दिनांक 22-8-1981 के अनुसार ही रहेगी।

इस अभियान की विस्तृत रूपरेखा संबन्धित बोर्डों/निगमों से सम्पर्क कर निदेशक, उद्योग द्वारा अंतिम रूप से प्रसारित की जानी है। अतः निदेशक उद्योग यह सुनिश्चित करलें कि अभियान का विस्तृत कार्यक्रम माह अप्रेल 82 से पूर्व प्रसारित कर दिया जावे। साथ में ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं मोनिटरिंग भी निदेशक उद्योग द्वारा किया जायेगा । निदेशक उद्योग हर माह की समाप्ति के तीन दिवस के भीतर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियों का मासिक विवरण संलग्न प्रपत्र में शासन सचिव, समाज कल्याण, निदेशक, समाज समाज कल्याण विभाग व इस विभाग को अवश्यमेव भिजवाने की व्यवस्था करेंगे ।

वर्ष 1981-82 के कार्यक्रम की भांति इस वर्ष के कार्यक्रम भी उद्योग विभाग, हाथकर्घा मण्डल, राजस्थान वित्त निगम, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजसीको तथा हाथकर्घा संगठन द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे। सभी सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम समन्वित एवं समयबद्ध रूप से चलाया जावे।

ये कार्यक्रम इस मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार किये गये हैं कि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का उत्थान किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जा रहा है तथा यह आशा की जाती है कि वर्ष 82-83 में निर्धारित लक्ष्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर लिये जायेंगे। इन अभियानों को प्रभावी बनाने हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर इनकी मोनिटरिंग की जावे। जयपुर स्थित मुख्यालयों के अधिकारियों द्वारा अभियान के परीक्षण हेतु निरीक्षण किये जावें। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठकें राज्य सरकार स्तर पर भी की जायेंगी।

भवदीय,
ह.
शासन सचिव।

मासिक प्रगति विवरण

नाम जिला/राज्य ..... माह .....

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1982-83	लक्ष्य जो प्राप्त किये		विशेष विवरण
			चालू माह में	माह के अन्त तक इस वर्ष में	
1	2	3	4	5	6
1.	लघु/कुटीर उद्योगों को औद्योगिक ऋण/सहायता एवं औद्योगिक प्लाटों का आवंटन				
2.	खादी ग्रामोद्योग				
3.	हाथ कर्घा विकास				
4.	राज. लघु उद्योग/निगम बुनकरसंघ/हाथकर्घा मण्डल द्वारा प्रशिक्षण				
5.	संयुक्त/निजी क्षेत्र में रोजगार				
	योग				

विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभांवित करने के लिये वर्ष 1982–83 के लक्ष्य
जिले वार

क्र.सं.	जिला	खादी एवं ग्रामोद्योग	हाथ कर्घा विकास			योग	संयुक्त/ निजी क्षेत्र में रोजगार	प्रशिक्षण		औद्योगिक ऋण सहायता एवं प्लाट आवंटन के लिये	योग
			राज. लघु उद्योग निगम	राज. हाथ कर्घा परि. मं.	उद्योग निदेशालय			राज. लघु उद्योग निगम	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	400	40	25	20	85	75	78	60	300	978
2.	अलवर	380	–	75	10	85	150	–	–	300	915
3.	बांसवाड़ा	410	–	–	–	–	25	–	–	20	455
4.	बाड़मेर	200	40	–	–	40	25	–	–	80	305
5.	भरतपुर	510	40	150	10	200	75	16	60	355	1196
6.	भीलवाड़ा	390	50	30	20	100	75	26	–	300	871
7.	बीकानेर	270	125	–	10	135	50	47	–	80	582
8.	बूंदी	170	90	–	–	90	50	–	–	80	300
9.	चित्तौड़गढ	420	–	–	10	10	50	19	–	150	649
10.	चूरू	170	30	–	10	40	50	69	–	140	469
11.	डूंगरपुर	350	–	–	–	–	25	–	–	20	395
12.	गंगानगर	230	–	–	10	10	75	–	–	380	695
13.	जयपुर	530	100	150	30	280	125	165	60	565	1725
14.	जैसलमेर	150	–	–	–	–	25	15	–	25	215
15.	जालोर	160	–	10	10	20	50	–	–	50	290
16.	झालावाड़	210	–	–	10	10	25	–	–	140	385
17.	झुन्झुनूं	170	–	–	10	10	50	42	140	140	412
18.	जोधपुर	290	–	80	20	100	75	79	–	300	784
19.	कोटा	290	25	50	–	75	75	–	–	300	740
20.	नागौर	350	–	–	10	10	50	54	–	280	744
21.	पाली	280	–	90	10	100	75	–	–	140	595
22.	स. माधोपुर	280	30	80	10	120	50	–	–	355	795
23.	सीकर	180	–	–	10	10	50	45	–	140	425
24.	सिरोही	200	–	–	10	10	25	–	–	60	295
25.	टोंक	180	20	20	10	50	50	79	–	150	489
26.	उदयपुर	350	–	–	10	10	50	26	–	140	576
	योग राज.	7500	590	760	250	1600	1500	700	180	5000	16280

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

No. F/D & P/20-Point/82-83/13115 Dated 3-4-82

Additional Chief Engineer, P. H. E. D. Ajmer/Jaipur/Jodhpur/Bikaner/(Mech.) Jaipur.

Sub:—Physical Targets for covering 2700 Problematic Villages during 1982-83.

1. As per Hon'ble Prime Minister's new 20-Point Programme, all the problematic villages are to be provided with drinking water supply arrangement by the end of 1984-85. The preliminary targets for the year 1982-83 have been fixed as 2700, a districtwise breakup of which is enclosed herewith. You should ensure that target is achieved within the available funds. The SC/ST Basties should invariably be covered.

2. You are now requested to distribute these targets into type of schemes (i.e. Handpump, TSS& P&T, Regional etc.) as well into various Divisions (where more than one division is functioning in a particular district). You are also requested to work out minimum requirement of funds for each district, to cover these targets. The requirement of funds be intimated into following sub-heads, so that allotments can be made:—

A. STATE PLAN :
1. I D A Schemes.
2. Other schemses.
3. Tribal Area Schemes.
4. Extension of pipelines in SC/ST Basties.

B. ADVANCE PLAN ASSISTANCE
1. Augmentation of Existing rural water supply schemes.
2. Acceleration of plan works.
3. Rejuvenation of damaged Handpumps.
4. Energisation of idle tubewells.

C. CENTRALLY SPONSORED SCHEMES
1. Under A. R. P.
2. Under S. C. A. (Tribal)

3. In case any further Administration & financial sanctions are required to be got issued from RWSSMB the matter be referred to Supdtg. Engineer (R). The physical progress should be sent to Executive Engineer (Mon.I/II), and budget requirement to Executive Engineer (D & P).

Please acknowledge the receipt of this letter alongwith the information required in para 2 of the letter.

CHIEF ENGINEER,
Public Health Engg. Deptt., Rajasthan, Jaipur.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
PHYSICAL TARGETS FOR COVERING

S. No.	District	Problematic Villages with drinking water supply arrangements during 1982-83 (No. of Villages)
1.	Ajmer	90
2.	Alwar	120
3.	Banswara	75
4.	Bharatpur	110
5.	Barmer	85
6.	Bhilwara	120
7.	Bikaner	60
8.	Bundi	50
9.	Chittorgarh	110
10.	Churu	65
11.	Dungarpur	100
12.	Ganganagar	100
13.	Jaipur	310
14.	Jaisalmer	55
15.	Jalore	60
16.	Jhalawar	50
17.	Jhunjhunu	90
18.	Jodhpur	115
19.	Kota	65
20.	Nagaur	160
21.	Pali	75
22.	Sawai Madhopur	130
23.	Sikar	105
24.	Sirohi	45
25.	Tonk	50
26.	Udaipur	305
	TOTAL	2700

Note:—Out of 2700 villages, approx. 500 Hard core villages shall be covered through Regional Schemes, and another 500 through TSS and P&T schemes. 1700 villages shall be provided Hand-pump schemes.

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

संख्या एफ. 4(8) आर. एच. सी./ 82-83/154 जयपुर, दिनांक 14-4-82

समस्त जिलाधीश

विषयः—आवासीय भू-खण्ड आवंटन (निःशुल्क) योजना वर्ष 1982-83 ।

योजनान्तर्गत वर्ष 1982-83 के दौरान आवासीय भू-खण्ड आवंटन निम्न निर्देशानुसार किया जावे :—

1. आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के हकदार :—

(i) अनुसूचित जाति या जनजाति भूमिहीन कृषकों के परिवार ।

(ii) ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन)

(iii) लघु तथा सीमांत कृषक–लघु कृषक वे हैं जिनके पास 2.5 (ढ़ाई) एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं हो। सीमांत कृषक वे हैं जिनके पास 1.25 (सवा) एकड़ सिंचित भूमि या 2.5 (ढ़ाई) एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं हो ।

(iv) ऐसे परिवार जिन्हें पूर्व में आवासीय भू-खण्ड आवंटन अभियान में अनुपयुक्त स्थानों पर मिले हों अथवा कब्जा न मिला हो अथवा उन भू-खण्डों पर से किसी कारणवश स्वयं की इच्छा के विपरीत कब्जा छूट गया हो ।

(v) ऐसे परिवार जिनके बाढ़ से मकान ध्वस्त हो गये हैं तथा पूर्व की जमीन नये मकानों के लिए अनुपयुक्त है ।

उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये भू-खण्ड आवंटन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास किसी भी स्थान पर स्वयं के रहने के घर या आवासीय भू-खण्ड नहीं हो । यदि ऐसे परिवारों में वयस्क विवाहित पुत्र जो उनके साथ एक स्थान पर रहता है, किन्तु अब वह पृथक् से रहने की इच्छा रखता हो और जिसके पास कृषि भूमि पर या अन्य स्थान पर स्वयं का आवासीय भू-खण्ड अथवा मकान न हो तो वह भी भू-खण्ड पाने का अधिकारी होगा ।

2. आवंटन हेतु भूमि की उपलब्धिः—

जिन पंचायतों में आबादी भूमि उपलब्ध है वह सर्वप्रथम आवंटित की जायेगी । जहां ऐसी भूमि नहीं है या उपलब्ध आबादी भूमि आवश्यकता से कम है वहां खाली सिवाय चक, कृषि भूमि, गोचर भूमि या पुनर्वास भूमि इसी क्रम से आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकेगी एवं आवासीय भू-खण्ड काटकर आवंटन के योग्य परिवारों में दिये जा सकेंगे । गोचर में से भूमि लेते समय गांव की न्यूनतम आवश्यकताओं का अवश्य ध्यान रखा जावे । यदि सिवाय चक, गोचर, वन एवं पुनर्वास भूमि आबादी से अधिक दूर होने के कारण या अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं हो या कराई जा सके तो भूमि की अवाप्ति भी निजी खातेदार की कृषि भूमि में से की जा सकेगी ।

कृषि भूमि के अवाप्त करने के अधिकार जिलाधीशों को देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना अप्रेल, 1982 में जारी की जायेगी। अतः प्रारम्भिक तैयारी अवाप्ति के लिए तुरन्त करली जावे। अवाप्ति के समय नीचे लिखी बातें ध्यान में रखी जावें:—

(i) चाही भूमि अवाप्त नहीं की जावे।
(ii) 5 बीघा से कम भूमि वाले खातेदारों की भूमि अवाप्त नहीं की जाये।
(iii) जहां तक हो सके आबादी के पास की भूमि ही अवाप्त की जाये।

राजस्व विभाग द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या प. 5(12) राज/ग्रुप-5/78/12 दिनांक 30-4-81 द्वारा उपरोक्त आवास गृहों के स्थल मुफ्त देने की व्यवस्था करने के लिए गोचर भूमि को आबादी के रूप में संपरिवर्तित करने की परिशिष्ट "क" के द्वारा अनुज्ञा प्रदान कर दी गई है। राजस्व विभाग ने अवगत कराया है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां वन भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भूमि नहीं हो, वहां वन भूमि को आबादी हेतु मुक्त करने हेतु विशेष मामलों में विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है। सारी सरकारी अनाधिकृत भूमि को सरकार के हित में पंचायतों को हस्तान्तरण किया जाना संभव नहीं हैं। इस हेतु प्रत्येक मामले को गुणावगुण के आधार पर ही विचार कर तय किया सकता है। अतः इस आवंटन अभियान के दौरान तद्नुसार कार्यवाही करें, तथा उपयुक्त मामलों में राजस्व विभाग से अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्राप्त करें।

3. आवंटन अधिकारी :—

यह एक समय अनुबन्धित कार्यक्रम है एवं 31-3-83 तक पूर्ण किया जाना है आवासीय भू-खण्डों का आवंटन सम्बन्धित पंचायतों द्वारा किया जाना है, परन्तु किन्हीं परिस्थितियों में यदि पंचायतों द्वारा आवासीय भूखण्ड आवंटन के निर्धारित कार्यक्रम के पूर्ण करने में शिथिलता बरती जावें तो आवासीय भू-खण्डों का आवंटन सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं प्रसार अधिकारियों द्वारा किया जावेगा। इस संबंध में पंचायतों, विकास अधिकारियों व अन्य प्रसार अधिकारियों को वांछित अधिकार देने के लिये राज्य सरकार अप्रेल 1982 में अधिसूचना जारी करेगी।

4. आवंटन की प्रक्रिया :—

उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के तहत भू-खण्ड पाने के अधिकारी परिवारों की सूचियां ग्रामवार तथा पंचायतवार पूर्ण सतर्कता के साथ संबंधित पंचायत समितियों द्वारा बनाई जानी है। इसके पश्चात् भी यदि आवंटन अभियान के दौरान जानकारी मिलने पर योग्य व्यक्तियों के नाम सूची में जोडे जा सकेंगे।

5. विकास अधिकारी व प्रसार अधिकारी अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पटवारियों व ग्राम सेवकों को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् तथा निवास के लिये जमीन मुफ्त प्राप्त करने के लिये आवेदन की पात्रता तथा जमीन की उपलब्धता के विषय में ऐसी रीति से जैसा कि आवंटन अधिकारी ठीक समझें, जांच करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा मामलों को निपटा सकेगा।

6. सारे राजस्थान में आवंटन में समानता एवं निश्चित अवधि में योजनानुसार ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भू-खण्ड आवंटन कार्य हो सकें। अतः निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

7. जिला स्तर की बैठक जिलाधीश मई 1982 की समाप्ति के पूर्व निम्न जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों की बैठक अपने स्तर पर बुलाकर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनायेंगे व प्रक्रिया समझायेंगे :—

(1) समस्त विधायक व अन्य जन प्रतिनिधि जिन्हें बुलाना वे उचित समझें।
(2) अतिरिक्त जिलाधीश विकास
(3) समस्त एस. डी. ओ. एवं सहायक कलेक्टर
(4) उप जिला विकास अधिकारी
(5) समस्त तहसीलदार
(6) समस्त विकास अधिकारी
(7) अन्य अधिकारी जैसे जिला वन अधिकारी जिन्हें जिलाधीश आवश्यक समझें।

आवश्यक संख्या में प्रार्थना-पत्र (परिशिष्ट "अ") व पट्टा फार्म परिशिष्ट "ब" इस बैठक में विकास अधिकारियों को आवश्यकतानुसार वितरित कर दिये जावें। विकास अधिकारी बैठक में भाग लेने आते समय भूमि की उपलब्धि आवश्यकता तथा पाने वालों की सूचना ग्रामवार/पंचायत वार साथ लायेंगे एवं प्रथम बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को भूमि परिवर्तन के लिए पूरा विवरण ग्रामवार खसरा नम्बर व क्षेत्रफल के साथ दे दिये जायेंगे। जिससे वह पंचायत समिति की बैठक होने से पूर्व किस्म तब्दीली की कार्यवाही कर सकें।

जिलाधीश अपने जिले में भू-खण्ड आवन्टन अभियान का सम्पूर्ण कार्यक्रम अपने स्तर पर तय करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि 31-3-1983 तक यह हर हालत में पूर्ण हो जावें। विभाग को जिलाधीश इस सम्बन्ध में पहली प्रगति रिपोर्ट 7 जून, 1982 को भेजें तथा भविष्य में बराबर हर माह की 7 तारीख को भिजवाते रहेंगे। अन्तिम रिपोर्ट 7-4-83 को भेजेंगे।

8. जिन स्थानों पर आवंटन नहीं किया जा सकेगा :—

1. ग्रामदानी ग्रामों में।
2. डूब में आने वाले ग्रामों में एवं आंशिक रूप से डूब में आने वाले गांवों में।
3. रेल्वे लाईनों से 100 फीट के क्षेत्र में।
4. राष्ट्रीय मार्ग में दोनों तरफ सड़क के बीच से दोनों तरफ 150 फीट तक।
5. राज्य मार्ग के दोनों तरफ सड़कों के बीच से 75 फीट तक।
6. जिला या ग्राम सडक के दोनों तरफ सड़क के बीच से 50 फीट तक।
7. मास्टर प्लान में सम्मिलित उन ग्रामों में जो निम्न परिधि के अन्दर आते हैं।

(अ) ऐसे नगरों को जिनकी आबादी 5 लाख या इससे अधिक हैं, उनकी नगरपालिका सीमा से 3 मील की परिधि के अन्दर,

(ब) ऐसे नगरों का जिनकी आबादी 2 लाख या इससे अधिक हैं परन्तु 5 लाख से कम है, उनका नगरपालिकाओं की सीमा से 1 मील की परिधि के अन्दर,

(स) ऐसे नगरों की जिनकी आबादी 1 लाख या इससे अधिक है परन्तु 2 लाख से कम हैं, उनका नगरपालिकाओं की सीमा से 1 मील की परिधि के अन्दर,

(द) अन्य नगरों की नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर।

8. राज्य के अन्य विभागों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध वैसे ही लागू होंगे।

9. राजस्थान नहर प्रोजेक्ट क्षेत्र में आवासीय भू-आवंटन:—

इस क्षेत्र में योजनान्तर्गत भू-खण्डों का आवंटन उपलब्ध नियमों के अन्तर्गत आयुक्त, उप निवेशन के आदेशानुसार किये जायेंगे। आयुक्त, उपनिवेशन इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर कार्यक्रम को समयावधि में पूर्ण करने हेतु सुनिश्चित करेंगे।

10. कार्यक्रम के देखरेख (Monitoring) की व्यवस्था :—

प्रत्येक जिलाधीश दिनांक 7-6-82 को पहली रिपोर्ट भेजेंगे कि प्रथम बैठक बुलाकर आवश्यक कार्यवाही करली गई है एवं जो कार्यवाही की गई है। उसका विवरण भी साथ ही अर्द्धशासकीय पत्र के साथ विकास विभाग को भेजेंगे। इसके पश्चात् मासिक रिपोर्ट परिशिष्ट "ख" के अनुसार जिले में की गई प्रगति की भेजेंगे। रिपोर्ट में पंचायत समितियों के नामों का क्रम एक ही रखा जावेगा। जिलाधीश कार्यालय में इस कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति हेतु एक विशेष अधिकारी को सौंपा जाये जिसका नाम, पता व दूरभाष नं. इस कार्यालय को प्रथम रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जावें।

कार्यक्रम की विभागीय स्तर पर देखरेख उपायुक्त (प्रशासन-1) करेंगे एवं हर माह की 15 तारीख तक निदेशक, सामुदायिक विकास को समस्त जिलों द्वारा की गयी प्रगति से अवगत करायेंगे। हर तिमाही के बाद प्रगति का अवलोकन माननीय राज्य मंत्री सामुदायिक विकास द्वारा किया जावेगा। जिलेवार निर्धारित लक्ष्य संलग्न परिपत्र में दिये हुए हैं।

हं.
विशिष्ट शासन सचिव,
सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

Programme of allotment of House sites—1982-83

S. No.	District	No. of house sites to be allotted (82–83)
1.	Ajmer	1,000
2.	Alwar	500
3.	Bharatpur	2,500
4.	Banswara	1,500
5.	Bhilwara	1,500
6.	Bikaner	500
7.	Bundi	1,000
8.	Chittorgarh	2,000
9.	Churu	2,000
10.	Barmer	1,000
11.	Dungarpur	1,000
12.	Ganganagar	4,000
13.	Jaipur	4,000
14.	Jaisalmer	500
15.	Jalore	3,000
16.	Jhalawar	1,500
17.	Jhunjhunu	1,500
18.	Jodhpur	1,500
19.	Kota	2,000
20.	Nagaur	1,500
21.	Pali	1,500
22.	S.Madhopur	4,500
23.	Sikar	1,500
24.	Sirohi	500
25.	Tonk	1,000
26.	Udaipur	7,000
		50,000

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

REVENUE (GR. 4) DEPARTMENT

No. F.5.(12)/ Rev./Gr.-4/78/12 *Jaipur, dated the 30th April,* 1981.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 257 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955), The State Government hereby make the following amendment in the Rajasthan Tenancy (Government) Rule, 1955 and order with reference to the proviso to sub-section (1) of section 259 of the said Act, that previous publication of this amendments dispensed with is the State Government considers that it should be brought in to force at-once, namely:—

AMENDMENT

For the existing rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"7(1) No pasture land as defined in sub-section (28) of scetion 5 of the Act shall be diverted to any use, other than the following, by the Collector:—

(*i*) Institutions owned by the State Government, including schools and their play grounds, hospitals, dispensaries and Aushadhalyas:

Provided that land so diverted shall be allotted in accordance with the Rajasthan Land Revenues (Allotment of un-occupied Government Agricultural Lands for the construction of Schools, Colleges, Dispensaries, Dharamshallas and other Buildings of public utility) Rule, 1963;

(*ii*) For extension of the existing abadi in rural areas, in consultation with the Gram Panchayat, up to two acres per village in all;

(*iii*) Industrial purpose in which case the Collector shall have to seek the consent of the concerned Gram Panchayat given through a resolution passed by a majority of 75 percent of the total membership and the allotment of the land shall be made in accordance with the relevant rules framed under the Rajasthan land revenue Act:

Provided that the Collector shall not order diversion of pasture land for any purpose within—

(*a*) A radius of three miles of municipal limits of cities having a population of five lacs or more;

(*b*) A radius of two miles of municipal limits of town with a population two lacs or more, but below five lacs;

(*c*) A radius of one mile of municipal limits of towns with a population one lac or, more but below two lacs;

(*d*) Municipal limits of towns other than those mentioned at clauses (a), (*b*) and (*c*) above ;

(*e*) One hundred yards of Railway fencing; and

(*f*) Fifty yards from the Centre of National Highway or any other mettled or gravelled road.

(2) Diversion of pasture lands for purposes other than those mentioned in sub-rule (1) shall not be made without the prior permission of the State Government."

By order of the Governor,

Secretary to the Government.

परिशिष्ट "ख"

मासिक रिपोर्ट हेतु निर्धारित प्रपत्र

ग्रामीण आवासीय भू-खण्ड आवंटन कार्यक्रम – 1982-83

जिला----------प्रगति रिपोर्ट दिनांक ----------भूमि जो आवंटित की गई उनका पूर्ण विवरण (गजों में)

नाम	पं.स.	आबादी भूमि	सिवाय चक	गोचर	वन	पुनर्वास	उपनिवेश	अवाप्त	योग	अवाप्त की गई भूमि की क्षतिपूर्ति (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

भूमि जिनको आवंटित की गई परिवारों की संख्या / वितरित किए गए पट्टा की संख्या

हरिजन		अन्य अनु. जाति		अनु. जनजाति		भूमिहीन मजदूर		ग्रामीण कारीगर		लघु कृषक		सीमान्त कृषक		योग		कुल ग्रामों की सं. जहां भूमि आवंटित की गई
11		12		13		14		15		16		17		18		19
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	

नोट:-उपरोक्त सभी 1 तथा 2 में सूचना इस प्रकार देवें ।

कालम 1-में भूमि आवंटित किये गए परिवारों की संख्या

2-में जिन्हें पट्टे दिये गए उनकी संख्या

परिशिष्ट-"अ"

आवासीय भू-आवंटन हेतु आवेदन-पत्र

श्री .....

1. प्रार्थी का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. जाति .....
4. व्यवसाय .....
5. निवासी .....ग्राम पंचायत .....तहसील .....
6. अनुसूचित जाति/जनजाति/ कारीगर/लघु व सीमान्त कृषक का सदस्य .....
7. श्रमिक है/व्यवसाय का स्वरूप .....
8. परिवार के सदस्यों की संख्या .....
   (अ) वयस्क सदस्यों की संख्या .....स्त्री .....पुरुष .....
   (ब) अवयस्क सदस्यों की संख्या .....
9. वर्तमान उपलब्ध आवासीय सुविधा का विवरण .....
   (अ) आबादी क्षेत्र में मकान की संख्या व क्षेत्रफल .....
   (ब) कृषि भूमि में मकान की संख्या .....
   (स) यदि उप कृषक है तो जिस भूमि पर उप कृषक है उसका खसरा नम्बर एवं नाम .....
10. आवासीय भू-खण्ड .....साइज .....की ग्राम .....पंचायत क्षेत्र ..... में आवश्यकता है एवं नियमानुसार आवंटन का अधिकारी है ।
11. (अ) मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं आजीविका के लिए केवल कृषि/उपरोक्त बताये हुए व्यवसाय पर निर्भर हूं और वर्तमान में मेरे पर आश्रितों के पास कोई मकान या रिहायशी तालियां नहीं हैं एवं उपरोक्त वर्णन सही है ।
    (ब) शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं अनूसूचित जाति/जनजाति/ कारीगर व सीमान्त कृषक परिवार का सदस्य हूं और मेरे व मेरे आश्रितों के पास कोई मकान या रिहायशी तालियां नहीं है एवं उपरोक्त वर्णन सही है ।

.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

प्रार्थना-पत्र की जांच समीक्षा

प्रार्थी श्री ..... जिला ..... निवासी .....
अनुसूचित जाति/जन जाति/कारीगर/लघु व सीमांत कृषक परिवार का सदस्य है। प्रार्थी के अथवा इसके आश्रितों के पास आवासीय भू-खंण्ड अथवा आवास गृह उपलब्ध नहीं है।

हस्ताक्षर पटवारी अथवा ग्राम सेवक

आवंटित आवासीय भू-खंडों के कब्जा सुपुर्दगी

श्री ..... पिता श्री ..... जाति ..... निवासी .....
को आज दिनांक ..... को ग्राम ..... पंचायत क्षेत्र ..... में आवासीय भू-खण्ड संख्या ..... की ग्राम ..... पंचायत क्षेत्र ..... में आवासीय भू-खण्ड संख्या ..... साइज ..... आवंटित किया जाता है।

पंचायत/विकास अधिकारी/प्रसार अधिकारी

परिशिष्ट "ब"

आबादी भूमि का विक्रय विलेख

अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों/लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भू-खण्ड का प्रपत्र

पट्टा

यह आवासीय भू-खण्ड विलेख दिनांक .....को एक ओर .....(आवंटन अधिकारी) पंचायत .....ग्राम.....तहसील .....जिला..... (राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 की धारा 71 के पंचायतों के प्रभारी अधिकारी जिलाधीश द्वारा नियुक्त) जो कि राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 (राजस्थान एक्ट 21, 1953) के अधीन स्थापित की गई ग्राम पंचायत हैं जो स्थानित हुई मानी गई है और इस एक्ट की धारा 87 के उपबन्धों के अनुसार निगम निकाय है (जिसे इसमें आगे आवंटन अधिकारी सम्बोधित किया गया है) दूसरी ओर श्री..... पता.....जाति..... व्यवसाय.....निवासी.....(जिसे इससे आगे आवंटी सम्बोधित किया गया है) के बीच सम्पादित किया जाता है ।

कि—

1. इसके पीछे दर्ज व वर्णित नक्शे में जिसमें यह लाल स्याही से सीमा बताई गई है वर्णित भूमि आवंटी के निवास प्रयोजन हेतु अधिकार में निहित की गई ।

2. उक्त भूमि श्री.....को आवासीय भू-खण्ड हेतु आवेदन-पत्र के अनुसरण में आवंटन अधिकारी द्वारा विचार किया जाकर आवंटन की आज्ञा निःशुल्क की गई है । इस भूमि पर निम्न शर्तें एवं प्रतिबन्ध होंगे ।

3. आवासीय आवंटित भूमि के हस्तानान्तरण का कोई अधिकार आवंटी को नहीं होगा । यह उसके स्वयं के स्वामित्व में रहेगी ।

4. इस भूमि पर मकान बनाने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु किसी आवासन सहकारी समिति, अनुसूचित बैंक, लोक संस्था अथवा राजकोय विभाग को ही रहन रखी जा सकेगी, किसी व्यक्ति को नहीं ।

5. इस भूमि की आवासीय कार्य के लिए ही उपयोग में लाया जा सकेगा ।

6. इस भूमि पर जो पेड़ इत्यादि होंगे उन पर अधिकार तहसीलदार का होगा । उसकी बिना आज्ञा के पेड़ किसी तरह भी नहीं काटे जायेंगे ।

7. यदि वह भूमि प्रार्थना-पत्र में झूंठे विवरण कर प्राप्त की गई है तो आवंटन रद्द कर दिया जा सकेगा ।

8. इस भूमि पर आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपड़ा इत्यादि बनाना अनिवार्य होगा । यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया गया तो भू-खण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा । विशेष कारणवश आवंटन अधिकारी 2 वर्ष से अधिक समय की वृद्धि भी कर सकता है ।

आवंटी के हस्ताक्षर

आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार सूत्र संख्या 9

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्र. एफ. 4 (8) आर. एच.सी./82-83/155 जयपुर, दिनांक 14-4-1982

समस्त जिलाधीश

विषय:—ग्रामीण आवासीय भवन निर्माण योजना अनुदान (निर्धनों हेतु आवास) वर्ष 1982-83

वर्ष 1982-83 के दौरान ग्रामीण आवासीय भवन निर्माण योजना अनुदान (निर्धनों हेतु आवास) के अन्तर्गत संलग्न परिपत्र के अनुसार जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं। इस योजना का क्रियान्वयन निम्न निर्देशानुसार किया जावे :—

(1) समाज के कमजोर वर्ग के लोगों यानि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर, लघु अथवा सीमान्त कृषक को ग्रामीण आवासीय भू-खण्ड आवंटन एवं विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में अब तक करीब 9.50 लाख भू-खण्ड निःशुल्क आवंटित किये गये है तथा चालू वर्ष में 0.50 लाख भू-खण्ड और आवंटित किये जायेंगे। चूंकि इस योजना का ध्येय उपरोक्त वर्गों को निःशुल्क आवंटित भू-खण्डों का विकास एवं उन पर भवन निर्माण कराना है अतः अन्य लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जावे।

(2) जिन लोगों को भवन निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है, उनसे इस हेतु संलग्न परिपत्र के अनुसार प्रार्थना-पत्र लेकर अनुदान स्वीकृत किया जावे।

(3) योजना अन्तर्गत अनुदान का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को देय होगा जिनकी पारिवारिक इकाई आमदनी 350/- रु. प्रति माह या इससे कम है।

(4) जिन लोगों को पूर्व में ऊंचे-नीचे अथवा अनुपयुक्त स्थानों पर भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं, उन्हें नियमानुसार दूसरे स्थानों पर भू-खण्ड आवंटित कर इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोग जो आवासीय भू-खण्ड आवंटन के पात्र हैं परन्तु उन्हें पूर्व में कोई भू-खण्ड आवंटित नहीं किया गया ऐसे लोगों को नियमानुसार अब भू-खण्ड आवंटित कर इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

(6) प्रत्येक भू-खण्ड के विकास व उस पर गृह निर्माण हेतु अनुदान की राशि 750/-रु. की सीमा निर्धारित है। इन 750/- रु. में 250 रु. सामुदायिक सुविधायें जैसे पानी पीने हेतु कुआ, जमीन समतल करना, नाली, लिंक रोड आदि हेतु व्यय किया जा सकता है, शेष 500/- रु. गृह निर्माण हेतु नकद अथवा इमारती सामान के रूप में दिया जा सकता है। उपर्युक्त मामलों में जहां सामुदायिक सुविधाओं की आवश्यकता नहीं हो 750/- रु. की सम्पूर्ण राशि को भवन निर्माण हेतु काम में लायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश अपने स्तर पर निर्णय लेंगे।

(7) जिलाधीश योजना के मुख्य संचालक होंगें एवं आने वाली कठिनाइयों का अपने स्तर पर निराकरण करेंगे। जिला व पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु समितियों का गठन कर सकते हैं।

(8) ग्रामीण गृहों का निर्माण लाभान्वित व्यक्ति स्वयं करेंगे ।

(9) योजना में किस प्रकार के भवनों का निर्माण कराया जावे, सम्बन्धित जिलाधीश अपने स्तर पर टाइप डिजाइन तय करेंगे । भवन निर्माण का कार्य कच्चा पक्का अथवा मिला-जुला हो सकता है । स्थानीय उपनगर नियोजक अथवा सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की इस हेतु राय ली जा सकती हैं । विभाग की ओर से मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर भेजे गये टाइप डिजाइनों का उपयोग किया जा सकता है ।

(10) अनुदान राशि एक मुश्त अथवा किश्तों में कुर्सी/मठोठ/छत तक कार्य जाने पर दी जा सकती है । इस हेतु सम्बन्धित जिलाधीश इस राशि के सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे ।

(11) अनुदान राशि का उपयोग करते समय ध्यान रखा जावे कि यह राशि नये भवनों के निर्माण कार्य में ही व्यय की जावे । पुराने मकानों की मरम्मत के लिये इसका उपयोग नहीं किया जावे ।

(12) जिन परिवारों को पहले अन्य आवासीय योजना में ऋण/अनुदान मिल चुका है अथवा जिनको वित्तीय वर्ष में ऋण स्वीकृत किया जा रहा है, उन्हें इस योजना में अनुदान देय नहीं होगा ।

(13) यह कार्यक्रम जिलाधीश 31-3-83 तक पूर्ण करायेंगे । विकास अधिकारी योजना में धनराशि का उपयोग कर जिलाधीश को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर 31-3-83 तक सूचित करेंगे । जिलाधीश इस विभाग को 7-4-83 तक उपरोक्त बाबत अवश्य सूचित करेंगे ।

(14) ग्रामीण आवास कक्ष, जोधपुर राज्य में भारत सरकार की ओर से तकनीकी मार्गदर्शन हेतु कार्यरत है व जिलाधीश उनसे आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन/सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

(15) मूल्यांकन हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र "क" में पंचायत समिति जिला परिषद् के माध्यम से हर माह की 3 तारीख तक जिलाधीश को वांछित सूचना भिजवायेंगे तथा जिलाधीश इस विभाग को 7 तारीख तक अवश्य भिजवायेंगे ।

(16) यथासंभव भू-खंड अगर कलस्टर में हो तो उन पर भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जावे । कलस्टर में निर्माण करवाने से लागत राशि कम बैठेगी तथा सामुदायिक सुविधायें भी आवश्यकतानुसार आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी ।

(17) अनुदान राशि का उपयोग करते समय ध्यान रखा जावे कि अनुसूचित जाति के लोगों को तथा अन्य लोगों को क्रमशः 5 अनुपात 4 में लाभ मिले । यह शर्त अनुसूचित जन जाति उप योजना क्षेत्र के लिए लागू नहीं होगी क्योंकि जन जाति क्षेत्र के लिये अनुदान राशि अलग से आवंटित की गई है ।

(18) इस योजना को नियमानुसार अन्य कार्यक्रमों से जोडा जा सकता है ।

(19) इस योजना के लिए स्वीकृत राशि किसी और मद अथवा प्रयोजन हेतु डाइवर्ट नहीं की जायेगी ।

(20) जिलाधीश निर्धारित राशि से अधिक व्यय नहीं करेंगे ।

(21) स्वीकृत राशि की उपयोगिता के बारे में संबंधित जिलाधीश इस बात की पूरी तरह संतुष्टि करेंगे कि आवंटित राशि का उपयोग योजना में निर्धारित कार्य के लिय किया गया है ।

आज्ञा से,

ह.
गोविन्द शर्मा,
उप नगर नियोजक,
सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग ।

RURAL HOUSING PROGRAMME 1982-83

No. of House to be constructed

S.No.	District	Under subsidy scheme (State Plan Budget)	Under loan assistance from HUDCO	Under loan assistance from LIC/ G.I.C.	Total
1	2	3	4	5	6
1.	Ajmer	200	..	100	300
2.	Alwar	440	..	80	520
3.	Banswara	320	..	60	380
4.	Bharatpur	520	1739	60	2319
5.	Bhilwara	500	..	120	620
6.	Bikaner	200	5000	40	5240
7.	Bundi	200	..	20	220
8.	Chittorgarh	400	..	100	500
9.	Churu	400	..	80	480
10.	Barmer	200	..	60	260
11.	Dungarpur	200	..	60	260
12.	Ganganagar	640	..	20	660
13.	Jaipur	980	7000	120	8100
14.	Jaisalmer	160	..	20	180
15.	Jalore	300	..	20	320
16.	Jhalawar	300	..	40	340
17.	Jhunjhunu	200	..	120	320
18.	Jodhpur	300	..	160	460
19.	Kota	400	..	100	500
20.	Nagaur	440	..	160	600
21.	Pali	300	..	100	400
22.	Sawai Madhopur	560	3000	160	3720
23.	Sikar	400	..	80	480
24.	Sirohi	200	..	40	240
25.	Tonk	240	3261	20	3521
26.	Udaipur	1000	..	20	1020
	TOTAL	10,000	20,000	1,960	31,960

वर्ष 1982-83

आवेदन-पत्र बाबत ग्रामीण आवासीय भवन निर्माण योजना (अनुदान)

सेवा में,

विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
.....(जिला

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक के पिता का नाम
3. व्यवसाय एवं वार्षिक आय
4. निवासस्थान एवं पूरा पता
5. अनुदान का प्रयोजन
6. क्या आवेदक के पास आवासीय भू-खण्ड है यदि हो तो पूरा विवरण अंकित करें
7. अनुदान में चाही गई राशि
8. क्या आवेदक ने पहले भी इस भू-खण्ड के विकास/भवन निर्माण हेतु कोई ऋण अथवा अनुदान प्राप्त किया है ?
9. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो किस जाति का है ?
10. आवेदक द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली राशि से स्वयं के उपयोग में लेने हेतु भवन का निर्माण कराऊंगा। इस भवन को मैं कम से कम 5 वर्ष तक स्थानान्तरण अथवा बेचान नहीं करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

पटवारी/ग्राम सेवक से रिपोर्ट

सरपंच की रिपोर्ट

प्रपत्र-'क'

जिला.....माह.....

मासिक प्रगति प्रतिवेदन बाबत ग्रामीण आवासीय भवन निर्माण योजना (अनुदान) वर्ष 1982-83

क्र सं.	प. समिति	लाभान्वित परिवारों की श्रेणी, जाति	स्वीकृत भवनों की संख्या	निर्माण कार्य की स्थिति (संख्या)			स्वीकृत राशि		अब तक व्यय राशि		शेष राशि	
				नींव तक	मठोठ	पूर्ण	भवन निर्माण हेतु	सामुदायिक सुविधा हेतु	भवन निर्माण पर	सामुदायिक सुविधा पर	भवन निर्माण की	सामुदायिक सुविधा की
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		हरिजन										
		अन्य अनुसूचित जाति										
		अनुसूचित जन जाति										
		अन्य										

पं. स. योगः-

जिले का योगः-

उप जिला विकास अधिकारी,

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप 8) विभाग

निमित्त :

मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर

पत्र संख्या एफ. 3 (1) /राज-6/82/54-56 दिनांक 19–3–82

विषय :–प्रधान मंत्री के नये बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति

महोदय,

प्रधान मंत्री ने देश के व्यापक उत्थान के लिये नये बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की है। इस नये बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में 12 वां सूत्र वानिकी से सम्बन्धित है, जो निम्न प्रकार है :–

"वृक्षारोपण, सामाजिक एवं कृषि वानिकी कार्यक्रमों का तत्परता के साथ क्रियान्वयन किया जावे तथा "बायो गैस" एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास"

इस राज्य में सामाजिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पहले ही प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन कार्यक्रमों पर, प्रत्येक स्तर पर निजी रूप से और अधिक ध्यान दिया जावे। इसके अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों की प्रगति का पुनर्निरीक्षण, खण्ड, मंडल तथा राज्य स्तर पर, प्रत्येक माह किया जावे, व जहां पर प्रगति धीमी हो अथवा कोई अवरोध दृष्टिगत हो, वहां तुरन्त तथा तत्परता के साथ उपचार हेतु उचित कार्यवाही की जावे। वृक्षारोपण करने के साथ साथ पौधों की सुरक्षा, देखभाल तथा अधिक से अधिक संख्या में इन्हें जीवित रखने का भी पूर्ण प्रयास किया जाना अति आवश्यक है।

वर्ष 1982-83 में राज्य में 3.50 करोड़ पौधे रोपित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, व इसके लिये जिलेवार निर्धारित लक्ष्यों की सूची संलग्न है। अतः राज्य स्तर के अधिकारीगण, संबंधित मंडल वन संरक्षक एवं उप वन संरक्षकगण यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप भौतिक लक्ष्य समय पर प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही, 1982–83 में, 1983–85 के वनारोपण के लिये, जो अग्रिम कार्य करने हैं वह भी समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण कर लिये जाने।

पूर्व में जो वृक्षारोपण किया गया है उसके संरक्षण एवं सघन विकास के लिये भी स्थिति का पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिये व इन क्षेत्रों में पर्याप्त संरक्षण व्यवस्था करने के साथ साथ, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे समय अनुकूल रोपित किये जाने चाहिये।

लक्ष्यों की समय बद्ध पूर्ति की प्रगति का जिलेवार पुनः निरीक्षण कर, आप कृपया अपनी टिप्पणी के साथ सूचना प्रत्येक माह मुझे अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,
आनन्द मोहन लाल,
राजस्व तथा वन सचिव।

वर्ष 1982–83 के लिये जिलेवार निर्धारित पौधरोपण लक्ष्यों की सूची

(पोधों की संख्या लाखों में)

क्रम संख्या	जिलों का नाम	विभागीय तौर पर किया जाने वाला पौधारोपण	कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाने वाले पौधे	योग
1	2	3	4	5
1.	अलवर	9.25	5.30	14.55
2.	अजमेर	17.00	8.30	25.30
3.	बांसवाडा	18.00	5.60	23.60
4.	भीलवाडा	10.00	3.50	13.50
5.	भरतपुर	9.75	6.70	16.45
6.	बून्दी	2.15	2.70	4.85
7.	चित्तौडगढ	5.00	2.40	7.40
8.	डुंगरपुर	11.00	1.60	12.60
9.	जयपुर	14.50	7.70	22.20
10.	झालावाड	1.25	1.90	3.15
11.	कोटा	8.75	7.60	16.35
12.	सवाई माधोपुर	0.90	2.70	3.60
13.	सिरोही	5.00	3.40	8.40
14.	टोंक	1.45	2.90	4.35
15.	उदयपुर	16.00	8.70	24.70
16.	बाडमेर	4.25	0.50	4.75
17.	चूरू	5.00	1.50	6.50
18.	जैसलमेर	4.45	0.05	4.50
19.	जालोर	3.25	0.50	3.75
20.	झुंझुंनु	5.25	2.00	7.25
21.	जोधपुर	5.45	1.80	7.25
22.	नागौर	5.20	1.80	7.00
23.	पाली	3.25	1.50	4.75
24.	सीकर	4.00	2.50	6.50
25.	बीकानेर	25.90	5.35	31.25
26.	गंगानगर	44.00	21.50	65.50
	योग–	240.00	110.00	350.00

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक प. 3(1) राज/8/82 जयपुर, दिनांक 29 मार्च, 1982

प्रेषित

1. शासन सचिव, गृह/कृषि, सिंचाई/सार्वजनिक निर्माण/उद्योग/ शिक्षा/ स्थानीय निकाय/पशुपालन/जलदाय/पंचायत एवं सामुदायिक विकास, राजस्थान, जयपुर
2. महानिरीक्षक, आरक्षी विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, जलदाय विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर
9. निदेशक, पंचायत एवं सामुदायिक विकास, राजस्थान, जयपुर
10. निदेशक, पशु पालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. निदेशक, भेड़ एवं ऊन विभाग, राजस्थान, जयपुर

विषय:—नये बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम

महोदय,

वन विभाग प्रति वर्ष व्यापक पैमाने पर अपनी सामान्य वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत पौधारोपण करता है। अब प्रधान मंत्री के नये बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की पृष्ठ भूमि में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को और अधिक व्यापक तथा गतिशील बनाना है। आपको स्मरण होगा कि गत वर्ष भी आपसे निवेदन किया गया था कि आप अपने विभाग तथा सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण के कार्य को निष्पादित करवायें, तथा रोपित वृक्षों की देख रेख व सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करवायें। उपरोक्त पृष्ठ भूमि में, वर्ष 1982-83 में वन विभाग के कार्यक्रमों के अतिरिक्त आपके विभाग के माध्यम से भी और अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना अति आवश्यक है। चूंकि वृक्षारोपण का कार्य वर्षा ऋतु में निष्पादित किया जाता है, अतः सुनियोजित कार्यक्रम अपनाने हेतु अभी से इसकी पृष्ठ-भूमि तैयार करना नितान्त आवश्यक होगा। विशेष रूप से वृक्षारोपण के स्थलों का चयन, हर स्तर पर उत्तरदायित्व तथा लक्ष्यों का निर्धारण, स्पष्ट रूप से अपनाई जाने वाली प्रकिया का विश्लेषण, तथा रोपित पौधों के लिये देख- रेख तथा सुरक्षा का प्रबन्ध आदि वर्षा ऋतु से पहले कर लेना होगा। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि आपके विभाग द्वारा रोपित किये जाने वाले पौधे, गत वर्ष की भांति, वन विभाग निःशुल्क उपलब्ध करा देगा, तथा इस हेतु आपके विभाग के सम्बन्धित अधिकारीगण सम्बन्धित मंडल वन अधिकारी से यथा समय सम्पर्क स्थापित कर लें।

अतः आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप तुरन्त अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारीगण तथा संस्थाओं को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें, तथा उनके द्वारा की गई कार्यवाही का समय समय पर मूल्यांकन भी करलें, ताकि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सुनियोजित रूप से वर्ष 1982-83 में निष्पादित किया जा सके। आपसे यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही, तथा जारी किये गये निर्देशों, से इस विभाग को 30 अप्रेल, 1982 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
आनन्द मोहन लाल,
राजस्व आयुक्त।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक प. 3 (1) राज/8/82 जयपुर, 29 मार्च, 1982

प्रेषित

(1) शिक्षा सचिव,
राजस्थान, जयपुर

(2) निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विषयः—शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक वानिकी कार्यों के लिए पौधे तैयार कराने के क्रम में।

महोदय,

वन विभाग प्रति वर्ष राज्य में वनारोपण करने हेतु व्यापक पैमाने पर अपनी पौधशालाओं में पौधे उगाता है। वर्ष 1981-82 से वन विभाग ने स्कूल छात्रों के माध्यम से पौधे तैयार कराने की योजना आरम्भ की है। इस योजना का उद्देश्य पाठशालाओं के छात्रों में वृक्षों के प्रति रुचि एवं प्रेम जागृत करना, वनों एवं वृक्षों के उपयोगों के सम्बन्ध में जानकारी देना, तथा छात्रों के कल्याण के लिये धनराशि एकत्र करना है। यह योजना अब प्रधान मंत्रीजी के नवीन बीस सूत्री कार्यक्रम का भी एक अंग बन गया है।

योजना के अनुसार वन विभाग चयनित विद्यालयों को पौधे उगाने के लक्ष्य के अनुसार आवश्यक साज, सामान जैसे पोलीथीन की थैलियां, बीज, कीटनाशक दवाईयां एवं तकनीकी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराता है। विद्यालय के छात्रों को पोलीथीन की थैलियों में मिट्टी व खाद भरना, क्यारियों में उन्हें जमाना, बीज बोना, प्रिंकिंग करना, पानी पिलाना, निदाई व अन्य पौध-संरक्षण कार्य करना होगा। इस प्रकार उगाये गये पौधे जब पौधारोपण योग्य हो जाते हैं, तो वन विभाग, उन्हें, वनारोपण हेतु 20 पैसा प्रति पौधा की दर से क्रय कर लेता है। इस प्रकार सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा प्राप्त राशि पृथक रखनी होगी तथा यह राशि केवल छात्रों के लिये कल्याणकारी कार्यों पर ही व्यय की जा सकती है।

इस योजना के संचालन में दो मुख्य बातें ध्यान में रखना होता है। प्रथम यह कि विद्यालय के आसपास पौधशालाओं के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, जैसे कि कुआ, हैंड पम्प, नहर से प्राप्त पानी आदि तथा द्वितीय यह कि क्यारियां बनाने हेतु विद्यालय परिसर में उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो।

राज्य सरकार इस योजना को अति महत्वपूर्ण समझती है, और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करना चाहती है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस योजना को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करवाने हेतु समस्त सम्बन्धित को विस्तृत आदेश तुरन्त प्रसारित करने का कष्ट करें, तथा यह सुनिश्चित करलें कि यह योजना अधिक से अधिक विद्यालयों में अपनाई जानी है। सम्बन्धित उप वन संरक्षकों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि इस योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्विति में जिला शिक्षा अधिकारीगण को पूर्ण सहयोग देवें। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से कृपया इस विभाग को शीघ्र ही अवगत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
आनन्द मोहन लाल,
राजस्व सचिव।

राजस्थान सरकार

कृषि(ग्रुप-II) विभाग वि. यो. संगठन

क्रमांक एफ 4(46) कृषि/बी जी एस/81 जयपुर, दिनांक 22-3-1982

समस्त जिलाधीश,
.....(राज.)

विषयः—बायोगैस विकास परियोजना—वर्ष 1982-83।

महोदय,

बायोगैस योजना को विशेष महत्व देकर बीस सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राज्य में छठो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 25,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा वर्ष 1982-83 में 5,000 संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलेवार लक्ष्य संलग्न परिशिष्ट नं. 1 में दर्शाया है।

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत खादी कमीशन टाईप (लोहे के ड्रम वाला) जनता बायोगैस संयंत्र, दोनों ही प्रकार के संयंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। संयंत्र की क्षमता न विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अनुदान की राशि निश्चित की गई है। यह अनुदान शहर में व गांव में लगने वाले समस्त क्षमता के संयंत्रों पर दिया जायगा। अनुसूचित जन जाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों को 6 घन मीटर के संयंत्र पर ही विशेष अनुदान उपलब्ध होगा। इस क्षमता से बडे संयंत्र स्थापित करने वाले सभी कृषकों को सामान्य श्रेणी में मानकर अनुदान दिया जायेगा। अनुदान निम्न प्रकार से देय होगा :—

क्र. सं.	संयंत्र का आकार	अनुदानों की राशि (रुपयों में)		
		अनुसूचित जनजाति	लघु एवं सीमान्त कृषक	अन्य
1.	2 घन मीटर	1500	1000	750
2.	3 ,,	1950	1300	1000
3.	4 ,,	2300	1500	1200
4.	6 ,,	2900	1900	1500
5.	8 ,,	—	—	1500
6.	10 ,,	—	—	1600
7.	15 ,,	—	—	1900
8.	20 ,,	—	—	2650
9.	25 ,,	—	—	3600
10.	35 ,,	—	—	5740
11.	45 ,,	—	—	6470
12.	60 ,,	—	—	8110
13.	85 ,,	—	—	12110

राज्य में निर्धारित 5,000 संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिलाधीश का होगा और वे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से पूरा करायेंगे। इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित पद्धति अपनाई जावेगी।

(1) आप अपने जिले के निर्धारित लक्ष्यों का विभाजन पंचायत समिति अनुसार, विकास अधिकारियों की बैठक बुलाकर माह अप्रेल के दूसरे सप्ताह तक कर के राज्य सरकार को सूचित करेंगे।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति में कुछ गांवों के समूह को जो ज्यादा फासले पर नहीं है चुनलें ताकि संयंत्र बनाने, उसे चालू करने और संधारण में उचित और सामाजिक तकनीकी सलाह और सहायता कृषकों को मिल सकें। एक गांव में 10-15

संयत्र लगाने से, एक तो संयंत्र के असफल होने की संभावना नहीं रहेगी, दूसरे एक दूसरे को आपसी सलाह मशविरा मिल सकेगा। अनुदान और ऋण देने में तथा वसूली में भी सहूलियत होगी।

(3) गत वर्ष जिन गांवों में संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं, उन गांवों तथा आसपास के गांव में कृषकों को संयंत्र लगाने के लिये आसानी से प्रेरित किया जा सकता है।

(4) संयंत्र के लिये कृषकों का चयन विकास अधिकारियों द्वारा एवं क्षेत्र के पंच-सरपंच आदि की सहायता से किया जाना होगा। चयन के पश्चात् इच्छुक कृषकों के प्रार्थना-पत्र तैयार करवा कर सम्बन्धित बैंकों को भेजेंगे। ऋण स्वीकृति के पश्चात् अभिकरण मिस्त्री/प्रशिक्षित कारीगर से निर्माण कार्य पूरा करवायेंगे।

(5) जो कृषक ऋण लेना नहीं चाहते उन पर अभिकरण/पंचायत समिति निर्माण तत्काल शुरू करायेंगे।

(6) अभिकरणों को संयंत्रों के लिये अनुदान की राशि अलग से स्वीकृत की जा रही है। इस राशि में से लोहे के ड्रम, सीमेन्ट, पाईप, बाल्ब, चूल्हे, गैस लैम्प आदि उपकरणों की खरीद की जा सकती है। जिस व्यक्ति के संयंत्र पर यह उपकरण लगाये जायें, उसे स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान में इस राशि का समायोजन कर लिया जाये तथा कमी बेशी की पूर्ति ऋण राशि से करली जाये।

(7) विभिन्न प्रकार के संयंत्रों की क्षमतानुसार अनुमानित लागत परिशिष्ट नं.-2 पर दर्शायी है। जिन जिलों में लागत, इस मूल्य से अधिक लागत आती हो, वे जिले प्रत्येक संयंत्र का क्षमतानुसार लागत मूल्य का एस्टीमेट बनाकर संशोधन हेतु राज्य सरकार को भेज दें ताकि संशोधन किया जा सके।

योजना की प्रगति का Monitoring हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिला अपने यहां की प्रगति से राज्य सरकार को अवगत करावे। अतः पंचायत समिति की प्रगति अगले महिने की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से परिशिष्ट नं.-4 भरकर भेज दें।

योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट के विशेष कोटे का आपको आवंटन किया जाता है इस कोटे का उपयोग इस योजना के लिये होना चाहिये।

जनता बायोगैस संयंत्र का निर्माण लोहे के ड्रम वाले संयंत्र से काफी सस्ता है। अतः अभिकरण जहां तक हो, जनता बायोगैस संयंत्र ही स्थापित करने की कोशिश करें।

गत वर्ष की कठिनाइयों से यह अनुभव हुआ है कि जब तक पंचायत समिति स्तर तक कारीगर संयंत्र के निर्माण में प्रशिक्षित नहीं हो जायेंगे तब तक योजना में वांछित प्रगति नहीं आ सकेगी। अतः प्रत्येक पंचायत में कम से कम दो कारीगरों के लिये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे। अतः कम से कम दो कारीगर प्रत्येक पंचायत समिति से चयन कर उनके नाम व पते सरकार को भेजेंगे ताकि उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकें।

प्रत्येक जिले में बायोगैस योजना के संबंध में ओरियन्टेशन कोर्स भी चलाये जायेंगे जिसके अन्तर्गत जिले के अधिकारी, विकास अधिकारियों, ग्राम सेवक, प्रसार अधिकारियों सहकारी कार्यकर्ता डेयरी कार्यकर्ता व कृषकों को बुलाकर उन्हें इस योजना के बारे में बताया जायेगा। प्रत्येक जिला इस प्रकार के कोर्स की संभावित तारीख व स्थान सूचित करेगा।

राष्ट्रीय बोयोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत योजना के प्रसार व संयंत्र स्थापित करने वाले ग्रामीण कार्यकर्ता को संयंत्र पूर्ण हो जाने पर 30 रुपये प्रति संयंत्र प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस कार्य हेतु प्रत्येक जिला इन ग्रामीण कार्यकर्ताओं का पूर्व में प्रसारित परिपत्र परिशिष्ट नं. 4 के अनुसार उपयोग करेगा।

योजना के अन्तर्गत पंजीकृत समिति, कार्पोरेट बोडीज एवं स्वयं सेवी संस्थाओं जो कि टर्न की बैसिस (Turn Key Basis) पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करेंगी, उन्हें 200/- प्रति संयंत्र प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में अलग से आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

समस्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उनके जिले के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष के शुरू में ही योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करें।

भवदीय,

(आर. एस. कुमट),
शासन सचिव।

बायोगैस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 के लिये जिलेवार निर्धारित लक्ष्य

क्र. सं.	जिले का नाम	लक्ष्य
1.	कोटा	400
2.	श्रीगंगानगर	400
3.	अलवर	300
4.	अजमेर	300
5.	जयपुर	300
6.	उदयपुर	300
7.	बीकानेर	300
8.	सवाई माधोपुर	250
9.	पाली	250
10.	जोधपुर	200
11.	भरतपुर	200
12.	सीकर	200
13.	बून्दी	200
14.	टोंक	200
15.	भीलवाडा	200
16.	चित्तौडगढ	200
17.	नागौर	200
18.	सिरोही	150
19.	जालौर	125
20.	झालावाड	125
21.	झुंझुनूं	100
22.	बांसवाडा	50
23.	डूंगरपुर	50
	योग	5000

ANNEXURE-2

COST ESTIMATES OF DIFFERENT TYPES OF BIOGAS PLANTS.

1. *K.V.I.C. type*:-

Size of Plants	Cost of the gas holder	Cost of CIVIL construction	Cost of pipe line & appli-ance	Cost of burner	Total cost
2M^3(70 cft)	1425.00	1756.00	310.00	100.00	3591.00
3M^3(105 cft)	1665.00	2523.50	310.00	100.00	4598.50
4M^3(140 cft)	1910.00	2262.50	310.00	100.00	5282.00
6M^3(210 cft))	2576.00	3481.00	310.00	100.00	6467.00
8M^3(280 cft)	3400.00	4153.50	310.00	100.00	7663.50
10M^3(350 cft)	3950.00	4852.50	450.00	100.00	9352.50

2. *Janta Biogas Plants*:—

	Cost of cover				
2M ^{3}(70 cft)	50.00	1773.50	145.50	90.00	2069.00
3M^3(105 cft)	60.00	2404.50	145.50	90.00	2700.00
4M^3(150 cft)	70.00	3213.00	180.50	90.00	3643.50
6M^3(210 cft)	75.00	4260.00	215.00	90.00	4730.50

MONTHLY PROGRESS REPORT (1982-83)

Proforma for Monthly Progress Report on installation of Bio-Gas Plants for the Month of....1982-83.

Name of .....

	Up to last month	During current month	Progressive total
1. Number of applications received			
2. Number of applications processed and sent to the bank for sanction of loan			
3. No. of proposals sanctioned by the bank			
(*a*) Number of individuals actually given loan			
(*b*) Amount of loan given (Rs.)			
4. Number of Bio-Gas Plants completed			
A. Conventional bio-gas plant having steel Gas holders: (KVIC model)			
(*a*) *With Bank Loan*			
(*i*) 2 cum			
(*ii*) 3 cum			
(*iii*) 4 cum			
(*iv*) 6 cum			
(*v*) 8 cum			
(*vi*) 10 cum			
(*vii*) 15/20/25 etc. cum			
Total			
(*b*) *Without Bank Loan*			
(*i*) 2 cum			
(*ii*) 3 cum			
(*iii*) 4 cum			
(*iv*) 6 cum			
(*v*) 8 cum			
(*vi*) 10 cum			
(*vii*) 15/20/25 etc. cum			
Total			
Sub Total of (*a*) + (*b*)			
B. Fixed Dome Type			
(*i*) 2 cum			
(*ii*) 3 cum			
(*iii*) 4 cum			
(*iv*) 6 cum			
(*v*) higher than 6 cum			
Total			

(*a*) *Without Bank Loan*

(*i*) 2 cum

(*ii*) 3 cum

(*iii*) 4 cum

(*iv*) 6 cum

(*v*) Higher than 6 cum

Total

Sub total of B(*a*) = + (*b*)

Grand total (A + B)

5. Reason in brief for short fall in achievements, if any.

PROJECT DIRECTOR

District Rural Development Agency

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-II) विभाग

जयपुर, दिनांक 16-3-82

क्रमांक एफ. 4(45) कृषि/बीजीएस/82

परिपत्र

विषय:—ग्रामीण कार्यकर्त्ता का योजना के क्रियान्वयन में योगदान के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।

बायो गैस योजना का राज्य के गांव गांव में विस्तार करने के लिए व ग्रामीणों को इस योजना से होने वाले लाभों से अवगत कराने में ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं की भूमिका विशेष महत्व रखती है । इस तथ्य को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय बायो गैस विकास परियोजना में इस योजना के प्रचार एवं विस्तार करने वाले ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को रुपये 30/– प्रति संयन्त्र की दर से प्रोत्साहन राशि देने का निश्चय किया है । प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अपने जिले के ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगी ।

ग्रामीण कार्यकर्त्ता

गांव के उत्थान व कृषकों की भलाई के लिए कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ग्रामीण कार्यकर्त्ता हो सकता है । इसमें पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, दुग्ध उत्पादक संघ के कार्यकर्त्ता, ग्रामीण सहकारी समिति के कार्यकर्त्ता, कृषि विस्तार कार्यक्रम के कार्यकर्त्ता, अध्यापक, पटवारी, ग्रामोत्थान के लिए कार्य कर रहे स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्त्ता एवं ग्रामीण कारीगर हो सकते हैं ।

ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इच्छुक कार्यकर्ताओं का एक या दो दिन का प्रशिक्षण जिले के किसी भी चालू बायो गैस संयन्त्र पर कनिष्ठ अभियन्ता की देखरेख में आयोजित करेगें । प्रशिक्षण में कार्यकर्त्ताओं को संयन्त्र को एवं उनके कार्य की निम्नलिखित जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जायेगा :

1. राष्ट्रीय बायो गैस विकास योजना ।
2. बायो गैस संयन्त्र की कार्य प्रणाली ।
3. संयन्त्र के फायदे ।
4. संयन्त्र के प्रकार व उनके लाभ।
5. खाद की जानकारी ।
6. प्रार्थना-पत्र तैयार कराने ।
7. संयन्त्र की क्षमता का निर्धारण ।
8. बैंक ऋण की कार्य प्रणाली ।
9. गैस होल्डर आदि की उपलब्धता।
10. ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं को कार्य प्रणाली ।

उपरोक्त जानकारी समस्त कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध करा दी जावे ।

ग्रामीण कार्यकर्त्ताओं के कार्य

ग्रामीण कार्यकर्त्ता को योजना अन्तर्गत निम्न कार्य करने होंगे :—

1. बायो गैस योजना का प्रचार करना व कृषकों को इसके लाभों से अवगत कराना ।

2. बायो गैस संयन्त्र लगाये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से प्रार्थना-पत्र एकत्रित करना ।

3. लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को उक्त संयन्त्र लगाने हेतु उसकी पूर्ण जानकारी देते हुए प्रेरित करना ।

4. संयन्त्र के निर्माण में आ रही कठिनाई की सूचना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को देकर कठिनाई दूर करना ।

5. संयन्त्र के निर्माण सें कृषक की सहायता करना ।

6. सीमेन्ट, गैस होल्डर, चूल्हा, लैम्प व पाइप लाइन आदि का इन्तजाम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम सें कराना ।

संयन्त्र का निर्माण होकर गोबर भरने के उपरान्त गैस बनाने पर ग्रामीण कार्यकर्त्ता को रुपये 30/– प्रति संयन्त्र को दर से प्रोत्साहन राशि दी जावेगी । यह राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, योजना अन्तर्गत उपलब्ध राशि में से देंगे तत्पश्चात् इस राशि के पुनर्भरण हेतु सरकार को निश्चित फार्म में आवेदन करेंगे ।

ह.
शासन उप सचिव ।

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-II) विभाग

क्रमांक एफ.4 (46) कृषि/बीजी एस/81 जयपुर, दिनांक 15-4-82

अध्यक्ष एवं जिलाधीश,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

विषयः— बायो गैस योजना वर्ष 1982-83 के जिलेवार लक्ष्य ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में इस वर्ष 5,000 बायो गैस संयन्त्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन लक्ष्यों का जिलेवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

क्र. सं.	जिला	लक्ष्य
1.	कोटा	400
2.	श्री गंगानगर	400
3.	अलवर	300
4.	अजमेर	300
5.	जयपुर	300
6.	उदयपुर	300
7.	बीकानेर	300
8.	सवाई माधोपुर	250
9.	पाली	250
10.	जोधपुर	200
11.	भरतपुर	200
12.	सीकर	200
13.	बूंदी	200
14.	टोंक	200
15.	भीलवाडा	200
16.	चित्तौडगढ	200
17.	नागौर	200
18.	सिरोही	150
19.	जालौर	125
20.	झालावाड	125
21.	झुन्झुनूं	100
22.	बांसवाडा	50
23.	डूंगरपुर	50
	योग	5,000

आपके जिले को निर्धारित किये गये लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वर्ष के प्रारम्भ से ही समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही शुरू ही जानी चाहिये अन्यथा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी । लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार से प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है:—

1.	अप्रेल, मई, जून	लक्ष्य के 30 प्रतिशत संयन्त्र का स्थापितकरण ।
2.	जुलाई, अगस्त, सितम्बर	लक्ष्य के 10 प्रतिशत संयन्त्र का स्थापितकरण ।
3.	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	लक्ष्य के 35 प्रतिशत संयन्त्र का स्थापितकरण ।
4.	जनवरी, फरवरी, मार्च	लक्ष्य के 25 प्रतिशत संयन्त्र का स्थापितकरण ।

आपके जिले के प्रस्तावित लक्ष्यों को पंचायत समिति स्तर पर विभाजित कर विभाग को सूचित करें । वर्ष 81-82 के दौरान जिलों से बायो गैस योजना की प्रगति की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हो रही थी । अतः आप अपने जिले की प्रगति विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अवश्य रूप से राज्य सरकार को भेज देवें ।

जिला बाँसवाडा, डूंगरपुर व सिरोही में यह कार्यक्रम इस वर्ष से प्रारम्भ किया जा रहा है । इन जिलों के लिये स्टाफ व बजट जल्दी ही आवंटित किया जा रहा है ।

ह.
उप शासन सचिव (प्रशासन) ।

निदेशालय, चिकित्सा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज., जयपुर

क्रमांक-डी ईओ।एम 33/81-82/6190-6288 जयपुर, दिनांक 11-5-82

समस्त प्रधानाचार्य , मेडीकल कालेज, राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान

समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.), राजस्थान

विषय:--परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु निर्देश ।

प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के 13 वें संकल्प में परिवार कल्याण व मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम को रखा है। इन संकल्पों की समीक्षा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा हर माह की जाती है। इस समीक्षा के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम की जिलावार प्रगति का टिप्पण प्रस्तुत किया जाना है। अतः यह आवश्यक है कि आप द्वारा अपने स्तर पर निम्नलिखित कार्यवाही कर एक विस्तृत टिप्पणी बना कर भेजें:--

1. परिवार कल्याण कार्यक्रम एक समयबद्ध एवं निश्चित समय का कार्यक्रम है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा व स्वास्थ्य संस्थाओं में इसके लक्ष्यों का मासिक व त्रैमासिक बटवारा किया जावे एवं प्रत्येक माह के अंत में इन लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा की जावे। लक्ष्यों के क्रियान्विति की समीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करते कि प्रथम त्रैमास में कुल लक्ष्य का 15% दूसरे त्रैमास में 25% व तीसरे तथा चौथे त्रैमास में क्रमशः 30% व 30% तक कम से कम अवश्य प्राप्त हो जावें।

2. जिला अधिकारी समस्त संस्थाओं के 15 तारीख तक के कार्य के आंकड़े एकत्र कर 20 तारीख तक इस निदेशालय को प्रस्तुत करें ताकि पहली तारीख को होने वाली समीक्षा पर सूचना उपलब्ध हो सके। इस प्रगति की समीक्षा जिलास्तर पर भी परिवार कल्याण कार्यक्रम की समिति द्वारा की जावे।

3. परिवार कल्याण कार्यक्रम एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य विभागों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। जिलाधीश द्वारा जिला स्तरीय अन्य विभागों की निश्चित रूप से जिम्मेदारी और कार्य सौंपे जावें एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा ली जावे।

4. पिछले दो वर्षों से राज्य में दूरबीन पद्धति द्वारा महिला नसबंदी लोकप्रिय हो रही है। इस पद्धति द्वारा की जाने वाली नसबंदी की क्वालिटी की बरकरार रखना आवश्यक है। इस संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये है संकलित निर्देश क्रमांक एफ. 12/पब./82/689 दिनांक 6-8-1981 द्वारा भेजे गये हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों की पालना हो रही है।

5. पिछले कुछ वर्षों से लूप प्रविष्टि की प्रगति में कुछ कमी आई है। दो बच्चों के बीच अन्तराल रखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। अतः यह आवश्यक है कि 20 से 35 वर्ष की आयु वाली स्त्रियों को दो बच्चों में अन्तराल रखने के लिए विशेषतौर पर प्रेरित कर कोपर टी/आई. यू. डी. की सुविधायें संस्थाओं के अतिरिक्त शिविरों में भी प्रदान की जावे। कुछ शिविर ऐसे भी आयोजित किये जावें जहां पर महिला नसबंदी के साथ-साथ लूप प्रविष्टि भी की जावे।

6. निरोध का प्रयोग आसान व लोकप्रिय है। निरोध के वितरण निम्नलिखित माध्यमों द्वारा अधिक से अधिक करवाने की व्यवस्था की जावे ताकि लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति की जा सके--

(क) दुग्ध वितरण सहकारी समितियां एवं अन्य सहकारी समितियां,
(ख) पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायतें,
(ग) आयुर्वेद संस्थायें,
(घ) उचित मूल्य की दुकानें,
(ङ) विभागों, कार्यालयों के खजांची द्वारा वेतन भुगतान के समय,
(च) नगरपालिकाओं द्वारा,
(छ) स्थानीय लघु व मध्यम श्रेणी के औद्योगिक संस्थान,
(ज) स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाएं, आदि आदि।

7. मुख सेव्य गोलियों (ओरल पिल्स) का वितरण राज्य में 320 केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। इसको अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए जिलों में वितरण केन्द्र बनाये जावें।

8. परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं, क्लबों, मण्डलों को न केवल शिविरों अपितु स्थानीय सेवाओं को संचालित करने के लिये अधिक से अधिक प्रेरित किया जावे।

9. पुरुष नसबंदी परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक सशक्त तरीका है जिसको बढ़ाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जावें।

10. परिवार कल्याण कार्यक्रम की जनसाधारण को जानकारी देने एवं उनकी भ्रान्तियों को मिटाने के लिये प्रत्येक पंचायत समितियों में 10–12 जन नेता प्रशिक्षण शिविर लगाये जाने का प्रावधान है। स्थानों का चयन प्रत्येक माह करना उचित होगा। जहां जहां संभव हो जन नेता शिविरों के साथ नसबंदी शिविर लगाना उपयुक्त होगा। हर शिविर में लगभग 40 जननेता भाग लेंगे जिनमें स्थानीय सेवा के कर्मचारी भी होंगे। प्रत्येक शिविर के आयोजन के लिये रु. 200/- का प्रावधान है।

11. जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य व सही प्रकार के प्रसव कराने के लिये दाइयों का होना आवश्यक है। प्रशिक्षित दाइयों का होना आवश्यक है। प्रशिक्षित दाइयों की उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर एक दाई को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है / उपयुक्त दाई का चयन ग्राम सभा / ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाकर प्रशिक्षण का कार्य ब्लाक स्तर पर किया जाना है। जो दाइयां अब तक प्रशिक्षित की जा चुकी हैं उनसे संपर्क बनाये रखना और समय-समय पर उनसे संपर्क रखना और उन्हें सहायता पहुंचाना एवं आंकड़े एकत्रित करना आवश्यक है।

12. दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के संतान उत्पत्ति योग्य जोडों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की सेवायें उपलब्ध हों इसके लिये अधिक से अधिक शिविर लगाये जावें। इन शिविरों की माहवारी रूप रेखा वर्ष के प्रारम्भ में ही बना ली जावे। वर्ष 1982–83 के लिये प्रत्येक माह में आयोजित किये जाने वाले शिविरों की रूप रेखा बनाकर निदेशालय को 31 मई तक भिजवा दी जावे ताकि राज्य स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा के समय उपलब्ध रहे।

13. बच्चों व गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना परिवार कल्याण कार्यक्रम का अंग है। रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में गति लाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जावे:—

(क) मातृ व शिशु कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के वार्षिक जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये जावें। सभी शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में वितरित किये जावें।

(ख) गर्भवती महिला, धात्री मातायें, नवजात शिशु, एक वर्ष से तीन तक, 3 से 8 वर्ष तक व स्कूल जाने वाले बच्चों को ये सेवाएं उपलब्ध कराई जावे। विशेष तौर पर माताओं एवं बच्चों को बीमारी से रक्षा के लिये टीके, आइरन की गोलियों का वितरण, 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन 'ए' का घोल पिलाना और उनके स्वास्थ्य संबंधी विशेष तौर पर दस्त और उल्टी होने पर दवाइयों का प्रबन्ध प्रचलित निर्देशों के अनुसार किये जावें।

(ग) अस्पतालों में प्रसव में पूर्व की सेवायें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मण्डलों की सेवाओं का इसके लिये उपयोग किया जावे।

(घ) वैक्सीन आदि की आवश्यकता का जायजा समय-समय पर किया जावे तथा उसकी पूर्ति समय पर की जावे। वेक्सीन की सप्लाई को इस प्रकार नियन्त्रित किया जावे कि हर बच्चे व माता को निर्धारित समय पर उसकी खुराक मिल सके।

(ङ.) जिन-जिन मुख्यालयों पर चिकित्सा महाविद्यालय हैं वहां के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.) चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के निर्देशन में कार्य कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य आदेश एफ. 4 (38) एम पी एच/81 दिनांक 16-12-81 जारी हो चुके हैं।

14. गर्भवती महिलाओं को छोटे परिवार का महत्व समझाने व परिवार कल्याण संबंधी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये राज्य में उपजिला स्तर तक 37 पोस्ट पार्टम सैण्टर कार्य कर रहे हैं। इन सैण्टरों के कार्य की प्रगति पर ध्यान दिया जावे।

15. राज्य में गर्भ समापन की सेवायें 217 पंजीकृत केन्द्रों द्वारा स्वीकृत डाक्टरों द्वारा किये जाते हैं। गर्भ समापन सेवाओं का विस्तार किया जावे। गर्भ समापन की सेवाएं पहले चरण में उपजिला चिकित्सालय/क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर की जाने का प्रस्ताव है।

16. परिवार कल्याण कार्यक्रम के संदेशों को दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पहुंचाने के लिये सघन प्रचार किया जावे एवं जिला जन संपर्क अधिकारी का सहयोग लिया जावे।

17. राज्य में शीघ्र ही एक हजार की जनसंख्या पर एक ग्रामीण स्वास्थ्य दर्शक की सेवायें उपलब्ध की जा रही हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य दर्शक की सेवायें (प. क.) कार्यक्रम के लिये ली जावें ।

18. वर्ष 1982-83 के परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधी लक्ष्य आपको पत्र क्रमांक एफ ई 9(1) 82-83/3905-4111 दिनांक 16-4-82 द्वारा तथा मातृ व शिशु कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य पत्र क्रमांक एफ एस/ 4-1/82-83/3703-903 दिनांक 16-4-82 द्वारा भेजे जा चुके हैं ।

उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही कर आप माहवारी प्रतिवेदन समय पर भिजवाने की व्यवस्था करें ।

कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दें ।

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर।

सूत्र संख्या–14

चिकित्सा, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक 139/योजना/पी.ए./20सूत्री/82 दिनांक 19-4-1982

समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विषय:—नवीन बीस सूत्री कार्यक्रमों के सूत्र संख्या 13 एवं 14 के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु ।

प्रधान मंत्री एवं राज्य सरकार ने नवीन 20 सूत्री कार्यक्रमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु योजनाबध्द तरीके से कार्य सम्पादन एवं मासिक मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये हैं । चिकित्सा विभाग का उत्तरदायित्व संकल्प 13 व 14 के लिये है । 13वें संकल्प में परिवार कल्याण के लक्ष्यों की पूर्ति एवं 14वें संकल्प में उप संकल्प यथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लक्ष्य,कुष्ठ निवारण, क्षय निवारण एवं अंधेपन के बचाव के कार्यक्रम हैं । प्रत्येक संकल्प एवं उप संकल्प के वर्ष 82-83 के जिलेवार लक्ष्य संलग्न हैं, जिनको आप अपने स्तर पर मासिक लक्ष्यों में विभाजित कर, उनकी प्रगति प्रत्येक माह की 20 तारीख को जिलाधीश एवं निदेशालय को भिजवाने की व्यवस्था करें । क्षेत्र की यह सूचनाएं 15 से 15 तारीख तक की होगी ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में दो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7 प्राथमिक स्वा. केन्द्रों का उच्चीकरण, 100 ग्रामीण डिस्पेंसरीज को सहायक स्वा. केन्द्रों हेतु चयन एवं 250 उपकेन्दों के खोलने का लक्ष्य है । दो नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा अनूपगढ़ (जिला गंगानगर) एवं किशनगंज (जिला कोटा) एवं 7 उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जहां भवन निर्माणाधीन हैं, राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति आते ही वर्ष 1982-83 में खोल दिये जायेंगे । 250 उपकेन्द्रों के लिये बजट प्रावधान शत–प्रतिशत, केन्द्रीय परिवर्तित योजना से मिलेगा उसके मिलने पर राज्य सरकार की सहमति से स्वीकृति प्रसारित होगी ।

नये कार्यों की बी. एफ. सी. होने के बाद, राज्य सरकार से स्वीकृति जारी होने के बाद, माह सितम्बर 1982 तक ही उपरोक्त कार्य प्रारम्भ हो सकेंगे । इनका एक्शन कलेन्डर निम्न प्रकार होगा:—

क्रमांक	नाम आइटम	संख्या	अप्रेल 82	मई 82	जून 82	जुलाई, अगस्त सितम्बर 82	
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र खोलना	(2)	बी. एफ. सी की मिटिंग	राज्य स्वीकृति प्रसारित	निदेशालय से	उपकरणों की खरीद, स्टाफ लगाने के आदेश	चालू
2.	उच्चीकृत प्रा. स्वा. केन्द्र	(7)	,,	,,	,,	,,	,,
3.	उपकेन्द्र खोलना	(250)	,,	,,	,,	,,	,,
4.	सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन	(100)	मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारियों द्वारा स्थानों का चयन	जिला विकास समिति से अनुमोदन एवं जन सहयोग से भवन निर्माण के प्रस्ताव	निदेशालय द्वारा प्रस्तावों पर टिप्पणी एवं राज्य सरकार को भेजना	चयनित स्थानों के भवन निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा	निर्माण चालू

250 उपकेन्द्रों में से 36 कोटा, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर के उपकेन्द्रों का चयन हो चुका है।

76 अन्य क्षेत्रों से जहां 1978-79 में अग्रिम तौर पर भवन निर्माण कराये, स्थान चयन हो चुके हैं।

198 उपकेन्द्रों के चयन हेतु आपको पूर्व में निर्देश दिये जा चुके हैं। माह जून, 1982 तक आपके जिले के प्रत्येक ब्लाक में एक ग्राम का चयन व भवन व्यवस्था की निदेशालय को रिपोर्ट अपेक्षित है।

जुलाई 1982 में प्रशिक्षित प्रसाविकाओं की परीक्षा होगी। अगस्त में परीक्षा फल निकलेगा। अतः सितम्बर 1982 में उपकेन्द्र कार्यरत हो सकेंगे।

100 सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयनः--

इनके चयन हेतु आपको पूर्व में निर्देश दिये जा चुके हैं। चुनी हुई जगह के लिये जन सहयोग से भवन निर्माण के ठोस प्रस्ताव माह मई तक निदेशलय को भेजने का श्रम करें। इन भवनों को निर्माण कराने में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से व्यवस्था हो जाय तो कार्यक्रम शीघ्र पूरा हो सकेगा। इस सम्बन्ध में आपके जिलाधीश से भी सम्पर्क करें।

निदेशालय स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये डा. दीन दयाल निमावत उप निदेशक (योजना) प्रभारी अधिकारी होंगे एवं जिला स्तर पर सभी कार्यों के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योजना के क्रियान्वयन एवं सामयिक रिपोर्ट्स भेजने के लिये उत्तरदायी होंगे। कृपया इसके लिये अपने सहायक अधिकारी एवं सम्बन्धित लिपिक का नाम भी निदेशालय को लौटती डाक से भिजवायें।

संलग्नः--

नोट 1. संकल्प सूत्र 13 एवं 14 के जिलेवार लक्ष्य (कुल पांच)।

2. संकल्प सूत्र 13 के लिये निर्देश आपको परिवार कल्याण से पूर्व ही भेजे जा चुके हैं।

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

सूत्र सं.–15

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

क्रमांक : एफ. 3 (100) डी डी ई/केयर/सी. आई. आर. एस. एस./75/82-83/356 जयपुर, दि. 1-4-1982

1. समस्त सचिव
2. समस्त उप जिला विकास अधिकारी, जिला.....
3. जिला परिषद.....
4. समस्त विकास अधिकारी
   पंचायत समिति.....
5. समस्त महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी
   पंचायत समिति.....(व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम से संबंधित)
6. समस्त मुख्य सेविका
   परिवार एवं बाल कल्याण योजना
   पंचायत समिति.....

विषयः––पोषाहार कार्यक्रम के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में वर्ष 1982-83 के लिये निर्देश

आपके जिले व पंचायत समिति क्षेत्र में (1) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (2) विशिष्ट पोषाहार कार्यक्रम (3) विश्व खाद्य कार्यक्रम (4) अकाल पूरक पोषाहार कार्यक्रम (5) व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम एवं (6) परिवार व बाल कल्याण योजना के कार्यक्रमों सें से किसी एक प्रकार का या एक सें अधिक प्रकार के कार्यक्रम संचालित हो रहे होंगे। इन कार्यक्रमों के संचालन हेतु समय-समय पर आपके पास निर्देश विगत समय में भेजे जाते रहे हैं फिर भी सभी कार्यक्रमों के संचालन हेतु वर्ष 82-83 के लिये निर्देश संलग्न किये जा रहे हैं। इन निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन कर उक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं संचालन विशेष रूप सें किया जावे क्यों कि माननीया प्रधान मंत्री जी के 20सूत्री कार्यक्रम में मातृ शिशु कल्याण एवं पोषाहार (सूत्र-15) सम्मिलित है।

उक्त कार्यक्रमों में मध्यान्ह भोजन–विशेष पोषाहार–विश्व खाद्य एवं अकाल सहायता पूरक पोषाहार कार्यक्रमों में तो बच्चों एवं माताओं आदि को पोषाहार निमित्त खाद्यान्न सुलभ कराया जा रहा है किन्तु व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम एवं परिवार व बाल कल्याण योजना के कार्यक्रम सें उक्त कार्यक्रमों की तरह से खाद्यान्न तो सुलभ नहीं कराया जाता है परन्तु इन कार्यक्रमों में भी मातृ शिशु कल्याण व परिवार तथा सामुदायिक कल्याण के अन्य कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अतः उक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों के संचालन-क्रियान्वयन व निरीक्षण आदि के काम में कार्यरत सभी कर्मचारियों का नैतिक दायित्व और भी बढ़ गया है कि इस कार्य को अधिक सफलता एवं सावधानी-पूर्वक चलाया जावे ताकि 20 सूत्री कार्यक्रमों के लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त हो सकें और इस प्रकार राज्य के कुपोषित एवं निम्न आय वर्ग के बच्चों एवं माताओं तथा परिवारों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जा सके।

संलग्नः पोषाहार कार्यक्रम हेतु निर्देश (1982-83)

जे. एम. खान,
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक,
सामु. विकास एवं पंचायत विभाग,
राज., जयपुर।

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

पोषाहार कार्यक्रमों के संचालन हेतु (वर्ष 1982-83 के लिये निर्देश) माननीया प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 15 मातृशिशु कल्याण एवं पौषाहार की पृष्ठ भूमि में

(1) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (एम.डी.एम.)

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभान्वितों की संख्या के लिये मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम विगत वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालयों के 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये चलाया जा रहा है– इस कार्यक्रम के संचालन-व्यवस्था–निरीक्षण-मूल्यांकन खाद्य सामग्री की प्राप्ति व वितरण से सम्बन्धित निर्देश समय-समय पर विभाग द्वारा भेजे जाते रहे हैं। माननीया प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रमों में मातृ शिशु कल्याण एवं पोषाहार कार्यक्रम सम्मिलित हैं। वर्ष 1982-83 में इस कार्यक्रम की सफलता पूर्वक संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु निम्न निर्देश भेजे जा रहे हैं:—

1. लाभान्वितों का चयन व संख्या:—

(क) निम्न आय वर्ष के गरीबी की रेखा से नीचे एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर कुपोषित छात्रों का ही निर्धारित संख्या में चयन किया जावे ।

(ख) आपके जिले व पंचायत समिति के लिये संख्या निर्धारित की हुयी है उसी संख्या के अनुरूप बहुत ही जरूरतमन्द छात्रों का ही चयन किया जावे ।

(ग) विगत सत्रों से यह अनुभव रहा है कि निर्धारित संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया एवं विद्यालय में पढ़ने वाले उपस्थित छात्रों को भी सम्मिलित कर लिया गया भले ही वह जरूरत मन्द न हों । इस कारण पोषाहार की निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वास्तविक जरूरत मन्द लाभान्वितों को नहीं मिल सका। अतः निर्धारित संख्या का निश्चित् रूप से ध्यान रखा जाय ।

2. लाभान्वितों की संख्या:—

लाभान्वितों की संख्या सत्र 1982-83 में भी कम की जा रही है क्योंकि केयर संस्था विगत सत्र से खाद्यान्न व तेल की मात्रा समूचे देश के लिये कम दे रही है । सत्र 81-82 में कुल लाभान्वितों की संख्या में 15% की कमी इसी कारण से की गयी । फलतः राजस्थान में 43,000 (तियालीस हजार) लाभान्वितों की संख्या कम की गयी । इस सत्र 82-83 में भी 15 प्रतिशत की कमी की जा रही है । इस कमी के कारण जो क्षेत्र एवं केन्द्र इससे प्रभावित होंगे उसकी सूचना बाद में प्रसारित की जायेगी पर इसको ध्यान में रखते हुए ही लाभान्वितों का वास्तविक चयन एवं निर्धारण आवश्यक है ।

3. केन्द्र स्थान:—

यथावत रहेंगे ।

4. खाद्यान्न व तेल की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था:–

केयर संस्था से खाद्यान्न व तेल मुफ्त वितरण हेतु प्राप्त हो रहा है । भारतीय खाद्य निगम बन्दरगाह से खाद्य विभिन्न जिला गोदामों तक पहुंचवाती है । जिला गोदाम से पंचायत समिति स्तर एवं केन्द्र स्तर तक खाद्यान्न व तेल सुरक्षित पहुंचाने हेतु समय से पूर्व जून मास में ही परिवहन की निविदायें आमन्त्रित कर लेनी चाहिये ताकि जुलाई मास एवं वर्षा के पूर्व माल यथा स्थान पहुंचकर विद्यालय खुलने के साथ कार्यक्रम प्रारम्भ हो सके ।

5. माल की कमी, क्षति, टूट-फूट एवं सुरक्षा:–

परिवहन-भंडारण या अन्य किसी भी कारण से हुयी माल की क्षति-कमी या टूट-फूट की अविलम्ब सूचना दी जाकर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये । निर्धारित प्रोफार्मा में उसकी सूचना भेजी जावे । माल की प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित अधिकारी प्रभारी का ही है ।

6. खाद्यान्न की मात्रा:—

पूर्ववत् औसतन 80 ग्राम खाद्यान्न व 5 ग्राम तेल प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जाय। पूर्व में तेल की मात्रा 7 ग्राम थी जिसे निर्देशानुसार घटाकर 5 (पांच) ग्राम कर दिया गया है। इसी हिसाब से निर्धारित संख्या के लिये सामग्री की मात्रा वितरित की जानी चाहिये।

7. राशि-प्रावधान:—

राज्य सरकार द्वारा राशि का प्रावधान किया जाकर मानदण्डों के अनुरूप राशि आपके पी.डी. खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। इस राशि में परिवहन व्यय प्रशासनिक व्यय शामिल हैं। प्रभारी अध्यापक-रसोईये-लकडी व मसाला आदि के लिये इस राशि में प्रावधान नहीं है पूर्व में 1975 में लकडी व मसाला जन सहयोग से जुटाने के निर्देश भेजे गये थे। इसमें कोई कठिनाई व समस्या हो तो विभाग के ध्यान में लाया जाय।

8. निरीक्षण–निगरानी एवं मूल्यांकन:—

जिला स्तर पर उप जिला विकास अधिकारी-पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी के निर्देश से शिक्षा प्रसार अधिकारी निरीक्षण-निगरानी एवं मूल्यांकन के उत्तरदायी होंगे। अपने क्षेत्र में उपलब्ध महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी व परिवार बाल कल्याण योजना की मुख्य सेविका का उपयोग विकास अधिकारी को इस कार्यक्रम के लिये भी करना चाहिये। विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक इसके उत्तरदायी होंगे। केयर संस्था के क्षेत्रीय अधिकारी अपने स्तर पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन करते आये हैं। अपने स्तर पर उनका कार्य यथावत ही रहेगा।

9. रेकार्ड—लेखाजोखा व प्रगति विवरण:—

खाद्यान्न व तेल की प्राप्ति भंडारण परिवहन-वितरण तथा राशि की प्राप्ति आय-व्यय खाद्यान्न की कमी व क्षति आदि से सम्बन्धित विभिन्न रजिस्टर्स-स्टेटमेंट व प्रोफार्मा आदि जिला परिषद्-पंचायत समिति एवं केन्द्र स्तर पर रेकार्ड व विवरण रखा जाकर कार्यक्रम की प्रगति संचालन एवं आय व्यय की मासिक-त्रैमासिक सूचना पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के माध्यम से देनी होगी। जिला परिषदें अपने जिले की सूचना समेकित एक स्टेटमेंट में निश्चित् समय में प्रत्येक माह की 10, तारीख तक भेजा करेगी। फार्म नं. 1 की सूचना निरन्तर भेजी जावे।

10. मुद्रित सामग्री:—

मुद्रित सामग्री सम्बन्धित जगहों से उपलब्ध होगी। पर मद्रित सामग्री यथा समय प्राप्त नहीं होने की दशा में चक्रांकित कराकर (साइक्लोस्टाइल) सूचना यथा समय भेजें।

11. स्वास्थ्य जांच:—

मध्यान्ह भोजन पोषाहार से छात्रों के स्वास्थ्य में क्या प्रगति हो रही है इसकी जांच हेतु यदि संभव हो तो उपलब्ध चिकित्सक से सहयोग लेना चाहिये। स्वास्थ्य का रेकार्ड-वजन-ऊंचाई व नाप आदि का ब्यौरा रक्खा जावे।

12. इस कार्यक्रम के संचालन में तथा इसके संचालन के कारण विद्यालय के कार्यों व छात्रों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव पडता हो या किसी समस्या एवं कठिनाई का अनुभव किया जाता हो तो उससे विभाग को अवगत कराया जावे। समस्या का समाधान भी सुझाया जा सके तो उत्तम होगा।

13. विद्यालय के बालक-बालिकाएं राष्ट्र की भावी होनहार पीढी हैं। अतः उनके स्वास्थ्य व पोषण को एवम् पढ़ाई की समुचित देखभाल एवं व्यवस्था प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। इसी भाव से इस कार्यक्रम को संचालित करते हुए माननीया प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम में संदर्भित मातृ-शिशु कल्याण एवं पोषाहार कार्यक्रम के लिये उनकी भावना के अनुरूप अपने अपने दायित्व को निभाना है।

(2) विशेष पोषाहार कार्यक्रम (एस. एन. पी.):—

विशेष पोषाहार कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 82-83 के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं–इनकी पूर्णरूपेण पालना की जावे—

1. इस देश की आर्थिक विपन्नता एवं परिवारों की आर्थिक कमजोर स्थिति के कारण अधिकांश प्रतिशत व्यक्तियों को कुपोषण एवं बिमारी से बचाने के लिये पूरक पोषाहार की आवश्यकता है परन्तु छोटी उम्र के बालकों एवं गर्भवती तथा दूध पिलाती माताओं को इसकी बहुत आवश्यकता है। इसी कारण देश की माननीया प्रधान मन्त्रीजी ने पोषाहार कार्यक्रम को अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया है विशेष पोषाहार कार्यक्रम मातृशिशु कल्याण एवं पोषाहार का विशेष कार्यक्रम है। यह सदा ध्यान में रखा जावे।

2. खाद्यान्न व तेल की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था:--
केयर संस्था से मुफ्त में प्राप्त खाद्यान्न व तेल से चलाया जा रहा है। इसका समुचित उपयोग व सुरक्षा अधिक आवश्यक है, माल की प्राप्ति भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से होती है।

3. बन्दरगाह पर मालवाही जहाज के आने की सूचनापरान्त जब माल का आवंटन समय-समय पर जिला परिषदों को किया जाता रहेगा तब माल को खाद्य निगम भंडारों से जिला परिषद मुख्यालय/गोदाम स्तर तक एवं जिला मुख्यालय/गोदामों से पंचायत समिति स्तर तक एवं केन्द्र तक पहुंचाने हेतु नियमानुसार निविदायें सम्पूर्ण वर्ष के लिये आमन्त्रित करेंगे तथा समय-समय पर परिवहन कर माल केन्द्र स्तर तक पहुंचायेंगे। परिवहन आदि का व्यय आपके पी. डी. खातों मे हस्तान्तरित राशि में से चुकायेंगे। यथासंभव माल पहुंचाने का कार्य जुलाई से पूर्व कर लिया जावे ताकि कार्यक्रम विद्यालय खुलते ही प्रारम्भ किया जा सके।

4. केन्द्र स्थान--पूर्ववत् ही रहेंगे।
5. लाभान्वितों की संख्या एवं संख्या पूर्ति लक्ष्य :--

लाभान्वितों की संख्या प्रत्येक जिला एवं पंचायत समितिवार पूर्व में निर्धारित की हुई है वह यथावत रहेगा। भारत सरकार लाभान्वितों की संख्या में कमी या वृद्धि करेगा तो इसकी सूचना प्राप्त होने पर उतनी ही संख्या को लाभान्वित करना होगा। विगत समय में नियमितरूप से निर्धारित संख्या की लक्ष्य पूर्ति नहीं हो पाई थी अतः हर संभव प्रयत्न कर निर्धारित नियमित संख्या का लक्ष्य पूरा करना चाहिये।

6. लाभान्वितों का चयन:--

यह कार्यक्रम प्रथमतः जनजाति-आदिम जाति-मरुक्षेत्रीय-पहाड़ी एवं दुर्गम स्थानीय क्षेत्रों के न्यून आय वाले कमजोर वर्ग के समाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े-स्वास्थ्य एवं पोषण के जरूरत मन्द कुपोषित 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चो गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं तथा अपंग एवं निराश्रितों के लिये ही है। अतः जरूरतमन्द गरीबी की रेखा से न्यून आय वर्ग के ऐसे लाभान्वित का विगत वर्ष तक चयन कर यह कार्यक्रम निर्धारित संख्या के लाभान्वितों के लिये ही चलाया जा रहा है। लाभान्वित पूर्व से चयनित हैं--किन्तु सन् 82-83 में यदि पूर्व चयनित लाभान्वितों की तुलना में कोई अन्य व्यक्ति अधिक अस्वस्थ्य एवं कुपोषित उपलब्ध हो जाय तो उसे उस निर्धारित संख्या में प्राथमिकता देकर सम्मिलित कर लिया जाय।

7. खाद्यान्न व तेल की वितरण मात्रा:--

खाद्यान्न व तेल की प्रति लाभान्वित प्रतिदिन की मात्रा 80 ग्रर्स्स ग्राम सुखा दलिया व सात ग्राम तेल पहले से निर्धारित है इससे नमकीन/मीठा दलिया बनाकर प्रति-व्यक्ति मात्रा के अनुसार ही वितरण किया जाय।

8. वितरण की व्यवस्था पूर्ववत ही केन्द्र स्थान पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय की निगरानी में प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका द्वारा की जाती रहेगी। दलिया बनाने का काम मासिक पारिश्रमिक पर रखे जाने वाले व्यक्ति ही करेंगे।

9. वितरण के कुल दिवस:--यथावत

10. निरीक्षण एवम् निगरानी--

जिला स्तर पर उप जिला विकास अधिकारी एवं पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी इस कार्य के सफल संचालन एवं खाद्यान्न तेल की प्राप्ति की सुरक्षा एवं वितरण के जिम्मेदार होंगे। केन्द्र स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं कार्यक्रम के प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका संचालन-व्यवस्था-वितरण-खाद्यान्न व अन्य सामान बर्तन वगैरह की सुरक्षा के जिम्मेदार होंगे।

उप जिला विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी समय-समय पर केन्द्रों पर जाकर वितरण व्यवस्था व सुरक्षा को देखेंगे तथा सफल संचालन में सहयोगी होंगे। शिक्षा प्रसार अधिकारियों एवं महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी पूर्व परिवार बाल कल्याण योजना की मुख्य सेविका पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं तो उन्हें निर्देशित करेंगे कि वे अपने कार्य के साथ-साथ इन कार्यक्रमों का भी अपने अपने

क्षेत्र में निरीक्षण करें तथा कार्यक्रम का सफल संचालन करावें। जिससे प्रधान मन्त्री जी की भावनानुसार उपर्युक्त लाभान्वितों को इसका समुचित लाभ मिल सके ।

केयर संस्था के क्षेत्रीय अधिकारी भी समय-समय पर पंचायत समिति स्तर पर एवं केन्द्र स्थानों पर निरीक्षण के लिये यथावत आते रहेंगे ।

11. अर्थ-प्रावधान:-

प्रति लाभान्वित प्रति दिवस के हिसाब से एवं परिवहन तथा नमक मसाला लकडी व भत्ता एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिये राज्य सरकार से आवंटित राशि में से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राशि आपके पी.डी. खातों में हस्तान्तरित की जाती रही है वह वर्ष 82-83 में भी समय-समय पर हस्तान्तरित की जायेगी। उसमें कोई कठिनाई या समस्या उत्पन्न हो तो विभाग के ध्यान में लाया जावे ।

12. रेकार्ड व लेखा जोखा एवं मूल्यांकन--

जिला परिषद् पंचायत समिति एवं केन्द्र स्तर पर भंडारण-वितरण व आय-व्यय के अलग-अलग निर्धारित रजिस्टर्स व पत्रकों में समस्त रेकार्ड रखा जाकर इसकी प्रगति की सूचना मासिक व त्रैमासिक जिला परिषदों के माध्यम से विभाग को देनी होगी। निर्धारित प्रपत्र फार्म नम्बर एक में सूचना भिजवाई जायेगी एवं जिला परिषद में साहवारी प्रगति रिपोर्ट एवं पंचायत समितिवार स्टॉक रजिस्टर का समेकित निर्धारित एक स्टेटमेंट तैयार कर जैसा भेजते रहे हैं वैसा ही विभाग को एवं प्रशासक केयर संस्था धूलेश्वर गार्डन, जयपुर राजस्थान को भेजते रहेंगे ।

13. कमी एवं क्षति रिपोर्ट:-
माल की कमी एवं क्षति की रिपोर्ट एक्जीबिट-26 में यथावत आवश्यक रूप से भेजते रहें ।

14. समय समय पर लाभान्वितों के स्वास्थ्य की देखरेख व जांच करवाइ जाय तथा उपलब्ध चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जाय। सब लाभान्वितों के वजन-ऊंचाई-नाप आदि का रेकार्ड रक्खा जाये ।

15. मुद्रित सामग्री (स्टेटमेंट व प्रोफार्मा):-

मुद्रित सामग्री यदि शीघ्र उपलब्ध नहीं हो पावे तो उन्हें चक्रांकित कराकर (साइक्लोस्टाइल) सूचना समय पर भिजवाते रहें ।

16. किसी भी प्रकार की समस्या एवं कठिनाई से विभाग को अवश्य अवगत कराया जाता रहे ताकि उसका शीघ्र समाधान निकाला जा सके ।

17. प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रमों में पोषाहार कार्यक्रम के महत्व को दृष्टिगत रखकर इस कार्यक्रम के निर्धारित लाभान्वितों को अधिक से अधिक लाभ हो इस दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर इस कार्यक्रम का सफल संचालन वांछित है ।

(3) विश्व खाद्य कार्यक्रम:-

विश्व खाद्य कार्यक्रम विगत वर्षों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाभान्वितों की संख्या के लिए आपके भरतपुर व पाली जिले की पंचायत समिति क्षेत्र में चल रहा है। इसके संचालन व्यवस्था व पोषाहार सामग्री के वितरण हेतु समय समय पर निर्देश इस विभाग द्वारा प्रेषित किये जाते रहे हैं। माननीय प्रधान मन्त्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम में सूत्र 15 मातृशिशु कल्याण एवं पोषाहार को दृष्टिगत रखकर वर्ष 82-83 में इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्न निर्देश भेजे जा रहे हैं ।

1-लाभान्वितों की संख्या एवं चयन:-

लाभान्वितों की संख्या भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारण के अनुसार ही रहेगी। न्यून आय वर्ग गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों के कुपोषित 0 से 6 वर्ष के बच्चे दूध पिलाती एव गर्भवती माताओं-निराश्रितों एवं विकलांग व्यक्तियों को चयन में प्राथमिकता देनी है ।

2. लाभान्वितों की संख्या की लक्ष्य प्राप्ति:-

विगत समय में प्रति केन्द्र लाभान्वितों के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति पूरी तर नहीं हो पायी थी अत:निर्धारित संख्या को लक्ष्य प्राप्ति का हर संभव प्रयास किया जाय। लाभान्वितों की दैनिक उपस्थिति का उचित रिकार्ड रखा जावे।

3. केन्द्र स्थगन–:

प्रत्येक जिले एवं पंचायत समिति में यथावत रहेंगे। आवश्यकतानुसार स्वीकृति लेकर केन्द्र बदलने की कार्यवाही की जा सकती है।

4. खाद्यान्न व तेल की प्राप्ति एवं वितरण व्यवस्था:–

विश्व खाद्य कार्यक्रम में खाद्यान्न व तेल मुफ्त में वितरण हेतु प्राप्त किया जाता है। केन्द्र स्तर तक खाद्यान्न समय पर पहुंच जाय इस हेतु परिवहन के लिये यथा समय जुलाई माह से पूर्ण निविदाएं आमन्त्रित कर लें ताकि जुलाई माह तक सामान सब जगह पहुंच सके। विगत समय में परिवहन की दुविधा से कई पंचायत समितियां के केन्द्रों पर विशेषत:पाली जिले में माल काफी लम्बे समय तक नहीं पहुंच पाया। अत: कार्यक्रम बहुत दिनों तक नहीं चलाया गया। यह सन्तोष जनक स्थिति नहीं है। अत: खाद्यान्न समुचित समय में सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाना चाहिये एवं केन्द्र प्रभारी तथा प्रधानाध्यापक की देखरेख में सुरक्षित रखवाया जाकर प्रति कार्य दिवस पर निर्धारित मात्रा में बनाकर वितरित किया जाना चाहिये।

5. खाद्यान्न की मात्रा:–

पूर्ववत् 80 ग्राम/100 ग्राम दलिया व 7 ग्राम तेल प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत पूर्ववत दिया जाय।

6. निरीक्षण एवं निगरानी:–

जिला स्तर पर उप जिला विकास अधिकारी पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी कार्यक्रम के सफल संचालन-निरीक्षण एवं निगरानी के जिम्मेदार होंगे तथा पंचायत समिति में कार्यरत शिक्षा प्रसार अधिकारी उपलब्ध हो तो महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी तथा परिवार कल्याण योजना की मुख्य सेविका कार्यक्रम का अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण से निगरानी करवायेंगे। केन्द्र स्तर पर प्रधानाध्यपक एवं प्रभारी अध्यापक/अध्यापिका खाद्यान्न के उत्तरदायी होंगे। इसमें कोई कठिनाई संस्था एवं सुझाव हो तो विभाग के ध्यान में लाया जावे।

7. राशि प्रावधान:–

निश्चित् मानदण्ड के अनुसार राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जाकर आपके पी.डी.खातों में हस्तान्तरित की जाती रही है। वर्ष 82-83 में भी यह राशि हस्तान्तरित कर दी जायेगी। इस राशि से आपके स्तर एवं माध्यम से होने वाले समस्त व्यय भार उठाये जाने हैं। इसमें कोई कठिनाई या समस्या हो तो विभाग के ध्यान में लाया जाय।

8. मूल्यांकन रेकार्ड व लेखा-जोखा:—

माल की प्राप्ति भण्डारण वितरण राशि की प्राप्ति व व्यय आदि से संबंधित विभिन्न पत्रकों एवं रजिस्टर्स में जिला परिषद् पंचायत समिति एवं केन्द्र स्तर पर रेकार्ड व वितरण रखा जा कर कार्यक्रम की प्रगति संचालन एवं आय-व्ययक की मासिक वं त्रैमासिक सूचना जिला परिषदों के माध्यम से विभाग को देनी होगी फार्म नं 1 में जिला/पं. समिति मासिक लेखा सूची एवं वितरण का ब्यौरा प्रतिमाह की 10 तारीख तक निश्चित भेजा करेंगे।

9. स्वास्थ्य जांच:—

लाभान्वितों के स्वास्थ्य की देखरेख व जांच के लिये समय समय पर उपलब्ध चिकित्सा अधिकारियों का सहयोग लिया जाना चाहिये, नाम व वजन आदि का रेकार्ड भी रखा जाना चाहिये।

10. इस कार्यक्रम के संचालन एवं इसके संचालन से विद्यालयों कार्यों तथा बच्चों की पढाई पर कोई प्रभाव पड़ता हो या किसी समस्या एवं कठिनाई का अनुभव किया जाता हो तो उससे विभाग को अवगत कराया जावे। यदि कठिनाई के निराकरण का सुझाव भी दे सके तो उचित रहेगा।

11. कुपोषण से मुक्त होने के लिये पूरक पोषाहार की लाभान्वितों को कितनी ज्यादा आवश्यकता है एवं माननीया प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम में लक्षित मातृ शिशु कल्याण के लिये यह पोषाहार कार्यक्रम कितने महत्व का है। इसकी महत्ता को ध्यान में रख कर इस कायक्रम के सफल एवं समुचित संचालन का नैतिक उत्तरदायित्व है। इस भावना से प्रत्येक स्तर पर इस कार्य क्रम से संबंधित व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी हैं।

(4) अकाल सहायता पूरक पोषाहार कार्यक्रम (82-83):

ए. पी. ए. मद में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से अकाल सहायता पूरक पोषाहार कार्यक्रम राज्य के चौदह जिलों में विगत वर्ष में चलाने का प्रावधान कुछ समय के लिये किया गया था इनमें कुछ जिले अकाल के साथ साथ बाढ ग्रस्त भी हो गये हैं।

इन चौदह जिलों में इस कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन के निर्देश विभाग के पत्र क्रम संख्या एफ 3(289)एडीई/केयर/ईपीएस/80/3494 दिनांक 20-10-81 से भेजे गये थे। वर्ष 82-83 में भी यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ए. पी. ए. मद में स्वीकृत राशि से अल्पावधि के लिये चलाया जायगा। यदि भारत सरकार खाद्यान्न व तेल तथा और अधिक राशि सुलभ करायगी तो कार्यक्रम ज्यादा लम्बे समय तक एवं राज्य के अन्य जिलों में भी चलाया जा सकेगा किन्तु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राशि से जिन निम्न चौदह जिलों—बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बीकानेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चितौड़गढ, उदयपुर, कोटा, जयपुर, टोंक, भरतपुर व सीकर में इस कार्यक्रम को चलाने का प्रावधान किया हुआ है उनमें इस कार्यक्रम की माननीया प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 15 मातृ शिशु कल्याण एवं पोषाहार के संदर्भ में सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु वर्ष 82-83 के लिये निम्न निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा पूर्व उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 20-10-81 से प्रसारित समस्त निर्देशों का यथावत् पालन किया जाकर इन निम्न निर्देशों की पूर्ण रुपेण पालना की जावे:—

1. लाभान्वितों का चयन:—

चूंकि यह कार्यक्रम मुख्यतः अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिये ही है। अतः आपके जिले के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में ही इस कार्यक्रम को जलाया जावे तथा उन क्षेत्रों व गांवों के गरीबी की रेखा से नीचे तथा न्यूनतम आय वाले परिवारों के अस्वस्थ तथा कुपोषित 0 से 6 वर्ष के बच्चों, दूध पिलाती एवं गर्भवती माताओं, असहाय एवं अपंग कुपोषित वृद्धों में से अधिक आवश्यकता वाले लाभान्वितों का चयन किया जाय।

2. लाभान्वितों की संख्या:—

आपके जिले के लिये लाभान्वितों की संख्या निर्धारित की हुई है उसी संख्या तक आप आवश्यकता वाले क्षेत्र व गांवों में लाभान्वितों को निर्धारित करें। संख्या की सूचना आपको पूर्व में भेजी हुई है यदि इसमें कोई वृद्धि या कमी की जायगी तो उसकी सूचना अलग से प्रेषित की जायगी।

3. केन्द्र स्थान:—गांवों में केन्द्र स्थान पूर्ववत यथासंभव विद्यालय ही रखे जावें।

4. खाद्यान प्राप्ति एवं व्यवस्था:—

खाद्यान्न प्राप्त करने की विभाग द्वारा ज्यों ही सूचना मिले त्योंहि निर्धारित समय में खाद्यान्न शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर केन्द्र स्थान तक पहुंचा दिया जाय।

5. खाद्यान्न की मात्रा:—

प्रति लाभान्वित प्रतिदिन निम्न मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाय:—

1.	3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिये	80 ग्राम
2.	3 से 6 वर्ष की आय वाले बच्चों के लिये	100 ग्राम
3.	दूध पिलाती व गर्भवती माताओं तथा असहाय व अपंग कुपोषित व्यक्तियों के लिये	125 ग्राम

6. निगरानी व निरीक्षण:—

जिला स्तर पर उप जिला विकास अधिकारी एवं पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं केन्द्र स्तर पर प्रधानाध्यापक व कार्यक्रम प्रभारी अध्यापक /अध्यापिका खाद्यान्न व तेल की प्राप्ति तथा बर्तन वगैरह के भंडारण एवं सुरक्षा के तथा सफल संचालन व वितरण के जिम्मेदार होंगे। समय समय पर केन्द्र स्थान पर जाकर उप जिला विकास अधिकारी व विकास अधिकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेंगे—पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध शिक्षा प्रसार अधिकारी—महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी एवं परिवार बाल कल्याण योजना की मुख्य सेविका को अपने कार्य के साथ साथ इस कार्यक्रम के संचालन व क्रियान्वयन का निरीक्षण व मार्गदर्शन करने के निर्देश देंगे तथा कार्यक्रम के सफल संचालन की व्यवस्था करेंगे।

7. मूल्यांकन—रेकार्ड व लेखा जोखा:—

खाद्यान्न व तेल की प्राप्ति भंडारण—माल का वितरण एवं राशि की प्राप्ति व व्यय आदि से संबंधित समस्त रेकार्ड व लेखा जोखा संबंधित पत्रकों-रजिस्टर्स व प्रोफार्मा में जिला/पंचायत समिति एवं केन्द्र स्तर पर रखा जायगा तथा समय-समय पर कार्यक्रम की प्रगति—संचालन एवं आय-व्यय की मासिक/त्रैमासिक सूचना जिला मुख्यालय के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विभाग को देंगे।

8. राशि प्रावधान--

समय समय पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि आपके पी. डी. खातों में हस्तान्तरित की जाती रही है। वर्ष 82-83 में वर्तमान में प्राप्त राशि हस्तान्तरित की गयी है इस राशि से आपके स्तर पर एवं आपके माध्यम से होने वाले समस्त खर्च किये जाने हैं। इसमें किसी प्रकार को कठिनाई का अनुभव हो तो विभाग को अवगत कराया जावें।

9. स्वास्थ्य जांच--

लाभान्वितों के स्वास्थ्य की निरन्तर प्रगति एवं देखभाल की जांच के लिये उपलब्ध चिकित्सकों का अवश्य सहयोग लिया जाय एवं स्वास्थ्य जांच का रेकार्ड रखा जाय।

10. इस कार्यक्रम के सफल संचालन का दायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभाया जावे इसमें किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई अनुभव हो तो उससे विभाग को सूचित किया जाय।

(5) व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम--

सन् 1965-66 से व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम राज्य को 22 जिलों की 49 (उनचास) पंचायत समिति में ग्रामीण तथा पारिवारिक स्तर पर पोषाहार की शिक्षा प्रदान करने तथा लोगों के पोषाहार में वृद्धि करने एवं पोषाहार के समस्त मामलों में लोगों को आत्म निर्भर बनाने के प्रमुख उद्देश्यों सें पोषाहार–शिक्षण–उत्पादन एवं उपयोग के त्रि–सूत्र को लेकर चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम के संचालन एवं व्यवस्था के लिये समय समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं तथा राजस्थान में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम की निर्देश पुस्तिका (लाल जिल्द में) प्रकाशित कर भेजी हुयी है उसका समय समय पर अवलोकन किया जाय। वर्ष 82-83 के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न निर्देश जारी किये जा रहे हैं:--

1. माननीया प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रमों में सूत्र 15 मातृ शिशु कल्याण एवं पोषाहार से संबंधित व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम में माननीया प्रधान मंत्री जी के मातृ शिशु कल्याण एवं पोषाहार की अधिकांश भावनायें सन्निहित हैं। अतः 20 सूत्री कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम को और अधिक उत्तरदायित्व एवं उत्पादन तथा उपयोग की दृष्टि से अधिक प्रभावी ढंग से चलाना चाहिये। अपने स्तर पर सब कर्मचारी इस जिम्मेदारी से कार्य करेंगे।

2. इस कार्यक्रम के लिये खण्डों–गांवों तथा परिवारों के अब तक के चयन में आर्थिक रूप से पीड़ित तथा सामाजिक रूप से उत्पीड़ित लोगों एवं आदिवासी वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा हो गया है। पर वर्ष 82–83 में कार्यक्रम के विस्तार प्रसार एवं प्रचार की दृष्टि से मुख्यतः ऐसे गांव एवं परिवारों में महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी व ग्राम सेविकाओं को कार्य करना चाहिये तथा पंचायत समिति एवं जिला स्तर के अधिकारियों को इन कर्मचारियों को ऐसे ही उक्त प्रकार के परिवारों व गांवों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना हैं।

3. ऐसा देखा गया हैं कि महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी एवं ग्राम सेविकाएं अपने अपने क्षेत्र में प्रायः कार्य पर नहीं जाती है तथा पंचायत समिति मुख्यालय पर या एक ही गांव में रहती हैं अथवा विकास अधिकारी को उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में यात्रा पर नहीं जाने दे रहें हैं। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा तो कैसे कार्य होगा। अतः विकास अधिकारी एवं उच्च अधिकारी इन कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्र में काम के निमित्त भ्रमण पर भेजा करें। महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी व ग्राम सेविका एक माह में 20 दिन का समय तथा 10 दिन का रात्रि विश्राम मुख्यालय के अतिरिक्त अपने क्षेत्र में भ्रमण पर बितायेगी तथा दैनिक पंजिका तैयार करेगी। ऐसे पूर्व से ही निर्देश हैं। जिनका पूर्ण पालन किया जावे।

4. प्रायः यह देखा गया है कि सिलाई-बुनाई व कढ़ाई की मशीनें खराब पड़ी हैं तथा महिला मण्डलों के उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं। इन्हें पंचायत समिति की निजी आय से ठीक कराकर उपयोग में लेना चाहिये। तथा महिला मण्डल की आय भी बढ़ाई जाय जिससे महिला मण्डल सफलतापूर्वक कार्य कर सकें।

5. इसी तरह युनीसेफ द्वारा इस कार्यक्रम के लिये दी गयी जीप का उपयोग महिला पोषाहार प्रसार अधिकारी तो अपने व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम के निमित्त बहुत कम रही है तथा अन्य कार्यों में जीप का उपयोग हो रहा है। इस कार्यक्रम के निमित्त जीप का उपयोग किया जाना चाहिये। कई जगहों पर जीप खराब पडी है उन्हें पंचायत समिति की निजी आय से ठीक कराना चाहिये।

6. विगत समय में युनीसेफ द्वारा इस कार्यक्रम के लिये नाना प्रकार का सामान मुफ्त दिया गया। वह या तो यों ही पडा है या काम में नहीं आ रहा है या खराब हो गया है जो थोडे खर्चे में ठीक कराया जा सकता है उसे दुरुस्त कराना चाहिये। कहीं कहीं सामान ज्यों का त्यों यथावत ही रखा हुआ ह, कुछ सामान अज्ञात हो गया है विकास अधिकारी व महिला पोषाहार प्रभार अधिकारी को इन स्थितियों को व स्टाक रजिस्टर्स को देखना चाहिये व सामान का भौतिक सत्यापन कर जो उपयोगी है उसे उपयोग में लेना चाहिये।

7. पंचायत समिति में इस कार्यक्रम के तहत संचालित महिला मण्डल व युवक मण्डल कुछ तो रजिस्टर्ड हैं कुछ रजिस्टर्ड नहीं हो पाये हैं। विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ऐसी महिला व युवक मण्डलों को रजिस्टर्ड कराने में सक्रिय योगदान करावें।

8. महिला मण्डलों के माध्यम से उद्योग प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक साक्षरता कार्यों को अधिक सफल बनाया जाना चाहिये। तथा महिलायें आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हो सकें ऐसे कार्य अपनाये जाने चाहिये। व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम को इसके उद्देश्यों की दृष्टि से साकार स्वरूप प्रदान करने का प्रत्येक स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में पुरजोर प्रयत्न किया जाना चाहिये ताकि यह कार्यक्रम प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम में मातृ शिशु कल्याण एवं पोषाहार की भावना के अनुरूप बहुत सफलता से संचालित हो सके।

(6) परिवार एवं बाल कल्याण योजना

ये योजनायें एक जुलाई 1981 को इस विभाग को हस्तांतरित की गयी है। इससे पूर्व में योजनायें राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही थी। ये योजनायें सारे प्रान्त में 10 जिलों की 12 पंचायत समितियों, झोटवाडा (जयपुर) 2. मण्डोर (जोधपुर) 3. मावली (उदयपुर) 4. गोविन्दगढ (अलवर) 5. झालरापाटन(झालावाड) 6. सिरोही 7. कोटडी (भीलवाडा) 8. रायपुर(पाली) 9. कुम्हेर(भरतपुर) 10. सिकराय(जयपुर), 11. श्री माधोपुर(सीकर 12. थानागाजी(अलवर) में चलाई जा रही है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों का सर्वांगीण विकास कर परिवार एवं बाल कल्याण संबंधी कार्यों को संपादित करना हैं। इन योजनाओं के कार्यक्रम माननीया प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 15 मातृ शिशु कल्याण एवं पोषाहार से संबंधित लक्ष्यों के परिपूरक हैं। अतः 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 15 के परिप्रेक्ष्य में इन योजनाओं का सफल संचालन एवं क्रियान्वित करना अब विशेष जिम्मेदारी की बात हो गयी है। वर्ष 82-83 में इन योजनाओं का सफल संचालन करने हेतु विभाग से निम्न निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं :-

1. इन योजनाओं में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का मुख्य कर्तव्य है की अपने अपने-क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों की महिला एवं बालकों के लिये बालवाडी-महिला प्रौढ शिक्षा उद्योग प्रशिक्षण-बालदान-महिला प्रशिक्षण-शिविर आदि पूर्व से किये जाने वाले कार्यों का निष्ठापूर्वक संचालन करावें।

2. कार्यक्रम और गतिविधियां-

कार्यक्रमों की बनाते समय यह आवश्यक ध्यान में रखावें कि सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की पुनरावृत्तियां न हों-निम्न प्रकार के कार्यक्रम और गतिविधियों को अवश्य सम्मिलित किया जाय-

1. बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा के लिये बालवाडी
2. माताओं और बच्चों की देखभाल के लिये स्थान
3. प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवायें
4. महिला प्रौढ शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा
5. कला और शिल्प शिक्षा
6. प्रसूतिका हेतु पूर्व और पश्चात् मार्गदर्शन केन्द्र
7. सांस्कृतिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम
8. बाल अपराधों के दोष निवारण एवं पुनर्वास संबंधी सेवाएं
9. महिलाओं के प्रशिक्षण शिविर
10. महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम

3. कार्यक्रमों के हिसाब से निम्न प्रकार की गतिविधियों को निर्धारित किया जाता हैं प्रत्येक योजना में कार्यरत-मुख्य सेविका-गृह सेविका तथा बाल सेविकाओं का दायित्व है कि परिवार एवं बाल कल्याण कार्यों से संबंधित निम्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों का अपने अपने क्षेत्र एवं गांव में सफलतापूर्वक संचालन एवं क्रियान्वयन करावें। विभिन्न भागों की भौगोलिक एवं सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण प्रत्येक केन्द्र पर एक हीं तरफ के कार्यक्रम चलाना संभव नहीं होता स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार मुख्य सेविका विकास अधिकारी एवं पंचायत समिति प्रधान तथा स्थानीय जागरूक महिलाओं के पारस्परिक परामर्श से कार्यक्रम निर्धारित कर चलाये जावें। निम्न प्रकार की गतिविधियों प्रस्तावित की जाती हैं -

(1) दैनिकः-1. बालवाडी 2. प्राथमिक परिचर्या 3. सामाजिक शिक्षा 4. साधारण चिकित्सा सहायता 5. मनोरंजन कार्यक्रम 6. पोषण आहार।

(2) साप्ताहिकः-1. सफाई कार्यक्रम 2. साप्ताहिक कपडों की धुलाई 3. सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें भजन कीर्तन आदि।

3. सामयिकः–1. त्योंहार के उत्सव 2. दावतों आदि का प्रबन्ध 3. लोक नृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम 4.कला तथा शिल्प में शारीरिक प्रशिक्षण 5. घरों की सजावट 6. पाक तथा अन्तर्ग्रामीण प्रतियोगितायें तथा बगीची प्रतियोगितायें 7. फिल्म शो आदि ।

4. विशेष कार्यक्रमः–उन व्यक्तियों का पंजीयन तथा प्रवेश किया जा सकता है जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता हो, जैसे शारीरिक और मानसिक रूप से वाधित निराश्रित बाल अपराधी जेल से छूटे हुये व्यक्तियों, भिखारियों, मुसीबत में फंसी महिलाओं आदि का ब्यौरा रखने, उनकी कष्ट कथा का विवरण रखने आदि का कार्य ।

उक्त कार्यक्रमों और गतिविधियों को बनाते समय स्थानीय पंचायतों का तथा जागरुक महिलाओं का सहयोग अवश्य लिया जाय ताकि भविष्य में बिना अवलम्बन के भी इस प्रकार के कार्य उस गांव या परिवार में स्वतः ही चल सकें ।

5. निरीक्षण एवं नियंत्रण–

जिला स्तर पर उप जिला विकास अधिकारी पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं मुख्य सेविका योजना के नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिकारी होंगे तथा मुख्य सेविका निरन्तर अपने क्षेत्र के केन्द्रों के सफल संचालन की पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगी । केन्द्र स्तर पर बाल सेविका अपने अपने केन्द्र का संचालन करेगी तथा सहायक सेविका का सहयोग लेगी मुख्य सेविका प्रत्येक केन्द्र का बार-बार निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट विभाग को विकास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजेगी ।

6. लेखा जोखा व रेकार्ड–

योजना से संबंधित सारा रेकार्ड व लेखा-जोखा तथा आय-व्यय का ब्यौरा पूर्णतः रखा जावे तथा निर्धारित समय पर बजट के प्रस्ताव विभाग को भेजें जावें ।

7. पोषाहार (नाश्ता)–

बालवाडी में आने वाले प्रत्येक ढाई वर्ष से 6 वर्ष के बालकों को 25 पैसे प्रतिदिन प्रति बालक नाश्ता देने का प्रावधान है । पोषण की दृष्टि से उचित पोषाहार सामग्री नियमानुसार क्रय कर बालकों को समुचित पोषण मिल सके यह ध्यान रखा जावे ।

8. स्वास्थ्य जांचः–अपने अपने क्षेत्र एवं केन्द्र स्थान पर उपलब्ध चिकित्सक से सहयोग लेकर बालकों एवं माताओं तथा महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच समय-समय पर करानी चाहिये-तथा उसका रेकार्ड रक्खा जाना चाहिये ।

9. इन योजनाओं के संचालत व क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई का अनुभव हो तो उससे विभाग को अवश्य अवगत कराया जावें तथा उसका कोई समाधान की प्रस्तावित कर सके तो अवश्य भेजा जाय ।

10. परिवार एवं बाल कल्याण योजना स्वयं में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पर 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 15 में इस प्रकार की योजनाओं का अत्यधिक महत्व है अतः इन योजनाओं के कार्यक्रमों को अधिक उत्साह-रुचि एवं सफलता से संचालित किया जावे ।

सामान्यः–विभिन्न प्रकार के पोषाहार कार्यक्रमों एवं मातृ शिशु कल्याण से संबंधित सभी प्रकार की विभागीय उक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को माननीया प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 15 के संदर्भ में वर्ष 82-83 में सफलतापूर्वक संचालित एवं क्रियान्वित किया जाय, यह निर्देशात्मक आग्रह है ।

जे. एम. खान,
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक,
सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

क्रमांक प./3/(864)पी/सकवि/81-82/23179-278 दिनांक 30-4-1982

1. समस्त जिलाधीश, राजस्थान

2. समस्त जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग
. . . . . .

3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,
. . . . . .

विषयः—सूत्र संख्या 15 महिला एवं बाल कल्याण ।

प्रस्तावनाः—

प्रधान मंत्री जी के नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम में महिला एवं बाल कल्याण को विशेष स्थान दिया गया है । विशेषतया स्वास्थ्य एवं पोषाहार परिवार कल्याण, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक व आर्थिक विकास कार्यक्रमों को बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ताकि इन वर्गों का सर्वांगीण विकास हो सके ।

शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर कुपोषण के परिणाम गंभीर होते हैं, विशेषतः बच्चों एवं माताओं पर । छोटे बच्चे, गर्भवती स्त्रियां एवं दूध पिलाती माताओं में प्रोटीन, विटामिन एवं कैलोरीज एवं आयरन की कमी से संभावित अन्धता एवं अन्य विकलांगताओं व रोगों का खतरा बराबर रहता है । गर्भवती स्त्रियों में पोषाहारिक एनिमीया बड़ी संख्या में पाया जाता है जिसके कारण गर्भावस्था में शिशु पर भी असर पड़ता है । अपर्याप्त पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं के कारण भारत में प्रति एक हजार जन्मे बच्चों में 131 बच्चों की मृत्यु हो जाती है । देश में प्रतिवर्ष जितने लोग मरते हैं उनमें 40 प्रतिशत पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाती माताओं के लिये पोषाहार का कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

समन्वित बाल विकास परियोजनायें:

समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के माध्यम से पूरक पोषाहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इन योजनाओं में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और निम्न आय वाले परिवारों को दूध पिलाने वाली गर्भवती माताओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है । तीन वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिये पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु विशेष ध्यान दिया जाता है । पूरक पोषाहार वर्ष में 300 दिन तक प्रदान किया जाता है । यह अनुमान है कि प्राप्त लाभान्वित पर योजना का औसतन व्यय 25 पैसा प्रतिदिन होगा । स्वास्थ्य जांच कर जिन बच्चों को कुपोषण की दूसरी व तीसरी अवस्था में पीड़ित पाया जायेगा उन्हें डाक्टर की सिफारिश पर उनकी शारीरिक आवश्यकतानुसार पूरक पोषाहार दिया जावेगा । ऐसे मामलों में प्रति लाभान्वित पर औसतन व्यय 60 पैसा प्रतिदिन होने का अनुमान है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (726) पोषाहार/सकवि/80-81/13448-53 दिनांक 27-2-82 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ. 13 (726) पोषाहार/सकवि/80-81/17378-88 दिनांक 19-3-82 द्वारा दिये जा चुके हैं ।

पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा

पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 44 वर्ष की आयु के सभी महिलाओं को दी जावेगी । दूध पिलाने वाली तथा गर्भवती माताओं को प्राथमिकता दी जावेगी । जिन माताओं के बच्चे कुपोषित है या अधिकतर बीमार रहते हैं उनकी विशेष रूप से देखभाल होगी ।

प्रतिरक्षण:

प्रोजेक्ट क्षेत्रों में 6 वर्ष से कम आयु के सब बच्चों का प्रतिरक्षण (चेचक, डिपथिरिया, टीटनस, काली खांसी, खांसी, टाइफाइड और क्षय रोगों को रोकने के लिये) करने का प्रयत्न है। सभी गर्भवती महिलाओं को टिटनस से बचने के लिये टीके लगाने का प्रावधान है तथा स्थानीय महामारी की अवस्था में महिलाओं में "माइलीटेस" से बचाने के लिये भी प्रतिरक्षण किया जावेगा।

स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवायें:

इसमें निम्नलिखित सेवायें शामिल होंगी :—

1. गर्भवती माताओं की प्रसूत पूर्व देखभाल
2. दूध पिलाने वाली माताओं की प्रसूत उपरान्त देखभाल तथा नवजात शिशुओं की देखभाल, एवं
3. 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल

कार्यात्मक साक्षरता :

इन योजनाओं में आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से प्रौढ़ महिलाओं के लिये कार्यात्मक साक्षरता का कार्यक्रम भी रखा गया है। कार्यात्मक साक्षरता योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(1) अनपढ़ स्त्रियों को साक्षरता कक्षाओं के जरिये साक्षर करना, उन्हें समुदाय के विकासात्मक प्रयत्नों में भाग लेने योग्य बनाना।

(2) महिलाओं को स्वास्थ्य एवं "हाईजीन' के आधुनिक तरीकों (परिवार नियोजन सहित) की अधिक जानकारी देना तथा उन्हें पौष्टिक और प्रोटीनयुक्त खुराक का महत्व समझाना।

(3) महिलाओं को गृह प्रबन्ध और बच्चों की देखभाल में जरूरी प्रशिक्षण देना।

(4) महिलाओं के व्यवहार में परिवर्तन लाना ताकि इस देश के नागरिकों के रूप में वे अपने कर्त्तव्य को निभा सकें, तथा

(5) प्राप्त किये गये प्रशिक्षण में लाभ प्राप्तकर्ताओं की अभिरुचि बनाये रखने के उचित अन्य उपाय करना।

अनौपचारिक शिक्षा :

प्रत्येक केन्द्र में स्थापित की जाने वाली "आंगनवाडी" व्यवस्था के माध्यम से तीन से पांच वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक आंगनवाडी में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्कूल पूर्वविधियों का आयोजन किया जावेगा।

इसके द्वारा औपचारिक शिक्षा नहीं दी जावेगी परन्तु बच्चों में वांछनीय मनोवृत्ति एवं मान्यताओं का विकास किया जाएगा तथा इसका उद्देश्य अच्छा वातावरण प्रदान करना होगा। बच्चों को उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जावेगा। आंगनवाडी में बच्चों की जिज्ञासा को सन्तुष्ट किया जावेगा तथा उसे रचनात्मक दिशा दी जावेगी।

2. नगरों में पोषाहार कार्यक्रम :

विशेष पोषाहार कार्यक्रम एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत नगरीय क्षेत्रों में 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाती माताओं को पूरक पोषाहार दिया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब वर्ग के उन लोगों को पूरक पोषाहार उपलब्ध होता है जिनको पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। ये कार्यक्रम कुछ जिलों में केन्द्रीय रसोई व्यवस्था से तथा कुछ जिलों में व्यक्तिगत रसोई व्यवस्था से चलाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1-13(596) सक वि/81-82/728241-74, दिनांक 23-12-81 द्वारा दिये जा चुके हैं।

केन्द्रों तथा केन्द्र प्रभारियों का चयन:

केन्द्र खोलने के स्थान का चयन जिला पोषाहार समिति द्वारा किया जाता है तथा केन्द्र प्रभारियों का चयन जिला धीश एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किये जाने के निर्देश पूर्व में उपरोक्त पत्र द्वारा जारी किये जा चुके है। केन्द्रों

का चयन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जावे कि ये क्षेत्र गरीब एवं पिछडे वर्ग की बस्तियों में हों ताकि इन केन्द्रों का लाभ गरीब एवं कुपोषित परिवारों को मिल सके। केन्द्र पर प्रभारी खाद्य सामग्री पकाने के लिए रसोईया की नियुक्ति करेगा। केन्द्र प्रभारी को 20 रुपया एवं रसोइयों को 40 रु. प्रति माह पारिश्रमिक दिया जायेगा। केन्द्र प्रभारी केवल वही व्यक्ति होगा जो उसी बस्ती में निवास करता हो जहां केन्द्र खोला जा रहा है। मान्यता प्राप्त स्वयं सेवा संस्थाओं को उनके कार्य क्षेत्रों में ही केन्द्र आवंटित किये जा सकते हैं। केन्द्र प्रभारियों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी। इनके चयन में निम्न प्राथमिकता को आधार रखा जावे :-

(अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति
(ब) अपंग व्यक्ति
(स) भूतपूर्व सैनिक
(द) शिक्षक जो उस क्षेत्र के विद्यालय में सेवारत है।
(य) सेवा निवृत्त राजकीय कर्मचारी
(र) महाविद्यालय के छात्र

लाभान्वितों का चयन :

प्रति केन्द्र 100 लाभान्वित स्वीकृत हैं। इसलिए प्रति केन्द्र पर लाभान्वितों के चयन में पूर्ण सतर्कता बरती जावे। यह ध्यान रहे कि चयन केवल 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलायें, दूध पिलाती माताओं का किया जाए। चयन में अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये एवं कम से कम 40 प्रतिशत लाभान्वित इन जातियों के होना आवश्यक हैं। वर्ष 1982-83 हेतु जिलेवार लक्ष्य संलग्न किये जा रहे हैं।

इन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्विति करने हेतु जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे हैं।

कृपया इस सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम बना कर सूचना भेजने का कष्ट करें।

आर. के. सक्सैना,
शासन सचिव।

सूत्र संख्या–15

पोषाहार कार्यक्रम (एस. एन. पी.) शहरी क्षेत्र

क्रमांक	नाम जिला	लक्ष्य	
1.	अलवर	7,500	
2.	अजमेर	17,500	
3.	उदयपुर	7,500	
4.	जोधपुर	12,000	
5.	सीकर	4,000	
6.	सिरोही	1,500	
7.	जालौर	1,000	
8.	टोंक	4,000	
9.	बूंदी	2,000	
10.	कोटा	10,000	
11.	भीलवाड़ा	4,000	
12.	चित्तौड़गढ	2,000	
13.	डूंगरपुर	1,000	
14.	बांसवाड़ा	2,000	
15.	बाडमेर	2,500	
16.	पाली	8,500*	*विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत
17.	भरतपुर	12,500*	
18.	सवाई माधोपुर	12,500*	
19.	नागौर	6,500*	
	योग	1,18,000	

टिप्पणी:–ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्यक्रम सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। उनके लक्ष्य अलग से उस विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या–15

समन्वित बाल विकास योजना (आई. सी. डी. एस.) के अन्तर्गत जिलेवार लक्ष्य (1982-83)

क्रमांक	जिला	पंचायत समिति का नाम		लाभान्वितों की संख्या
1.	बांसवाडा	गढी		10,000
2.	कोटा	छबडा		6,000
3.	सिरोही	पिण्डवाडा		10,000
4.	चित्तौड	छोटी सादडी		5,000
5.	उदयपुर	राजसमन्द		10,000
6.	भरतपुर	धौलपुर		10,000
7.	सवाई माधोपुर	गंगापुर		10,000
8.	जयपुर	1. जयपुर	(10,000)	30,000
		2. चाकसू	(10,000)	
		3. जयपुर	(10,000)	
9.	अलवर	राजगढ		10,000
10.	बाडमेर	चौहटन		10,000
11.	भीलवाडा	मांडलगढ		10,000
12.	जालौर	आहोर		10,000
13.	टौंक	उनियारा		9,000
14.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर	(5,000)	10,000
		2. सागवाडा	(5,000)	
15.	जोधपुर	फलौदी		10,000
16.	पाली	वाली		10,000
17.	भरतपुर	रूपवास		10,000
18.	सवाई माधोपुर	टोडाभीम		10,000
19.	नागौर	डेगाना		10,000
20.	कोटा	1. किशनगंज	(5,000)	10,000
		2. शाहबाद	(5,000)	10,000
21.	चित्तौड	प्रतापगढ		5,000
22.	बांसवाडा	कुशलगढ		5,000
23.	डूंगरपुर	सीमलवाडा		5,000
24.	उदयपुर	झाडोल		5,000
25.	उदयपुर	सलूम्बर		5,000
			योग	2,35,000

राजस्थान सरकार

सूत्र सं.-16

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 11(2) शिक्षा/ग्रुप-1182 जयपुर, दिनांक 18 मार्च, 1982

आयुक्त,
प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

विषय:—प्रधान मंत्री जी के द्वारा घोषित नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपको ज्ञात ही है कि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कुछ समय पहले नये 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है । इस कार्यक्रम के सूत्र -16 के अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग में प्राथमिक शिक्षा विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को सार्वजनीन करने का लक्ष्य रखा गया है ।

राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 के लिये 6-11 व 11-14 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के नामांकन जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये हैं जिनका विवरण संलग्न है । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कृपया सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक एवम् विस्तृत निर्देश निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्रसारित करें ताकि इस कार्यक्रम को पूरी लगन से क्रियान्वित किया जावे :—

1. प्रत्येक जिले के बालकों एवम् बालिकाओं के लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित किये जायें तथा इसमें बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने हेतु विशेष ध्यान रखा जाये ।

2. जिलेवार बालकों एवम् बालिकाओं के लक्ष्यों को प्रत्येक पंचायत समिति एवम् शहरी क्षेत्र में विभाजित किया जावे । यह विभाजन करते समय विद्यालयों के नामांकन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा जाये । इस सम्बन्ध में यह प्रयास किया जावे कि जिन क्षेत्रों में नामांकन उपलब्ध अध्यापकों की संख्या के अनुसार कम हैं वहां नामांकन बढ़ाने हेतु प्राथमिकता दी जाये ।

3. नामांकन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये यह भी स्पष्ट निर्देश दिये जावें कि बालकों एवम् बालिकाओं का नामांकन किया जाना ही पर्याप्त नहीं है । वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि नामांकित बालकों एवम् बालिकाओं को विद्यालयों में नियमित रूप से आने के लिये विद्यार्थी स्तर पर एवम् अभिभावक स्तर पर अध्यापकों द्वारा व्यक्तिशः एवम् सामूहिक प्रयास किये जावें । इस कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग प्राप्त किया जावे ताकि इस बारे में समाज में उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो सके ।

4. बालकों एवम् बालिकाओं को नामांकित करने एवम् विद्या अध्ययन में नियमिति बनाये रखने के कार्य का विद्यालयवार एवम् कक्षावार मोनीटरिंग सम्बन्धित परीवीक्षण अधिकारी के स्तर पर पंचायत समिति के स्तर पर एवम् जिलास्तर पर प्रतिमाह किये जाने की व्यवस्था करें । यह कार्य वेतन वितरण के समय व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सम्पादित किया जावे तथा उस समय इस कार्य में आने वाली कठिनाईयों का व्यवहारिक निराकरण करते हेतु विचार विमर्श भी किया जावे । परिवीक्षण अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण करते समय नामांकन के प्रगति प्रतिवेदनों की जांच करें तथा इसका उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में भी करें ।

भवदीय,
के. के. भटनागर,
शिक्षा सचिव,
राजस्थान, जयपुर ।

जिलेवार नामांकन एवं नामांकन लक्ष्य आयु वर्ग 6-11

(1980-81 से 1982-83)

(हजारों में)

क्र. सं.	जिला	नामांकन 1980-81	नामांकन लक्ष्य 1981-82	नामांकन लक्ष्य 1982-83
1.	अजमेर	137.0	155.0	166.7
2.	अलवर	174.4	195.0	207.7
3.	भरतपुर	171.6	185.0	196.7
4.	जयपुर	328.3	340.0	351.7
5.	झुन्झुनूं	133.0	145.0	155.7
6.	सीकर	129.1	150.0	161.7
7.	सवाई माधोपुर	139.3	155.0	166.7
8.	टोंक	61.4	78.0	89.7
9.	बीकानेर	71.8	83.0	94.7
10.	चूरू	85.2	98.0	109.7
11.	श्रीगंगानगर	154.7	178.0	191.7
12.	बाडमेर	50.9	73.0	87.1
13.	जैसलमेर	13.2	23.0	34.1
14.	जोधपुर	131.0	148.0	159.7
15.	जालौर	56.3	71.0	82.7
16.	सिरोही	44.0	53.0	63.2
17.	नागौर	118.5	143.0	156.7
18.	पाली	110.6	123.0	134.2
19.	कोटा	177.7	188.0	199.7
20.	बूंदी	44.8	58.0	70.2
21.	झालावाड	61.1	75.0	86.2
22.	बांसवाडा	71.0	88.0	100.2
23.	भीलवाडा	90.3	108.0	120.2
24.	डूंगरपुर	60.1	73.0	84.2
25.	चित्तौडगढ	89.3	103.0	114.2
26.	उदयपुर	185.0	203.0	214.7
	योग	2889.6	3292.0	3600.0

जिलेवार नामांकन एवं नामांकन लक्ष्य आयु वर्ग 11–14

(1980–81 से 1982–83)

(हजारों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	नामांकन 1980–81	नामांकन लक्ष्य 1981–82	नामांकन लक्ष्य 1982–83
1.	अजमेर	42.5	45.0	47.575
2.	अलवर	50.7	54.0	57.375
3.	भरतपुर	49.5	53.0	56.575
4.	जयपुर	91.0	97.0	103.075
5.	झुन्झुनूं	39.4	42.0	44.675
6.	सीकर	38.5	42.0	45.575
7.	सवाई माधोपुर	38.1	42.0	45.975
8.	टोंक	15.7	18.0	20.375
9.	बीकानेर	18.8	22.0	25.275
10.	चूरू	23.0	27.0	30.075
11.	गंगानगर	43.1	46.0	48.975
12.	बाडमेर	11.3	13.0	15.775
13.	जैसलमेर	2.6	4.0	5.475
14.	जोधपुर	36.0	39.0	42.075
15.	जालौर	11.8	14.0	16.275
16.	सिरोही	12.2	15.0	17.875
17.	नागौर	29.9	34.0	38.180
18.	पाली	26.6	29.0	31.480
19.	कोटा	41.6	45.0	48.480
20.	बूंदी	11.2	14.0	16.880
21.	झालावाड	12.7	15.0	17.380
22.	बांसवाडा	14.2	16.0	17.980
23.	भीलवाडा	23.0	25.0	27.080
24.	डूंगरपुर	11.7	14.0	16.380
25.	चित्तौडगढ	21.3	25.0	28.780
26.	उदयपुर	45.7	50.0	54.380
	योग	762.1	840.0	920.000

वर्ष 1982-83 में प्रौढ शिक्षा केन्द्रों का जिलेवार नामांकन लक्ष्य

क्र. सं.	जिला	नामांकन (लाखों में)
1.	अजमेर	0–06
2.	अलवर	0–09
3.	भरतपुर	0–09
4.	जयपुर	0–09
5.	झुन्झुनूं	0–09
6.	सीकर	0–06
7.	सवाई माधोपुर	0–06
8.	टोंक	0–03
9.	बीकानेर	0–09
10.	चूरू	0–09
11.	गंगानगर	0–09
12.	बाड़मेर	0–09
13.	जैसलमेर	0–09
14.	जोधपुर	0–09
15.	जालौर	0–09
16.	सिरोही	0–03
17.	नागौर	0–09
18.	पाली	0–09
19.	कोटा	0–09
20.	बून्दी	0–09
21.	झालावाड	0–09
22.	बांसवाडा	0–09
23.	भीलवाडा	0009
24.	डूंगरपुर	0–09
25.	चित्तौडगढ़	0–06
26.	उदयपुर	0–09
	योग	2–10

सूत्र संख्या–17

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

जयपुर
दिनांक 3 अप्रैल, 1982
प. संख्या एफ. ( )/एफ. एस./82

आर.जे.मजीठिया
खाद्य सचिव

प्रिय श्री————————

नये बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 17 के अनुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुदृढ बनाया है जिसमें उपभोक्ताओं, विशेष रूप से औद्योगिक श्रमिकों, विद्यार्थी एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को आवश्यक वस्तुयें सुविधाजनक उपलब्ध हो सकें।

साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र एवं प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में कम से कम एक उचित मूल्य की दुकान कार्यरत रहे। सहकारी क्षेत्र में अधिक दुकानें स्थापित की जायें। जिससे शनैः-शनैः समस्त उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं की ही हों।

सन् 1982-83 के लिए राज्य में कुल 2000 अतिरिक्त दुकानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनमें से 50 भ्रमणशील दुकानें, आदिम जाति, बहुल, दूरस्थ एवं कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए आरम्भ की जायेंगी। भ्रमणशील दुकानों के जिलेवार लक्ष्य अभी निर्धारित किये जा रहे हैं।

शेष नई उचित मूल्य की दुकानों का, आपके जिले के लिए————————ग्रामीण क्षेत्र में व————————शहरी क्षेत्र में खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका आपके स्तर पर स्थानीय रूप से इस प्रकार विभाजन किया जाय कि सन् 1981 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में एक दुकान के साथ औसत उपभोक्ताओं की संख्या 3000 एवं शहरी क्षेत्र में 2500 से अधिक न हों।

अतः आप उपरोक्त लक्ष्यों का उप विभाजन करके विभाग को तुरन्त सूचित करें एवं प्रति माह 5 तारीख तक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति की सूचना विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, जिससे सचिव, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को 10 तारीख के पूर्व राज्य की एकीकृत सूचना भिजवाई जा सके।

उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार-पत्र निलम्बित अथवा निरस्त करने के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे वितरण व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो एवं उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या में कमी नहीं आये।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकारें एवं इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से मुझे अवगत करायें।

भवदीय
आर. जे. मजीठिया

श्री————————,
जिलाधीश,
————————

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No. D-138
Date 28-5-82

सूत्र सं.—18

एन.के.बैरवा,
विशिष्ट शासन सचिव

उद्योग विभाग, राजस्थान

अ.शा.पत्र संख्या प. 20(4)उद्योग।1।82

जयपुर, दिनांक 25 मार्च, 1982

प्रिय श्री

जैसा कि आपको विदित है कि प्रधान मंत्री महोदया के द्वारा एक नया बीस सूत्री कार्यक्रम प्रतिपादित किया गया है। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग से सम्बन्धित कार्यक्रम छोटे एवं ग्रामीण उद्योग, हाथ कर्घा तथा हस्तशिल्प भी सम्मिलित हैं। वर्ष 1982-83 के लक्ष्य जो आपके विभाग से सम्बन्धित हैं वह पूर्व में ही निश्चित किए जा चुके हैं। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये उठाए जाने वाले कदम के सम्बन्ध में उद्योग सचिव ने दिनांक 1-3-82 को एक बैठक का आयोजन कर निर्णय लिया है। मैं आपसे पुनः इस पत्र के द्वारा अनुरोध करूंगा कि 1982-83 के लिये आपके विभाग से सम्बन्धित निर्धारित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति निश्चित रूप से की जाय तथा आपके स्तर पर आवश्यक निर्देश निकाल कर राज्य सरकार को सूचित किया जाय। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये उचित मानीटरिंग सिस्टम भी मुख्यालय पर स्थापित किया जाय। प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक मानीटरिंग कर प्राप्त किए गए लक्ष्यों की सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की जाय।

बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत निश्चित किए गए लक्ष्य पुनः इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाए जा रहे हैं।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

सद्भावी
ह.
(एन.के.बैरवा)

NIEPA DC
D00138

निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजना विभाग के लिए प्रकाशित
एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में मुद्रित, मई, 1982—15,000